सत्यमेव जयते

नीति आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

www.niti.gov.in

सत्यमेव जयते

नीति आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

विषय सूची

खंड 1
नीति आयोग : रूपरेखा

गठन 1

उद्देश्य और विशेषताएं 5

नियुक्तियाँ 6

कार्यक्रम/विषय आबंटन 6

नीति आयोग की शासी परिषद 8

मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन 9

खंड 2
नीति फॉर स्टेट्स

आकांक्षी जिला कार्यक्रम 13

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 14

राज्य समन्वय 17

राज्य सहायता मिशन 17

नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म 19

स्टेट्स@2047 के लिए परिकल्पना अभ्यास 22

राज्यों के साथ अन्य जुड़ाव 24

नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला 28

खंड 3
थिंक टैंक गतिविधियां

नीति आयोग की आंतरिक व्याख्यान श्रृंखला 39

शिक्षाविदों और थिंक टैंकों के साथ सहभागिता 42

ऊर्जा मॉडलिंग और डाटा प्रबंधन 44

अंतरराष्ट्रीय सहयोग 44

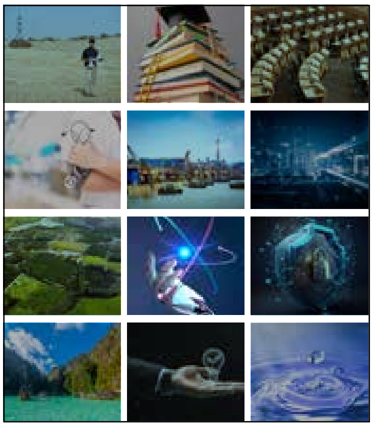

खंड 4
क्षेत्रवार उपलब्धियां

कृषि 49
डाटा प्रबंधन और विश्लेषण 51
अर्थ एवं वित्त–I 52
अर्थ एवं वित्त–II 54
शिक्षा 55
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 57
हरित परिवर्तन, ऊर्जा, जलवायु और पर्यावरण 59
शासन 64
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पोषण 66
उद्योग 70
सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार (सीमांत प्रौद्योगिकी हब सहित) 75
अवसंरचना - कनेक्टिविटी (परिवहन) 79
द्वीप विकास 81
उत्तर पूर्वी राज्य 82
सार्वजनिक वित्त और नीति विश्लेषण 82
सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) 83
अनुसंधान 85
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाएं 86
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 86
कौशल विकास एवं उद्यमिता, श्रम एवं रोजगार 88
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 89
सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 90
सुरक्षा 100
सेवाएं 100
राज्य वित्त 101
पर्यटन एवं संस्कृति 101
शहरीकरण 102
स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ 104
जल एवं भूमि संसाधन 104
महिला एवं बाल विकास 106

खंड 5
अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय 111

निष्पादन-परिणाम निगरानी रूपरेखा 111

भारत में डेटा गवर्नेंस में परिवर्तन: डीजीक्यूआई पहल 112

सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक (जीआईआरजी) 112

सेक्टर समीक्षा 113

मूल्यांकन 113

क्षमता निर्माण 113

खंड 6
अटल नवाचार मिशन

अटल नवाचार मिशन 2.0 117

अटल नवाचार मिशन 1.0 118

अटल टिंकरिंग लैब 118

अटल इंक्यूबेशन केंद्र 122

अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र 126

अटल न्यू इंडिया चैलेंज 128

एआईएम इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम 132

एआईएम आईसीडीके जल चुनौती 132

राज्य नवाचार मिशन की कार्यशालाएं 133

खंड 7
प्रशासन और सहायक एकक

प्रशासन/मानव संसाधन 137

आजीविका प्रबंधन अनुभाग 140

राजभाषा (हिन्दी) अनुभाग 141

कर्मयोगी 142

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र 142

संगठन पद्धति एवं समन्वय (ओएमएंडसी) अनुभाग 144

आरटीआई प्रकोष्ठ 145

संचार प्रकोष्ठ 145

शासी परिषद सचिवालय 150

संसद एवं समन्वय 150

खंड 8
राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान

2024-25 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम 153
2024-25 के दौरान नई पहलें 153

अनुलग्नक

अनुलग्नक I 157
अनुलग्नक II 159

संक्षेपाक्षरों की सूची

एबीपी	आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम
एसीआईसी	अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र
एडीएएस	उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणालियाँ
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीपी	आकांक्षी जिला कार्यक्रम
एईडीपी	एआईएम इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम
एआई	कृत्रिम मेधा
एआईसी	अटल इंक्यूबेशन केंद्र
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एआईआईएफ	ऑस्ट्रेलिया-भारत अवसंरचना निधि
एम्स	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एआईएम	अटल नवाचार मिशन
एआईएमईडी	भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग संघ
एएमबी	एनीमिया मुक्त भारत
एएनआईसी	अटल न्यू इंडिया चैलेंज
एपीएफएसडी	एशिया प्रशांत सतत विकास मंच
एएसएसईटी	सतत राज्य ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाना
एसोचैम	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
एटीएल	अटल टिंकरिंग लैब
बीबीएनजे	राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता
बीडीएस	ब्लॉक विकास कार्यनीति
बीईएस	बैटरी ऊर्जा भंडारण
बीआईपीएआरडी	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
बीएसएमआर	भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर
बीएसआर	भारत स्मॉल रिएक्टर्स
बीटीसी	बोडोलैंड जनजातीय परिषद
सीबीएएम	कार्बन सीमा समायोजन तंत्र
सीबीसी	क्षमता निर्माण आयोग
सीबीएसई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीसीएस	कार्बन प्रग्रहण और भंडारण
सीसीयूएस	कार्बन प्रग्रहण उपयोग और भंडारण

सीडीएससीओ	केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईएनएसई	नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीईआरसी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीईएसएल	कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड
सीआईएफओआर	अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र
आईसीआरएएफ	अंतरराष्ट्रीय कृषि-वानिकी अनुसंधान केन्द्र
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईटीएजी	शासन में नवाचार और परिवर्तन केंद्र
सीएम	मुख्य मंत्री
सीओसी	चैंपियंस ऑफ चेंज
सीओपी	पक्षकारों का सम्मेलन
सीपीपीजीजी	सार्वजनिक नीति और शासन केंद्र
सीपीएसई	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
सीआरए	राजस्व आबंटन आयोग
सीआरआईएसपीआर	क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स
सीआरएल	व्यावसायीकरण तत्परता स्तर
सीएस	केंद्रीय क्षेत्रक
सीएसआईआर	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएसएस	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
सीडब्लूएसएन	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
डीएआरटीपी	जिला कृषि-ग्रामीण परिवर्तनकारी योजना
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसी	जिला कलेक्टर
डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
डीजी	महानिदेशक
डीजीक्यूआई	डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकांक
डीएम	जिला मजिस्ट्रेट
डीएमए	डेटा प्रबंधन और विश्लेषण
डीएमईओ	विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय
डीओएफ	मत्स्यपालन विभाग
डीओएचई	उच्च शिक्षा विभाग
डीओपीटी	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
डीपीएसी	विभागीय परियोजना अनुमोदन समिति

डीपीआई	डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
डीआरआई	दीनदयाल शोध संस्थान
ईएंडएफ-I	अर्थ एवं वित्त I
ईएंडएफ-II	अर्थ एवं वित्त II
ईबीसी	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग
ईबीआर	रेलवे का विस्तारित बोर्ड
ईसीडीसीई	प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल और शिक्षा
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईआईए	ऊर्जा सूचना प्रशासन
ईएलवी	कार्यकाल समाप्ति वाहन
ईएमपीएस	इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संवर्धन योजना
ईएमएस	इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएँ
ईपीआई	निर्यात तत्परता सूचकांक
ईवी	इलेक्ट्रिक वाहन
फेम	इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
फिक्की	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ
एफपीएस	उचित मूल्य की दुकानें
एफएसपी	फ्यूचर स्किल्स प्राइम
एफवाई	वित्त वर्ष
जीएएन	गैलियम नाइट्राइड
जीसी	ग्रैंड चैलेंज
जीसीएएम	वैश्विक परिवर्तन विश्लेषण मॉडल
जीसीसी	वैश्विक क्षमता केंद्र
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जी-हब	ग्रोथ हब
गिफ्ट सिटी	गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी
जीआईएल	सरकारी नवाचार प्रयोगशाला
जीआईआरजी	वैश्विक सुधार और विकास सूचकांक
जीएमपी	अच्छी विनिर्माण पद्धति
जीओआई	भारत सरकार
ग्रिट	गुजरात राज्य परिवर्तन संस्थान
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीवीसी	वैश्विक मूल्य श्रृंखला
एचएलईओए	महासागरीय कार्रवाई पर उच्च स्तरीय आयोजन

एचएलपीएफ	उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम
एचएसआरसी	हिमालयन राज्य क्षेत्रीय परिषद
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीडीएस	एकीकृत बाल विकास सेवाएं
आईसीई	आंतरिक ज्वलन इंजन
आईसीईडी	भारत जलवायु और ऊर्जा डैशबोर्ड
आईसीईएमएफ	भारत जलवायु ऊर्जा मॉडलिंग फोरम
आईसीएमआर	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
आईईएसएस	भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य
आईएफसी	अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम
आईजीसी	अंतर्सरकारी परामर्श
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आईआईपीडीएफ	भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि
आईआईएस	भारतीय विज्ञान संस्थान
आईआईएसईआर	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएलओ	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमएमटी	खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएमओ	अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन
इन्वआईटी	अवसंरचना निवेश न्यास
आईओएम	अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन
आईओटी	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
आईपी	बौद्धिक संपदा
इरेडा	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड
आईएसईजी	सतता, रोजगार और विकास संस्थान
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आईटीए	अरुणाचल परिवर्तन संस्थान
आईटीपी	अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
जेएलओआई	संयुक्त आशय पत्र
जेएनएआरडीडीसी	जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केंद्र
जेपीके	जन पोषण केंद्र
केएटीसी	कार्बी आंगलोंग जनजातीय परिषद
केपीआई	प्रमुख प्रदर्शन संकेतक
एलसीए	जीवन चक्र मूल्यांकन

एलजी	उपराज्यपाल
लिपि (एलआईपीआइ)	भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम
एलकेआई	अग्रणी ज्ञान संस्थान
एमसीए	मॉडल रियायत करार
एमडीओएनईआर	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
एमईडीईएफ	फ्रांसीसी उद्यम आंदोलन
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमआईटीआरए	महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान
एमएल	मशीन लर्निंग
एमएमआर	मुंबई महानगर क्षेत्र
एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओईएस	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एमओएचयूए	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
एमओपीएनजी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एमओपीएसडब्ल्यू	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओआरटीएच	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमपीआई	बहुआयामी गरीबी सूचकांक
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमटीएआई	मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एनएबीएफआईडी	राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक
नाल्को	राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी
एनएपी-एएमआर	राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध कार्य योजना
एनसीएईआर	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद
एनसीडीसी	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र
एनडीएपी	राष्ट्रीय डेटा एवं विश्लेषण प्लेटफॉर्म
एनडीएलडी	नई दिल्ली लीडर्स घोषणा
एनडीएमएफ	राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष

एनईबीपी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम
एनईसी	उत्तर पूर्वी परिषद
एनईईआरआई	राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान
एनईपी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनईएसआईडीएस	उत्तर-पूर्वी विशेष अवसंरचना विकास स्कीम
एनएफएस	नीति फॉर स्टेट्स
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनएचए	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
एनएचएफएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनआईईपीए	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
एनआईएफ	राष्ट्रीय संकेतक ढांचा
निफ्टम	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान
निलर्ड (एनआईएलईआरडी)	राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान
एनआईओटी	नागालैंड परिवर्तन संस्थान
नीति (एनआईटीआई)	राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था
एनएमएचसी	राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर
एनएमएल	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला
एनएमपी	राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
एनओएस	राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक
एनपीओ	गैर-लाभकारी संगठन
एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा
एनयूपी	नई यूरिया नीति
एनजेड	निवल शून्य
ओएएमएस	ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओईएम	मूल उपकरण निर्माता
ओओएमएफ	निष्पादन-परिणाम निगरानी रूपरेखा
पीएसी	परियोजना मूल्यांकन समिति
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएफपीए	सार्वजनिक वित्त एवं नीति विश्लेषण
पीआईबी	पत्र सूचना कार्यालय
पीआईयू	कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई
पीएम	प्रधानमंत्री
पीएमएवाई	प्रधानमंत्री आवास योजना

पीएम-डिवाइन	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल
पीएमओ	प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम-एसटीआईएसी	प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद
पीएनएनएल	प्रशांत उत्तर पश्चिमी राष्ट्रीय प्रयोगशाला
पीपीएसी	पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीक्यू	संसद प्रश्न
पीएसएम	भुगतान सुरक्षा तंत्र
पीटीए	सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण
पीवीटीजी	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
आरएंडडी	अनुसंधान एवं विकास
आरबीएम	परिणाम-आधारित प्रबंधन
आरसीई	संशोधित लागत अनुमान
आरईई	दुर्लभ मृदा तत्व
राइज़ (आरआईएसई)	तीव्र नवाचार और स्टार्ट-अप विस्तार
आरआईटीआई	राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान
आरएसएनए	नीति आयोग की अनुसंधान योजना
आरटीआई	सूचना का अधिकार
आरवाईएसके	राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम
आरवाईएसएस	रिथु साधिकार संस्था
सेफ़ (एसएएफई)	साइट पार्श्वस्थ कारखाना कर्मचारी
सेज (एसएजीई)	दक्षिण एशिया ऊर्जा समूह
साथ (एसएटीएच)-ई	मानव पूंजी परिवर्तन के लिए सतत कार्रवाई - शिक्षा
एससी	अनुसूचित जाति
एसडीएपी	राज्य डेटा एवं विश्लेषण प्लेटफॉर्म
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसडीपी	विशेष विकास पैकेज
एसईआर	सूरत आर्थिक क्षेत्र
एसईआरसी	राज्य विद्युत विनियामक आयोग
सेतु (एसईटीयू)	उत्तराखंड राज्य सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान
एसएफसी	स्थायी वित्त समिति
एसआईसी	स्कूल नवाचार परिषद
एसआईटी	राज्य परिवर्तन संस्था
एसआईटीके	कर्नाटक राज्य परिवर्तन संस्थान

एसआईटी-एम	राज्य परिवर्तन संस्थान-मिज़ोरम
एसआईटी-एस	राज्य परिवर्तन संस्थान-सिक्किम
एसएमसी	वरिष्ठ प्रबंधन परिषद
एसओआई	आशय विवरण
एसओएम	वरिष्ठ अधिकारी बैठक
एसपीसी	सामरिक साझेदारी परिषद
एसएसएम	राज्य सहायता मिशन
एसटीसी	राज्य परिवर्तन आयोग
एसटी	अनुसूचित जनजाति
टीसी	प्रौद्योगिकी केंद्र
टीआईएफएसी	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद
टीआईएफटी	त्रिपुरा परिवर्तन संस्था
टीआरएल	प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर
टीटीडीएफ	दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि
यूएफआरएमपी	शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम
यूएचसी	सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज
यूकेआईआईएफबी	यूके-भारत अवसंरचना वित्तपोषण सेतु
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनएफपीए	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
यूएनजीए	संयुक्त राष्ट्र महासभा
यूएनओसी	संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन
यूएनएसडीसीएफ	संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा
यूएसआईबीसी	यूएस-भारत व्यापार परिषद
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
वीएसी	स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ
वीबीएसआर	विकसित भारत कार्यनीति कक्ष
वीजीएफ	व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण
वीवीपी	जीवंत ग्राम कार्यक्रम
वाश (डब्ल्यूएएसएच)	जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य
डब्ल्यूईपी	महिला उद्यमिता मंच
डब्ल्यूएफपी	विश्व खाद्य कार्यक्रम
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूआईपीओ	विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
डब्ल्यूआरआई	विश्व संसाधन संस्थान

खंड 1
नीति आयोग: रूपरेखा

गठन

केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से 01 जनवरी, 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। यह भारत सरकार का नीति से संबंधित प्रमुख 'थिंक टैंक' है, जो निर्देशनात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने के अलावा, नीति आयोग केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त कार्यनीतिक एवं तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय हित में साथ मिलकर कार्य करने के लिए राज्यों को एक मंच पर लाने के लिए नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

नीति आयोग का गठन (31 दिसंबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार)

माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी
अध्यक्ष

श्री सुमन बेरी
उपाध्यक्ष

पूर्णकालिक सदस्य

डॉ. वी के सारस्वत
सदस्य

प्रो. रमेश चंद
सदस्य

डॉ. वी के पॉल
सदस्य

डॉ. अरविंद विरमानी
सदस्य

श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नीति आयोग का गठन (31 दिसंबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार)

श्री राजनाथ सिंह
माननीय रक्षा मंत्री

श्री अमित शाह
माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान
माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री;
तथा ग्रामीण विकास मंत्री

श्रीमती निर्मला सीतारमण
माननीया वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री

विशेष आमंत्रितगण

श्री नितिन जयराम गडकरी
माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

श्री जगत प्रकाश नड्डा
माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री

श्री एच. डी. कुमारस्वामी
माननीय भारी उद्योग मंत्री एवं इस्पात मंत्री

श्री जीतन राम मांझी
माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
माननीय पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

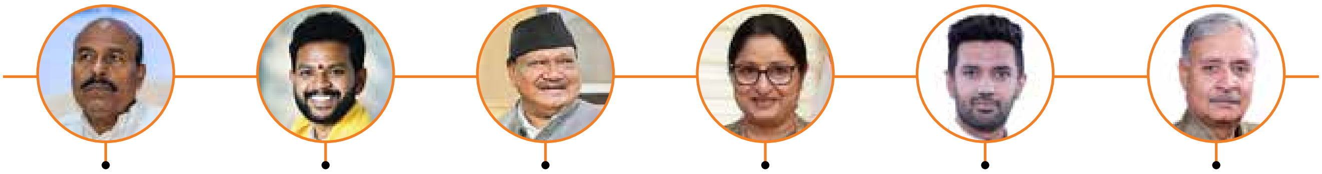

डॉ. वीरेंद्र कुमार
माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

श्री किंजरापु राममोहन नायडू
माननीय नागर विमानन मंत्री

श्री जुएल ओराम
माननीय जनजातीय कार्य मंत्री

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
माननीया महिला एवं बाल विकास मंत्री

श्री चिराग पासवान
माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री

राव इंद्रजीत सिंह
माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

उद्देश्य और विशेषताएं

नीति आयोग भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इस नोडल एजेंसी को आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में नीचे से ऊपर वाले दृष्टिकोण का उपयोग करके भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य और विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्यनीतियों के एक साझा विज़न का विकास करना।
- यह स्वीकार करते हुए कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्रों का विकास करना और इनको उत्तरोतर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुँचाना।
- यह सुनिश्चित करना कि जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित किया गया है।
- हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना, जिनको आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो सकता है।
- कार्यनीतिक और दीर्घावधिक नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और प्रभाव की निगरानी करना। निगरानी और फीडबैक के माध्यम से सीखे गए सबक का प्रयोग आवश्यक मध्यावधि संशोधन सहित नवोन्मेषी सुधार करने के लिए किया जाएगा।
- महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं को सलाह देना और उनके बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृत्तिकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशील सहायक प्रणाली तैयार करना।
- विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर्क्षेत्रक और अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच प्रदान करना।
- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र का अनुरक्षण करना, शासन पर अनुसंधान तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का भण्डार बनना और साथ ही उसे हितधारकों तक पहुंचाने में भी मदद करना।
- आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ-साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रियता से मूल्यांकन और निगरानी करना, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।
- कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ज़ोर देना।
- ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा को लागू करने और उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

आवश्यक ज्ञान और कौशल जो इसे तेजी से कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए कार्यनीतिक नीतिगत सलाह प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों से निपटने में समर्थ बनाएगा। इसे एक संबद्ध कार्यालय यानी विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), एक महत्वपूर्ण पहल यानी अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और एक स्वायत्त निकाय यानी राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

नीति आयोग के कार्यक्षेत्र को चार प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना
- नीति फॉर स्टेट्स (सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद)
- परिवर्तनकारी बदलाव को बढ़ावा देना
- अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

नियुक्तियां

माननीय प्रधानमंत्री के अनुमोदन के अनुसरण में, कैबिनेट सचिवालय ने जुलाई, 2024 में नीति आयोग की संशोधित संरचना की सूचना दी, जिसमें श्री सुमन के. बेरी को उपाध्यक्ष और डॉ. वी के सारस्वत, प्रो. रमेश चंद, डॉ. विनोद कुमार पॉल और डॉ. अरविंद विरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। राव इंद्रजीत सिंह को भी योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। इसके अलावा, सरकार ने नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में 11 माननीय मंत्रियों अर्थात श्री नितिन जयराम गडकरी, श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री एच डी कुमारस्वामी, श्री जीतन राम मांझी, श्री राजीव रंजन सिंह, डॉ. वीरेंद्र कुमार, श्री किंजरापु राममोहन नायडू, श्री जुएल ओराम, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, श्री चिराग पासवान और राव इंद्रजीत सिंह को शामिल किया। श्री सुमन के. बेरी को 11 नवंबर, 2024 से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया।

कार्यक्रम/विषय आबंटन

नीति आयोग के विभिन्न कार्यक्रम, विषय, संबद्ध कार्यालय और स्वायत्त निकाय उपर्युक्त अधिदेश को पूरा करने के लिए आवश्यक समन्वय और समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं। विशेष पहलों/कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों, विषयों की सूची नीचे दी गई है, जबकि 2024-25 के दौरान उनके कार्य क्षेत्र और प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख खंड (4) में किया गया है।

क्र. सं.	प्रभाग और विषय आबंटन
1.	सामान्य प्रशासन सहित प्रशासन/मानव संसाधन, आरटीआई
2.	कृषि नीति
3.	कृषि प्रौद्योगिकी
4.	संचार
5.	डेटा प्रबंधन और विश्लेषण
6.	पेयजल एवं स्वच्छता
7.	अर्थ एवं वित्त I आर्थिक मॉडलिंग, परिदृश्य निर्माण, पूंजी बाजार
8.	अर्थ एवं वित्त II i. अर्थ एवं वित्त के सभी अन्य मामले जिनका उल्लेख ईएंडएफ-I में नहीं किया गया है, जिनमें जी-20, बहुपक्षीय संस्थाएं और विनिवेश शामिल हैं; ii. व्यापार एवं वाणिज्य
9.	शिक्षा
10.	इलेक्ट्रिक मोबिलिटी
11.	शासन
12.	शासी परिषद सचिवालय

13.	हरित परिवर्तन, ऊर्जा, जलवायु और पर्यावरण
14.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पोषण
15.	उद्योग एवं विदेशी निवेश
16.	सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार (सीमांत प्रौद्योगिकी हब सहित)
17.	अवसंरचना – कनेक्टिविटी (परिवहन-सड़क)
18.	अवसंरचना - कनेक्टिविटी (परिवहन-रेलवे, बंदरगाह, पोत परिवहन, जलमार्ग, नागर विमानन)
19.	द्वीप विकास
20.	विधि
21.	उत्तर-पूर्वी राज्य
22.	संसद एवं समन्वय
23.	सार्वजनिक वित्त और नीति विश्लेषण
24.	हाई स्पीड ट्रेन और परिसंपत्ति मुद्रीकरण सहित सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)
25.	अनुसंधान एवं नेटवर्किंग
26.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
27.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
28.	सुरक्षा एवं विदेश मामले
29.	सेवाएं
30.	कौशल विकास एवं उद्यमिता, श्रम एवं रोजगार
31.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ
32.	राज्य वित्त
33.	राज्य i) राज्य समन्वय ii) राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) iii) आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) iv) आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) v) राष्ट्रीय मुख्य सचिव समन्वय प्रभाग
34.	सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)
35.	पर्यटन एवं संस्कृति
36.	शहरीकरण
37.	विकसित भारत - परिप्रेक्ष्य आयोजना और दूरदर्शिता
38.	जल एवं भूमि संसाधन
39.	महिला एवं बाल विकास

अन्य विशेष पहल/कार्यक्रम:

1.	अटल नवाचार मिशन (एआईएम)
2.	विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) – संबद्ध कार्यालय
3.	आर्थिक आसूचना इकाई
4.	राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) - स्वायत्त निकाय

नीति आयोग की शासी परिषद

नीति आयोग की शासी परिषद, जिसमें सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल शामिल हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से 16 फरवरी, 2015 को प्रभाव में आई। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 19 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से शासी परिषद का पुनर्गठन किया गया।

शासी परिषद एक प्रमुख निकाय है जिसे राष्ट्रीय विकास की रूपरेखा तैयार करने में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कार्यनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने का काम सौंपा गया है। शासी परिषद, जो सहकारी संघवाद के उद्देश्यों का प्रतीक है, राष्ट्रीय विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-क्षेत्रक, अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रस्तुत करती है।

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों / उप राज्यपालों और शासी परिषद के अन्य सदस्यों के साथ अब तक शासी परिषद की नौ बैठकें हो चुकी हैं। नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य शासी परिषद के भी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

शासी परिषद की नौवीं बैठक

27 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की नौवीं बैठक आयोजित की गई जिसका विषय 'विकसित भारत@2047' था। इसमें 20 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों/उप राज्यपालों ने भाग लिया। बैठक में पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में चुनिंदा केंद्रीय मंत्रियों; नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों; मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव; नीति आयोग के सीईओ; और भारत सरकार के चुनिंदा सचिवों तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और नीति आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

शासी परिषद ने 27 से 29 दिसंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान निर्धारित 'जीवनयापन की सुगमता' के एजेंडे पर विचार-विमर्श किया, जिसमें निम्नलिखित उप-विषय शामिल थे (i) पेयजल: पहुँच, मात्रा और गुणवत्ता, (ii) विद्युत: गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता, (iii) स्वास्थ्य: पहुँच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता; (iv) स्कूली शिक्षा: पहुँच और गुणवत्ता; (v) भूमि और संपत्ति: पहुंच, डिजिटलीकरण, पंजीकरण और म्यूटेशन, तथा साइबर सुरक्षा में उभरती चुनौतियों पर अतिरिक्त विशेष एजेंडा मदें; आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रम की वास्तविक कहानियां; योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं के युक्तिकरण में राज्यों की भूमिका और पूंजीगत व्यय को बढ़ाना; और शासन में एआई।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे देश ने पिछले दस वर्षों में सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना को मजबूत करके काफी प्रगति की है। पहले भारत मुख्य रूप से आयात पर आधारित देश था, लेकिन अब यह विश्व को अनेक उत्पादों का निर्यात करता है। देश ने रक्षा, अंतरिक्ष, स्टार्ट-अप और खेल जैसे व्यापक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।

प्रधानमंत्री ने नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इसकी सफलता की कुंजी मापनीय मापदंडों की निरंतर और ऑनलाइन निगरानी है, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई।

मुख्यमंत्रियों / उप राज्यपालों ने विकसित भारत@2047 के विज़न के लिए विभिन्न सुझाव दिए और अपने राज्यों में उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा की। कृषि, शिक्षा और कौशल विकास, उद्यमिता, पेयजल, अनुपालन में कमी, शासन, डिजिटलीकरण, महिला सशक्तिकरण, साइबर सुरक्षा आदि के क्षेत्र में कुछ प्रमुख सुझावों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया। कई राज्यों ने 2047 के लिए राज्य विज़न बनाने के लिए अपने प्रयासों को भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग को बैठक के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए सुझावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया।

27 जुलाई, 2024 को आयोजित शासी परिषद की 9वीं बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/उप राज्यपालों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री

मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन

माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार, वार्षिक आधार पर मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। अब तक चार ऐसे सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है। 8 महीने से अधिक की तैयारी के बाद चौथा सम्मेलन 13 से 15 दिसंबर 2024 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारियों ने सम्मेलन के विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। चौथे सम्मेलन का विषय था 'उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना - जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना'। सम्मेलन के दौरान छह उप-विषयों पर चर्चा की गई, जो इस प्रकार थे (i) सक्षम इकोसिस्टम का निर्माण - टियर 2, 3 शहरों: विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना; (ii) सक्षम इकोसिस्टम का निर्माण - टियर 2, 3 शहरों: सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना; (iii) एमएसएमई एवं अनौपचारिक रोजगार: ग्रामीण गैर-कृषि (iv) एमएसएमई और अनौपचारिक रोजगार: शहरी; (v) हरित

अर्थव्यवस्था में अवसर: नवीकरणीय ऊर्जा; और (vi) हरित अर्थव्यवस्था में अवसर: चक्रीय अर्थव्यवस्था।

इनके अलावा, निम्नलिखित विषयों पर विशेष सत्र भी आयोजित किए गए, (i) विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी; (ii) मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण; (iii) निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार; (iv) शहरों को आर्थिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करना; और (v) गतिरोध से विकास की ओर: भारत में प्रगति के प्रभाव पर ऑक्सफोर्ड अध्ययन।

इनके अलावा, विषयगत भोजन सत्र के दौरान कृषि में आत्मनिर्भरता - खाद्य तेल और दलहन; वृद्ध आबादी के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था; पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कार्यान्वयन; और भारतीय ज्ञान परम्परा पर भी केंद्रित विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में प्रत्येक विषय के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं को भी प्रस्तुत किया गया, ताकि किसी राज्य द्वारा प्राप्त सफलता से अन्य राज्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकें। ऐसी उम्मीद है कि मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणाम से शासी परिषद की 10वीं बैठक के एजेंडे में योगदान मिलेगा।

केंद्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में कार्यान्वियन योग्य बिंदुओं को टीम इंडिया के रूप में एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है और संस्थागत रूप दिया जा रहा है। सम्मेलन को संस्थागत बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा एक ज्ञान और निगरानी मंच का भी विकास किया गया है, जिसमें सम्मेलन की सभी सामग्री अपलोड की जा रही है और नोडल मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना दी जा रही है।

यह सम्मेलन, जिसमें केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया था, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने सरकारी हस्तक्षेपों के वितरण तंत्र को मजबूत करके केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच तालमेल और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया।

दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री

NITI Aayog
NITI-STATE WORKSHOP SERIES
An initiative of State Support Mission
Green Transition in States
17th November, 2024
Hall No. 5, Vigyan Bhawan, New Delhi

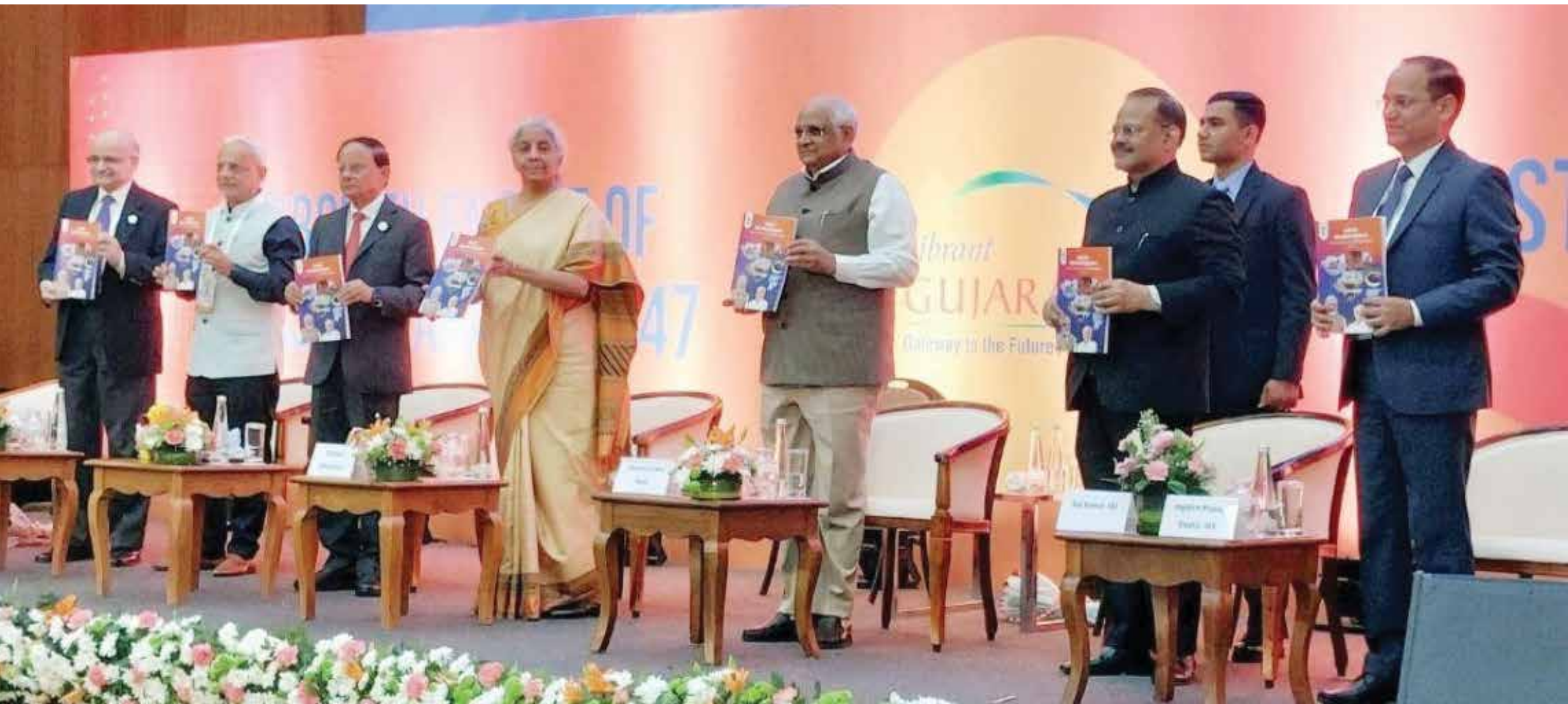
Gateway to the Future

खंड 2

नीति फॉर स्टेट्स

प्रस्तावना

यह स्वीकार करते हुए कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं, नीति आयोग का एक प्रमुख दायित्व राज्यों के साथ सतत आधार पर सहायता की संरचित पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग 'टीम इंडिया' की भावना के साथ अनेक पहल कर रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अतिरिक्त, नीति आयोग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चल रहे जुड़ाव को और अधिक संरचित और संस्थागत तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक पहल के रूप में अपने राज्य सहायता मिशन को सुदृढ़ किया है, ताकि 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा होगा, उसके लिए परिकल्पित परिवर्तनकारी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इनमें राज्यों में नीति आयोग की तर्ज पर संस्थाएं स्थापित करने के लिए विशेष सहायता प्रदान करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्षमता निर्माण, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सूचकांक शुरू करना और शिक्षा, निगरानी और मूल्यांकन, सतत विकास लक्ष्य और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी क्षेत्र, द्वीप विकास, तटीय राज्यों आदि के लिए क्षेत्र विशिष्ट पहल जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यनीति बनाना शामिल है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी), जो जनवरी 2025 में अपने कार्यान्वयन के सात वर्ष पूरा करेगा, भारत के अपेक्षाकृत अल्प विकसित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक व्यावहारिक और डेटा संचालित दृष्टिकोण का प्रमाण है। यह अग्रणी पहल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने और विविध हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक रही है तथा इसने एक ऐसे मॉडल का प्रदर्शन किया है जो प्रत्येक जिले से आगे बढ़कर राष्ट्रव्यापी समावेशी और सतत विकास में योगदान देता है।

इस कार्यक्रम के केन्द्र में डेटा संचालित दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता निहित है। नीति आयोग 49 केपीआई पर मासिक डेटा एकत्र करके 112 जिलों की कर्मठतापूर्वक निगरानी कर रहा है। आंकड़ों पर जोर देना इस बात की कार्यनीतिक स्वीकृति है कि सामाजिक-आर्थिक परिणामों में पर्याप्त सुधार आंकड़ों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के माध्यम से चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने पर निर्भर है।

एडीपी की निरंतर सफलता का श्रेय केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों, विकास भागीदारों, नागरिक समाज और जनता सहित विभिन्न हितधारकों के प्रयासों के कुशल समन्वय को दिया जा सकता है। नीति आयोग ने उत्थान के साझा लक्ष्य के साथ विविध संस्थाओं को जोड़ने के लिए सेतु के रूप में कार्य करते हुए राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस सहयोगात्मक प्रयास में प्रमुख भूमिका निभाने वालों में नीति आयोग, केन्द्रीय और राज्य प्रभारी अधिकारी, तथा जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर (डीएम/डीसी) के नेतृत्व वाली जिला टीमें शामिल हैं। नीति आयोग द्वारा आयोजित नियमित बैठकें और कार्यशालाएं इन हितधारकों को एक साथ आने, अंतर्दृष्टि का आदान-प्रदान करने, जमीनी स्तर की चुनौतियों के व्यावहारिक समाधानों की पहचान करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए मंच प्रदान करती हैं। सहयोग की यह भावना न केवल कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मजबूत करती है, बल्कि विशेषज्ञता का एक नेटवर्क भी बनाती है जो प्रशासनिक सीमाओं से परे होती है।

नीति आयोग विभिन्न चैनलों के माध्यमों से सफलता की कहानियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का सक्रिय रूप से प्रसार करता है। ज्ञान को साझा करने की यह पहल उपलब्धियों की सराहना करने में महत्वपूर्ण है और समान चुनौतियों का सामना करने वाले जिलों के लिए मूल्यवान संसाधन के रूप में भी काम करती है। प्रौद्योगिकी और संचार के प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाकर, कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि एक क्षेत्र में सीखे गए सबक दूसरे क्षेत्र में लागू किए जा सकें, जिससे निरंतर सुधार और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिलती है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि एडीपी का प्रभाव प्रत्येक जिले से आगे तक फैला हुआ है। यह पूरे देश में पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एक खाका प्रस्तुत करता है तथा एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है जिसे विविध सामाजिक-आर्थिक संदर्भों में दोहराया जा सकता है।

यह कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान प्रदान करके भारत में समावेशी और सतत विकास के व्यापक लक्ष्य में योगदान देता है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

जनवरी 2023 में शुरू किया गया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) की सफलता के बाद एक परिवर्तनकारी पहल है। 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 500 ब्लॉकों को शामिल करने वाले आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करके, परिणामों को परिभाषित करके और प्रगति की निरंतर निगरानी करके शासन और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाना है।

प्रत्येक चिन्हित ब्लॉक में, एबीपी कार्यनीतिक रूप से स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, बुनियादी अवसंरचना और सामाजिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य संदर्भ आधारित कार्यनीतियों की अनुमति देते हुए विकास के लिए अनुकूलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है, जो प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को जमीनी स्तर के करीब ले आए। यह समग्र दृष्टिकोण न केवल असमानताओं को दूर करता है, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित होकर आर्थिक विकास को भी गति देता है। एबीपी अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने, जागरुकता बढ़ाने और ब्लॉक प्रशासनों को सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने तथा सीखे गए सबक को साझा करने के लिए साझा मंच प्रदान करने पर जोर देता है। इसका मुख्य लक्ष्य सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करके तथा समावेशी, स्थानीय स्तर पर संचालित विकास प्रतिमान को बढ़ावा देकर नागरिकों के जीवन को आसान बनाना है।

यह कार्यक्रम 40 संकेतकों पर प्रगति की खोज-खबर लेता है, जिसमें सटीकता सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय पदाधिकारियों पर डेटा प्रविष्टि का बोझ कम करने के लिए डेटा सीधे केंद्रीय मंत्रालयों के डेटाबेस से प्राप्त किया जाता है। बेसलाइन मार्च 2023 से, त्रैमासिक रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें समय के साथ इन संकेतकों में सुधार को प्रभावी ढंग से मापने के लिए डेल्टा रैंकिंग का उपयोग किया जाता है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) के प्रथम वर्ष में, ब्लॉक विकास कार्यनीतियां (बीडीएस) तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण का कार्य किया गया। लगभग 4,500 अधिकारियों ने नेतृत्व प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद बीडीएस तैयार करने के लिए स्थानीय हितधारकों के साथ चिंतन शिविर आयोजित किए गए। इसका समापन 'संकल्प सप्ताह' के शुभारंभ के साथ हुआ, जो जागरुकता पैदा करने और आकांक्षी ब्लॉकों में सेवाओं को संपूर्ण करने को बढ़ावा देने के लिए एक सप्ताह भर की पहल है। ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को विषय-विशिष्ट कार्यनीति और अंतःक्षेप तैयार करने के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण भी दिया गया।

500 आकांक्षी ब्लॉकों के पारंपरिक उत्पादों को एकीकृत पहचान के तहत समेकित करने और उनका प्रचार करने के लिए मार्च 2024 में "आकांक्षा" ब्रांड शुरू किया गया। यह "वोकल फॉर लोकल" पहल क्षेत्रीय शिल्प कौशल और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के साथ-साथ पारंपरिक उत्पादों की आर्थिक क्षमता पर प्रकाश डालती है। यह "आकांक्षा" के माध्यम से एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करके स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करता है और नागरिकों की आजीविका को बढ़ावा देता है।

सम्पूर्णता अभियान : प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को पूरा करने के लिए एक केंद्रित पहल

कुछ संकेतकों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को प्राथमिकता देने के लिए सम्पूर्णता अभियान शुरू किया गया। तीन महीने (जुलाई से सितंबर 2024) की पहल के रूप में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, सामाजिक विकास और बुनियादी अवसंरचना से संबंधित छह महत्वपूर्ण प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआइ) में संपूर्णता प्राप्त करना है। नीति आयोग के नेतृत्व में इस पहल का ध्यान इन क्षेत्रों में विकास से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए भागीदारीपूर्ण नियोजन, व्यवहार परिवर्तन और डेटा संचालित कार्यनीतियों पर केंद्रित था। इस अभियान ने जिला और ब्लॉक दोनों स्तरों पर प्रयासों को संरेखित करके समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में समयबद्ध अंतःक्षेप की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया।

स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करना: मणिपुर के चंदेल जिले में मधुमेह जांच अभियान

स्वस्थ शुरुआत का निर्माण: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के मद्दिकेरा (पूर्व) ब्लॉक में बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान

प्रदर्शन डैशबोर्ड: चैंपियन्स ऑफ चेंज, आकांक्षी जिला कार्यक्रम

रीयल टाइम डेटा संग्रह और निगरानी के लिए चैंपियन्स ऑफ चेंज (सीओसी) डैशबोर्ड को 01 अप्रैल, 2018 को जनता के देखने के लिए खोला गया। डैशबोर्ड का यह नाम जिलों की प्रगति में जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों और उनकी टीमों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए रखा गया है। एडीपी नियमित रैंकिंग के माध्यम से 112 जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए है, जो गतिशील है और हर महीने किए गए वृद्धिशील (डेल्टा) सुधार को दर्शाता है। डैशबोर्ड पर अद्यतन डेटा प्रविष्ट करने के लिए जिलों को अपने डेटा संग्रह और रखरखाव तंत्र में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

जिला प्रशासनों को डेटा संचालित शासन और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की दिशा में और अधिक सशक्त बनाने के लिए चैंपियन्स ऑफ चेंज पोर्टल (सीओसी 2.0) को अपग्रेड किया गया है। सीओसी 2.0 में कई नई विशेषताएं हैं जैसे कि नागरिक रिपोर्ट, नागरिक फीडबैक, उन्नत विश्लेषण, परियोजना प्रबंधन, जियो-स्पेशियल मैप और अन्य एआई/एमएल समाधान।

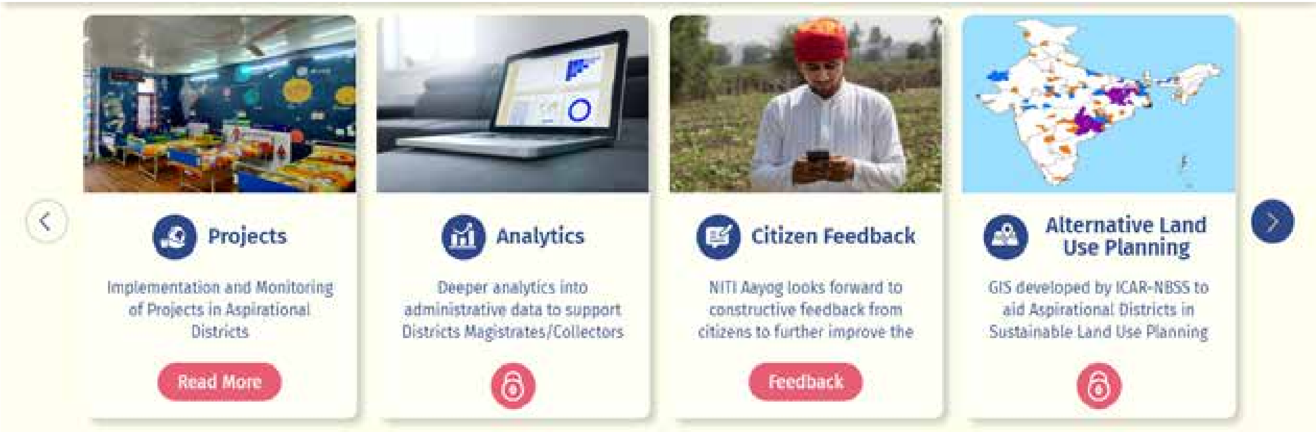

सीओसी डेटा के विश्लेषण के आधार पर नागरिक रिपोर्ट में 3 डैशबोर्ड शामिल हैं :

1. स्थापना के बाद से आकांक्षी जिलों का प्रदर्शन।
2. जिलों की डेल्टा रैंकिंग जो हर महीने जारी की जाती है।
3. सभी जिलों के लिए सभी थीम में संकेतक स्तर की प्रगति।

इन रिपोर्टों के अलावा, सीओसी डेटा का उपयोग करके अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए जिला प्रशासन के पास डेटा विजुअलाइज़ेशन टूल तक पहुंच है ताकि वे उन्नत विश्लेषण कर सकें। जिले राज्य के अन्य जिलों या सभी आकांक्षी जिलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के साथ अपने प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं, अन्य डेटा स्रोतों जैसे कि एनएफएचएस, जनगणना और त्रिपक्षीय सर्वेक्षण डेटा के साथ अपने विश्लेषण को त्रिकोणीय बना सकते हैं, और विश्लेषण के लिए ब्लॉक स्तर या ग्राम पंचायत स्तर के डेटा को भी अपलोड कर सकते हैं।

इस नए प्लेटफॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक डेटा की गुणवत्ता और मासिक प्रदर्शन पर स्वचालित प्रणाली जनित मेलर्स है। सिस्टम में पहले से कॉन्फिगर किए गए लॉजिक्स के आधार पर जिलों को स्वचालित मेलर्स भेजे जाते हैं जिनमें उनके द्वारा प्रविष्ट किए गए डेटा में किसी भी तरह की विसंगतियों को उजागर किया जाता है। इससे कार्यक्रम की समग्र डेटा गुणवत्ता और तदनंतर जिलों के प्रदर्शन के विश्लेषण को बढ़ाने में मदद मिली है। जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों, केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों/राज्य प्रभारी अधिकारियों और राज्य के मुख्य सचिवों को भी प्रणाली जनित मासिक प्रदर्शन रिपोर्टें भेजी जाती हैं जिनमें विभिन्न संकेतकों पर उनके प्रदर्शन का विवरण होता है।

प्रदर्शन डैशबोर्ड: चैंपियन्स ऑफ चेंज, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

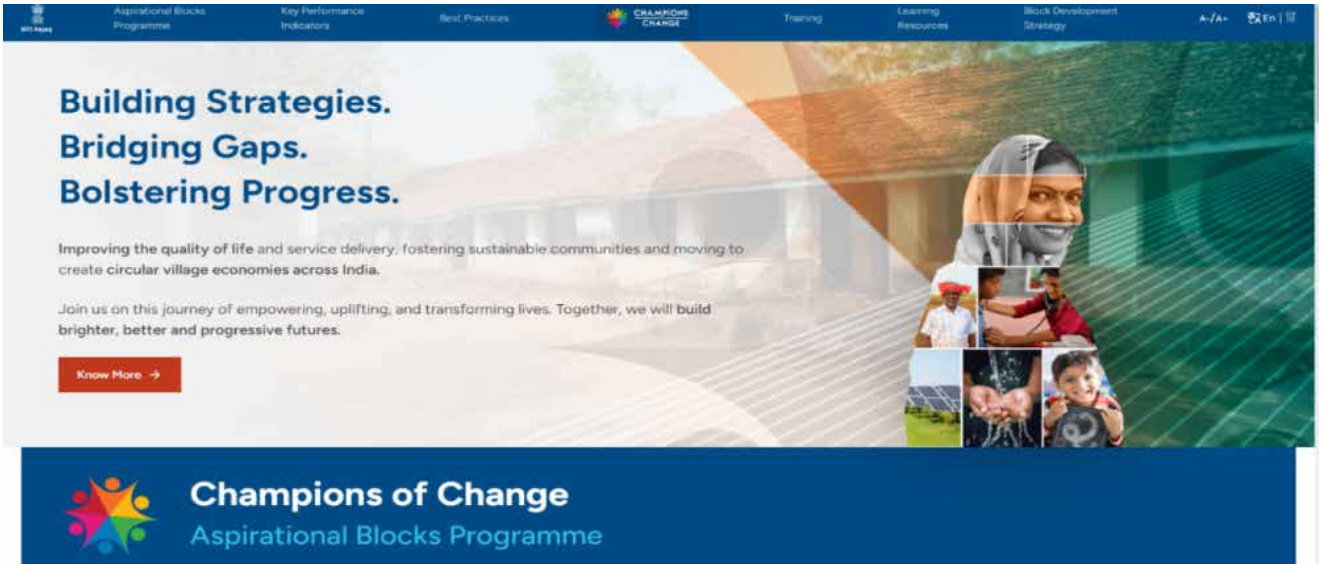

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का पोर्टल, जो जनता के लिए सुलभ है, चिन्हित किए गए ब्लॉकों में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण जानकारी को शामिल करने वाले व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है। मूलतः यह पोर्टल 40 केपीआई के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो कार्यक्रम का हिस्सा हैं, तथा प्रत्येक ब्लॉक की प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। उपयोगकर्ता ब्लॉकों की प्रोफाइल का गहन अध्ययन कर सकते हैं, उनकी अद्वितीय गतिशीलता, चुनौतियों और विकास के संभावित अवसरों को समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह सीखने के संसाधनों और सर्वोत्तम प्रथाओं का भंडार प्रस्तुत करता है तथा हितधारकों को प्रभावी हस्तक्षेप और समर्थन के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस करता है।

इसके अलावा, इस पोर्टल के माध्यम से तिमाही डेल्टा रैंकिंग भी जारी की जाती है। इससे प्रगति पर नज़र रखने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और विकास के लिए उठाए गए सक्रिय कदम के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने में मदद मिलती है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का पोर्टल विश्लेषण के लिए प्रचुर मात्रा में सूचना और उपकरण उपलब्ध कराकर समग्र विकास के लिए सूचित निर्णय लेने और सहयोगात्मक प्रयासों को उत्प्रेरित करता है।

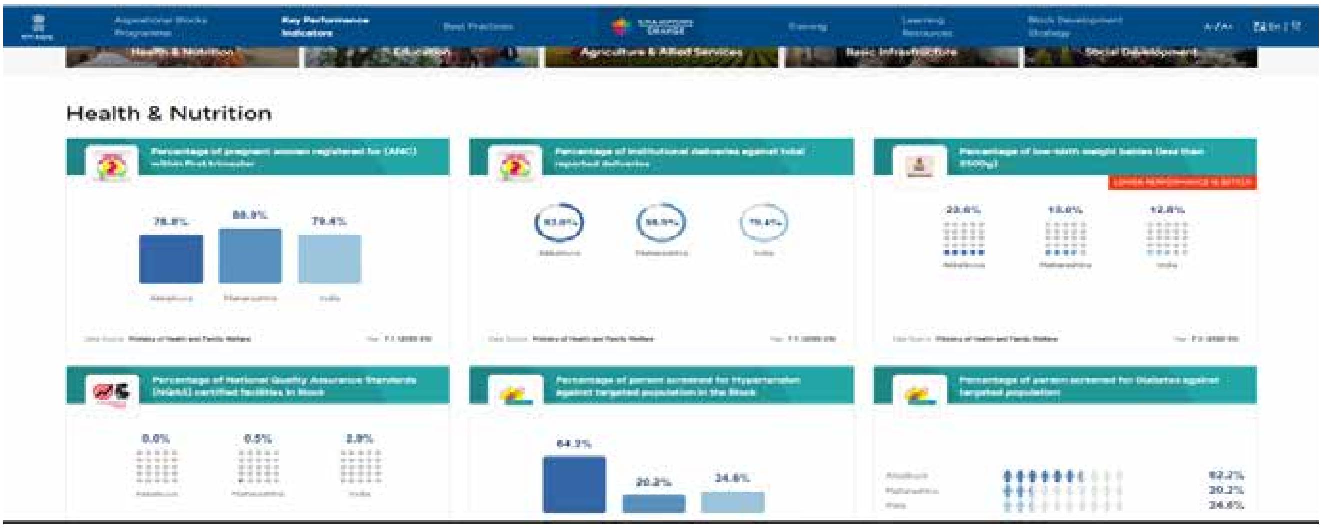

निष्पादन डैशबोर्ड: चैंपियन्स ऑफ चेंज, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

राज्य समन्वय

नीति आयोग का राज्य समन्वय प्रभाग केन्द्र और राज्यों के बीच सुदृढ़ संचार और सहयोग को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को विशिष्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आबंटित करके, विभिन्न विषय-वस्तु प्रभागों के नेतृत्व में राज्य की गतिविधियों की निगरानी करके तथा राज्यों के दौरों और चर्चाओं का व्यापक रिकॉर्ड बनाए रखकर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच मुद्दों और कार्यों का निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करता है। यह प्रभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ और विलोमतः उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करता है तथा संवाद और सहयोग के माध्यम से प्रभावी समाधान को बढ़ावा देता है।

राज्य सहायता मिशन

"जब हमारे राज्य बढ़ते हैं, तो भारत बढ़ता है" माननीय प्रधानमंत्री

वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में घोषित राज्य सहायता मिशन नीति आयोग की एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नीति आयोग के संरचित और संस्थागत जुड़ाव को बढ़ावा देना है। यह मिशन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोडमैप विकसित करने तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ विकास की अपनी कार्यनीतियों को सुगम बनाने के लिए कार्यनीतिक रूप से तैयार किया गया है, जिसमें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य मजबूत क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इस मिशन के अंतर्गत, नीति आयोग इच्छुक राज्यों को राज्य परिवर्तन संस्थाएं (एसआईटी) स्थापित करने में सहायता कर रहा है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यनीतियों को संचालित करने के लिए बहु-विषयक संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या तो एसआईटी के रूप में एक अलग संस्था स्थापित कर सकते हैं या फिर योजना विभागों और बोर्डों जैसी अपनी मौजूदा संस्थाओं की भूमिका पर पुनर्विचार कर सकते हैं। एसआईटी में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकारी तथा क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता रखने वाले पार्श्व प्रवेशी शामिल हो सकते हैं।

एसएसएम के तहत राज्य परिवर्तन संस्था (एसआईटी)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नीति आयोग के सहयोग से योजना विभागों और बोर्डों जैसी अपनी मौजूदा संस्थाओं की भूमिका पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य परिवर्तन संस्था (एसआईटी) की स्थापना की है। एसआईटी एसएसएम का महत्वपूर्ण घटक है, जो एक बहु-विषयक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) का गठन करता है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार एक टीम लीडर सहित क्षेत्र विशेषज्ञों से युक्त एक अंतर्निहित टीम होती है, जो मिशन के तहत एसआईटी की स्थापना को सुगम बनाती है। विशेषज्ञों की अंतर्निहित टीम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की देखरेख में काम करेगी।

अब तक एसएसएम के अंतर्गत कुल 26 राज्य परिवर्तन संस्थाएं (एसआईटी) अधिसूचित किए गए हैं, जो राज्य विशिष्ट विकास चालकों और विकास संवर्धकों की पहचान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, ताकि उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और इस प्रकार राज्य और क्षेत्र विशिष्ट कार्यान्वयन और विकास कार्यनीतियों का विकास करना सुगम हो सके। निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एसएसएम के अंतर्गत सफलतापूर्वक कार्य शुरू कर दिया है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसआईटी का नाम
1	आंध्र प्रदेश	राज्य परिवर्तन संस्थान - एपी
2	असम	राज्य नवाचार और परिवर्तन आयोग
3	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल परिवर्तन संस्थान (आईटीए)
4	चंडीगढ़	राज्य परिवर्तन संस्थान - चंडीगढ़
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग (एसपीसी)
6	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	राज्य परिवर्तन संस्थान, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव
7	हरियाणा	राज्य परिवर्तन संस्थान, हरियाणा
8	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य परिवर्तन संस्थान (एसआईटीके)
9	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान (एमआईटीआरए)
19	मेघालय	मेघालय सरकार नवाचार प्रयोगशाला (जीआईएल)
11	मिजोरम	राज्य परिवर्तन संस्थान, मिजोरम (एसआईटी-एम)
12	पुदुचेरी	राज्य परिवर्तन संस्थान, पुदुचेरी
13	सिक्किम	राज्य परिवर्तन संस्थान, सिक्किम (एसआईटी-एस)
14	त्रिपुरा	त्रिपुरा परिवर्तन संस्थान (टीआईएफटी)
15	उत्तर प्रदेश	राज्य परिवर्तन आयोग (एसटीसी)

16	उत्तराखंड	उत्तराखंड राज्य सशक्तीकरण एवं परिवर्तन संस्थान (सेतु आयोग)
17	नागालैंड	नागालैंड परिवर्तन संस्थान (एनआईओटी)
18	हिमाचल प्रदेश	राज्य परिवर्तन प्रकोष्ठ (एसटीसी)
19	दिल्ली	राज्य परिवर्तन संस्थान-दिल्ली
20	राजस्थान	राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान (रीति)
21	बिहार	राज्य परिवर्तन संस्थान - बिहार
22	मणिपुर	राज्य परिवर्तन संस्थान - मणिपुर
23	गुजरात	गुजरात राज्य परिवर्तन संस्थान (ग्रिट)
24	जम्मू एवं कश्मीर	शासन में नवाचार और परिवर्तन केंद्र (सीआईटीएजी)
25	लक्षद्वीप	योजना, सांख्यिकी और कराधान निदेशालय
26	तमिलनाडु	राज्य योजना आयोग

अग्रणी ज्ञान संस्थान (एलकेआई)

मिशन एसआईटी को समर्थन देने के लिए विशेषज्ञता और सेक्टोरल ज्ञान लाने के लिए अंतर-क्षेत्रक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। इसलिए, ऐसी साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईआईएम / आईआईटी / केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी शोध आधारित उत्कृष्टता संगठन जैसे संस्थानों को शामिल करके एक अग्रणी ज्ञान संस्थान (एलकेआइ) नामित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एलकेआई को शामिल करने की प्रक्रिया में हैं और अब तक 2 एलकेआई को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है - चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान (बिहार का एलकेआइ) और आईआईएम कलकत्ता (त्रिपुरा का एलकेआइ)।

नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म

सर्वोत्तम प्रथाओं, नीतियों और डेटा सेटों को साझा करने के माध्यम से क्रॉस लर्निंग और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की सुविधा के लिए, नीति आयोग द्वारा राज्य सहायता मिशन के तहत मार्च 2024 में राज्य ज्ञान मंच सम्बन्धी नीति, जिसमें राज्यों के लिए नीति पोर्टल और विकसित भारत कार्यनीति कक्ष (वीबीएसआर) नामक एक अनुभव कक्ष शामिल है, का शुभारंभ किया गया है।

नीति फॉर स्टेट्स (एनएफएस) मंच राज्य, जिलों और ब्लॉकों के सरकारी अधिकारियों को साक्ष्य-आधारित नीति और प्रशासनिक निर्णय लेने में सहायता करता है। कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल, विनिर्माण, एमएसएमई, पर्यटन, शहरी, जल संसाधन और वाश सहित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के लिए ज्ञान उत्पादों का एक सेट प्लेटफॉर्म पर दो क्रॉस-कटिंग थीम-लिंग और जलवायु पर सम्मिलित किया गया है। यह मंच सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं, नीति संसाधनों और डेटा अंतर्दृष्टि का एक विशाल भंडार एक साथ लाता है।

इसके अतिरिक्त, यह मंच विशेषज्ञ-नेतृत्व वाली सहायता डेस्क, क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के साथ एकीकरण और सावधानीपूर्वक तैयार की गई बातचीत के माध्यम से सहकर्मी सीखने के माध्यम से सरकारी नेताओं के लिए विश्वसनीय विशेषज्ञता तक पहुँच को सक्षम बनाता है। नीति आयोग न केवल राज्यों में बल्कि वैश्विक हितधारकों के बीच भी इस मंच को अपनाने में मदद करेगा।

POLICY

5,087
Policies

94
Sector-at a-glance

65
Policy-at a-glance

EXPLORE POLICY RESOURCES BY SECTOR & STATE/UTs

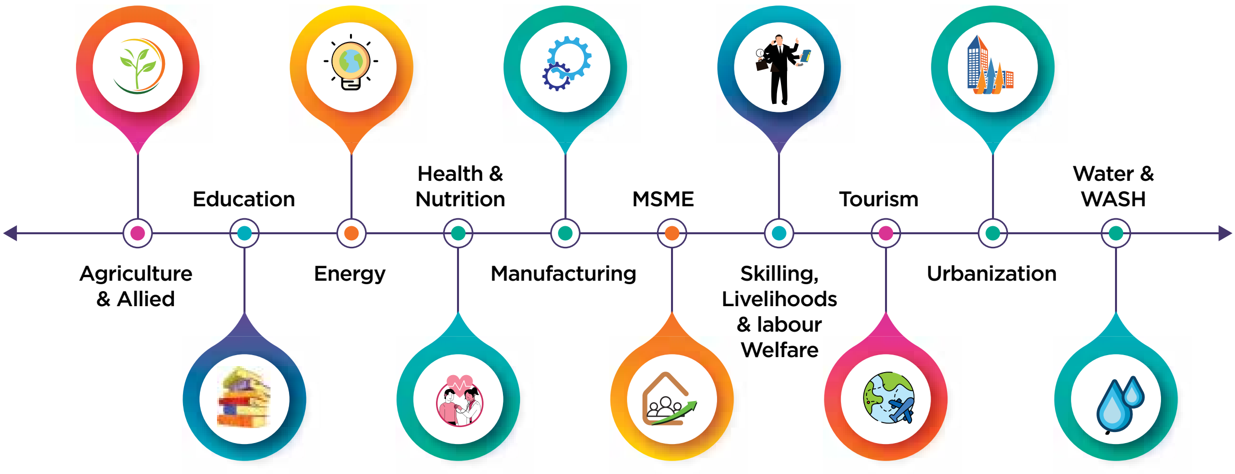

POLICY REPOSITORY EXAMPLE

Read more at www.nitiforstates.gov.in

BEST PRACTICES

7,483 Best Practices

1,078 Case Studies

1,036 Videos

10 Audio Bytes

10 Sectors

EXPLORE BEST PRACTICES ACROSS SECTORS

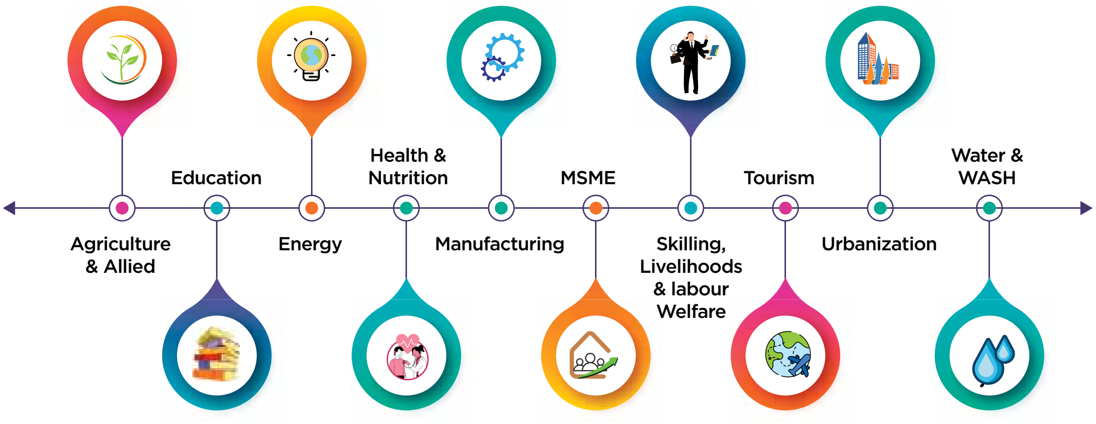

EXPLORE BEST PRACTICES BY STATE/UTs

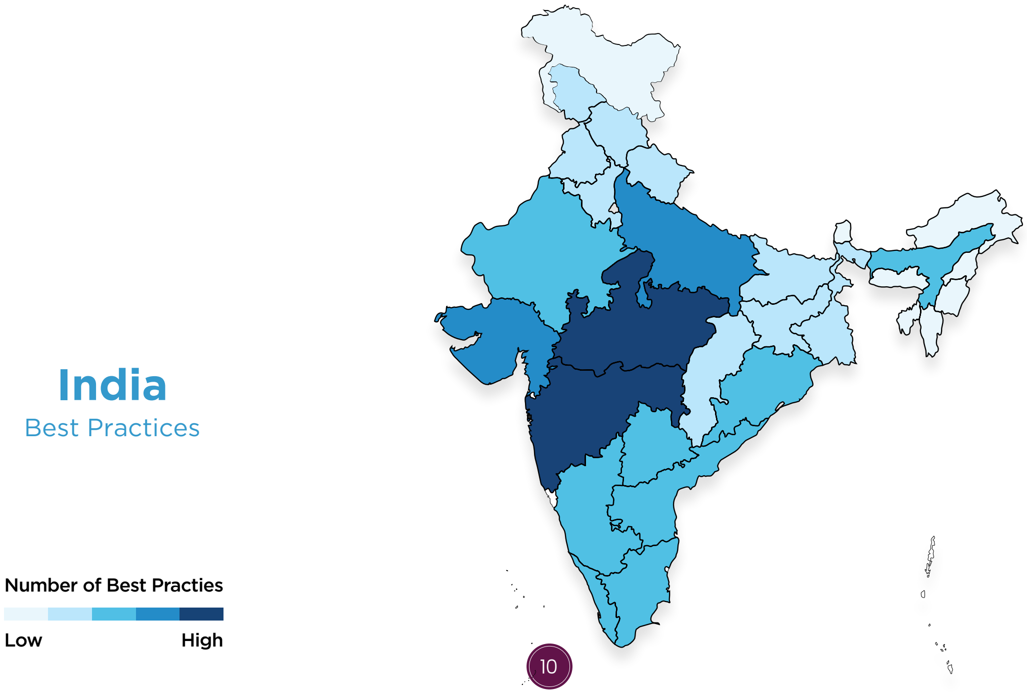

विकसित भारत कार्यनीति कक्ष

नीति आयोग में विकसित भारत कार्यनीति कक्ष की स्थापना एक प्रोटोटाइप के रूप में की गई थी, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि डेटा समृद्ध विज़ुअलाइज़ेशन का उपयोग करके प्रभावी निर्णय लेने में कैसे सक्षम बनाया जा सकता है। वीबीएसआर डिजिटल रूप से एक व्यापक अनुभव है जो प्रभावी व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि, सूचना और ज्ञान के साथ समृद्ध विज़ुअलाइज़ेशन और जुड़ाव को सक्षम बनाता है। यह एक इंटरैक्टिव स्थान है, जहां उपयोगकर्ता डेटा, प्रवृत्तियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों को गहन तरीके से देख सकेंगे, जिससे उन्हें किसी भी समस्या का समग्र मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी।

विभिन्न राज्यों ने वीबीएसआर के ढांचे को अपनाने और अपने राज्यों में समान अनुभव कक्ष विकसित करने में रुचि दिखाई है। बिहार ने नीति आयोग के वीबीएसआर की तर्ज पर बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बीआईपीएआरडी) में जेननेक्स्ट लैब का शुभारंभ किया है, जिससे डेटा संचालित शासन और आयोजना को बढ़ावा मिल रहा है।

नीति आयोग द्वारा स्थापित विकसित भारत कार्यनीति कक्ष की कुछ झलकियां

स्टेट्स@ 2047 के लिए परिकल्पना अभ्यास

27 जुलाई 2024 को आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत को विकसित राज्यों के माध्यम से साकार किया जा सकता है और यह कि विकसित भारत की आकांक्षा जमीनी स्तर तक पहुंचनी चाहिए। राज्यों से 2047 तक विकसित भारत के लिए अपना दृष्टिकोण तैयार करने के उनके आह्वान को ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग 2047 के लिए राज्य विशिष्ट विज़न दस्तावेज़ तैयार करने में राज्यों को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान कर रहा है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में परिकल्पना अभ्यास शुरू किया गया है।

इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, नीति आयोग के भीतर समर्पित टीमों का गठन किया गया है ताकि विज़न दस्तावेज़ तैयार करने में सहायता प्रदान की जा सके। इसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लिए केन्द्र सरकार की नीतियों के अनुरूप सर्वांगीण वृद्धि और विकास के लिए कार्यनीति तैयार करने में राज्यों की मदद करना है। यह भी उम्मीद की गई है कि इससे नागरिकों के जीवन, अर्थव्यवस्था और शासन के हर पहलू में कार्यनीतिक बदलाव आएगा। यह पहल राज्यों की क्षमता को मजबूत करके और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय नीतियों के बीच संरेखण सुनिश्चित करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के नीति आयोग के बड़े अधिदेश का हिस्सा है। नीति आयोग राज्यों को परिकल्पना अभ्यास में सहायता प्रदान करके एक समेकित विकास ढांचे को बढ़ावा देता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि राज्य भारत की समग्र आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अधिक सक्रिय तरीके से योगदान देंगे।

विकसित गुजरात@ 2047 का शुभारंभ

नीति आयोग ने 'अमृत काल' के लिए 'विज़न दस्तावेज़' तैयार करने हेतु राज्य के साथ मिलकर काम किया। 10 से 12 जनवरी, 2024 के दौरान आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा विकसित गुजरात @2047 दस्तावेज़ का शुभारंभ किया गया। यह भी उम्मीद की गई है कि विकसित गुजरात के रोडमैप से नागरिकों के जीवन, अर्थव्यवस्था और शासन के हर पहलू में कार्यनीतिक बदलाव आएगा।

स्वर्ण आंध्र-2047 विज़न दस्तावेज़ का शुभारंभ

नीति आयोग ने 2047 तक विकसित भारत के लिए राज्य का व्यापक रोडमैप तैयार करने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ साझेदारी की। राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने के लिए नीति आयोग द्वारा राज्य में अधिकारियों और विशेषज्ञों की समर्पित टीमें तैनात की गईं। व्यापक परामर्श के बाद, 13 दिसंबर, 2024 को 'स्वर्ण आंध्र-2047' नामक आंध्र प्रदेश के विज़न दस्तावेज़ का शुभारंभ किया गया। विज़न दस्तावेज़ का उद्देश्य समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल आंध्र प्रदेश का निर्माण करना है। इसमें राज्य के स्वर्णिम भविष्य को साकार करने के लिए 10 सिद्धांत 'पडी सुत्रलु' और एक विज़न शामिल है। स्वर्ण आंध्र 2047 विज़न राज्य को 2047 तक विकसित भारत संबंधी भारत की वैश्विक आकांक्षाओं के साथ जोड़ता है।

दिसंबर, 2024 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आंध्र प्रदेश के विज़न दस्तावेज़ का शुभारंभ

विकसित ओडिशा @ 2036 और 2047

नीति आयोग ओडिशा राज्य के सहयोग से 2036 और 2047 तक विकसित ओडिशा के लिए एक कार्यान्वयन योग्य रोडमैप तैयार कर रहा है। "2036 और 2047 तक विकसित ओडिशा" के लिए विज़न दस्तावेज़ में राज्य के लिए एक परिवर्तनकारी रोडमैप की रूपरेखा दी गई है, क्योंकि यह 2036 में अपने गठन और 2047 में भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष में पहुंच रहा है। "2047 तक विकसित भारत" के व्यापक ढांचे में निहित इस दृष्टिकोण का उद्देश्य ओडिशा को उसके प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, कार्यनीतिक स्थान, युवा जनसांख्यिकी और नवीन व्यापक-आधारित नीतियों का उपयोग करके भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में स्थापित करना है।

इस विज़न अभ्यास में राज्य और क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श शामिल है। 2036 और 2047 तक विकसित ओडिशा के लिए विज़न दस्तावेज़ कल्याण, समानता, सम्मान और समृद्धि को अपने आधारभूत स्तंभ के रूप में रखते हुए उज्ज्वल भविष्य का मार्ग तैयार करता है।

विकसित ओडिशा विज़न दस्तावेज़ तैयार करने के लिए विचार-विमर्श

मध्य प्रदेश विज़न @ 2047

नीति आयोग मध्य प्रदेश के राज्य विज़न दस्तावेज़ को तैयार करने हेतु उनकी सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ताकि उन्हें 2047 तक विकसित भारत के विज़न में वर्णित राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जा सके। यह दस्तावेज़ राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए रोडमैप के रूप में कार्य करेगा।

नीति आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता, मार्गदर्शन और सर्वोत्तम प्रथाएं प्रदान कर रहा है कि विज़न दस्तावेज़ व्यापक, साक्ष्य आधारित और समावेशी विकास पर केंद्रित हो। इसने राज्य को विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना और टिकाऊ आजीविका जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया। 4 नवंबर, 2024 को आयोजित परामर्श बैठक के दौरान संगठन ने उनकी ताकत, चुनौतियों और विकास के अवसरों की पहचान करने में राज्य की मदद की।

विकसित मध्य प्रदेश का विज़न दस्तावेज़ तैयार करने के लिए विचार-विमर्श

राज्यों के साथ अन्य जुड़ाव

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय विकास एजेंडे पर रचनात्मक विचार-विमर्श के लिए मंच के रूप में कार्य करने के अपने अधिदेश के अनुरूप, नीति आयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कई परामर्श करता है, जिसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों और सीईओ द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा शामिल है।

उत्तराखंड के माननीय मुख्य मंत्री के साथ बैठक

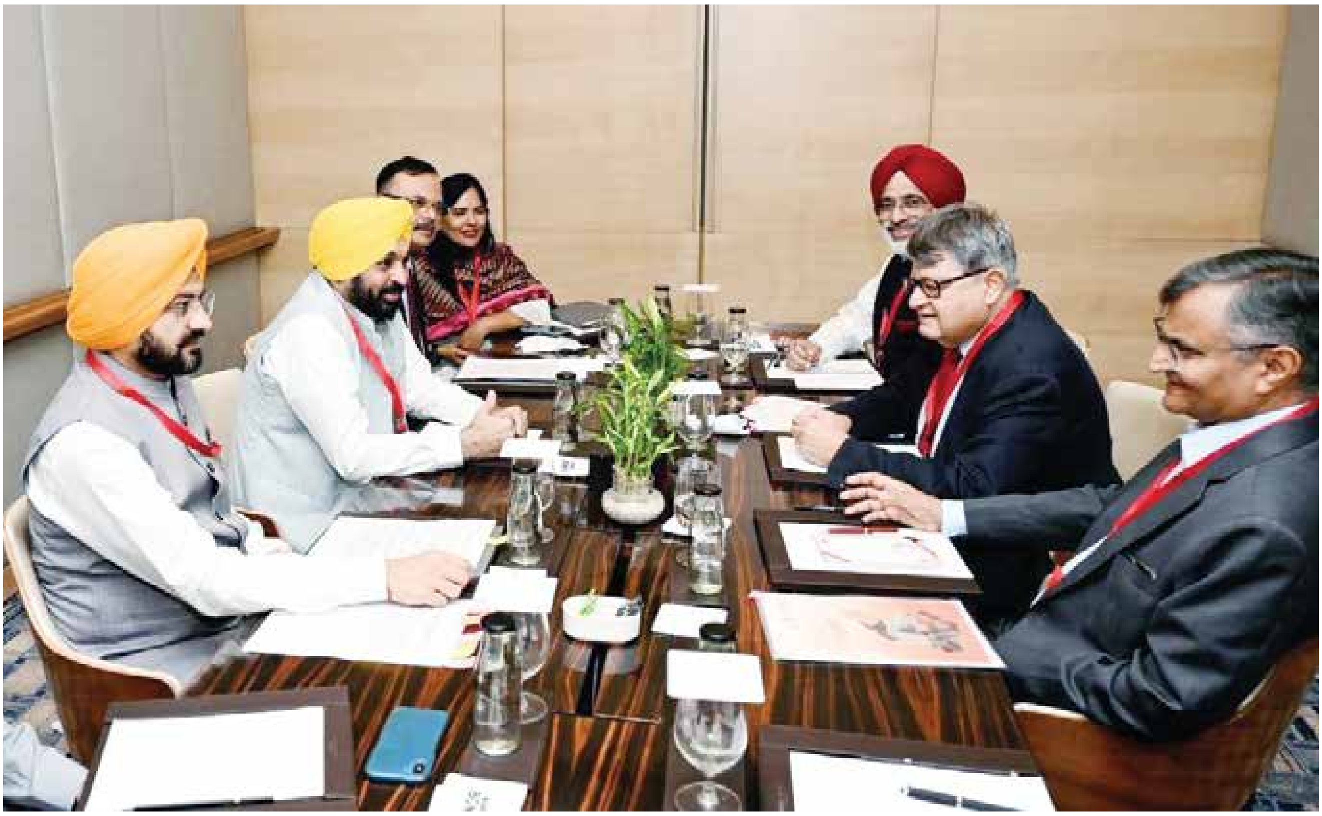

पंजाब के माननीय मुख्य मंत्री के साथ बैठक

पुडुचेरी के माननीय मुख्य मंत्री के साथ बैठक

कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक

राज्य सहायता मिशन

नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला 2024-25

नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला

नीति आयोग ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के अपने मुख्य अधिदेश के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 'नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला' शुरू की थी। कार्यशालाओं में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक हित के अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यशालाएं राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) के तहत शुरू की गईं, जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नीतिगत अंतर्दृष्टि और शासन की प्रथाओं आदि को साझा करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित विकास के प्रमुख मुद्दों पर सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करना है। नीति आयोग के प्रभागों द्वारा इन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य विकास और राष्ट्रीय तथा वैश्विक हित के अन्य क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर दिसंबर 2024 तक 13 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इनका विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है।

डेटा फोरम

राज्य सहायता मिशन द्वारा नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला के अंतर्गत 21 और 22 नवंबर, 2024 को भुवनेश्वर में दूसरा डेटा फोरम 2024 आयोजित किया गया। ओडिशा के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव द्वारा इस फोरम का उद्घाटन किया गया जिसमें नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद, संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक श्री शोम्बी शार्प, ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज आहूजा और नीति आयोग की प्रधान आर्थिक सलाहकार सुश्री एना रॉय सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

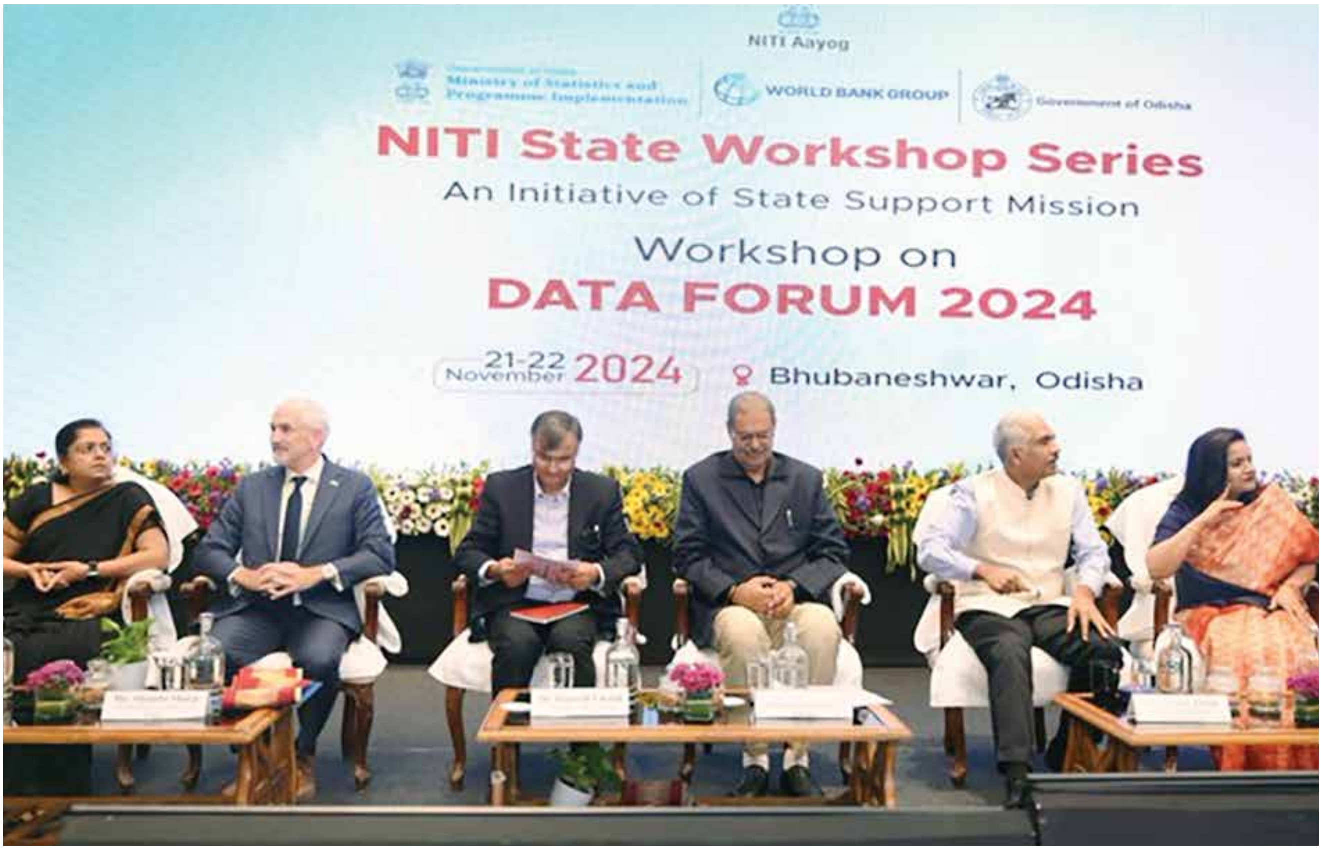

21 और 22 नवंबर को भुवनेश्वर में आयोजित दूसरा डेटा फोरम

विश्व बैंक, ओडिशा सरकार और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय फोरम में भारत के डेटा इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षाविदों और अनुसंधान समुदाय के अलावा भारत सरकार और विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी एकत्र हुए। प्रथम डेटा फोरम रिपोर्ट के शुभारंभ के साथ, 2047 तक विकसित भारत के विज़न को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए नए विचारों की खोज पर चर्चा केंद्रित रही।

निर्यात वृद्धि के चालकों के रूप में राज्य

राज्यों के लिए नीति पहल के अंतर्गत, नीति आयोग ने 12 मार्च, 2024 को चंडीगढ़ में "निर्यात नीत विकास के चालक के रूप में राज्य" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन चंडीगढ़ के प्रतिनिधि शामिल हुए। नीति आयोग के सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी ने मुख्य भाषण दिया और विकास के चालक के रूप में निर्यात की क्षमता पर जोर दिया। नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री संजीत सिंह ने कार्यशाला का संदर्भ प्रस्तुत किया। इसमें राज्यों में निर्यात के लिए इकोसिस्टमको बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता और राज्यों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ जोड़ने की चुनौतियों पर चर्चा की गई। अन्य प्रख्यात वक्ताओं में राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड के सदस्य डॉ. हरजिंदर तलवार, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रवाकर साहू, यूएनडीपी उत्तरी क्षेत्र के श्री विकास वर्मा और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक डॉ. अभय सिन्हा शामिल थे।

चंडीगढ़ में 12 मार्च को "निर्यात आधारित विकास के चालक के रूप में राज्य" विषय पर आयोजित कार्यशाला

भविष्य को सुरक्षित करना: साइबर नीतियां

नीति आयोग ने 22 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली में "भविष्य को सुरक्षित करना: साइबर नीतियां और शासन" पर एक गोलमेज कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने भारत की साइबर सुरक्षा संरचना को मजबूत करने, 5जी और आईओटी की कमजोरियों के खिलाफ लचीलापन बढ़ाने, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति और नवाचार के साथ नियामक अनुपालन को संतुलित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की। इसमें राष्ट्रीय अवसंरचना के लिए उभरते साइबर खतरों की पहचान करने, कानूनी ढांचे की भूमिका और साइबर फोरेंसिक के प्रभाव पर जोर दिया गया। कार्यशाला में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया

कि किस प्रकार सरकार और उद्योग मिलकर राष्ट्रीय लचीलेपन का निर्माण कर सकते हैं तथा साइबर खतरों और प्रौद्योगिकियों के मद्देनजर भारत के साइबर स्पेस की सुरक्षा कर सकते हैं।

कार्यशाला में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, शिक्षाविदों और उद्योगपतियों ने भाग लिया। परिणाम राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के माध्यम से भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, साइबर सुरक्षा में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने तथा सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग और अभिसरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

22 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में "भविष्य को सुरक्षित करना: साइबर नीतियां और शासन" पर आयोजित कार्यशाला

कल को सुरक्षित करना: एआई और साइबर सुरक्षा के बीच के अन्तर्सम्बन्ध को सुलझाना

नीति आयोग ने 22 मई, 2024 को नीति आयोग, नई दिल्ली में "कल को सुरक्षित करना: एआई और साइबर सुरक्षा के अंतर्संबंध को सुलझाना" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के सारस्वत, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल एम यू नायर ने की तथा समन्वय के संस्थापक डॉ. आशीष शाह ने इसका समन्वयन किया। इन सत्रों में विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य मंत्रालयों के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों तथा फिक्की, एसोचैम, सीआईआई, गूगल, सीमेंस आदि जैसे उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में कृत्रिम मेधा (एआइ) संचालित साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की वर्तमान क्षमताओं और वैश्विक समानता के बीच अंतर को पाटने के लिए कार्यनीतिक नीतिगत परिप्रेक्ष्य पर चर्चा की गई। इसने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भारत के डिजिटल परिदृश्य को सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए अपने विशिष्ट दृष्टिकोण, अनुभव और नवीन दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए मंच के रूप में भी कार्य किया।

22 मई, 2024 को नई दिल्ली में "कल को सुरक्षित करना: एआई और साइबर सुरक्षा के अंतर्संबंध को सुलझाना" विषय पर आयोजित कार्यशाला

देखभाल सेवाओं की मांग और आपूर्ति की वर्तमान प्रवृत्ति

30 अगस्त, 2024 को आईआईएम शिलांग में 'भारत और उससे आगे के लिए देखभाल सेवाएं' विषय पर नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला सत्र आयोजित किया गया। इसका आयोजन मेघालय सरकार और आईआईएम शिलांग के सहयोग से किया गया। चर्चा में देखभाल सेवाओं की मांग और आपूर्ति को संबोधित करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और 2047 तक विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा में चुनौतियों पर काबू पाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के पॉल ने एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, एडीबी, विश्व बैंक, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, यूएनएफपीए, आईओएम, राष्ट्रीय संस्थानों जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी और शैक्षणिक विशेषज्ञ एकत्रित हुए।

30 अगस्त, 2024 को आईआईएम शिलांग में 'भारत और उससे आगे के लिए देखभाल सेवाएं' विषय आयोजित कार्यशाला

विकास केन्द्र के रूप में शहरी क्षेत्र

नीति आयोग द्वारा 23 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में 'विकास केन्द्र के रूप में शहरी क्षेत्र (जी-हब)' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह विकास केंद्र के रूप में शहरी क्षेत्रों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला थी, जहां शहरी विकास के नेता यह पता लगाने के लिए एकत्रित हुए थे कि शहरी क्षेत्र भारत के आर्थिक परिवर्तन के इंजन के रूप में कैसे काम कर सकते हैं।

नीति आयोग, आईएसईजी और डब्ल्यूआरआई के विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा में 2047 तक भारत के 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ने के साथ ही संपन्न, लचीले शहरों को आकार देने के लिए कार्यनीतिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। भारतीय शहर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 70-80 प्रतिशत का योगदान करते हैं और शहरी क्षेत्रों को विकास केन्द्र बनाकर उनकी पूरी क्षमता का दोहन किया जा सकता है। 2023 में लॉन्च किए जाने वाले नीति आयोग के विकास केन्द्र (जी-हब) का उद्देश्य रहने की योग्यता और स्थिरता के लिए शहरी नियोजन को फिर से परिभाषित करना है। सूरत, मुंबई, वाराणसी और विशाखापत्तनम में पायलट परियोजनाएं पहले से ही आगे बढ़ रही हैं तथा सूरत और मुंबई के लिए ब्लूप्रिंट को मंजूरी दे दी गई है।

23 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में 'विकास केन्द्र के रूप में शहरी क्षेत्र (जी-हब)' विषय पर आयोजित कार्यशाला

"भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को मजबूत बनाने" विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला

नीति आयोग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से 27 सितंबर 2024 को केरल के तिरुवनंतपुरम में "भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को मजबूत बनाने" विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में मौजूद कमियों तथा चुनौतियों पर राज्यों एवं अन्य हितधारकों से विचार प्राप्त करना और क्षेत्रीय व तकनीकी विशेषज्ञों से सर्वोत्तम अभ्यास सीखना था।

केरल के तिरुवनंतपुरम में "भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को मजबूत बनाने" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला

सभी मौसम में नल से जल की आपूर्ति

नीति आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ 22 और 23 अक्टूबर, 2024 को 'हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में सभी मौसम में नल से जल की आपूर्ति' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद पॉल ने दो दिवसीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रतिभागियों को हिमालयी राज्यों के ठंडे और ऊंचे क्षेत्रों में प्रत्येक घर में सभी मौसम में नल से जल उपलब्ध कराने में आने वाली तकनीकी चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस बात पर चर्चा की गई कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित जल जीवन मिशन ने महिलाओं के जीवन को प्रभावी रूप से आसान बनाया है तथा उनके समय और प्रयास की बचत करके उन्हें सशक्त बनाया है। कार्यशाला में आठ हिमालयी राज्यों, आईआईटी और प्रौद्योगिकी संस्थानों, जमीनी स्तर के संगठनों और विकास भागीदारों ने भाग लिया।

"हिमालय के ऊंचे इलाकों में हर मौसम में नल से पानी की आपूर्ति" विषय पर माननीय सदस्य डॉ. वी.के. पॉल द्वारा मुख्य भाषण

भविष्य के लिए तैयार उत्तराखंड

नीति आयोग ने सेतु आयोग और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से 19 नवंबर, 2024 को नीति-राज्य कार्यशाला श्रृंखला के अंतर्गत 'भविष्य के लिए तैयार उत्तराखंड: कौशल और रोजगार' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और माननीय मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा द्वारा कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी, नीति आयोग के अधिकारी, शिक्षाविद और उद्योग जगत के नेता एक मंच पर आए। इस कार्यशाला में युवा सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने तथा समावेशी विकास के लिए शहरी-ग्रामीण रोजगार चुनौतियों के समाधान पर चर्चा की गई।

19 नवंबर, 2024 को "भविष्य के लिए तैयार उत्तराखंड" विषय पर आयोजित कार्यशाला

साइट पार्श्वस्थ कारखाना कर्मचारी (एस.ए.एफ.ई.)

नीति आयोग ने 7 अगस्त, 2024 को "साइट पार्श्वस्थ कारखाना कर्मचारी (एस.ए.एफ.ई.) आवास" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य साइट पर आवास के माध्यम से भारत के कार्यबल के कल्याण और उत्पादकता को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना था। इस बात पर चर्चा की गई कि विनिर्माण क्षेत्र की उन्नति के लिए कारखाना श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर आवास की व्यवस्था जरूरी है। इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, परिवहन लागत को कम करना और उत्पादकता को बढ़ावा देना था।

7 अगस्त, 2024 को "साइट पार्श्वस्थ कारखाना कर्मचारी (एस.ए.एफ.ई.) आवास" विषय पर आयोजित कार्यशाला

राज्यों में हरित परिवर्तन

राज्यों के नेतृत्व वाले नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए नीति आयोग ने 11 नवंबर, 2024 को 'राज्यों में हरित परिवर्तन' शीर्षक से एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसने राज्यों को हरित परिवर्तन से जुड़ी अपनी नवीन पहलों को प्रदर्शित करने, ज्ञान का आदान-प्रदान करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए मंच प्रदान किया। संगोष्ठी में 25 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लिया। संगोष्ठी के अंग के रूप में, नीति आयोग के सीईओ श्री बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री पंकज कुमार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री प्रशांत कुमार सिंह तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सचिव सुश्री लीना नंदन के साथ 'सतत राज्य ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाना (एसेट)' नामक एक नई पहल का शुभारंभ किया। यह पहल राज्य स्तर पर भारत की ऊर्जा परिवर्तन योजनाओं को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के माध्यम से, ज्ञान साझेदारों और बहुराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर नीति आयोग राज्यों की ऊर्जा परिवर्तन योजनाओं को साकार करने में उनकी मदद करेगा।

नवंबर 2024 में "राज्यों में हरित परिवर्तन" पर आयोजित कार्यशाला

निर्यात वृद्धि के चालक के रूप में एमएसएमई

नीति आयोग और पंजाब सरकार ने 23 अक्टूबर, 2024 को चंडीगढ़ में 'निर्यात वृद्धि के चालक के रूप में एमएसएमई: रणनीतियां, अवसर और चुनौतियां' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्यात केंद्र के रूप में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इसने वैश्विक विस्तार में उद्योगों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया और साथ ही अंतरराष्ट्रीयकरण एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीतियों की खोज भी की गई।

"निर्यात आधारित विकास के चालक के रूप में एमएसएमई" विषय पर आयोजित कार्यशाला (श्रृंखला में 12वें स्थान पर)

स्टेकहोल्डर कनेक्ट कार्यशाला औद्योगिक नीति-2024

नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से आयोजित स्टेकहोल्डर कनेक्ट कार्यशाला छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन और निवेश सुगमता पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। 4 दिसंबर, 2024 को नवा रायपुर में आयोजित इस कार्यशाला में अनेक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें रोजगार-प्रधान औद्योगिक विकास पर पैनल चर्चा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की कार्यनीतियां और लोहा, इस्पात तथा एल्युमीनियम आधारित विनिर्माण उद्योगों पर विचार-विमर्श शामिल था। सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के नेताओं और नीति निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों ने नीतिगत समर्थन, अनुपालन बोझ को कम करने और उद्योगों को वैश्विक बाजारों के लिए तैयार करने पर सार्थक चर्चा की। एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि 'निवेश हेतु आमंत्रण' पत्रों का वितरण किया गया, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को बल मिला। कार्यक्रम का समापन प्रमुख निष्कर्षों और नेटवर्किंग रात्रिभोज के साथ हुआ, जिससे आर्थिक विकास को गति देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग और मजबूत हुआ।

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति पर कार्यशाला

PRIME MINISTER

EXIT
नीति आयोग
NITI AAYOG
PRIME MINISTER
VICE CHAIRMAN, NITI AAYOG

खंड 3
थिंक टैंक की गतिविधियां

प्रस्तावना

नीति आयोग का एक अन्य प्रमुख कार्य महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं को सलाह देना और उनके बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इसे ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग विकासात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए प्रतिष्ठित नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नीति आयोग देश को जटिल नीतिगत चुनौतियों से निपटने और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ भी सक्रिय रूप से सहयोग करता है।

2023-24 के दौरान, नीति आयोग ने पुरानी साझेदारियों को जारी रखा तथा देश-विदेश के विभिन्न थिंक टैंकों, नागरिक समाज, उद्योग तथा शैक्षिक एवं नीति अनुसंधान संस्थानों के साथ नई साझेदारियों का निर्माण किया, ताकि ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता संबंधी इकोसिस्टम का निर्माण किया जा सके तथा तीव्र, समावेशी और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

नीति आयोग की आंतरिक व्याख्यान श्रृंखला

वर्ष 2022-23 में नीति आयोग के अधिकारियों और भारत सरकार के अन्य चुनिंदा अधिकारियों के लिए भारत की विकास कार्यनीतियों पर एक आंतरिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू की गई थी। इन व्याख्यानों का उद्देश्य प्रतिभागियों को सरकार की प्रमुख पहलों के बारे में जागरूक करना, उनका ज्ञान बढ़ाना, क्षमता निर्माण करना, अधिक उत्पादक और समावेशी परिवेश का निर्माण करना, नूतन सोच को बढ़ावा देना और राष्ट्र के विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साझा प्रतिबद्धताएँ विकसित करना है।

नीति आयोग की आंतरिक व्याख्यान श्रृंखला का 14वां व्याख्यान 28 जून 2024 को नई दिल्ली में "रक्षा क्षेत्र में सामरिक दृष्टिकोण" विषय पर आयोजित किया गया। सैन्य आसूचना विभाग के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) हरिंदर सिंह ने सुरक्षा की प्रतिस्पर्धी अवधारणाओं, समकालीन सुरक्षा खतरों और रक्षा क्षेत्र में तत्परता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारीपूर्ण व्याख्यान दिया। यह चर्चा सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर केंद्रित रही, जिनके उभरते परिदृश्य में अलग-अलग अर्थ हैं।

'रक्षा क्षेत्र में सामरिक दृष्टिकोण' विषय पर नीति आयोग की 14वीं आंतरिक व्याख्यान श्रृंखला की झलकियां'

29 अगस्त 2024 को "भारत में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग: प्रौद्योगिकी, नवाचार और वित्तपोषण" विषय पर इस श्रृंखला का 15वां व्याख्यान आयोजित किया गया। रीन्यू के सीईओ श्री सुमंत सिन्हा और अवाना कैपिटल की संस्थापक भागीदार सुश्री अंजलि बंसल ने चर्चा के लिए पैनल में भाग लिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने भी संगोष्ठी को संबोधित किया। वर्ष 2070 तक निवल-शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, संगोष्ठी ने बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, बायोमास, परमाणु, हाइड्रो, इलेक्ट्रिक वाहन, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस), ऊर्जा भंडारण आदि को परिनियोजित करने से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान की।

'भारत में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग: प्रौद्योगिकी, नवाचार और वित्तपोषण' विषय पर नीति आयोग की 15वीं आंतरिक व्याख्यान श्रृंखला की झलकियां

1 अक्टूबर, 2024 को 16वां आंतरिक व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक "हमारी विरासत को बहाल करना: पर्यटन की संभावनाओं को अनलॉक करना" था। इस सत्र में प्रसिद्ध भारतीय फोटोग्राफर श्री अमित पसरीचा, नीमराणा होटल के सह-संस्थापक और अध्यक्ष श्री अमन नाथ, लेखिका, फोटोग्राफर और वन्यजीव संरक्षणकर्ता सुश्री लतिका नाथ ने भाग लिया। इस सत्र में विरासत पर्यटन को बढ़ाने के लिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्मारकों का लाभ उठाने की अपार संभावनाओं पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने विरासत पर्यटन के मूल्य को अधिकतम करने के लिए कार्यनीतियों को साझा किया, संरक्षण के लिए हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपत्तियों की खोज और दस्तावेजीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। चर्चाओं में टिकाऊ पर्यटन परिपाटियों को बढ़ावा देने, स्थानीय समुदायों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और क्षरण के जोखिमों को कम करने में उद्यमिता और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया गया।

"हमारी विरासत को बहाल करना: पर्यटन की संभावनाओं को अनलॉक करना" विषय पर नीति आयोग की 16वीं आंतरिक व्याख्यान श्रृंखला की झलकियां

30 अक्टूबर, 2024 को 'अमृत काल में सतत कृषि के लिए प्राकृतिक खेती' विषय पर नीति आयोग की 17वां आंतरिक व्याख्यान आयोजिक किया गया। विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती को एक प्रभावशाली विकल्प के रूप में समर्थन दिया, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को बढ़ावा देता है। नीति व्याख्यान में रायथु साधिकारा संस्था (आरवाईएसएस), डॉ वाईएस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र और विश्व कृषि वानिकी (सीआईएफओआर -

आईसीआरएएफ), आईसीएआर, प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग और श्री सुमन के. बेरी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के साथ नीति आयोग की टीम के विशेषज्ञों ने भाग लिया। सत्रों में मृदा, पशुधन, पारिस्थितिकी और मानव स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले 'एक स्वास्थ्य' दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर भारत के भविष्य के लिए पारिस्थितिक संतुलन और लचीली खाद्य प्रणालियों में निहित दृष्टिकोण की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया।

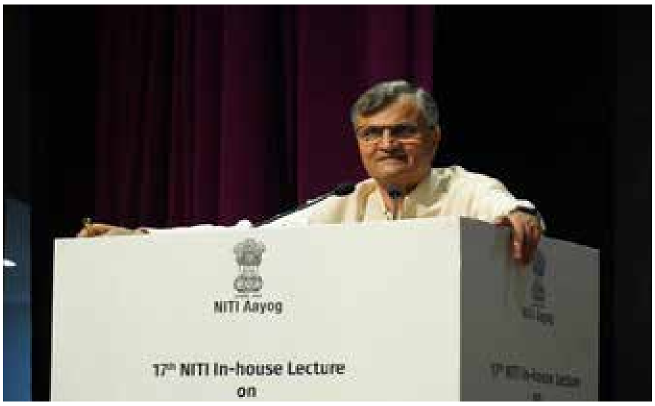

'अमृत काल में सतत कृषि के लिए प्राकृतिक खेती' पर नीति आयोग की 17वें आंतरिक व्याख्यान की झलकियां

इस श्रृंखला का 18वां व्याख्यान 30 नवंबर, 2024 को आयोजित किया गया, जिसका विषय 'भारत की सांख्यिकी प्रणाली: अवसर और चुनौतियाँ' था। सत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे एआई, मशीन लर्निंग और बिग डाटा जैसी अत्याधुनिक तकनीकें डाटा की गुणवत्ता, मानकीकरण और अवसंरचना संबंधी मुद्दों को संबोधित कर सकती हैं, जिससे एक उज्ज्वल भविष्य के लिए साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण संभव हो सकता है। इस कार्यक्रम में डॉ. सौरभ गर्ग, सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, प्रो. एस चंद्रशेखर, आईजीआईडीआर मुंबई और डॉ. करण नागपाल, इंडिया कंट्री डायरेक्टर, आईडीइनसाइट के साथ गहन चर्चा हुई।

'भारत की सांख्यिकी प्रणाली: अवसर और चुनौतियां' विषय पर नीति आयोग की 18वीं आंतरिक व्याख्यान श्रृंखला की झलकियां।

शिक्षाविदों और थिंक टैंकों के साथ सहभागिता

शिक्षाविदों और थिंक टैंकों के साथ सहभागिता नीति आयोग के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों में से एक है। नीति आयोग के विभिन्न प्रभागों ने शिक्षा जगत और थिंक टैंक के साथ निरंतर आधार पर काम करने के लिए तंत्र विकसित किए हैं।

11 जुलाई, 2024 और 24 दिसंबर, 2024 को अर्थशास्त्रियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का संवाद

वर्ष 2024-25 में, माननीय प्रधानमंत्री ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ व्यापक संवाद के लिए दो बार नीति आयोग का दौरा किया। पहली बैठक 11 जुलाई, 2024 को हुई, जिसमें "क्षेत्रों और सेक्टरों में विकास और रोजगार में तेजी लाने के लिए एजेंडा" पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरी बैठक 24 दिसंबर, 2024 को हुई जिसमें "वैश्विक अनिश्चितता के समय में भारत की विकास गति को बनाए रखना" पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दोनों बैठकों में माननीय वित्त मंत्री महोदय, नीति आयोग के उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव, माननीय योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नीति आयोग के सम्मानित सदस्य, मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी मौजूद थे।

विचार-विमर्श के दौरान, प्रतिभागियों ने विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में विकास और रोजगार में तेजी लाने के लिए व्यावहारिक उपायों का प्रस्ताव रखा, जो संतुलित आर्थिक विकास और सामाजिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। सिफारिशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, क्षेत्र-विशिष्ट कार्यनीतियां और विविधीकरण के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के लचीलेपन को मजबूत करना शामिल था। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत के एक उज्ज्वल स्थान के रूप में उभरने पर आम सहमति बनी।

भारत नीति मंच 2024

पिछले दो दशकों में, भारत नीति मंच ने नीतिगत चर्चाओं में भाग लिया है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में व्यापक बदलाव लाने में योगदान दिया है। इस वर्ष, नीति आयोग और विश्व बैंक के सहयोग से भारत नीति मंच का आयोजन जुलाई 2024 में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन डॉ पी के मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और श्री नंदन नीलेकणि, एनसीएईआर शासी निकाय के अध्यक्ष ने किया। इसमें भारत और विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों; नीति आयोग, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद; आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिभागियों, शीर्ष नीति विश्लेषकों और वित्तीय दैनिक समाचार पत्रों के संपादकों ने भाग लिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष; सीईओ और नीति आयोग के कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित किया।

जुलाई, 2024 में आयोजित भारत नीति मंच

व्यापक वित्तीय निवेश को प्रोत्साहन देने पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

नीति आयोग ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर) के सहयोग से मुंबई में "भारत के विविध परिवर्तनों पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला: बड़े निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण" की मेजबानी की। कार्यशाला में भारत के विकास एजेंडे के लिए संसाधन जुटाने की कार्यनीति बनाने के लिए वैश्विक विद्वानों, नीति निर्माताओं और वित्तीय विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया। उपाध्यक्ष श्री सुमन के. बेरी ने संरचनात्मक सुधारों, बढ़ती घरेलू खपत और अवसंरचना विकास पर जोर देते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भारत की यात्रा पर प्रकाश डाला। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन ने 2047 तक उच्च आय का दर्जा हासिल करने के लिए घरेलू बचत को अनलॉक करने, वित्तीय बाजारों को गहरा करने और नवाचार में निवेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यशाला में बार-बार अनुकूलन व्यय के कारण उत्पन्न होने वाली राजकोषीय चुनौतियों से निपटने और निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्रिय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार विकसित करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। विशेषज्ञों ने अगले दशक की चुनौतियों पर चर्चा की, जिसमें उत्पादकता में सुधार, जलवायु परिवर्तन के वित्तीय आयामों को संबोधित करना और सार्वजनिक नेतृत्व वाली निजी निवेश कार्यनीति तैयार करना शामिल है। सत्रों को बचत को चैनलाइज़ करने, स्वैच्छिक कार्बन बाजारों में प्रवेश करने और पूंजी प्रवाह को संतुलित करने के लिए विनियमन के साथ अंत:क्षेप जैसे नीतिगत दृष्टिकोणों पर फोकस किया गया। चर्चाओं में भविष्य की राजकोषीय नीतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें गैर-कर राजस्व जुटाने, गुणवत्तापूर्ण राजकोषीय व्यय और लचीले घाटे के लक्ष्यों पर जोर दिया गया।

इस सम्मेलन की सफलता ने दशकों तक 7-8% दीर्घकालिक जीडीपी वृद्धि को बनाए रखने के लिए ऊर्जा परिवर्तन, अवसंरचना, शहरीकरण और मानव पूंजी में निवेश के महत्व को उजागर किया। मैक्रो-इकोनॉमिक प्रबंधन, पूंजी संचलनों को मुक्त करने और एक आधुनिक वित्तीय वास्तुकला के निर्माण को कवर करते हुए एक मजबूत शोध एजेंडा तैयार किया गया। इन चर्चाओं में एक सतत और उच्च-विकास अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को दूर करने की भारत की क्षमता की पुष्टि की और वैश्विक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण इनपुट भी प्रदान किए गए।

दिसंबर 2024 में आयोजित नीति-बर्कले-आईजीआईडीआर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

ऊर्जा मॉडलिंग और डाटा प्रबंधन :

भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 (आईईएसएस 2047)

नीति आयोग ने भारत सरकार की विभिन्न हरित ऊर्जा नीतियों के एकीकृत प्रभाव का आकलन करने के लिए 20 जुलाई, 2023 को संशोधित आईईएसएस 2047 जारी किया। यह टूल 2047 तक उत्सर्जन, लागत, भूमि और जल आवश्यकताओं जैसे कारकों पर विचार करते हुए भारत में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति का विश्लेषण करता है। यह एक संवादमूलक टूल है जो मंत्रालयों और विभागों को निवल शून्य हासिल करने के लिए विविध ऊर्जा संक्रमण परिदृश्य विकसित करने में मदद करता है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों और अनुमानों की गणना करने में सक्षम बनाता है, जिससे बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम होती है। इस टूल का उपयोग अब डीकार्बोनाइजेशन कार्यनीति के लिए 2070 तक परिदृश्य निर्माण के लिए किया जा रहा है।

भारत जलवायु एवं ऊर्जा डैशबोर्ड का शुभारंभ

नीति आयोग ने 20 जुलाई 2023 को भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड (आईसीईडी) जारी किया। आईसीईडी जलवायु कार्रवाई प्रगति को ट्रैक करने के लिए इन-बिल्ट एनालिटिक्स के साथ निकटतम वास्तविक समय डाटा प्रदान करता है। यह पोर्टल स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की दिशा में भारत की प्रगति की निगरानी के लिए डाटा को संश्लेषित करता है। 500 से अधिक मापदंडों, 2000 इन्फोग्राफिक्स और इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन के साथ, आईसीईडी 3.0 भारत के ऊर्जा क्षेत्र का विस्तृत दृश्य और बहुत-से इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को भारत के ऊर्जा क्षेत्र की समग्र समझ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। यह प्लेटफ़ॉर्म ऊर्जा क्षेत्र, जलवायु और संबंधित आर्थिक डाटासेट से संबंधित निकटतम वास्तविक समय के डाटा के लिए एक व्यापक संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो सभी सरकारी प्रकाशनों से प्राप्त होते हैं।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारत-अमेरिका सामरिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के तहत सतत विकास स्तंभ

सतत विकास स्तंभ के तहत बहुत-सी गतिविधियां सफलतापूर्वक शुरू की गईं, जिसमें ऊर्जा/जलवायु मॉडलिंग और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान, विश्लेषण और क्षमता निर्माण का समर्थन करने के लिए दक्षिण एशिया ऊर्जा समूह (एसएजीई 2.0) के तहत जुड़ाव शामिल हैं। नीति आयोग की टीम के लिए पेसिफिक नॉर्थवेस्ट नेशनल लेबोरेटरी (पीएनएनएल) द्वारा चार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिसमें ग्लोबल चेंज एनालिसिस मॉडल (जीसीएएम) शामिल था। भारत में बायोमास डाटा चुनौतियों के समाधान पर 10 मई 2024 को नीति आयोग और पीएनएनएल द्वारा एक वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें भारत से राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान और यूएसए से एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (ईआईए) द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। अन्य प्रतिभागियों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, टीआईएफएसी, पीपीएसी, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां (यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का ब्यूरो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज और यूएस डिपार्मेंट ऑफ कॉमर्स का कमर्शियल लॉ डेवलेपमेंट प्रोग्राम सहित) शामिल थे, जिन्होंने कॉर्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (सीसीएस) तकनीकी सहयोग पर एक कार्य योजना पर सहमति दी। इस फ्रेमवर्क के तहत 29 अप्रैल से 2 मई 2024 तक यूएसए में एक अध्ययन दौरा आयोजित किया गया और 22 से 23 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में सीसीयूएस पर एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई। 2024-25 की कार्य योजना के हिस्से के रूप में, नीति आयोग ने एलसीए पर वेबिनार का आयोजन किया और जीसीएएम मॉडल और कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण के संस्करणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए क्षमता निर्माण पर सहकार्य जारी रखेगा।

डच दूतावास के साथ सहयोग

नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास ने 6 फरवरी 2024 को भारत ऊर्जा सप्ताह के अवसर पर 'मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन खंड में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास 2020 से ही स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (एसओआइ) साझेदारी के तहत ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।

यूके-इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (यूकेआईआईएफबी)

यूके-इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (यूकेआईआईएफबी) पहल भारत में निवेश को बढ़ावा देने और अवसंरचना के विकास को बढ़ाने के लिए यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के बाद लॉन्च किए गए यूकेआईआईएफबी को ज्ञान के आदान-प्रदान, अभिनव वित्तपोषण समाधान और सतत अवसंरचना परियोजनाओं पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाल ही में एक प्रगति में, सितंबर 2024 में लंदन में नीति आयोग और सिटी ऑफ़ लंदन के बीच औपचारिक रूप से पत्रों के विनिमय पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें संरचना, भूमिकाएँ और कार्य समूह की संरचना निर्धारित की गई। यह उपलब्धि चरण यूकेआईआईएफबी के लिए फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करता है, जिससे दोनों देश सामरिक साझेदारी और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से भारत के विकास लक्ष्यों की दिशा में काम करने में सक्षम होते हैं।

भारत-सऊदी अरब सामरिक साझेदारी

29 अक्टूबर, 2019 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की सऊदी अरब यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप सामरिक साझेदारी परिषद की स्थापना हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस द्वारा की जाएगी। इस समझौते में एसपीसी के लिए एक परिभाषित संरचना निर्धारित की गई। एसपीसी के तहत, 'अर्थव्यवस्था और निवेश' नामक मंत्रिस्तरीय प्रभागों में से एक का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री के मार्गदर्शन में नीति आयोग द्वारा किया गया था। 28-29 अक्टूबर, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी की रियाद यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में 12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। ऊर्जा, कृषि, प्रौद्योगिकी एवं आईटी तथा उद्योग और अवसंरचना पर 4 संयुक्त कार्य समूहों के विचार-विमर्श के दौरान कई अवसरों की पहचान की गई और सक्रिय रूप से उनका अनुसरण किया गया।

अक्टूबर, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी की रियाद यात्रा के अनुसरण में, सामरिक साझेदारी परिषद के तहत सऊदी सरकार के साथ 14 और (एमओयू/एमओसी/अन्य सहयोग) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें से 6 समझौता ज्ञापनों पर सितंबर 2023 में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही, भारत-सऊदी सामरिक साझेदारी परिषद के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश समिति की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक 30 अक्टूबर 2024 को रियाद में आयोजित की गई, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत के माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और सऊदी अरब के माननीय ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान अल-सऊद ने की। समिति ने चार संयुक्त कार्य समूहों नामतः कृषि और खाद्य सुरक्षा; ऊर्जा; प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी; तथा उद्योग और अवसंरचना कार्यसमूहों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को गहन करने पर ध्यान दिया तथा व्यापार और निवेश बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

एमईडीईएफ की फ्रांस-भारत व्यापार परिषद

26 नवंबर 2024 को नीति आयोग में फ्रांस-भारत व्यापार परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ भारत में फ्रांस के दूतावास के गणमान्य व्यक्तियों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में भारत में फ्रांसीसी कंपनियों के लिए निवेश की संभावनाओं और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों जैसे कि अवसंरचना, डीकार्बोनाइजेशन, नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, स्वास्थ्य और शहरी गतिशीलता की पहचान पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा हुई, जिसमें भारतीय अधिकारियों की सफलता की कहानियों, भावी अवसरों और भविष्य में भारत-फ्रांस संबंधों को और बढ़ाने और सुदृढ़ करने पर प्रकाश डाला गया।

भारत-जर्मनी सहयोग

यह वर्ष भारत-जर्मनी सामरिक साझेदारी का 25वां वर्ष है। भारत ने अगले 25 वर्षों के लिए विकसित भारत, #विकसितभारत के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। जर्मन कैबिनेट ने "फोकस ऑन इंडिया" दस्तावेज़ जारी किया है, जिसमें इस बात का खाका

पेश किया गया है कि विश्व की दो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएँ और लोकतंत्र किस तरह से सहयोग करके "वैश्विक कल्याण के लिए प्रेरक" बन सकते हैं। नीति आयोग, भारत और जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलेपमेंट (बीएमजेड) ने सहयोग के पाँच मुख्य क्षेत्रों: सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा संक्रमण, उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ और कृषि-पारिस्थितिकी की पहचान की। दोनों पक्षकार भारत और जर्मनी के लिए ठोस परिणाम और सीख प्रदान करने के लिए इसी दिशा में काम कर रहे हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फेडरल चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (7वें आईजीसी) के सातवें दौर की सह-अध्यक्षता की।

भारत-केन्या आर्थिक सहयोग: राजकोषीय और विकासात्मक साझेदारी का सुदृढ़ीकरण

भारत के वैश्विक विकास प्रयासों के अनुरूप, नीति आयोग के अर्थशास्त्र और वित्त-II प्रभाग ने केन्या के साथ, विशेष रूप से राजकोषीय शासन, वित्तीय अनुशासन और प्रतिस्पर्धी संघवाद के क्षेत्रों में, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर, 2024 को राजस्व आबंटन पर केन्याई आयोग (सीआरए) के साथ आयोजित एक उच्च स्तरीय चर्चा ने कराधान, डिजिटल अवसंरचना और परिणाम-आधारित शासन में सर्वोत्तम परिपाटियों को साझा करने का अवसर प्रदान किया।

भारत-रूस फेडरेशन

नीति आयोग और रूसी संघ के सुदूर पूर्व और आर्कटिक विकास मंत्रालय ने वर्ष 2024 से 2029 की अवधि के लिए रूसी सुदूर पूर्व में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में भारत-रूस सहयोग के कार्यक्रम, साथ ही रूसी संघ के आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए, ताकि रूसी सुदूर पूर्व और रूसी संघ के आर्कटिक क्षेत्र में भारत-रूस व्यापार, आर्थिक और निवेश सहयोग को मजबूत किया जा सके। इस पर 8 जुलाई 2024 को नीति आयोग की ओर से माननीय विदेश मंत्री ने हस्ताक्षर किए।

उपरोक्त कार्यक्रम पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच क्रियान्वित की जाने वाली सामरिक कार्य योजनाओं की नींव रखता है। इन सामरिक कार्य योजनाओं का उद्देश्य दीर्घकालिक भारत-रूस व्यापार, आर्थिक और निवेश सहयोग को बढ़ावा देते हुए रूसी सुदूर पूर्व के प्रतिस्पर्धी लाभों का लाभ उठाना है।

भारत अरब गणराज्य मिस्र

नीति आयोग के प्रतिनिधिमंडल की 2-10 मार्च, 2024 के दौरान मिस्र अरब गणराज्य की यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों की खोज के लिए एक उत्पादक मंच के रूप में काम आई। प्रतिनिधिमंडल ने मिस्र की विकास पहलों, विशेष रूप से महत्वाकांक्षी हया करीमा परियोजना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की।

प्रतिनिधिमंडल ने नीति आयोग और आईडीएससी (मिस्र के कैबिनेट सूचना और निर्णय सहायता केंद्र) के बीच प्रभाव आकलन, नीति विकास, ज्ञान विनिमय और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावना की पहचान की। नई प्रशासनिक राजधानी और स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र की यात्रा ने अवसंरचना विकास और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मिस्र की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। हया करीमा पहल सामाजिक कल्याण, अवसंरचना में सुधार और आर्थिक सशक्तीकरण पर फोकस करते हुए ग्रामीण विकास के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है। प्रतिनिधिमंडल की फारेस गांव की यात्रा से स्थानीय समुदायों पर परियोजना के प्रभाव को साक्षात अनुभव करने का अवसर मिला।

खंड 4
क्षेत्रवार उपलब्धियाँ

प्रस्तावना

विभिन्न प्रभाग और इकाइयाँ नीति आयोग के कार्यकरण के मुख्य कारक हैं। प्रत्येक प्रभाग किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है और उस क्षेत्र पर तकनीकी इनपुट और विशेषज्ञता प्रदान करने, संबंधित मंत्रालय/विभाग से संपर्क/कार्रवाई करने और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में नेतृत्व करने के लिए अधिकृत है।

ये प्रभाग नीति आयोग को आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे यह तीव्र गति से कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए सामरिक नीति दृष्टि प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों से निपटने में सक्षम हो सकेगा।

कृषि

आत्मनिर्भरता की दिशा में खाद्य तेलों में वृद्धि को गति देने के लिए मार्गों और कार्यनीतियों पर रिपोर्ट

नीति आयोग ने 28 अगस्त 2024 को "आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में खाद्य तेलों में वृद्धि को गति देने के लिए मार्ग और कार्यनीतियां" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसका उद्देश्य खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। रिपोर्ट में तिलहन फसलों के प्रतिधारण और विविधीकरण, खेती के क्षेत्रों का विस्तार- जैसे चावल की परती भूमि और बंजर भूमि- और उन्नत कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पैदावार में सुधार पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र और उपज क्षमता के अनुसार हस्तक्षेप करने के लिए राज्यवार चतुर्थांश दृष्टिकोण अपनाता है।

रिपोर्ट में सामरिक अंत:क्षेपों का विवरण दिया गया है, जिसमें क्षैतिज और विभाजन विस्तार तकनीकों को शामिल किया गया है जो आयात निर्भरता को कम करने के लिए संभावित समाधान प्रदान करते हैं। इन उपायों को लागू करने से भारत के खाद्य तेल के घरेलू उत्पादन में 43.5 मीट्रिक टन की वृद्धि हो सकती है। यह पर्याप्त वृद्धि न केवल आयात अंतर को पाटने का प्रयास करती है बल्कि भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाती है। किसान, विशेष रुप से प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्रों में, बढ़े हुए उत्पादन और राजस्व से लाभान्वित होंगे, जबकि उपभोक्ता अधिक स्थिर कीमतों और आयात पर कम निर्भरता का लाभ उठाएंगे। इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र को प्रौद्योगिकी में प्रगति, बेहतर प्रसंस्करण सुविधाओं और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच बढ़े हुए सहयोग से लाभ होगा।

28 अगस्त 2024 को नीति आयोग में रिपोर्ट विमोचन कार्यक्रम

समुद्री शैवाल मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए कार्यनीति पर रिपोर्ट

नीति आयोग ने जून 2024 में "समुद्री शैवाल मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए कार्यनीति" रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारत में समुद्री शैवाल की खेती और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है। इसमें समुद्री शैवाल की खेती (तटीय और अपतटीय दोनों) के लिए तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन, पर्यावरणीय विचार, समुद्री शैवाल की खेती के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान, दुनिया भर की सर्वोत्तम प्रथाएँ, प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियाँ, नीतिगत सिफारिशें और आगे का रास्ता शामिल है।

रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि समुद्री शैवाल की खेती और उद्यमिता में प्रमाणन और डिप्लोमा पाठ्यक्रम पेश किए जाने चाहिए। कृषि प्रभाग ने "समुद्री शैवाल की खेती और उद्यमिता में डिप्लोमा के लिए एक मॉडल पाठ्यक्रम" भी विकसित किया है (जिसे अभी लॉन्च किया जाना है)। इस मॉडल पाठ्यक्रम को भारत भर में किसी भी ऐसे मत्स्य पालन और कृषि विश्वविद्यालय / व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अपनाया जा सकता है, जिनके पास उन्हें प्रदान करने के लिए आवश्यक क्षमता और अवसंरचना है।

डीएआरटीपी पहल के माध्यम से जिला स्तरीय कृषि-ग्रामीण परिवर्तन को आगे बढ़ाना

जिला कृषि-ग्रामीण परिवर्तन योजना (डीएआरटीपी) एडीपी/एबीपी कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके आरंभिक क्रियान्वयन के लिए, सात अलग-अलग राज्यों के सात जिलों: पार्वतीपुरम मन्यम (आंध्र प्रदेश), बारपेटा (असम), दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़), दमोह (मध्य प्रदेश), बोलनगीर (ओडिशा), हनुमानगढ़ (राजस्थान) और धलाई (त्रिपुरा) को चुना गया। इस पहल का समर्थन करने के लिए, नीति आयोग के कृषि और संबद्ध क्षेत्र प्रभाग ने इसके क्रियान्वयन में सहायता के लिए ज्ञान भागीदारों की पहचान की है। 20 नवंबर से 6 दिसंबर, 2024 तक, सभी सात जिलों के लिए इन ज्ञान भागीदारों के साथ हितधारक परामर्श हुआ। इन चर्चाओं का उद्देश्य डीएआरटीपी के लिए एक विस्तृत कार्यनीति और रोडमैप विकसित करना था। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य प्रत्येक जिले में प्रासंगिक क्षेत्रों और विषयों के भीतर हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देना है, जिससे कार्यान्वियन में तेजी आए और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की उपलब्धि सुनिश्चित हो।

गहरे समुद्र और अपतटीय क्षेत्रों में फिशिंग में अवसरों का दोहन

13 जून 2024 को नीति आयोग में 'गहरे समुद्र और अपतटीय क्षेत्रों में फिशिंग की क्षमता का दोहन' विषय पर एक परामर्श आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉ. जे.के. जेना (डीडीजी, मत्स्य पालन, आई.सी.ए.आर.) ने की। इसका उद्देश्य भारत में गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन की संभावनाओं का पता लगाना था। इस कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों, शोध संस्थानों और नियामक निकायों के प्रतिनिधि एक साथ आए, जिन्होंने इस क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सहयोग पर जोर दिया। गहरे समुद्र और अपतटीय क्षेत्रों में फिशिंग संसाधनों के सतत और जिम्मेदार उपयोग, गहरे समुद्र में फिशिंग, जलीय कृषि और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण में तकनीकी प्रगति को अपनाने तथा अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित फिशिंग जैसे मुद्दों से निपटने पर चर्चा हुई।

नीति आयोग में 'गहरे समुद्र और अपतटीय क्षेत्रों में फिशिंग की क्षमता का दोहन' पर परामर्श

डाटा प्रबंधन और विश्लेषण

डाटा प्रबंधन और विश्लेषण (डीएमए) प्रभाग, मुख्य रूप से सार्वजनिक नीति के लिए डाटा उपयोग को सुव्यवस्थित करने से संबंधित मुद्दों को संभालता है। मुख्य कार्यों में मोटे तौर पर निम्नलिखित को कवर किया जाता हैं:

- राष्ट्रीय डाटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (एनडीएपी) पर डाटा प्रबंधन और एकीकरण जिसमें डाटा संग्रह कार्यनीतियों का विकास और मंत्रालयों के साथ समन्वय; एनडीएपी के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआइ) की निगरानी; एनडीएपी के विकास को आगे बढ़ाने के लिए उत्पाद कार्यनीति और रोडमैप शामिल है।
- सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग के विशेषज्ञों के सहयोग से नीतिगत दस्तावेज और कार्यनीति दस्तावेज तैयार करना तथा नीति निर्माण में डाटा प्रबंधन और उपयोग पर सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- डाटा प्रबंधन और उपयोग से संबंधित मुद्दों का प्रेलखन करना, तथा बेहतर सांख्यिकीय प्रणालियों और प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
- नीति आयोग द्वारा 2018 में शुरु की गई एक पहल - महिला उद्यमिता मंच के सचिवालय के रूप में कार्य करना, जिसका उद्देश्य एक मजबूत महिला उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में सूचना विषमता को दूर करना है। 2022 में डब्ल्यूईपी एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में परिवर्तित हो गया।

राष्ट्रीय डाटा और विश्लेषण प्लेटफ़ॉर्म (एनडीएपी)

मई 2022 में राष्ट्रीय डाटा और एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म (एनडीएपी) को एक सहज, उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्रकाशित सरकारी डाटा के निर्बाध उपयोग को सक्षम करके डाटा प्रसार में सुधार करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। यह विभिन्न सरकारी एजेंसियों के डाटासेट होस्ट करता है, उन्हें सुसंगत रूप से प्रस्तुत करता है, और विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए टूल प्रदान करता है। एक सामान्य स्कीमा में मानकीकृत डाटा, मशीन पठनीय प्रारूप में और कई उपयोगकर्ता-केंद्रित सुविधाएँ उपयोगकर्ताओं के विभिन्न वर्गों द्वारा निर्बाध डाटा विश्लेषण को सक्षम बनाती हैं। आज की तारीख में एनडीएपी पर होस्ट किए गए डाटा को 52 मंत्रालयों और 31 क्षेत्रों के लिए वर्गीकृत किया गया है।

राज्य डाटा और एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म (एसडीएपी)

साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और डाटा-संचालित शासन को बढ़ावा देने के लिए, एनडीएपी की सभी कार्यक्षमताओं के साथ संबंधित राज्य सरकारों के लिए अनुकूलित राज्य डाटा और एनालिटिक्स पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। कर्नाटक राज्यों के लिए - केएडीएपी, और मेघालय राज्य के लिए – एमईजीडीएपी नामक दो पोर्टल विकसित किए गए हैं। त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के लिए एसडीएपी स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं। ऐसा पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल और डाटा तक आसान पहुंच पर ध्यान केंद्रित करेगा जिससे डाटा की खोज सक्षम होगी।

एनडीएपी 2.0

एनडीएपी 2.0 के तहत, डाटा खोज क्षमता, उपयोगिता, क्रॉस-सेक्टरल विश्लेषण को बढ़ाने और डाटा-संचालित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए एक उन्नत विश्लेषणात्मक परत के साथ अगली पीढ़ी के प्लेटफ़ॉर्म के विकास की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य प्लेटफ़ॉर्म की उपयोगिता को बढ़ाना, उपयोगकर्ता की सहभागिता को बढ़ाना और डाटा खोज क्षमता में सुधार करना है, जिससे अधिक सहज और कुशल डाटा अन्वेषण अनुभव को बढ़ावा मिलेगा। एनडीएपी 2.0 के तहत विश्लेषणात्मक परत के सृजन के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण में पूर्व-क्यूरेटेड विज़ुअलाइज़ेशन, चार्ट आदि के रूप में आसानी से उपलब्ध अंतर्दृष्टि के साथ विशिष्ट संकेतक पृष्ठ; विशिष्ट डोमेन-वार विश्लेषणात्मक परत; माइक्रो लेवल डाटा का सामंजस्य; यूआई/यूएक्स संवर्द्धन के माध्यम से विज़ुअलाइज़ेशन में सुधार; उपयोगकर्ता के प्रश्नों के लिए एआई-आधारित प्रतिक्रिया प्रदान करने वाली एआई/एमएल-आधारित सर्च इंजन विश्लेषणात्मक परत आदि शामिल हैं।

महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी)

महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) को 2018 में एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में महिला उद्यमियों का समर्थन करने वाला एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

करना था। डब्ल्यूईपी का उद्देश्य सूचना विषमता को दूर करके और विभिन्न स्तंभों- वित्त तक पहुँच; बाजार संपर्क; प्रशिक्षण और कौशल; सलाह और नेटवर्किंग; अनुपालन और कानूनी सहायता और व्यवसाय विकास सेवाओं में निरंतर सहायता प्रदान करके महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है।

विकास के अपने अगले चरण में, डब्ल्यूईपी का लक्ष्य राज्य स्तर पर अपने अनूठे मॉडल को दोहराना, राज्य स्तर पर चैप्टर स्थापित करना और हब एवं स्पोक ढांचे के माध्यम से नेटवर्क का विस्तार करना है। सहकारी संघवाद की भावना में यह पहल अंतिम छोर तक पहुँचने में मदद करेगी। पहला राज्य चैप्टर तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है, अन्य राज्य चैप्टर पाइपलाइन में हैं।

अर्थ एवं वित्त-I

अर्थ एवं वित्त प्रभाग यह सुनिश्चित करने का आशय रखता है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में एक स्थायी पथ पर बना रहे। यह प्रभाग उत्पादकता बढ़ाने, पूंजी निर्माण में तेजी लाने, समारिक क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, वित्त तक पहुंच में सुधार करने, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए न्यून पूंजी लागत और प्रत्येक नागरिक के लिए अवसरों का विस्तार करते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाकर इसे हासिल करने का प्रयास करता है।

क्वार्टरली ट्रेड वॉच-एक रिपोर्ट

नीति आयोग के उपाध्यक्ष महोदय श्री सुमन बेरी ने 04 दिसंबर, 2024 को सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में प्रभाग द्वारा प्रकाशित "ट्रेड वॉच क्वार्टरली" का पहला संस्करण जारी किया।

ट्रेड वॉच क्वार्टरली एक आवधिक प्रकाशन होगा जो भारत के व्यापार विकास और उभरते अवसरों पर फोकस करेगा, जिसके अंतर्दृष्टि का उपयोग साक्ष्य-आधारित नीति हस्तक्षेपों के लिए किया जाएगा। यह प्रकाशन भारत की व्यापार स्थिति का एक समग्र स्नैपशॉट प्रदान करता है, जिसमें वैश्विक मांग-आपूर्ति परिप्रेक्ष्य, क्षेत्रीय प्रदर्शन और उभरते व्यापार अवसरों की अंतर्दृष्टि शामिल है। यह पहल भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के साथ जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य विकसित भारत@2047 के लिए भारत की व्यापार क्षमता का लाभ उठाना और तेजी से बदलते वैश्विक व्यापारिक परिवेश में सतत विकास सुनिश्चित करना है।

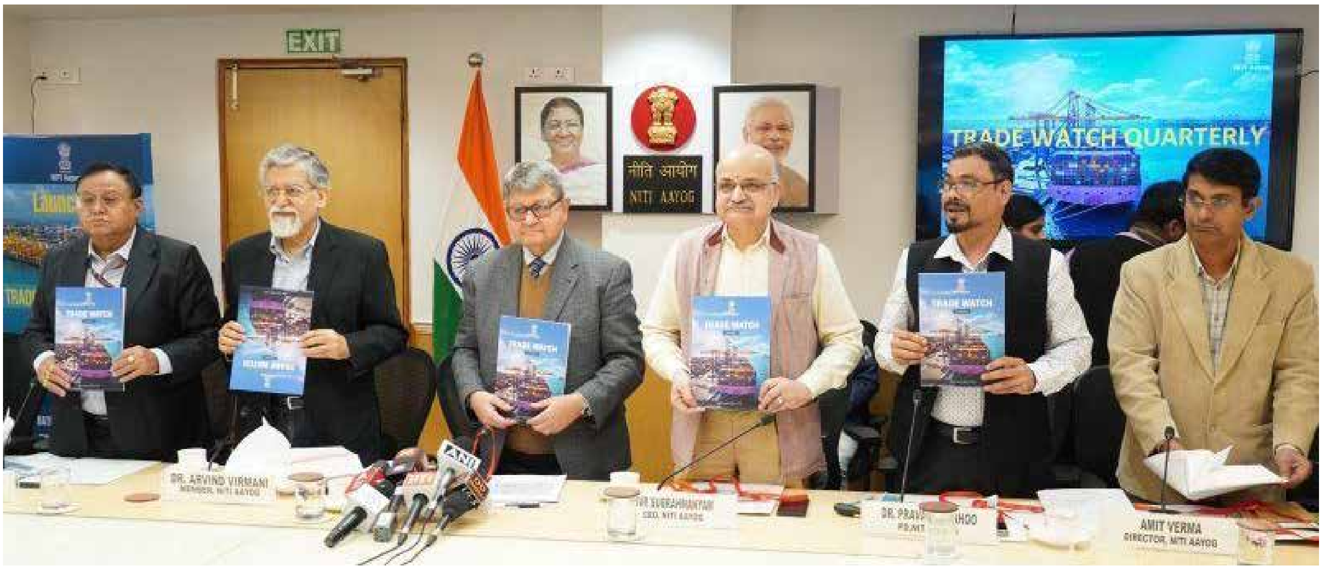

दिसंबर 2024 में "ट्रेड वॉच क्वार्टरली" के पहले संस्करण का विमोचन

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई) 2025

24 जनवरी, 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम, और नीति आयोग के सदस्यों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नीति आयोग की "राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई) 2025" रिपोर्ट का विमोचन किया।

यह रिपोर्ट भारत के राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करने, सूचित नीति निर्माण और कार्यनीतिक अन्तःक्षेप का समर्थन करने के उद्देश्य से एक वार्षिक श्रृंखला के शुभारंभ का प्रतीक है। एफएचआई 2025 पांच प्रमुख उप-सूचकांकों: व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है। प्रमुख राजकोषीय संकेतकों पर जोर देकर, एफएचआई राज्यों को राजकोषीय रूप से स्थिर और समृद्ध भारत का समर्थन करते हुए, अपनी राजकोषीय कार्यनीतियों को राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रिपोर्ट में राज्य-विशिष्ट चुनौतियों और सुधार के क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला गया है। नीति निर्माताओं के लिए एक उपकरण के रूप में तैयार की गई यह रिपोर्ट उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित करने का कार्य करती है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए कार्यनीतिक योजना का समर्थन करती है।

जनवरी, 2025 में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई) का शुभारंभ

हितधारक परामर्श

आर्थिक एवं वित्त-। प्रभाग ने 2024-25 के दौरान विभिन्न विशेषज्ञ विचार-विमर्श परामर्श आयोजित किए, ताकि क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि एकत्र की जा सके, संरचनात्मक चुनौतियों की पहचान की जा सके और प्रासंगिक नीति अंतर्दृष्टि प्रदान करने तथा भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समाधान एकत्र किए जा सकें। ये सत्र अग्रलिखित क्षेत्रों में आयोजित किए गए: कृषि क्षेत्र सुधार, शिक्षा, कौशल ईसीई, स्वास्थ्य क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर मुद्दे, अवसंरचना का वित्तपोषण, बाहरी क्षेत्र, निजी निवेश; अवसंरचना क्षेत्र, परिसंपत्ति मुद्रीकरण, बैंक, वित्तीय क्षेत्र, कर मुद्दे, अवसंरचना का वित्तपोषण, बाहरी क्षेत्र, निजी निवेश, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण, एमएसएमई, श्रम, आदि।

"विज़न इंडिया@2047" के लिए परिदृश्य निर्माण और पूर्वानुमान

आर्थिक एवं वित्त-। प्रभाग ने विज़न इंडिया@2047 दस्तावेज़ के लिए विभिन्न मैक्रो-इकोनॉमिक मॉडल और पूर्वानुमानों का अनुमान लगाया। यह प्रभाग असम, बिहार, गुजरात और ओडिशा जैसे विभिन्न राज्यों के विज़न दस्तावेज़ के लिए स्वास्थ्य, जनसांख्यिकी, शिक्षा आदि के लिए मैक्रोइकोनॉमिक लक्ष्य/अनुमान और सामाजिक संकेतक बनाने में भी शामिल है।

क्षेत्रीय विशेषज्ञ बैठकें और सहभागिताएँ

नीति आयोग के आर्थिक और वित्त प्रभाग को सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के समग्र घटक के रूप में अनुसंधान करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आर्थिक/नीतिगत सिफारिशें सुझाने का अधिकार है। इस संबंध में, राजकोषीय नीति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श की एक श्रृंखला आयोजित की गई ताकि राजकोषीय और विकासात्मक परिदृश्य में एक व्यापक राज्यवार प्रगति प्रदान करने के लिए "राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक" जैसे महत्वपूर्ण संकेतक विकसित किए जा सकें।

अर्थ एवं वित्त-II

अर्थ एवं वित्त प्रभाग-II यह सुनिश्चित करने का आशय रखता है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में एक स्थायी पथ पर बना रहे। यह प्रभाग उत्पादकता बढ़ाने, पूंजी निर्माण में तेजी लाने, कार्यनीति क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, वित्त तक पहुंच में सुधार करने, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी की कम लागत और प्रत्येक नागरिक के लिए अवसरों का विस्तार करते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाकर इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह प्रभाग इन डोमेन की व्यापक समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अनुसंधान, चर्चाओं और शैक्षिक पहलों के माध्यम से ज्ञान प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस क्षेत्र के पेशेवर आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करते हैं, वित्तीय जोखिमों का मूल्यांकन करते हैं और नीति निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं, सैद्धांतिक समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोगों दोनों में प्रगति को आगे बढ़ाते हैं।

मैक्रोइकॉनोमिक विश्लेषण: अर्थव्यवस्था की स्थिति

यह प्रभाग भारतीय और वैश्विक दोनों अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उच्च आवृत्ति संकेतकों के व्यापक सेट का लाभ उठाते हुए, अर्थव्यवस्था की स्थिति की निगरानी की एक कठोर और गतिशील प्रक्रिया को शुरू करने की सुविधा प्रदान करता है। यह व्यापक दृष्टिकोण समय पर, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और सामरिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन नौ विभिन्न क्षेत्रों में फैले 40-50 उच्च आवृत्ति संकेतकों की जांच के माध्यम से किया जाता है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण एक व्यापक मूल्यांकन की अनुमति देता है, जो गतिशील और विकसित आर्थिक परिदृश्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वास्तविक समय के डाटा और संकेतकों के विविध सेट का उपयोग आर्थिक रुझानों की सूक्ष्म समझ सुनिश्चित करता है और चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए सूचित कार्यनीतियों और नीतियों को तैयार करने में मदद करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था: वैश्विक अनिश्चितता के बीच लचीलापन और नेतृत्व

इस प्रभाग ने वैश्विक स्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों पर उच्च स्तरीय प्रस्तुति तैयार करने में सहायता की। प्रस्तुति में विभिन्न उभरते परिदृश्यों का विश्लेषण और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रस्तावित कार्यनीतियाँ शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, अर्थशास्त्र और वित्त प्रभाग-II ने इस व्यापक मूल्यांकन के भाग के रूप में एक घरेलू भावना विश्लेषण आयोजित किया।

भारत की निवेश एवं बचत दर तथा चालू खाता शेष

बचत और निवेश आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा के संदर्भ में, बचत और निवेश के बीच अंतर को पाटना महत्वपूर्ण है। भारत@75 के उपलक्ष्य में आयोजित कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष महोदय ने इस मुद्दे का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसमें घरेलू, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सीपीएसई का सामरिक विनिवेश और प्रदर्शन सुधार

सामरिक क्षेत्रों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के विनिवेश के लिए विश्लेषण और सुझाव प्रदान करना अर्थशास्त्र और वित्त प्रभाग-II की जिम्मेदारी है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का विनिवेश भारत के आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है, जिसका उद्देश्य प्रचालन दक्षता को बढ़ाना, राजकोषीय बोझ को कम करना और हितधारकों के लिए मूल्य अनलॉक करना है। यह प्रभाग सामरिक और गैर-सामरिक क्षेत्रों में सीपीएसई के लिए विश्लेषण और कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रदान करने के साथ-साथ सीपीएसई में सुधारों को आगे बढ़ाने की ऐसी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारतीय हस्त - यंत्र, विद्युत यंत्र और खेल के सामान के क्षेत्र में अवसर

भारत वैश्विक विनिर्माण और निर्यात में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में उभर रहा है। हस्त यंत्र, विद्युत यंत्र और खेल के सामान के क्षेत्र में वृद्धि के महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं, जो बढ़ती वैश्विक मांग, भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और विनिर्माण क्षमताओं में प्रगति से प्रेरित हैं। यह शोध इन निर्यात बाजारों में भारत के स्तर को बढ़ाने के लिए संभावनाओं, चुनौतियों और कार्यनीतियों का पता

लगाता है। मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके और सामरिक अवसरों का लाभ उठाकर, ये क्षेत्र भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन सकते हैं।

आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग

इस प्रभाग की जिम्मेदारी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ भारत के आर्थिक और वित्तीय सहकार्य का विश्लेषण करना है, जो इसके विकास पथ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यापार, निवेश और नवाचार के अवसरों से प्राप्त पूंजी का लाभ उठाते हुए, अस्थिर वैश्विक बाजारों, जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और तकनीकी प्रगति जैसी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी शासन और साक्ष्य-आधारित नीतिगत समर्थन आवश्यक है। इनमें विश्व बैंक, आईएमएफ, आईएफसी, एडीबी आदि जैसे संगठन शामिल हैं। यह प्रभाग संसदीय प्रश्नों, जी20 पहलों और पीएम की अर्थशास्त्री बैठक के लिए इनपुट भी प्रदान करता है।

शासन और नीतिगत समर्थन

शासन और प्रभावी नीतिगत समर्थन सतत आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत हैं। जैसे-जैसे भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी उन्नति जारी रखता है, स्फूर्तिपूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेह शासन की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही, आर्थिक अस्थिरता; तकनीकी व्यवधान; जलवायु परिवर्तन; और वैश्विक भू-राजनीतिक परिवर्तनों जैसी गतिशील चुनौतियों का समाधान करने के लिए साक्ष्य-आधारित नीति ढांचे की आवश्यकता है।

1. राज्य सहायता मिशन कार्यशालाएँ: राज्य स्तरीय नीति कार्यान्वयन और शासन को मजबूत करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना।
2. कर नीति और वित्तीय विश्लेषण: कर नीति निर्माण और वित्तीय शासन कार्य नीतियों में सहायता करना।
3. सामरिक इनपुट: राष्ट्रीय और वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए प्रमुख आर्थिक और वित्तीय मामलों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना।

निर्यात तत्परता सूचकांक

निर्यात तत्परता सूचकांक (ईपीआइ) एक विशिष्ट मीट्रिक या टूल है जिसका उपयोग निर्यात गतिविधियों की उपयुक्तता या प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किया जाता है, यह सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित दस्तावेज़ों या क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करना आवश्यक होगा।

यह सूचकांक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी निर्यात तैयारियों और निर्यात प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान करने का प्रयास करता है। ईपीआई का प्राथमिक लक्ष्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। ईपीआई भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उनके बीच सहकर्मी अधिगम की सुविधा प्रदान करने में भी मदद करता है ताकि उनकी निर्यात तत्परता को बढ़ाया जा सके और इस तरह उनके निर्यात प्रदर्शन में सुधार हो सके।

नीति आयोग भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी निर्यात तत्परता और निर्यात प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग देने के लिए 'निर्यात तत्परता सूचकांक' (ईपीआइ) का चौथा संस्करण तैयार करने की प्रक्रिया में है।

शिक्षा

उच्च शिक्षा प्रभाग

नीति आयोग में उच्च शिक्षा प्रभाग उच्च शिक्षा क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित, शोध-संचालित ज्ञान सृजन और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, विषय विशेषज्ञों, विचार-मंच (थिंक टैंक) और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण से निर्देशित, यह प्रभाग नीतिगत अनुसंधान अध्ययन करता है जो भारत को 2035 तक विश्व के सबसे बड़े उच्च शिक्षा इकोसिस्टम और प्रतिभा एवं उद्यमिता के लिए एक वैश्विक केंद्र में परिवर्तित करने में मदद करेगा।

प्रभाग में चल रहे नीतिगत अनुसंधान अध्ययनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार
- भारत में उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण
- भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल
- भारतीय उच्च शिक्षा हेतु वित्तपोषण
- भारतीय उच्च शिक्षा के लिए इनक्यूबेटर इकोसिस्टम
- उच्च शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय इनक्यूबेटर इकोसिस्टम
- राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता

स्कूल शिक्षा प्रभाग

शिक्षा प्रभाग शिक्षा, खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में विकासात्मक योजना के सभी पहलुओं से संबंधित है। शिक्षा प्रभाग (क) पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और शिक्षक शिक्षा; (ख) वयस्क साक्षरता सहित औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा; और (ग) बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए भी शिक्षा जैसे विशेष फोकस वाले क्षेत्रों को कवर करता है।

शिक्षा प्रभाग का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में रेखांकित प्रमुख क्षेत्रों जैसे शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, गुणवत्ता में सुधार करना और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना आदि पर फोकस करते हुए साक्ष्य एकत्र करना और नीतियां तैयार करना है।

यह प्रभाग बच्चों के बीच अधिगम के परिणाम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, स्कूल तैयारी कार्यक्रम, अधिगम सुधार कार्यक्रम, सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा और कक्षा-स्तरीय योग्यता के क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है।

यह प्रभाग शिक्षा और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के क्षेत्र में भी काम करता है। चल रहे अनुसंधान अध्ययनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारतीय व्यावसायिक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन।
- 21वीं सदी के लिए स्कूली शिक्षा की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना।

शिक्षा प्रभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में एसएटीएच-एजुकेशन (मानव पूंजी कायाकल्प हेतु सतत कार्रवाई-एजुकेशन) परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है, तथा वर्तमान में एसएटीएच-एजुकेशन परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट एसएटीएच – अरुणाचल

नीति आयोग, अरुणाचल प्रदेश सरकार और एक ज्ञान भागीदार ने 03 वर्ष (2022-25) की अवधि के लिए अरुणाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने के लिए एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना में अरुणाचल प्रदेश के कक्षा 1-12 तक के 2 लाख से अधिक बच्चे शामिल हैं। मुख्य हस्तक्षेप में शैक्षणिक सुधार,क्षमता विकास, शासन और जवाबदेही तथा सामुदायिक सहभागिता शामिल हैं।

युवा मामले और खेल

यह प्रभाग युवा मामले और खेल क्षेत्र से संबंधित कार्य भी देखता है। 2024-25 के दौरान, शिक्षा प्रभाग के अधिकारियों ने परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकों, विभागीय परियोजना अनुमोदन समिति (डीपीएसी) की बैठकों, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (आरवाईएसके) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं की परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकों जैसी विभिन्न बैठकों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

विविध गतिविधियाँ

शिक्षा प्रभाग ने (i) शोध अध्ययन/मूल्यांकन अध्ययन के वित्तपोषण के लिए गैर सरकारी संगठनों और ट्रस्टों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों, (ii) राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाए गए मुद्दों और (iii) माननीय प्रधानमंत्री के दौरों के संबंध में राज्य शिक्षा संक्षिप्त विवरणों की भी जांच की। शिक्षा, खेल और युवा मामलों में राज्य के मुद्दों को संबंधित मंत्रालयों के समक्ष उठाया गया और तार्किक समाधान खोजने के लिए समन्वय किया गया। प्रभाग ने वीआईपी/पीएमओ संदर्भ, लोक शिकायत, आरटीआई से संबंधित मामले, संसद से संबंधित कार्य भी संभाले और माननीय राष्ट्रपति के बजट भाषण, संसद और बजट से संबंधित विभिन्न मुद्दों में शामिल करने के लिए सामग्री प्रदान की। नीति शिक्षुता कार्यक्रम के तहत, देश भर के विभिन्न अग्रणी संस्थानों के प्रशिक्षुओं को प्रभाग के नेतृत्व में शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

नीति आयोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के वैश्विक बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए कई हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसने अपने पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पहलुओं - मांग निर्माण, विनिर्माण, चार्जिंग अवसंरचना, मानक और विनिर्देश, पुनर्चक्रण और सर्कुलरिटी, जागरूकता और नियामक प्रावधान में योगदान दिया है। कई वैश्विक ज्ञान संस्थानों और विचार-मंचों (थिंक टैंकों) के साथ मिलकर आंतरिक टीम ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने को बढ़ाने के लिए मुद्दों और चुनौतियों और कार्यनीतियों के संभावित समाधान निकाले हैं।

'शून्य' - शून्य प्रदूषण मोबिलिटी अभियान

शून्य (15 सितंबर, 2021 को लॉन्च किया गया) भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र में काम करने वाली अग्रणी कंपनियों के साथ साझेदारी में नीति आयोग द्वारा समन्वित एक अखिल भारतीय उपभोक्ता जागरूकता अभियान है। शून्य का मुख्य उद्देश्य डिलीवरी सिस्टम और राइड हेलिंग को स्वच्छ मोबिलिटी की ओर ले जाना है। शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और राष्ट्र के स्थिरता लक्ष्यों में योगदान देना अन्य सकारात्मक परिणाम हैं।

इस अभियान ने अब तक (दिसंबर, 2024 तक) इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगभग 723 मिलियन राइड और डिलीवरी पूरी की है और लगभग 766 करोड़ रुपये की ईंधन बचत और लगभग 1.3 मिलियन वृक्ष लगाकर प्रभाव डाला है। इसने कई चैनलों के माध्यम से लगभग 10 करोड़ नागरिकों को भी जोड़ा है और प्रदूषण मुक्त डिलीवरी के पक्ष में उनके बीच जागरूकता उत्पन्न की है। 25 जनवरी 2022, 19 जुलाई 2023 और 04 अप्रैल, 2024 को 3 ब्रांड फिल्में रिलीज़ की गई हैं जिन्हें लगभग 70 मिलियन लोगों ने देखा है। अब तक, 220 से अधिक कॉर्पोरेट साझेदार (घरेलू और वैश्विक) इस अभियान पहल में एक साथ सहयोग कर चुके हैं।

शून्य प्रभाव

पीएम इलेक्ट्रिक अभियान

नीति आयोग 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना' की प्रक्रिया को तैयार करने में शामिल था। इसे 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया गया था। पहले के एफएएमई - I (2015-19), एफएएमई II (2019-24) और ईएमपीएस (अप्रैल-जुलाई 2024) पर आधारित, पीएमई-ड्राइव में मांग प्रोत्साहन के रूप में 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय है। इसमें चार्जिंग अवसंरचना, ई-एम्बुलेंस, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में ई-बसों को शामिल करने, भारी माल ढुलाई के लिए ई-ट्रकों और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया गया है। ई-एम्बुलेंस पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य हरित स्वास्थ्य सेवा समाधानों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में ईवी को एकीकृत करना है। हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों से निपटने के लिए एमएचआई की परीक्षण एजेंसियों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है।

पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना

नीति आयोग सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना विकसित करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। पीएसएम सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा अनुबंधित ई-बस की सेवाओं के लिए ओईएम/ऑपरेटरों को समय पर भुगतान के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करता है। 3,435.33 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ, यह 38,000 या उससे अधिक ई-बसों की खरीद और संचालन का समर्थन करेगा। सीईएसएल इस योजना के कार्यान्वियन की देखरेख करेगा।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम

नीति आयोग राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम (एनईबीपी) में शामिल रहा है - यह 2030 तक पूरे भारत में 50,000 ई-बसें चलाने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इससे उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आने और वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। एनईबीपी ग्रैंड चैलेंज (जीसी) की सफलता पर आधारित है, जो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा प्रबंधित 5,450 ई-बस खरीद पहल है, जिसने मांग एकत्रीकरण और मानकीकृत अनुबंधों के माध्यम से ई-बस की कीमतों में 50% तक की कमी हासिल की। इस पहल में 9 पात्र शहरों में से 5 (4 मिलियन से अधिक आबादी वाले) शामिल थे, जिसने प्रदर्शित किया कि ई-बसों की प्रचालन लागत डीजल या सीएनजी बसों की तुलना में कम हो सकती है।

एनईबीपी इस मॉडल को देश भर में विस्तारित करता है, जिसका लक्ष्य एक मिलियन से ज़्यादा आबादी वाले शहरों और राज्य की राजधानियाँ हैं। कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सीईएसएल मांग एकत्रीकरण, मानकीकृत संविदा और पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए ज़िम्मेदार है।

ई-फास्ट इंडिया – सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सलेरेटर

ई-फास्ट इंडिया नीति आयोग द्वारा समन्वित एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य माल ढुलाई क्षेत्र का डी-कार्बोनाइजेशन है, जो वाहन बेड़े का 4% हिस्सा होने के बावजूद सड़क उत्सर्जन में 40% योगदान देता है।

इसने 72 उद्योग प्लेयर, 9 ओईएमएस और 19 ज्ञान भागीदारों का सहयोग बनाया है। अब तक 6 से अधिक हितधारक सम्मेलन और 25 से अधिक पायलट चर्चाएँ आयोजित की जा चुकी हैं। इसने हितधारकों को जागरूक किया है और 16 कंपनियों द्वारा 7750 ई-फ्रेट वाहनों की मांग एकत्रित की है।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ तकनीकी सहायता संबंधी सहयोग

नीति आयोग और एडीबी के बीच निरंतर सहयोग चल रहा है, जिसके अंतर्गत एडीबी ने निम्नलिखित मुख्य विषयों पर तकनीकी सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्तकी है:

- ईवी अपनाने में सुविधा के लिए ईवी बेड़े संचालकों के लिए क्रेडिट संवर्धन प्रदान करना;
- भारत में ईवी विनिर्माण को बढ़ाने के लिए पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला मूल्यांकन;
- वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों का मानचित्रण और बेंचमार्किंग विश्लेषण;
- ईवी चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करना;
- चयनित शहरों के लिए व्यापक ई-मोबिलिटी योजनाएं विकसित करना;
- ईवी आधारित गतिशीलता में परिवर्तन की सहायता हेतु क्षमता निर्माण गतिविधियाँ।

इससे ईवी अपनाने में आने वाली चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने में मदद मिलेगी। इस समझ के आधार पर तीन टियर-। शहरों के लिए ईवी चार्जिंग अवसंरचना और व्यापक ई-मोबिलिटी योजनाओं को बढ़ाने की कार्यनीति बनाई जा सकती है।

हरित परिवर्तन, ऊर्जा, जलवायु और पर्यावरण

हरित परिवर्तन, जलवायु और पर्यावरण (जीटीसी) प्रभाग का व्यापक मिशन वनों के सतत प्रशासन, वन्यजीवों और आवासों की सुरक्षा, एक प्राचीन और पारिस्थितिक रूप से ध्वनि वातावरण सुनिश्चित करने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की चुनौतियों को समाधान करने और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियों और नीतिगत विकास में सक्रिय रूप से योगदान देना है। इसमें संसाधन को बढ़ावा देना, कचरे को कम करना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना शामिल है।

प्रभाग भारत को ऊर्जा-सुरक्षित बनाने के लिए सभी हितधारकों को नीतिगत सहायता प्रदान करने का भी प्रयास करता है। इसका उद्देश्य एक कुशल, टिकाऊ और स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देना है। यह प्रभाग ऊर्जा आयात को कम करने, ऊर्जा की वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित करने और घरेलू आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास करता है। यह ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्रॉस-सेक्टोरल मुद्दों के समाधान का प्रयास करता है। नीतिगत तंत्र ऐसे तैयार किया गया है कि भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुशल बाजारों के माध्यम से ऊर्जा की आपूर्ति की जाए।

जीटीसी प्रभाग का उद्देश्य अछूते संसाधनों पर निर्भरता को कम करना तथा पर्यावरण एवं आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप सुग्राही, टिकाऊ अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। यह प्रभाग शिक्षाविदों, प्रबुद्धजनों के साथ-साथ केंद्रीय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों सहित विभिन्न प्रकार के हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श को बढ़ावा देकर नीतिगत ढांचे के विस्तार की इच्छा व्यक्त करता है। यह प्रभाग राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित संसाधनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए नई नीतियों को तैयार करने में भी सक्रिय भूमिका निभाता है।

कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) : भारत का प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसमें प्राथमिक ऊर्जा बास्केट में 85% से अधिक हिस्सा शामिल है। हालांकि बहुत-से देशों ने 2050 तक निवल-शून्य लक्ष्य निर्धारित किए हैं, भारत ने 2070 तक निवल-शून्य हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस महत्वाकांक्षी बदलाव के लिए प्रौद्योगिकी विकास, अवसंरचना विस्तार और वित्तपोषण में महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता होगी।

अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने और उत्सर्जन को कम करने के लिए, कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) तकनीकें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कोयला भंडारों का कुशल उपयोग और कोयला, तेल और गैस पर निर्भर निवारण-दुर्गम क्षेत्रों में उत्सर्जन में कमी के लिए उन्नत तकनीकों और कार्बन न्यूनीकरण तंत्र को अपनाना आवश्यक है।

इसे ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग ने भारत में सीसीयूएसके परिनियोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए पहल की है। इन प्रयासों का उद्देश्य देश के सतत और न्यून कार्बन वाले भविष्य की ओर परिवर्तन का समर्थन करना है। प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i) नीति आयोग ने 25वीं प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) के दौरान 'अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने में सीसीयूएस की भूमिका' प्रस्तुत की। ओएम-एसटीएआईसीसी ने निर्णय लिया कि विद्युत मंत्रालय मिशन मोड में सीसीयूएस कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएगा और सीसीयूएस मिशन को कैबिनेट द्वारा तैयार और अनुमोदित किया जाएगा।

ii) 22-23 अगस्त, 2024 को नई दिल्ली में "सीसीयूएस के लिए कानूनी और विनियामक ढांचे और तकनीकी विचारण" पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन नीति आयोग, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के ब्यूरो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के कार्बन मैनेजमेंट कार्यालय और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के कमर्शियल लॉ डेवलेपमेंट प्रोग्राम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। सरकार, उद्योग-जगत, विचार-मंच (थिंक टैंक) और अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने बहुमूल्य सुझाव दिए, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया और भारत में सीसीयूएस कार्यान्वयन ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाया।

कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) के लिए कानूनी और नियामक ढांचे और तकनीकी विचारण पर कार्यशाला

ऊर्जा परिवर्तन में लघु मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों की भूमिका

भारत की वर्तमान परमाणु क्षमता 8 गीगावाट है, जबकि नीति आयोग का अनुमान है कि 2070 तक भारत के निवल शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100 गीगावाट से अधिक परमाणु क्षमता की आवश्यकता होगी। इसके लिए निर्माण क्षमताओं, वित्तपोषण, उन्नत प्रौद्योगिकी और घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। विश्व स्तर पर, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) अपने कम निर्माण समय, कम भूमि की आवश्यकता और बढ़ी हुई सुरक्षा के कारण ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। विश्व भर में लगभग 80 एसएमआर डिज़ाइन विकास के अधीन हैं।

ऊर्जा परिवर्तन में परमाणु ऊर्जा की भूमिका को मान्यता देते हुए, बजट (वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान, यह घोषणा की गई थी कि "सरकार (1) भारत लघु रिएक्टर (बीएसआर) की स्थापना, (2) भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर) के अनुसंधान और विकास, और (3) परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।" नीति आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर घोषणाओं के कार्यान्वयन की दिशा में काम कर रहा है।

कोकिंग कोयले के आयात को कम करने के लिए घरेलू कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ाना

आयातित कोकिंग कोल के प्रतिस्थापन के लिए, नीति आयोग ने राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान के साथ मिलकर "कोकिंग कोयले के आयात को कम करने के लिए घरेलू कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ाने" पर एक अध्ययन किया है। यह अध्ययन भारत के इस्पात क्षेत्र की कच्चे माल की सुरक्षा और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए स्टाम्प-चार्जिंग का उपयोग करके कोक-ओवन के लिए उपयुक्त कोकिंग कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार को नीतिगत इनपुट प्रदान करेगा।

एक राज्य से दूसरे राज्य में कोयले के परिवहन की लागत तथा कोयले से बिजली उत्पादन और उसके परिवहन की लागत का अध्ययन

नीति आयोग ने ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परिवहन के इष्टतम मॉडल संयोजन का विश्लेषण करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। अनेक हितधारक बैठकें आयोजित की गई हैं, और रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत की गई।

ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों के लिए रसायन विज्ञान से इतर मानक विकसित करना

उभरती हुई बैटरी ऊर्जा भंडारण (बीईएस) तकनीकें रसायन विज्ञान, सामग्री और अनुप्रयोगों में भिन्न-भिन्न हैं, जिसके लिए सुरक्षा, प्रदर्शन और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मानकों की आवश्यकता होती है। मौजूदा मानक, विशिष्ट रसायन विज्ञान तक सीमित हैं, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रिड स्टोरेज के लिए नवीन तकनीकों के प्रमाणन और व्यावसायीकरण में बाधा डालते हैं। इसे संबोधित करने के लिए, नीति आयोग ने सार्वभौमिक सुरक्षा और तकनीकी मापदंडों के आधार पर रसायन विज्ञान से इतर ढांचे पर एक पेपर विकसित किया। रिपोर्ट में एक नमूना टेम्पलेट शामिल है और भारत के ऊर्जा भंडारण पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और स्थिर भंडारण प्रणालियों में नई तकनीकों को एकीकृत करने के लिए मौजूदा मानकों के लचीले अनुकूलन का सुझाव देता है। इस रिपोर्ट के आधार पर बीआईएस ने ईवी और स्थिर बैटरी के लिए रसायन विज्ञान से इतर मानकों को विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

निवल शून्य के लिए मार्ग

नवंबर 2021 में सीओपी-26 में घोषित भारत की निवल शून्य (एनजेड) प्रतिबद्धता, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षाओं को संतुलित करते हुए जलवायु परिवर्तन संबंधी समाधान करने के अपने संकल्प को रेखांकित करती है। निवल शून्य को प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन करना आवश्यक है, साथ ही नौकरी में बदलाव, जीवाश्म-निर्भर राज्यों में राजस्व में बदलाव और संसाधन की कमी जैसे सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का प्रबंधन करना भी आवश्यक है।

नीति आयोग ने छह कार्य समूहों का गठन किया है। यह कार्य समूह भारत जलवायु ऊर्जा मॉडलिंग फोरम (आईसीईएमएफ) द्वारा समर्थित आईईएसएस 2047 और टाइम्स-वेदा जैसे टूल का उपयोग करते हुए निवल शून्य के प्रक्षेप पथों की जांच करता है। वे

व्यापक आर्थिक निहितार्थ, क्षेत्रीय बदलाव, जलवायु वित्त, अनुसंधान एवं विकास, आपूर्ति श्रृंखला और सामाजिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कार्य समूह, जिसमें बिजली, परिवहन, उद्योग, कृषि, महत्वपूर्ण खनिज, परिवर्तन के व्यापक आर्थिक निहितार्थ, जलवायु वित्त और ऊर्जा परिवर्तन के सामाजिक पहलू जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं और जिनमें मंत्रालयों, शिक्षाविदों, उद्योग और विचार-मंचों (थिंक टैंकों) के प्रतिनिधि शामिल हैं, का गठन कार्रवाई योग्य सिफारिशें विकसित करने और हितधारकों की आम सहमति बनाने के लिए किया गया है।

इस प्रयास के परिणामस्वरूप एक गतिशील नीति दस्तावेज तैयार होगा जो भारत के निवल शून्य में परिवर्तन के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करेगा। यह दस्तावेज मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उद्योगों को मार्गदर्शन देगा, समय के साथ प्रौद्योगिकी, नीति और आर्थिक स्थितियों में प्रगति को प्रतिबिंबित करने के लिए अनुकूलन करेगा, जिससे तर्कसंगत और सतत परिवर्तन सुनिश्चित होगा।

निवारण-दुर्गम सेक्टरों का डीकार्बोनाइजेशन

नीति आयोग सीमेंट, एल्युमीनियम और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए एक व्यापक डी-कार्बोनाइजेशन रोडमैप विकसित कर रहा है, ताकि स्थिरता की ओर उनके संक्रमण का मार्गदर्शन किया जा सके। यह रोडमैप उत्पादन मूल्य श्रृंखलाओं के साथ उत्सर्जन स्रोतों की पहचान करेगा और एंड-टू-एंड मूल्य श्रृंखला में डी-कार्बोनाइजेशन के लिए प्रमुख क्षेत्रों को इंगित करेगा। यह कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) जैसे वैश्विक विकास के मद्देनजर क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करेगा और डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करने के लिए अवसंरचना और प्रौद्योगिकियों की तत्परता का मूल्यांकन करेगा। इसमें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों के एक समूह की पहचान करना और उभरती प्रौद्योगिकियों को व्यवहार्य बनाने के लिए व्यवहार्यता निधि, प्रोत्साहन या कर छूट जैसे वित्तीय तंत्रों की खोज करना शामिल है। यह योजना चक्रीय आर्थिक सिद्धांतों का लाभ उठाने और संसाधन दक्षता में सुधार करने पर भी फोकस होगी।

भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र

नीति आयोग ने भारत का एक व्यापक भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। यह मानचित्र भारत के ऊर्जा क्षेत्र का संपूर्ण दृश्य प्रदान करता है, जिसमें नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय दोनों प्रकार के विद्युत संयंत्र, तेल और गैस डाउनस्ट्रीम क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जीवाश्म ईंधन संसाधन और अन्य ऊर्जा परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। ये मानचित्र भावी सौर पार्कों, कोयला ब्लॉकों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पाइप लाइनों के लिए अवसंरचना की योजना बनाने सहित संसाधन नियोजन में सहायता करते हैं। इस पोर्टल के हालिया अपडेट में 'विंड एनर्जी साइट सेलेक्शन टूल' शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से, सहायक राज्यों, जिलों और ब्लॉकों के संदर्भ में और अधिक विस्तृत जानकारी लाने के लिए इस टूल पर काम किया जा रहा है। इस टूल को अद्यतन किया जा रहा है।

भारत में राष्ट्रीय हरित वित्तपोषण संस्थान के लिए मार्ग की संरचना तैयार करना

भारत की विकास संबंधी आकांक्षाओं और निवल शून्य के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए, वर्तमान वित्त प्रवाह वांछित स्तरों से बहुत कम है। इस विशाल अंतर को पाटने के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय हरित वित्तपोषण संस्थान की परिकल्पना की जा सकती है। संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से हरित पूंजी को एकत्रित करना और पूंजी की लागत को कम करना होगा। नीति आयोग एक संभावित राष्ट्रीय हरित वित्तपोषण संस्थान को चालू करने के लिए संरचनात्मक तंत्र की जांच कर रहा है, जिसमें एनएबीएफआईडी/नाबार्डकी तर्ज एक बैंक, इरेडा जैसी मौजूदा संस्थाओं का पुनर्नियोजन, जीआईएफटी शहर में जलवायु कोष, ग्रीन इनविट आदि (गैर-संपूर्ण) शामिल हैं, साथ ही विश्व भर के हरित बैंकों से सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण भी किया जा रहा है।

कोयला गैसीकरण

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और तकनीकी स्थायी समूह कोयला गैसीकरण पहलों में आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के लिए कार्यक्रम और परियोजनाओं की समीक्षा करता है। कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन योजना की श्रेणी I और III के अंतर्गत चयनित आवेदकों को पुरस्कार पत्र (एलओए) जारी किए हैं। इस योजना की श्रेणी II के अंतर्गत और अधिक निजी क्षेत्र भी भाग ले रहे हैं।

निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने के लिए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से उत्सर्जन के साथ-साथ ऐतिहासिक परिवेशी वायु गुणवत्ता डाटा का डाटा विश्लेषण

नीति आयोग ने निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने के लिए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से उत्सर्जन के साथ-साथ ऐतिहासिक परिवेशी वायु गुणवत्ता डाटा के विश्लेषण पर अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-नीरी), नागपुर के साथ भागीदारी की है। विस्तृत विश्लेषण और कई हितधारकों के परामर्श के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें ताप विद्युत संयंत्रों में एफजीडी, उत्सर्जन विनियमन आदि के बारे में विशिष्ट सिफारिशें दी गई हैं।

विद्युत क्षेत्र विनियमन अध्ययन

विद्युत क्षेत्र को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा विनियमित किया जाता है। शासी क़ानून (विद्युत अधिनियम 2003) को लागू हुए लगभग दो दशक बीत चुके हैं। इस अवधि में, कुछ ईआरसी ने उच्च-गुणवत्ता वाले विनियमन, प्रवर्तन और न्यायनिर्णयन के लिए प्रतिष्ठा विकसित की है। हालाँकि, कुछ ईआरसी की विनियामक कैप्चर, टैरिफ ऑर्डर में विलंब और स्वायत्तता की कमी जैसे मामलों के लिए आपत्तियां भी जताई जाती है। विद्युत नियामकों की स्वायत्तता, भूमिका स्पष्टता, क्षमता और जवाबदेही की जांच करने के लिए एक अध्ययन सौंपा गया है।

प्रतिस्पर्धी उपयोगों के लिए जैव ऊर्जा क्षमता का आकलन और फीडस्टॉक की उपलब्धता

अध्ययन का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी उपयोगों के लिए जैव ऊर्जा क्षमता और फीडस्टॉक की उपलब्धता का अनुमान लगाना है। उद्देश्यों में इथेनॉल, सीबीजी, एसएएफ, बायोडीजल, ग्रीन हाइड्रोजन, बायो-मेथनॉल और बायोचार के लिए घोषित सरकारी लक्ष्यों पर विचार करते हुए जैव ईंधन की मांग का अनुमान लगाना शामिल है। अध्ययन में वर्तमान अनुमानों के आकलन, मूल्य निर्धारण की संभावित भूमिका, रूपांतरण प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव और भूमि की आवश्यकता के अनुमान सहित आपूर्ति विकल्पों का भी विश्लेषण किया जाएगा। अध्ययन किया जा रहा है।

भारत में इथेनॉल उत्पादन का जीवन चक्र विश्लेषण

"गन्ने, चावल और मक्का से इथेनॉल उत्पादन का तुलनात्मक जीवन चक्र मूल्यांकन (एलसीए)" संबंधी अध्ययन ऊर्जा और पर्यावरण दक्षता पहलुओं का मूल्यांकन करता है जो भारत की ऊर्जा परिवर्तन कार्यनीति के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2025 तक इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य 20% निर्धारित किए जाने के साथ, यह अध्ययन प्रमुख कृषि फीडस्टॉक्स से बायोइथेनॉल उत्पादन के पर्यावरणीय और ऊर्जा निहितार्थों का मूल्यांकन करता है। इसके परिणाम फसल की पैदावार, जल उत्पादकता को अनुकूलित करने और पर्यावरणीय ट्रेड-ऑफ को कम करते हुए भारत के इथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए उन्नत फीडस्टॉक्स को एकीकृत करने के महत्व को रेखांकित करते हैं।

भारत में जलवायु वित्त का परिदृश्य: भारत के एनडीसी और नेट जीरो लक्ष्यों के लिए मार्ग खोजना-मांग आपूर्ति, प्रवाह अनुमान

मार्च 2024 में जलवायु नीति पहल (सीपीआइ)। कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अध्ययन के आउटपुट का उपयोग जलवायु वित्त के लिए किया जाएगा। सीपीआई ने आपूर्ति उपलब्धता और वित्तपोषण अंतर के लिए मॉडल किए गए परिणामों को संकलित किया है। रिपोर्ट की तैयारी चल रही है और अंतिम रिपोर्ट मार्च 2025 तक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

परियोजना मूल्यांकन और आकलन

यह प्रभाग एसएफसी/ईएफसी प्रस्तुति के लिए परियोजना प्रस्तावों का गहन मूल्यांकन करके, तकनीकी और वित्तीय सिफारिशें प्रदान करके और बाहरी रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं का समर्थन करके निवल शून्य मिशन और चक्रीय अर्थव्यवस्था पहलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सतत विकास और जलवायु लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यान्वयन योजनाओं और समझौता ज्ञापनों को विकसित करने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों के साथ सहयोग करती है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग पर्यावरणीय, आर्थिक और जलवायु उद्देश्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए व्यवहार्यता रिपोर्ट और मास्टर प्लान के लिए सलाहकारों को शामिल करने के लिए योग्यता-सह-प्रस्ताव दस्तावेजों के लिए अनुरोध तैयार करती है।

अंतर-मंत्रालयी कार्य समूहों के माध्यम से निवल शून्य मार्ग का विकास

यह प्रभाग दो प्रमुख निवल शून्य कार्य समूहों: डब्ल्यूजी 2डी, जो खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण सुनिश्चित करते हुए कृषि में उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है, और डब्ल्यूजी 5, जो रोजगार, स्वास्थ्य और प्रवास सहित ऊर्जा परिवर्तन के सामाजिक प्रभावों को संबोधित करता है - में शामिल है। अप्रैल 2024 में स्थापित, ये समूह निवल शून्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नीति आयोग की कार्यनीति के लिए आवश्यक हैं। आईफोरेस्ट, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूआरआई और सीईईडब्ल्यू जैसे ज्ञान भागीदार इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए कार्यनीतियों के विकास का समर्थन करते हैं।

हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद (एचएसआरसी)

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए नीति आयोग द्वारा 2018 में गठित हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद (एचएसआरसी) को पुनःसक्रिय कर दिया गया है। अंतर-मंत्रालयी परिषद पाँच कार्य समूहों की रिपोर्टों के आधार पर कार्य बिंदुओं के कार्यान्वयन के लिए समर्पित है, जिनके नाम (i) जल सुरक्षा के लिए हिमालय में झरनों की सूची और पुनरुद्धार, (ii) भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत पर्यटन, (iii) खेती में बदलाव: बदलाव की ओर दृष्टिकोण, (iv) हिमालय में कौशल और उद्यमिता परिदृश्य को मजबूत करना, और (v) कई हितधारकों द्वारा सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए डाटा/सूचना - हैं।

चक्रीय अर्थव्यवस्था पहल: सतत संसाधन प्रबंधन और अपशिष्ट न्यूनीकरण का संवर्धन

जून 2024 में, नीति आयोग ने संसाधन दक्षता और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऐसे वाहनों, टायरों, ई-अपशिष्ट, स्क्रैप मेटल और लिथियम-आयन बैटरियों, जिनकी उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी है,पर पाँच विशेष कार्य समूहों की स्थापना की। ऐसे वाहनों, टायरों, लिथियम-आयन बैटरियों और ई-अपशिष्ट, जिनकी उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी है, के लिए हित धारकों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं, और परिणामी नीतिगत सिफारिशों को लागू करने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इन बैठकों में निर्माताओं, पुनर्चक्रण कर्ताओं और मंत्रालयों को नीतियों, वित्तीय तंत्रों और तकनीकी नवाचारों पर चर्चा करने के लिए शामिल किया गया। इसका उद्देश्य अपशिष्ट को कम करना, पुनर्चक्रण को बढ़ाना और एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सामग्रियों को पुन: प्राप्त करना है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय पर्यावरणीय और आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित है, जो अपशिष्ट मूल्य को अधिकतम करते हुए अक्षत संसाधनों पर निर्भरता को कम करता है।

शासन

नीति आयोग का शासन प्रभाग सात केंद्रीय मंत्रालय/विभागों नामतः उर्वरक विभाग, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग से संबंधित मामलों के लिए नीति निर्धारण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा (जीओआई-यूएनएसडीसीएफ) 2023-27 से संबंधित कार्यों का समन्वय भी करता है।

मॉडल उचित मूल्य दुकानों पर कार्य समूह का गठन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 देश में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के नेटवर्क के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

एफपीएस अंतिम-मील डिलीवरी एजेंट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वे कुशल वितरण के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा में परिवर्तन के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने हाल ही में 60 एफपीएस को जन पोषण केंद्र (जेपीके) नामक पोषण केंद्रों में बदलने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है।

देश में एफपीएस पारिस्थितिकी तंत्र को समग्र रूप से देखने के लिए नीति आयोग में प्रोफेसर रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया था। पहली बैठक 6 दिसंबर, 2024 को नीति आयोग में आयोजित की गई थी, जिसमें एफपीएस की व्यवहार्यता से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों और देश के अन्य हिस्सों में पायलट के कार्यान्वयन और विस्तार की गुंजाइश की जांच की गई। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य सरकारों के विभिन्न प्रतिनिधि भी विचार-विमर्श में मौजूद थे।

मॉडल उचित मूल्य दुकानों पर कार्य समूह की दिसंबर 2024 में आयोजित पहली बैठक की झलकियां

'भूख और कुपोषण से संघर्ष: भारत की कहानी' पर निबंधों का सार-संग्रह

शासन प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के सहयोग से भारत की व्यापक खाद्य और पोषण सुरक्षा जाल की समीक्षा करने के लिए 'भूख और कुपोषण से लड़ाई: भारत की कहानी' पर निबंधों का एक सार-संग्रह तैयार करना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, प्रसिद्ध शिक्षाविदों और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी लोगों द्वारा विकसित किए जा रहे इस संग्रह का उद्देश्य एक चिंतनशील और दूरदर्शी मंच प्रदान करना है जो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में भावी सुधारों और नवाचारों की खोज करते हुए की गई प्रगति को दर्शाता है। उपलब्धियों को मनाने और प्रौद्योगिकियों एवं नवाचारों को प्रदर्शित करने के साथ-साथ यह सार-संग्रह वैश्विक दक्षिण के उन देशों के लिए उपयोगी होगा जो भारत के अनुभव से सीखना का आशय रखते हैं।

यूरिया इकाइयों द्वारा लक्ष्य ऊर्जा मानदंडों की सिफारिश करने हेतु विशेषज्ञ समिति:

नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 के तहत कवर की गई सभी पच्चीस गैस आधारित यूरिया इकाइयों द्वारा 01 अप्रैल, 2025 से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य ऊर्जा मानदंडों के संबंध में सिफारिशें देने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके सारस्वत की अध्यक्षता में 2023-24 में एक विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया गया है।

अब तक विशेषज्ञ समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें उर्वरक विभाग और नीति आयोग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में ऊर्जा मानदंडों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा बचत योजनाओं के कार्यान्वयन, यूरिया इकाइयों द्वारा ऊर्जा खपत और सीओ2 उत्सर्जन की वर्तमान स्थिति, यूरिया क्षेत्र में आगे ऊर्जा दक्षता की संभावना के बारे में यूरिया विनिर्माण कंपनियों के विचार भी आमंत्रित किए गए।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के अंतर्गत प्रति किलोग्राम सब्सिडी दर की सिफारिशके लिए अंतर-मंत्रालयी समिति

प्रत्येक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर के लिए प्रति किलोग्राम सब्सिडी दर की सिफारिश करने के लिए उर्वरक विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई है, जिसमें नीति आयोग भी एक प्रमुख सदस्य है और वर्ष के दौरान आयोजित की गई समिति की बैठकों में भाग लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य उचित समय पर किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश में उर्वरक के सुचारू उत्पादन को बढ़ावा देना और कमी की स्थिति में उर्वरकों का सुचारू और समयोचित आयात करना और अंत में उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023-2027 की बैठक

भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्रसतत विकास सहयोग रूपरेखा के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त संचालन समिति की दूसरी बैठक 16 मई, 2024 को नीति आयोग में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की सह-अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें नीति आयोग के फोकल समूहों के प्रमुख सदस्यों, सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों, परिणाम संचालन समितियों के सभी नोडल लाइन मंत्रालयों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के छह परिणाम समूहों के प्रमुखों और सह-नेतृत्वकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में भारत में 26 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की गई और ज्ञान अंतर, कार्यक्रम डिजाइन अंतर को दूर करने और सर्वोत्तम प्रथाओं, जिन्हें दोहराया और पोषित किया जा सकता है, की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भावी रोड मैप पर विचार-विमर्श किया गया।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023-2027 की दूसरी बैठक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पोषण

आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य मिशन

विश्व भर में बच्चों और किशोरों (<18 वर्ष) की सबसे बड़ी संख्या भारत में निवास करती है। एनीमिया, पोषण संबंधी विकार, एनसीडी, मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याएं, प्रजनन स्वास्थ्य और स्कूली बच्चों में होने वाली अन्य शारीरिक समस्याएं जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिन्हें समग्र रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। यहराष्ट्र के स्वस्थ और मजबूत भविष्य के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों और किशोरों के लिए स्वास्थ्य साक्षरता, जागरूकता और शिक्षा, इष्टतम पोषण, स्वस्थ जीवन शैली और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूल परिवेश में अच्छी स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने वाली स्पष्ट सामिरक नीति और रूपरेखा के साथ एक व्यापक और समग्र स्कूल-आधारित कार्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता को उजागर करता है।

एक व्यापक और समग्र स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए, सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श और बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी, और नीति आयोग द्वारा महत्वपूर्ण संसाधनों और साहित्य की समीक्षा की गई थी। इस व्यापक अभ्यास के आधार पर, और 25.5 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों और किशोरों के लिए इष्टतम स्वास्थ्य, पोषण और एक स्वस्थ जीवन शैली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एक व्यापक आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य मिशन के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है और इस प्रस्तावित मिशन के तहत छह मुख्य स्तंभों की पहचान की गई है जिसमें (i) पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, (ii) योग, शारीरिक शिक्षा और कल्याण, (iii) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला स्कूल पारितंत्र, (iv) मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन, परामर्श और सहायता, (v) स्वास्थ्य जांच, रेफरल और उपचार, और (vi) प्राथमिक चिकित्सा, शीघ्र देखभाल और विशेष प्रावधान शामिल हैं। जुलाई 2024 में आगे की कार्रवाई के लिए रूपरेखा दस्तावेज को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के साथ साझा किया गया। इसके अलावा, त्रिपुरा सरकार ने 29 नवंबर, 2024 को नीति आयोग द्वारा प्रेरित और निर्देशित 'आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य मिशन' पर एक पायलट परियोजना शुरू की।

भावी महामारी से निपटने की तैयारी

2023 में नीति आयोग ने भावी महामारी से निपटने की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। समूह को यह जांचना था कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कोविड-19 का प्रबंधन कैसे किया गया, सफलता की कहानियों और चुनौतियों से सीख प्राप्त करनी थी और उन प्रमुख कमियों का आकलन करना था जिन्हें भविष्य में किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से तैयार होने और प्रतिक्रिया करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैदानिक चिकित्सा, महामारी विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, उद्योग और शिक्षा जगत के 60 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और कोविड-19 प्रतिक्रिया के अग्रिम मोर्चे पर केंद्र और राज्य स्तर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ परामर्श करने के बाद, विशेषज्ञ समूह ने देश को भविष्य में किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल या महामारी के लिए तैयार रहने और एक त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट किसी भी प्रकोप या महामारी के लिए 100-दिवसीय प्रतिक्रिया के लिए कार्यनीतियों और प्रतिक्रियाओं के साथ तैयार रहने की कार्ययोजना प्रदान करती है। यह तैयारियों और कार्यान्वयन चरण के लिए विस्तृत रोडमैप को रेखांकित करता है, जो यह दर्शाता है कि 100-दिवसीय समय सीमा में एक सुविकसित ढांचे के माध्यम से प्रकोप को कैसे ट्रैक किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है और प्रबंधित किया जा सकता है। यह रिपोर्ट सितंबर, 2024 में जारी की गई थी।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की उपस्थिति में "भावी महामारी से निपटने की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया -कार्रवाई हेतु रूपरेखा" शीर्षक से विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट का विमोचन।

भारत में वरिष्ठ जनों की देखभाल में सुधार: वरिष्ठ देखभाल प्रतिमान की पुर्नकल्पना

नीति आयोग ने 16 फरवरी 2024 को "भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार: वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के प्रतिमान की पुनर्कल्पना" शीर्षक से एक स्थिति पत्र जारी किया, जिसमें मौजूदा नीतियों, योजनाओं, सेवाओं के प्रावधानों, चुनौतियों और चिकित्सा देखभाल से परे आवश्यक प्रयासों को उजागर किया गया है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए जुलाई 2024 में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित वरिष्ठ देखभाल संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं और इसका उद्देश्य जनसांख्यिकीय बदलावों और संबंधित कमजोरियों, जैसे स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल, सुरक्षा, सुरक्षा, नारीकरण और शहरी-ग्रामीण आयामों पर विचार करते हुए वृद्ध आबादी की चुनौतियों का विश्लेषण करना है। यह समिति वरिष्ठ नागरिकों की समग्र देखभाल और कल्याण के लिए एक सामरिक रूपरेखा विकसित करेगी, जिसमें व्यक्तियों, परिवारों, सरकार, समुदाय, सामाजिक संगठनों और संस्थानों की भूमिकाएं रेखांकित की जाएंगी। अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 तक समिति की चार बैठकें हो चुकी हैं। अब तक बारह मंत्रालयों और नौ राज्यों के साथ चर्चा हो चुकी है।

भारत में मस्तिष्क स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर राष्ट्रीय कार्यबल

मस्तिष्क स्वास्थ्य की अवधारणा सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए निवारक, प्रोत्साहन और पुनर्वास क्षेत्रों को शामिल करते हुए फोकस के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रही है। जबकि राष्ट्रीय फोकस पारंपरिक रूप से मानसिक

स्वास्थ्य पर रहा है - भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण को संबोधित करते हुए - मस्तिष्क स्वास्थ्य विशेष रूप से मस्तिष्क के भौतिक स्वास्थ्य को लक्षित करता है। इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी, तंत्रिका संबंधी विकारों की रोकथाम और संज्ञानात्मक कार्यों के रखरखाव जैसे पहलू शामिल हैं। अच्छा मस्तिष्क स्वास्थ्य समग्र कल्याण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करता है और इसी प्रकार अच्छा मानसिक स्वास्थ्य अच्छे मस्तिष्क स्वास्थ्य का समर्थन करता है। भारत में, पिछले तीन दशकों में किए गए अध्ययनों में लगातार स्ट्रोक, मिर्गी, सिरदर्द, पार्किंसंस रोग और मनोभ्रंश सहित विशिष्ट तंत्रिका संबंधी स्थितियों के लिए उच्च रोग भार देखा गया है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में प्रगति के बावजूद, सामाजिक आर्थिक स्थिति, आयु, भूगोल और लिंग के आधार पर असमानताएँ बनी हुई हैं।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, नीति आयोग द्वारा "मस्तिष्क स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्य बल" का गठन करके निगरानी, रोकथाम, शीघ्र देखभाल और पुनर्वास में प्रभावी कार्यनीतियों के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण की शुरुआत की गई है। इस कार्य बल में न्यूरोलॉजिकल देखभाल और विज्ञान के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं, साथ ही संबंधित मंत्रालयों को मौजूदा कमियों की गहन समीक्षा करने और सूचित सिफारिशें करने के लिए शामिल किया गया है। कार्य-बल का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा स्तरों पर मस्तिष्क स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार के लिए मार्ग सुझाना है। कार्य-बल को न्यूरोलॉजिकल विकारों वाले रोगियों के प्रभावी और समय पर निदान, उपचार और देखभाल के लिए एक दृढ़, संरचित प्रणाली को मजबूत करने और बनाने के लिए विशिष्ट कार्यों की सिफारिश करने का भी कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, यह आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के भीतर न्यूरोलॉजिकल विकारों के प्रचार, प्रबंधन और रोकथाम के लिए कार्यनीतियों को तैयार करने का आशय रखता है।

कार्य-बल ने पहले ही सात बैठकें आयोजित की हैं, जिनमें विभिन्न न्यूरोलॉजिकल संस्थानों और एसोसिएशनों के सदस्यों और बाहरी विशेषज्ञों से आवश्यक स्तंभों और विषयगत क्षेत्रों पर पर्याप्त जानकारी एकत्र की गई है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एएमआर 2.0)

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एनएपी-एएमआर 1.0) (2017-21) के लिए पहली राष्ट्रीय कार्य योजना के पूरा होने के बाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/एनसीडीसी ने भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के भारी बोझ को प्रबंधित करने के लिए 2024-2028 की अवधि को कवर करते हुए एनएपी-एएमआर 2.0 का मसौदा तैयार करने का निर्णय किया। एनएपी 2.0 में उन व्यक्तिगत मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएँ और रोडमैप शामिल होने की उम्मीद है जो पहली राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा नहीं थे।

नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल के नेतृत्व में बीस मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को एक साथ लाने के लिए विचार-मंथन सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित करने और मंत्रालयों/विभागों द्वारा पहले से किए गए कार्यों और भारत सरकार की लागू नीतियों के आधार पर एएमआर के लिए एक कार्यनीति के व्यवस्थित रोल-आउट की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। सात दौर के परामर्श में, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग ने एनएपी-एएमआर 2.0 के संबंधित कार्यनीतिक उद्देश्य/उद्देश्यों के तहत विकसित, परिभाषित समयसीमा के साथ अपनी संबंधित कार्य योजना तैयार की और प्रस्तुत की। 16 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से प्राप्त विशिष्ट कार्य योजनाओं को एनसीडीसी द्वारा एनएपी-एएमआर 2.0 (2024-2028) कार्यनीति दस्तावेज के अंतिम मसौदे में एकत्रित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नियत समय में दूसरी राष्ट्रीय कार्य योजना जारी किए जाने की आशा है।

दुर्लभ रोगों के लिए औषधियां

दुर्लभ रोगों के लिए आयातित औषधियों की अत्यधिक कीमतों और स्वदेशी उपचारों की अनुपलब्धता को देखते हुए, नीति आयोग ने चिह्नित दुर्लभ रोगों के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित खुराक रूपों (छोटे अणुओं) को तेजी से ट्रैक करके भारत में दुर्लभ रोग के रोगियों के लिए औषधियों की उपलब्धता और सामर्थ्य में सुधार करने का प्रयास किया। इस प्रयास के तहत, चार औषधियों को पहले ही सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जा चुका है, जो आयातित औषधियों की लागत का 1/60 से 1/100 हिस्सा है। चार अन्य औषधियां के लिए आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्रक्रियाधीन हैं और उन्हें इस वर्ष के अंत तक सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाएगा। सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए, हाइड्रोक्सीयूरिया का एक सिरप निर्माण भी अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

सिकल सेल एनीमिया के लिए सीआरआईएसपीआर-मिडिएटेड जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकी

सीआरआईएसपीआर (क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स) मिडिएटेड जीनोमिक एडिटिंग एक नई तकनीक है जो सिकल सेल रोग के उपचार की संभावनाओं को खोलती है, जिसे अब तक केवल कुछ ही देश हासिल कर पाए हैं। वैज्ञानिक

और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने सिकल सेल रोग के उपचार और निदान के लिए सीआरआईएसपीआर-संबंधित चिकित्सा और पूरे रक्त पीसीआर निदान के लिए परियोजनाएँ शुरू की हैं। इन परियोजनाओं को तार्किक निष्कर्ष की ओर ले जाने और राष्ट्र को सौंपने के लिए, नीति आयोग ने सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में जनजातीय कार्य मंत्रालय, आईसीएमआर, सीडीएससीओ और एम्स, नई दिल्ली जैसे प्रमुख भागीदारों को शामिल करते हुए बहु-हितधारक परामर्श आयोजित किए। इन महत्वपूर्ण संवादों के साथ, अपेक्षित जीएमपी (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस) अनुसंधान प्रयोगशालाओं के निर्माण, प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करके नैदानिक परीक्षणों के अगले चरणों को शुरू करने, नियामक मार्ग खोलने, अध्ययनों के संचालन के लिए आवश्यक संस्थान नैतिक मंजूरी प्राप्त करने और अन्यों में से उद्योग भागीदारों से समर्थन प्राप्त करने आदि के लिए कार्रवाई चल रही है।

नवीनीकृत चिकित्सा उपकरणों के आयात से संबंधित मुद्दे

माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ. विनोद कुमार पॉल को प्रयुक्त चिकित्सा उपकरणों के आयात के मुद्दे की जांच करने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

तदनुसार, नीति आयोग के स्वास्थ्य प्रभाग की एक टीम ने इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (एआईएमईडी), मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमटीएआइ), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूएसआईबीसी), और इंट्यूटिव इंडिया, एसएस इनोवेशन, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड सहित उद्योग प्रतिनिधियों से प्राप्त इनपुट और अभ्यावेदन की जांच की गई।

9 मई 2024 को नीति आयोग में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में फार्मास्यूटिकल्स विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), सीडीएससीओ और अस्पतालों के चिकित्सा विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में की गई सिफारिशों और निर्णयों को संबंधित हितधारकों को भेजा गया।

एम्स, नई दिल्ली में सुधार

एम्स, नई दिल्ली का चिकित्सा अनुसंधान और अभ्यास के लिए एक प्रमुख संस्थान में कायाकल्प करने के उद्देश्य से एक रोडमैप तैयार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के कार्य में एम्स में मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गहन जांच करना और उनके कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समयसीमा के साथ महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव करना शामिल है। समिति के विचारार्थ विषयों में एम्स, नई दिल्ली के प्रबंधन में रोगी प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के तरीकों की पहचान करना, इष्टतम नैदानिक, शैक्षणिक और अनुसंधान परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआइ) विकसित करना, शासन और पारदर्शिता को बढ़ाना और वित्तीय विवेक, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करना शामिल है।

आपातकालीन और अभिघात परिचर्या प्रणाली का कायाकल्प

भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 4.6 लाख लोग सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक वर्ष 1.6 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। पीड़ित ज्यादातर युवा, उत्पादक आयु वर्ग के होते हैं, जो अक्सर आय-अर्जन करने वाले होते हैं। नीति आयोग ने देश में आपातकालीन परिचर्या सेवाओं पर एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन की सुविधा प्रदान की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ काम करते हुए, नीति आयोग ने आपातकालीन और आघात परिचर्या के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित किया है।

इसके बाद, सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अनिवार्यता के अनुरूप, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार कर रहा है। इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ मिलकर चंडीगढ़ और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रोंतथा असम, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए पायलट कार्यक्रम लागू किए हैं।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) का तात्पर्य वित्तीय तनाव उत्पन्न किए बिना आबादी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के लिए चयनात्मक दृष्टिकोण से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में परिवर्तन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो अपनी मौजूदा अवसंरचना के माध्यम से माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के साथ सहज रूप से एकीकृत है। वर्ष 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत (एबी) योजना ने परिवारों के लिए वित्तीय बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस प्रयास को और मजबूत करने के लिए, नीति आयोग ने सीएसईपी के साथ साझेदारी में, उन विभिन्न देशों के अनुभवों की जांच करने का प्रयास किया है जिन्होंने भारत के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और नीति सुझाव एकत्र करने के लिए यूएचसी प्राप्त करने के लिए कार्यनीति अपनाई है। मसौदा पत्र में आपूर्ति-पक्ष और मांग-पक्ष वित्तपोषण दोनों को संबोधित करने वाले बहुआयामी दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी, पहुंच, गुणवत्ता और सामर्थ्य में सुधार करना है। यह एक सतत कार्य है और इसमें भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं और संदर्भ के अनुरूप संभावित मार्गों की पहचान करने के लिए व्यापक सरकारी और हितधारक परामर्श की परिकल्पना की गई है।

उद्योग

प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने की पहल

विनिर्माण ऐतिहासिक रूप सेविश्व भर की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास का इंजन रहा है, जो उनकी प्रति व्यक्ति आय, निर्यात आय और कौशल स्तरों में रोजगार को बढ़ाता है। वैश्विक विनिर्माण परिदृश्य पर भारत की उपस्थिति मामूली रही है, जहाँ अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया प्रमुख स्थान रखते हैं। वर्तमान में, वैश्विक विनिर्माण उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 3.3% है, जबकि विनिर्माण इसके समग्र सकल घरेलू उत्पाद में केवल 17% का योगदान देता है। वैश्विक विनिर्माण, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का दो-तिहाई से अधिक है, में भारत की सीमित हिस्सेदारी के पीछे एक प्रमुख कारक वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में इसकी अपेक्षाकृत कम भागीदारी है।

भारत में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए विनिर्माण को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचानते हुए, नीति आयोग के उद्योग और विदेशी निवेश प्रभाग ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की उपस्थिति को बाधित करने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करने और इसकी जीवीसी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कार्यनीति विकसित करने के लिए एक पहल की अवधारणा की। यह पहल प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां भारत के विकास की संभावना है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और रसायन शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को बढ़ाना

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर परियोजना शुरू करने के एक वर्ष के भीतर, उद्योग प्रभाग ने 18 जुलाई 2024 को 'इलेक्ट्रॉनिक्स: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भारत की भागीदारी को बढ़ाना' रिपोर्ट लॉन्च की। इस रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का व्यापक विश्लेषण किया गया है, इसकी क्षमता पर जोर दिया गया है, चुनौतियों की पहचान की गई है और राजकोषीय एवं गैर-राजकोषीय हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला की सिफारिश की गई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स अपने बाजार आकार, निर्यात क्षमता और रोजगार क्षमता के मामले में एक उच्च विकास वाला क्षेत्र है। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, वैश्विक स्तर पर 4.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर और भारत में 155 बिलियन अमरीकी डॉलर (2022) होने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भी भारत के लिए अपार अवसर हैं। वित्त-वर्ष 2023 में, भारत का घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 101 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार कर गया, जो वार्षिक रूप से लगभग 15% की प्रभावशाली दर से बढ़ रहा है। वर्तमान में, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की अंतिम असेंबली शामिल है। हालाँकि ब्रांड और डिज़ाइन फ़र्म ने असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (ईएमएस) कंपनियों को आउटसोर्स करना शुरू

कर दिया है, लेकिन डिज़ाइन और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम अभी भी शुरुआती चरण में है। इसके अतिरिक्त, लागत अक्षमता, कर और टैरिफ मुद्दे, श्रम और कौशल मुद्दे आदि से जुड़ी कई चुनौतियाँ हैं।

उद्योग प्रभाग की पहल में व्यापक विश्लेषण और द्वितीयक शोध के साथ-साथ कई माह तक हितधारकों से परामर्श और साइट का दौरा शामिल था - जिसके परिणामस्वरूप रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में 2030 तक भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक वृद्धि करना, जिसमें 200-225 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात शामिल है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है, जो लगभग 5.5 से 6 मिलियन है। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, तैयार माल और घटकों दोनों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिसमें पूर्व में ~ 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर और बाद में ~ 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन योगदान होने की संभावना है।

इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए, इस रिपोर्ट में विशिष्ट कार्यनीतियों और हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला की सिफारिश की गई है। इसमें इन पहलुओं को भी अभिचिह्नित किया गया है कि कहाँ हस्तक्षेप करना है, जैसे कि किन खंडों, घटकों या उप-प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना है, मूल्य श्रृंखला के किन हिस्सों (डिज़ाइन, उप-घटक निर्माण, असेंबली, अनुसंधान और विकास, आदि) पर ध्यान केंद्रित करना है, आदि।

इस रिपोर्ट में सुझाए गए हस्तक्षेपों का उद्देश्य कई क्षेत्रों में चुनौतियों का समाधान करना है। इनमें राजकोषीय, वित्तीय, व्यापार संवर्धन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विनियामक सुधार, व्यापारिक सुगमता, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और श्रम मुद्दे, तथा अनुसंधान एवं विकास और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं।

18 जुलाई 2024 को नीति आयोग में 'इलेक्ट्रॉनिक्स: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भारत की भागीदारी बढ़ाना' नामक रिपोर्ट का विमोचन

ऑटोमोटिव क्षेत्र: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को बढ़ाना

वर्तमान में वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार माना जाने वाला भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% का योगदान देता है। हालाँकि, अपनी प्रगति के बावजूद, वैश्विक ऑटो-कंपोनेंट निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 3% बनी हुई है।

भारत का मोटर वाहन क्षेत्र एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो उपभोक्ता की बदलती वरीयताओं, तकनीकी प्रगति और स्थिरता लक्ष्यों द्वारा आकार ले रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उदय के साथ-साथ स्वायत्त ड्राइविंग और कनेक्टेड वाहनों में नवाचारों ने भारतीय निर्माताओं को अपनी कार्यनीतियों पर पुनर्विचार करने और अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में भारी निवेश करने के लिए प्रेरित किया है।

भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र व्यापक अर्थव्यवस्था के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जो मजबूत बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बनाता है जो कई उद्योगों में कच्चे माल, घटकों और सेवाओं की मांग को बढ़ाता है। ये लिंकेज स्टील, रबर, ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों तक फैले हुए हैं, जो ऑटोमोटिव उद्योग को भारत की औद्योगिक मूल्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

विश्लेषण से पता चलता है कि ऑटो कंपोनेंट उद्योग में, कई प्रमुख उत्पाद श्रेणियां हैं जो उद्योग का अभिन्न अंग हैं। इनमें इंजन और इंजन कंपोनेंट, ड्राइव ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग कंपोनेंट, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम, बॉडी चेसिस आदि शामिल हैं। जैसे-जैसे तकनीकें तेजी से उन्नत और जटिल होती जा रही हैं, उपभोक्ता आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाले वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्राथमिकता दे रहे हैं, बैटरी कंपोनेंट के साथ-साथ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट धीरे-धीरे बेहद महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। समानांतर रूप से, वाहनों में सेल्फ-ड्राइविंग तकनीकों और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टिंग सिस्टम (एडीएएस) पर भी जोर दिया जा रहा है।

इस क्षेत्र के महत्व को समझते हुए नीति आयोग ने वैश्विक ऑटोमोटिव पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की उपस्थिति बढ़ाने की कवायद शुरू की। इस कवायद से भारत के ऑटोमोटिव उद्योग के लिए दृष्टिकोण की पहचान होगी और विशिष्ट हस्तक्षेपों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जाएगा।

रसायन क्षेत्र: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को बढ़ाना

भारत में रसायन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और 2023 में घरेलू बाजार में इसका योगदान लगभग 190-220 बिलियन डॉलर का होगा। भारत ने अब स्वयं को रसायन उत्पादन में एक महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में स्थापित कर लिया है, जो इसकी अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और गतिशीलता को रेखांकित करता है और रसायन उद्योग की विशाल क्षमता को उजागर करता है।

यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7% का योगदान देता है, जो इसे अर्थव्यवस्था की आधारशिला का निर्माण करता है और वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। 2023 में विश्व भर में राजस्व में 5वें स्थान पर रहने वाला यह अत्यधिक विविधतापूर्ण क्षेत्र 80,000 से अधिक उत्पादों का उत्पादन करता है, और कृषि से लेकर कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स तक कई अंतिम उपयोग उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। भारत में 2 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला यह उद्योग- ज्ञान और पूंजी-गहन दोनों है, और भारत के औद्योगिक और कृषि विकास के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है।

इस क्षेत्र के महत्व को समझते हुए नीति आयोग ने विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर 'रसायन के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी के लिए त्वरित विकास को बढ़ावा देना' नामक पहल शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य रसायन क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और वैश्विक रासायनिक मूल्य श्रृंखलाओं में इसके एकीकरण को सुगम बनाने के लिए प्रमुख कार्यनीतियों और हस्तक्षेपों की पहचान करना था।

इस पहल में गहन शोध, पीसीपीआईआर दौरे, हितधारकों के साथ परामर्श और उद्योग के रुझानों और बाजार की गतिशीलता का विस्तृत विश्लेषण शामिल था। उद्योग निकायों, मंत्रालयों, विचार-मंचों (थिंक टैंक), शिक्षाविदों और प्रमुख उद्योग प्लेयर के साथ जुड़ाव के माध्यम से, रासायनिक क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है।

अध्ययन में मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए रसायन विनिर्माण में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इसकी अंतर्दृष्टि संस्थागत सुधारों, अवसंरचना विकास, राजकोषीय प्रोत्साहन और नियामक सुधारों सहित खंड-विशिष्ट नीतियों को आकार देने में मदद करेगी, जिससे भारत नवाचार, स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए रसायन विनिर्माण में वैश्विक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकेगा।

फैक्ट्री कामगारों के लिए साइट के आसन्न (सेफ) आवास

फैक्ट्री कामगारों के लिए आवास किसी देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और विनिर्माण उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्मचारियों के लिए आवास की उचित व्यवस्था करने से लंबी यात्राओं से जुड़ी अक्षमताओं को कम करने में मदद मिलती है और समग्र कर्मचारी दक्षता में सुधार होता है। वैश्विक स्तर पर, कुछ देशों ने अपने औद्योगिक परिसरों में कर्मचारियों के आवास को प्रभावी ढंग से एकीकृत किया है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि औद्योगिक कामगारों के लिए छात्रावास-प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) समर्थन और प्रमुख उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ सुगम बनाया जाएगा।

कामगारों के लिए आवास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उद्योग एवं विदेशी निवेश प्रभाग ने 7 अगस्त 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'सेफ आवास' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ताओं, राज्यों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने भाग लिया।

इसके बाद, प्रभाग ने इस विषय पर एक अध्ययन पूरा किया। 19 दिसंबर 2024 को जारी की गई रिपोर्ट, 'सेफ आवास: विनिर्माण विकास के लिए कामगार आवास', फैक्ट्री कामगारों के साइट से आसन्न आवास पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्केलेबल समाधानों की सिफारिश करती है।

इस रिपोर्ट में माना गया है कि तीव्र से औद्योगिकीकरण के लिए कामगारों हेतु आवास की व्यवस्था आवश्यक अवसंरचना है। इसमें दो मुख्य बाधाओं - विनियामक बाधाएं और आर्थिक बाधाएं - की पहचान की गई है जो बाजार को इस अंतर को पाटने से रोक रही हैं।

इस रिपोर्ट में विशेष सिफारिशें की गई हैं, जिसमें आवासीय आवास के अंतर्गत सेफ आवास को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करना शामिल है, जिसे अन्य बातों के अलावा कुछ कर प्रोत्साहन, पर्यावरण मंजूरी आदि मिल सकती है। केंद्र से कुल परियोजना लागत (भूमि को छोड़कर) के 30% तक वीजीएफ वित्तपोषण के रूप में वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है, जिसे 'अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी' योजना की तर्ज पर आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा 20% का अंशदान और भारत सरकार के प्रायोजक नोडल मंत्रालय 10% का अंशदान करते हुए संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। वीजीएफ का उपयोग मौजूदा ब्राउनफील्ड वर्कर आवास सुविधाओं को फिर से तैयार करने / स्तरोन्नत करने के लिए भी किया जा सकता है।

सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए रिपोर्ट को भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) और आर्थिक कार्य विभाग जैसे संबंधित हितधारकों के साथ साझा किया गया है।

नीति आयोग में 19 दिसंबर 2024 को 'सेफ आवास: विनिर्माण वृद्धि के लिए कामगार आवास' रिपोर्ट का लोकार्पण

चल रहे अनुसंधान अध्ययन: वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत संबंधी अध्ययन

भारत के पास स्वयं को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने की अपार क्षमता है। अपने अनुकूल जनसांख्यिकी, कुशल कार्यबल और बढ़ती आर्थिक वृद्धि के साथ, भारत महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित कर सकता है और विनिर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन सकता है। इस संदर्भ में, नीति आयोग के उद्योग और विदेशी निवेश प्रभाग ने संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है जो भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदल सकते हैं - इनमें: (i) इलेक्ट्रॉनिक्स, (ii) ऑटोमोबाइल, (iii) रक्षा और ड्रोन

(iv) कपड़ा, (v) सौर पीवी विनिर्माण, (vi) पूंजीगत वस्तुएं, (vii) इस्पात, (viii) खाद्य प्रसंस्करण, (ix) चर्म और जूते, (x) रसायन, (xi) फार्मास्यूटिकल्स, (xii) दूरसंचार उपकरण, और (xiii) विमान विनिर्माण – शामिल हैं। अध्ययन में बाधाओं को समझने और प्रत्येक चिह्नित क्षेत्र में आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप की पहचान करने के लिए हितधारक परामर्श शामिल है।

'भारत में श्रम-प्रधान क्षेत्रों की तीव्र वृद्धि' (कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण) पर अध्ययन

'भारत में श्रम-प्रधान उद्योगों की वृद्धि' पर उद्योग एवं विदेशी निवेश प्रभाग का शोध अध्ययन श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर केंद्रित था, जो उच्च श्रम इनपुट को पूंजी के साथ जोड़ते हैं। परियोजना में विशेष रूप से चार प्रमुख श्रम-प्रधान क्षेत्रों - खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और परिधान, चमड़ा और जूते, तथा रत्न और आभूषण में रोजगार के रुझानों का पता लगाया गया। निष्कर्षों से पता चला कि, विशेष रूप से छोटे उद्यमों, जिसमें असंगठित कामगारों की उच्च हिस्सेदारी है, में रोजगार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। बाधाओं को समझने और प्रत्येक चिह्नित क्षेत्र में आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों की पहचान करने के लिए सभी क्षेत्रों में केंद्रित हितधारक परामर्श किए गए।

ब्लू इकॉनोमी तथा महासागरीय शासन पर भारत-फ्रांस रोडमैप के तहत वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता

अक्टूबर 2023 में पेरिस में आयोजित भारत और फ्रांस के बीच पहली वार्षिक वार्ता में भारत सरकार के पांच प्रमुख मंत्रालयों और विभागों को शामिल करते हुए सहयोग के कई क्षेत्रों की पहचान की गई। प्रगति का मूल्यांकन करने और कार्रवाई बिंदुओं को पुख्ता करने के लिए नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में फरवरी 2024 में नई दिल्ली में एक अनुवर्ती समीक्षा बैठक की गई। दूसरी वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता नई दिल्ली में नियत समय पर निर्धारित की जाएगी।

प्रथम वार्ता से प्राप्त विभिन्न कार्रवाई-मदों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे वर्ष प्रगति हुई। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने सितंबर 2024 में यूएनजीए सभा में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (बीबीजेएन) संधि पर भारत के औपचारिक हस्ताक्षर का नेतृत्व किया, जो महासागरीय शासन और सतत अन्वेषण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मंत्रालय ने जून 2024 में कोस्टा रिका में हाई-लेवल इवेंट ऑन ओसियन एक्शन (एचएचईओए) में भाग लेने जैसी पहलों के साथ, 2025 में नीस में निर्धारित यूनाइटेड नेशन्स ओसियन्स कांफ्रेंस (यूएनओसी3) की तैयारियों को भी आगे बढ़ाया।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन और लचीलेपन को प्राथमिकता दी है, और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, समुद्री स्थानिक योजना और तटीय पारिस्थितिकी पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर काम करने की प्रक्रिया में है।

भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग (डीओएफ) ने जलीय कृषि और मत्स्य प्रबंधन में प्रगति की है। विभाग ने मत्स्य पालन पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए मार्च 2024 में एएफडी (फ्रांसीसी विकास एजेंसी) के साथ ऋण समझौते को अंतिम रूप दिया। इकोपोर्ट्स सेमिनार की तैयारी भी चल रही है, जो सतत् मत्स्य पालन पर वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग (डीओएचई), भारत सरकार, ने शैक्षणिक और अनुसंधान साझेदारी को आगे बढ़ाया है। समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दोहरी डिग्री मास्टर कार्यक्रम को आईआईटी गोवा और ईएनआईबी (इकोले नेशनले डी इंजीनियर्स डी ब्रेस्ट) के बीच औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें पहला प्रवेश अगस्त 2025 के लिए निर्धारित है। आईआईटी मद्रास में ब्लू इकोनॉमी के लिए एक केंद्र और एनआईटी कालीकट में ब्लू इकोनॉमी तटीय लचीलेपन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के प्रयास प्रगति पर हैं, ये संस्थान इस क्षेत्र में नवाचार और क्षमता निर्माण का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।

भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्लू) ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर (एनएमएचसी) की स्थापना के लिए तौर-तरीकों पर काम करने के प्रयासों के माध्यम से सांस्कृतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया।

खनिज पदार्थ

नीति आयोग खनन और खनिज क्षेत्र के नीतिगत समर्थन की दिशा में निरंतर काम करता है। इस संबंध में, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल), खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमएमटी), जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केंद्र (जेएनएआरडीडीसी), राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी (नाल्को), हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और वेदांता के बीच

'धातु मूल्यों के निष्कर्षण और अवशेष उपयोग के लिए लाल मृदा के समग्र उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी विकास' के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना 1 अक्टूबर 2021 से 3 वर्ष की समय सीमा के साथ शुरू हुई। परियोजना का दायरा बॉक्साइट अवशेषों के चयनित ग्रेडों से पुनर्प्राप्ति मूल्यों के लिए पूर्ण द्रव्यमान और ऊर्जा संतुलन के साथ मास्टर फ्लो शीट और इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, जिसमें एल्यूमिना, लोहा, टाइटेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) शामिल हैं, की रूपरेखा तैयार करना है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

एमएसएमई भारत में एक जीवंत क्षेत्र है जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% और निर्यात में लगभग 45% का योगदान देता है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन क्षेत्र भी है।

एमएसएमई विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, एमएसएमई 90% व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 60 से 70% रोजगार उत्पन्न करते हैं और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 50% योगदान देते हैं। ये उद्यम आर्थिक इकाई होने के अलावा समाज की रीढ़ हैं, और विशेषकर कामकाजी गरीबों, महिलाओं, युवाओं और कमजोर समुदायों के बीच आजीविका और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। यह देश के निर्यात और उद्यमिता में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

एमएसएमई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उद्योग और विदेशी निवेश प्रभाग में तीन परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। पहली पहल एमएसएमई के लिए योजनाओं के अभिसरण पर है। इसका उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों की पहचान करना है, जिनका उपयोग इस क्षेत्र में लाभों को अनुकूलित करने के लिए योजनाओं के अभिसरण के संभावित तरीकों की खोज के लिए किया जा सकता है। मध्यम उद्यम क्षेत्र पर एक और पहल की गई है जिसका उद्देश्य मध्यम उद्यमों के लिए प्रोत्साहन और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। ऐसा एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक नीति सब पर लागू अपनाने से बचने के लिए किया गया है, क्योंकि अधिकांश नीतियां सूक्ष्म और लघु उद्यमों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार की गई हैं। तीसरा काम एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर है। इसमें एमएसएमई से निर्यात बढ़ाने के लिए क्लस्टर सहभागिता को बढ़ाने के उपायों का प्रस्ताव है। तीनों परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार (सीमांत प्रौद्योगिकी हब सहित):

आईटी और दूरसंचार प्रभाग सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और डाक सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करता है। यह डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाने, प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहित करने और आईसीटी, डाक और दूरसंचार सेवाओं में सुधार जैसे सामरिक मुद्दों पर नीतिगत और तकनीकी इनपुट प्रदान करके मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त, प्रभाग का उद्देश्य मंत्रालयों द्वारा विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हों और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हों, जिससे सरकारी कार्यक्रमों की समग्र सफलता का समर्थन हो।

मूल प्रकार्य

- तीन सरकारी विभागों अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और डाक विभाग से नीतिगत संदर्भों, मंत्रिमंडल और सीसीईए नोटों की जांच करना।
- योजनाओं, एसएफसी /ईएफसी/ पीआईबी /पीएससी/ टीटीडीएफ टिप्पणियों की जांच करना तथा इन विभागों की समिति की बैठकों और इन मंत्रालयों एवं विभागों की अन्य विविध गतिविधियों में भाग लेना।
- डीएमईओ के समन्वय से इन मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के निष्पादन की जांच करना।
- इंडियाएआई मिशन और स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति हेतु मसौदा कार्यनीति पर अंतर-मंत्रालयी समितियों में प्रतिनिधित्व।

कृत्रिम मेधा पर सलाहकार समूह

भारत सरकार ने भारत विशिष्ट विनियामक एआई ढांचे के लिए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) पर एक सलाहकार समूह का गठन किया है, जिसका उद्देश्य एआई विनियमन पर सलाह प्रदान करना और सतत विकास को सक्षम करने के लिए एआई-आधारित प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक विनियामक अंतर्दृष्टि का समर्थन करना है। नीति आयोग ने एक सदस्य के रूप में सलाहकार समूह की विभिन्न बैठकों में भाग लिया।

गैलियम नाइट्राइड (जीएएन) इकोसिस्टम इनेबलिंग सेंटर और इनक्यूबेटर पर सलाहकार समूह

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाइ) ने सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीईएनएसई), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी), बेंगलुरु में "हाई पावर और हाई-फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गैलियम नाइट्राइड (जीएएन) इकोसिस्टम इनेबलिंग सेंटर और इनक्यूबेटर की स्थापना" नामक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य गैलियम नाइट्राइड अनुसंधान और नवाचार के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर हाई पावर और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकियों में प्रगति को बढ़ावा देना है। नीति आयोग ने एक सदस्य के रूप में सलाहकार समूह की विभिन्न बैठकों में भाग लिया।

विकसित भारत के लिए फ्रंटियर टेक

भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) बनने की अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। इस साहसिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल दो दशकों के निरंतर और त्वरित विकास की आवश्यकता नहीं है - इसके लिए एक घाटीय परिवर्तन की आवश्यकता है जो समाज और अर्थव्यवस्था के हर पहलू को फिर से परिभाषित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक भारतीय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और सार्थक आजीविका के अवसर उपलब्ध हों, हमें मौलिक रूप से पुनर्विचार करना चाहिए और इस बात की पुनर्कल्पना करनी चाहिए कि ये प्रणालियाँ तेज़ी से परिवर्तनशील विश्व में कैसे काम करती हैं। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी एक प्रभावशाली टूल है जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति को बड़े पैमाने पर, अधिकतम प्रभाव के साथ और एक जिम्मेदार तरीके से बढ़ा सकता है।

समयोचित कदम उठाना, फ्रंटियर टेक नेतृत्वकर्ता बनने की कुंजी है - उभरती प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में आने से पहले ही सक्रिय रूप से अपनाकर, अनुसंधान और विकास में निवेश करके, नवाचार को बढ़ावा देकर और सामरिक साझेदारी बनाकर, भारत स्वयं को प्रौद्योगिकी प्रगति के मामले में सबसे आगे रख सकता है। इसे शीघ्र अपनाने वाले न केवल प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करते हैं, बल्कि उद्योग मानकों को भी आकार देते हैं और बाजार के रुझानों को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, समयोचित कदम उठाने से हमें नई प्रौद्योगिकियों से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने का अवसर मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हम आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हैं। तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य में, आज भारत द्वारा किए जाने वाले विकल्प एक फ्रंटियर टेक नेतृत्वकर्ता के रूप में इसके भविष्य को आकार देंगे।

नीति फ्रंटियर टेक हब: अग्रणी भूमिका

नीति फ्रंटियर टेक हब की स्थापना अगस्त 2024 में की गई थी और इसे भारत को फ्रंटियर टेक राष्ट्र में बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखा गया है। एक अग्रणी फ्रंटियर टेक विचार-मंच (थिंक टैंक) के रूप में स्थापित इस हब का लक्ष्य भारत को एक विकसित राष्ट्र और नवाचार में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में परिवर्तित करने में मदद करना है।

नीति फ्रंटियर टेक हब का एजेंडा:

- विकसित भारत की दिशा में त्वरित आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए फ्रंटियर टेक नवाचार और उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत की तत्परता को सक्षम करना।
- मानवता और पर्यावरण को लाभ पहुंचाने वाली उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देकर भारत के नेतृत्व को स्थापित करना - भारत विकास मॉडल।

नीति फ्रंटियर टेक हब भागीदारों की बैठक: नीति फ्रंटियर टेक हब की शुरुआत सभी प्रमुख भागीदारों के साथ एक बेहद उत्पादक बैठक के साथ हुई, जिसमें आने वाले वर्ष में चार्टर और प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में टेक उद्योग के 41 से अधिक नेतृत्वकर्ताओं ने भाग लिया और समग्र एजेंडे को आकार देने के लिए उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई।

नीति फ्रंटियर टेक गुरुकुल: नीति फ्रंटियर टेक गुरुकुल, नीति फ्रंटियर टेक हब के तहत एक विशेष पहल है, जिसे वैश्विक तकनीकी नेतृत्वकर्ताओं और नवोन्मेषकों को भारत सरकार के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं के साथ सीधे संवाद में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पहल उन फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाने का प्रयास करती है जो शासन, उद्योग और समाज के भविष्य को आकार दे रही हैं ताकि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की गहन समझ को बढ़ावा दिया जा सके।

मेटा में मुख्य एआई वैज्ञानिक, ट्यूरिंग पुरस्कार विजेता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी, यान ले कुन के साथ विकसित भारत के लिए एआई पर पहला नीति फ्रंटियर टेक गुरुकुल सत्र 25 अक्टूबर, 2024 को आयोजित किया गया और इसमें यान ले कुन और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एआई के भविष्य और भविष्य को आकार देने में भारत की भूमिका पर एक व्यावहारिक चर्चा हुई।

कार्यक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य, सीईओ, प्रतिष्ठित फेलो और कार्यक्रम निदेशक, भारत सरकार के सचिव, विभिन्न संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों ने भाग लिया।

मेटा में मुख्य एआई वैज्ञानिक यान ले कुन के साथ विकसित भारत के लिए एआई पर पहला नीति फ्रंटियर टेक गुरुकुल सत्र।

मेटा में मुख्य एआई वैज्ञानिक यान लेचुन के साथ नीति फ्रंटियर टेक गुरुकुल के उद्घाटन सत्र में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पुस्तिका का अनावरण

मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत करते हुए, नीति एफटीएच ने फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों - एआई, बायोइंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और क्वांटम कंप्यूटिंग - की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाया, जिससे भारत को एक विकसित राष्ट्र में

बदलने में तेज़ी आएगी। वक्ताओं में डॉ. मनीष गुप्ता, गूगल डीपमाइंड - इंडिया के प्रमुख, श्री मुकेश बंसल, सीरियल उद्यमी और अग्रणी डीप टेक इंवेस्टर, सुश्री वृंदा कपूर, सेमीकंडक्टर उत्पाद कंपनी की पहली महिला उद्यमी, और सुश्री देबजानी घोष, नीति के प्रतिष्ठित फेलो और नीति फ्रंटियर टेक हब की मुख्य वास्तुकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ये प्रौद्योगिकियां भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को नया आकार दे सकती हैं, जिससे देश विकसित भारत की ओर अग्रसर हो सकता है।

इस सत्र का उद्देश्य भारत के विकास लक्ष्यों के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में गहन समझ विकसित करना था तथा यह प्रदर्शित करना था कि किस प्रकार नीति फ्रंटियर टेक हब, राज्यों के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी-आधारित विकास के लिए सक्रिय दृष्टिकोण विकसित करने के लिए काम करेगा, जिससे भारत वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी देश के रूप में स्थापित हो सके।

फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता के विषय पर मुख्य सचिवों की चौथी राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन।

मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में स्टार्टअप शो: एक शानदार सफलता

मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित स्टार्टअप शो एक बड़ी सफलता थी, जिसमें मुख्य सचिवों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों के निर्णयकर्ताओं की जबरदस्त रुचि देखी गई। उभरते स्टार्टअप्स की अपनी गतिशील लाइनअप के साथ, जो अभूतपूर्व नवाचारों को प्रदर्शित करते हैं, इस कार्यक्रम ने उद्यमियों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक अद्वितीय मंच प्रदान किया। स्टार्टअप शो में प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और स्थिरता सहित विभिन्न उद्योगों के स्टार्टअप का विविध मिश्रण देखा गया।

इस कार्यक्रम ने मूल्यवान नेटवर्किंग अवसर प्रदान किए, जिसमें स्टार्टअप आमने-सामने संवाद में शामिल हुए और ऐसे कनेक्शन हासिल किए जो उनके व्यवसायों के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार हैं। कई उद्यमी वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं से साझेदारी, निवेश और सहयोग के लिए प्रतिबद्धता प्राप्त की, जो अपने मौजूदा संचालन में अत्याधुनिक तकनीकों और समाधानों को एकीकृत करने के लिए उत्सुक थे।

नीति फ्रंटियर टेक हब द्वारा मुख्य सचिवों की चौथी राष्ट्रीय बैठक में स्टार्ट-अप शो

फ्रंटियर टेक हब द्वारा त्रैमासिक अंतर्दृष्टि का शुभारंभ- "फ्यूचर फ्रंट: त्रैमासिक फ्रंटियर टेक अंतर्दृष्टि"

नीति फ्रंटियर टेक हब ने अपनी त्रैमासिक अंतर्दृष्टि रिपोर्ट लॉन्च की, जो एक उच्च-स्तरीय अंतर्दृष्टि श्रृंखला है जिसे वैश्विक स्तर पर फ्रंटियर टेक पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने वाले नवीनतम रुझानों और विकासों का एक स्नैपशॉट प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संक्षिप्त अवलोकन और अंतर्दृष्टि प्रदान करके, श्रृंखला का उद्देश्य फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों की एक आधारभूत समझ का निर्माण करना है, उनके संभावित अवसरों और जोखिमों पर प्रकाश डालना है।

इस पहल का उद्देश्य इन अभूतपूर्व प्रौद्योगिकियों के रहस्य को उजागर करना है, तथा वैश्विक स्तर पर और भारत में प्रमुख रुझानों, नवाचारों और अपनाने की उच्च-स्तरीय समझ प्रदान करना है। इस उद्घाटन संस्करण में एआई और बायोइंजीनियरिंग के तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये प्रौद्योगिकियां प्रयोगात्मक अवधारणाओं से मुख्यधारा के विघटनकारी में तेजी से परिवर्तित हो रही हैं। वे केवल दक्षता के लिए उपकरण नहीं हैं, बल्कि अर्थव्यवस्थाओं को फिर से परिभाषित करने, सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने और सभी के लिए समावेशी अवसर सृजित करने की क्षमता के साथ एक नए विकास प्रतिमान के परिवर्तनकारी सक्षमकर्ता बनने की क्षमता रखते हैं।

उभरती प्रौद्योगिकियों के परिवर्तनकारी सामर्थ्य को समझने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए त्रैमासिक अंतर्दृष्टि रिपोर्ट एक मुख्य विषय बनने जा रही है। प्रत्येक संस्करण के साथ, फ्रंटियर टेक हब का लक्ष्य इस क्षेत्र में एक विचार नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना और नवाचार के भविष्य को आकार देना जारी रखना है।

अवसंरचना-कनेक्टिविटी

अवसंरचना कनेक्टिविटी (I एवं II) प्रभाग केंद्रीय मंत्रालयों जैसे सड़क परिवहन और राजमार्ग रेलवे नागरिक विमानन पोत परिवहन और जलमार्ग वाणिज्य और उद्योग (डीपीआईआईटी) अवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और वित्त और राज्य सरकारों के साथ मिलकर परिवहन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में नीतियों को डिजाइन, कार्यान्वित और मूल्यांकन करने के उद्देश्य से काम करते हैं ताकि दक्षता लाने, प्रभावशीलता बढ़ाने और अंतर-मॉडल और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके। प्रभाग नीति इनपुट प्रदान करते हैं, सम्बद्ध मंत्रालयों को चर्चाओं और नीति पत्रों के रूप में हस्तक्षेप का सुझाव देते हैं। वे विधायी बिलों के लिए महत्वपूर्ण इनपुट भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा प्रभाग परियोजनाओं/मंत्रिमंडल टिप्पणियों का मूल्यांकन करते हैं, परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए तकनीकी आर्थिक टिप्पणियां प्रदान करता है और अनुसंधान अध्ययन भी करते हैं। प्रभाग भारत में गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए कई घरेलू और अंतराष्ट्रीय संस्थानों के साथ काम करता है।

सड़कें

वर्ष 2024-25 के दौरान सड़क क्षेत्र के लिए 44,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 77 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। ये सड़क परिवहन और राजमार्ग, उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय आदि सहित विभिन्न मंत्रालयों में फैले हुए थे। मूल्यांकन, सिफारिशों और कार्यनीतियों से मिली कई सीखों को मंत्रालयों और इसकी एजेंसियों के साथ साझा किया गया था, जिसमें प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

रेलवे

प्रभाग डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) परियोजना की निगरानी और प्रगति और इसे कार्यनीतिक दिशा देने के लिए जिम्मेदार है। नीति आयोग का प्रतिनिधित्व डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोर्ड में किया जाता है। प्रभाग ने राज्यों के साथ लंबित मुद्दों को हल करने के लिए डीएफसीसीआईएल के साथ नियमित रूप से बातचीत की, निजी निवेश बढ़ाने, विशेष रूप से माल ढुलाई टर्मिनलों के निर्माण और फीडर मार्गों की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देन के सुझाव दिए गए। डिवीन ने रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) के भविष्य के विस्तार के लिए एनसीआरटीसी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम) के अधिकारियों के साथ विचार-मंथन सत्र आयोजित किया। मूल्यांकन पद्धति को मजबूत करने के लिए रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई।

रेलवे के विस्तारित बोर्ड के हिस्से के रूप में प्रभाग रेलवे क्षेत्र के नीतिगत इनपुट और विकास के लिए जिम्मेदार है। इसने रेल मंत्रालय के 10.47 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों की जांच, मूल्यांकन और इनपुट कैबिनेट को दिए, जिनमें (क) ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर के लिए कनेक्टिविटी; (ख) उच्च घनत्व वाले मार्गों की क्षमता बढ़ाना; (ग) पूर्वी और पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट; (घ) अमृत भारत स्टेशन स्कीम के लिए नीति ढांचा; और (ङ) बंदरगाहों (रेल सागर) तक रेल कनेक्टिविटी बढ़ाना। इसने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर स्वच्छ कार्गो टर्मिनलों के विकास के लिए रेल मंत्रालय को विश्व बैंक की तकनीकी सहायता की भी जांच की। प्रभाव ने उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करने, परिसंपत्ति मुद्रीकरण करने, मेगा अंतरउद्देश्य कंटेनर डिपो/कंटेनर फ्रेट स्टेशन विकसित करने, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग और फ्रेट चार्ज तर्कसंगत बनाने के लिए रेलवे मॉडल शेयर बढ़ाने के लिए नीतिगत इनपुट प्रदान किए।

पत्तन और पोत परिवहन

प्रभाग ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए जेटी और बर्थ की क्षमता बढ़ाने और लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों पर समुद्र तट सुविधाओं और परिधीय सड़कों के निर्माण के लिए सागरमा फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्तावों की जांच की।

जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) में बदलाव पर प्रभाग के इनपुट – जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग में 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने और समुद्री विकास निधि की स्थापना के लिए एक कार्यनीति को मंत्रालय द्वारा विधिवत शामिल किया गया था। प्रभाग ने "शिपिंग पर गैर-प्रमुख बंदरगाहों के प्रभाव" पर एक ज्ञान भागीदार के साथ एक शोध अध्ययन भी किया।

नागर विमानन

एमआरओ सेवाओं और लीजिंग और फाइनेंसिंग, इसकी संबद्ध सेवाओं और लॉजिस्टिक्स सहित नागर विमानन क्षेत्र में बैक-एंड इंफ्रा और संस्थागत वास्तुकला विकसित करने के लिए नीति आयोग द्वारा 8 मार्च 2024 को विज्ञान भवन में चर्चा करने और विमानन क्षेत्र में प्रमुख हितधारकों और संबंधित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए एक कार्यशाला/गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके अलावा, नीति आयोग को एयर इंडिया के विनिवेश के बाद नागरिक विमानन मंत्रालय के साथ एलायंस एयर के पुनरुद्धार के लिए रोडमैप तैयार करने का भी काम सौंपा गया है।

रसद क्षेत्र

भूमि मूल्य अधिग्रहण और साझाकरण (एलवीसी एंड एस) तंत्र को तेजी से अपनाना:

"एलवीसी तंत्र को तेजी से अपनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तत्परता का मूल्यांकन" शीर्षक वाली रिपोर्ट से मिली सीख को पूरे भारत में एलवीसी एंड एस पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार की सुविधा के लिए विशिष्ट प्रासंगिक राष्ट्रीय और राज्य

एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। रिपोर्ट में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एलवीसी एंड एस उपकरणों के कार्यान्वयन में पद्धतियों और अनुभवों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट व्यापक साहित्य अध्ययन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्राथमिक सर्वेक्षण, संबंधित नीतियों और अधिनियमों के मूल्यांकन, डेटा विश्लेषण और अदालती फैसलों की अवधि पर आधारित है।

भवन सूचना मॉडलिंग (बीआईएम)

ब्रिटिश उच्चायोग के विदेशी राष्ट्रमंडल विकास कार्यालय के सहयोग से बीआईएम को तेजी से अपनाने के लिए बीआईएम कार्य योजना के रूप में एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। बीआईएम सक्षम सामान्य डेटा वातावरण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रासंगिक हितधारकों (मंत्रालयों और कार्यान्वयन एजेंसियों) को शामिल किया जा रहा है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र/शिक्षा जगत के बीच व्यापक बातचीत की भी सुविधा प्रदान की गई है। एकीकृत पीएमआईएस और वास्तविक समय के बुनियादी ढांचे के डैशबोर्ड की दिशा में पहल की भी खोज की जा रही है।

डी-रिस्किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (लचीला इन्फ्रास्ट्रक्चर)

डिवीजन ने सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में अत्यधिक ताप प्रबंधन के लिए सामुदायिक अभ्यास (सीओपी) के तहत एक वैश्विक मार्गदर्शन दस्तावेज़ विकसित करने के लिए इनपुट प्रदान करके आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन (सीडीआरआइ) को बड़े पैमाने पर शामिल किया है और उसका समर्थन किया है।

पीएम गति शक्ति और नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी)

पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) के एक प्रमुख सदस्य के रूप में, वर्ष के दौरान, प्रभाग ने विभिन्न मंत्रालयों में 24.5 लाख करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 86 मेगा परियोजनाओं का मूल्यांकन करते हुए 17 बैठकों में भाग लिया है। प्रभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए अपने विज़न 2047 में सुधार के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और उच्च घनत्व नेटवर्क मार्गों और गलियारों, ऊर्जा और खनिज गलियारों से संबंधित अपने कार्यक्रमों में परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए रेलवे मंत्रालय के साथ भी सहयोग किया है। रेल सागर कॉरिडोर एनआईटीआई विभिन्न मंचों पर भी भाग ले रहा है और अंतर-क्षेत्रीय एकीकरण सुनिश्चित करने और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन को सिंक्रनाइज़ करने के लिए बातचीत की सुविधा प्रदार कर रहा है।

द्वीप विकास

सरकार ने "द्वीपों के समग्र विकास" को उच्च प्राथमिकता दी है, क्योंकि इनमें राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपार क्षमता है। भारत में अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित दो सामरिक द्वीप समूह हैं।

इस विकास का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में पारिस्थितिकी स्थिरता बनाए रखते हुए नियोजित परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करके द्वीपवासियों के लिए रोजगार सृजन और अतिरिक्त आय उत्पन्न करना है। द्वीपों का विकास कई कारकों के कारण भी महत्वपूर्ण है, जिसमें द्वीपों की सामरिक प्रकृति भी शामिल है। ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी सिरे से केवल 90 किमी दूर है, जो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। इसी तरह, लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप नौ-डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है।

मास्टर प्लान, व्यवहार्यता आकलन और अग्रिम मंजूरी के साथ लक्षद्वीप में लगभग 10 द्वीपों और अंडमान एवं निकोबार में लगभग 20 द्वीप स्थलों का समग्र विकास शुरू किया गया। संबंधित सम्बद्ध एजेंसियों ने योजनाओं को और विस्तृत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन, स्थानीय उपज के निर्यात को बढ़ावा देने आदि के लिए स्थायी परियोजनाएं तैयार करके इस उद्देश्य को आगे बढ़ाया है। विकास में हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली, पानी, संचार और टाउनशिप जैसे अवसंरचना का निर्माण भी शामिल है।

सततता के प्रति प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए, इस समग्र विकास के अंतर्गत परियोजनाओं की संकल्पना और संरचना पर्यावरणीय पहलुओं और सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखकर की जाती है।

उत्तर पूर्वी राज्य

नीति आयोग का पूर्वोत्तर प्रभाग भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र विकास की दिशा में काम करता है। प्रभाग निम्नलिखित कार्य करता है: -

1. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विकास परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करना
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं और प्रस्तावों का अध्ययन करना तथा उन पर टिप्पणी देना
3. भौतिक सर्वेक्षण करना और नीति अनुसंधान पत्र तैयार करना
4. क्षमता निर्माण पहल और प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करना

योजनाएँ:

नीति आयोग का पूर्वोत्तर राज्य प्रभाग पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) की निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है:

- एनईएसआईडीएस: पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को जल आपूर्ति, बिजली और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों और स्कूलों और अस्पतालों जैसे सामाजिक अवसंरचना के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराती है। इस योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं: -

  क. एनईएसआईडीएस (सड़कें) - पूर्वोत्तर परिषद द्वारा प्रशासित। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नीति आयोग द्वारा इस योजना के अंतर्गत 07 परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

  ख. एनईएसआईडीएस (सड़क अवसंरचना को छोड़कर (ओटीआरआइ) - पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) द्वारा प्रशासित। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत नीति आयोग द्वारा 33 परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम- डिवाइन): पीएम-डिवाइन सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने, आजीविका गतिविधियों को बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक विकास अंतर का पाटने के लिए अवसंरचना को वित्तपोषित करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, इस योजना के तहत नीति आयोग द्वारा 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
- विशेष विकास पैकेज (एसडीपी): इस योजना में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के लिए वित्तीय सहायता पैकेज, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद के लिए विशेष आर्थिक पैकेज शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत नीति आयोग द्वारा 9 बोडोलैंड जनजातीय परिषद (बीटीसी) और 3 कार्बी आंगलोंग जनजातीय परिषद (केएटीसी) परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
- पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी): एनईसी अधिनियम 1971 के तहत एनईसी एक सांविधिक निकाय है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय नियोजन की भूमिका निभाना है। एनईसी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए महत्वपूर्ण अभिचिह्नित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में समग्र विकास का समर्थन करता है। इनमें से कुछ क्षेत्र बांस मूल्य श्रृंखला, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और टेलीमेडिसिन आदि हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नीति आयोग द्वारा एनईसी की 24 परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

सार्वजनिक वित्त और नीति विश्लेषण (पीएफपीए)

नीति आयोग के लोक वित्त एवं नीति विश्लेषण (पीएफपीए) प्रभाग द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में से एक सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं का मूल्यांकन करना है। तदनुसार इस प्रभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

- नीति विश्लेषण और सार्वजनिक वित्त के स्वीकृत सिद्धांतों को लागू करते हुए सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रमुख परियोजनाओं और कार्यक्रमों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करना।
- पीपीआर प्रस्तावों का विश्लेषण करना तथा उन पर सिफारिशें देना, जिनके बाद में ईएफसी/ पीआईबी प्रस्ताव के रूप में परिणत होने की संभावना होती है।

- ईएफसी /पीआईबी /सीईई और ईबीआर जैसी विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करना।
- कार्यक्रमों और परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए अनुसंधान अध्ययन करना, ताकि उन्हें नीति विश्लेषण और सार्वजनिक वित्त में सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप रखा जा सके, ताकि बेहतर स्कीम/परियोजना निर्माण, आउटपुट, परिणामों पर जोर और अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- विभिन्न सार्वजनिक वित्त पोषित योजनाओं और परियोजनाओं के लिए व्यय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु दिशानिर्देश और प्रारूप की सिफारिश करना।
- सार्वजनिक खरीद, संविदा संरचना और परियोजना प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की सिफारिश करना।
- योजना और परियोजना प्रस्तावों के विकास के लिए उचित प्रक्रियाएं स्थापित करने में केंद्रीय मंत्रालयों/राज्यों की सहायता करना।
- नीति विश्लेषण और सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में क्षमता निर्माण पहल

सार्वजनिक कार्यक्रमों, स्कीमों और परियोजनाओं का मूल्यांकन

यह प्रभाग सार्वजनिक निवेश बोर्ड और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) से संबंधित 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं/योजनाओं का व्यापक मूल्यांकन करता है। रेल मंत्रालय के 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाले प्रस्तावों, जिन पर रेलवे के विस्तारित बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार किया जाना है, का भी मूल्यांकन किया जाता है। लागत और समय की अधिकता में योगदान करने वाले कारकों और व्यवहार्यता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए प्रभाग द्वारा संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) प्रस्तावों का भी मूल्यांकन किया जाता है।

इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में; पीएफपीए ने अपने तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के माध्यम से सार्वजनिक परियोजनाओं और योजनाओं की संरचना और तैयारी के लिए मूल्यांकन तंत्र और प्रक्रियाओं में एक आदर्श बदलाव लाया है। प्रभाग ने अपने मूल्यांकन ज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं की प्रभावकारिता और वितरण और परिणामों के संदर्भ में व्यय के उद्देश्य से प्रणालीगत सुधार का सुझाव देने और लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2024-25 के दौरान (31 दिसम्बर, 2024 तक), पीएफपीए ने 143 ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर प्रस्तावों का मूल्यांकन किया, जिसमें योजनाएं/परियोजनाएं शामिल हैं और इसमें 21,13,840.92 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है। इस अवधि के दौरान मूल्यांकन की गई स्कीमों/परियोजनाओं का क्षेत्रवार वितरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

पूर्वोदय राज्यों के लिए रोड मैप

माननीय वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ कहा, "देश के पूर्वी हिस्से के राज्य संपदा से समृद्ध हैं और उनकी सांस्कृतिक परंपराएँ मजबूत हैं। हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक योजना, 'पूर्वोदय' तैयार करेंगे। इसमें मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों का सृजन शामिल होगा, ताकि इस क्षेत्र को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का इंजन बनाया जा सके। बजट घोषणा को पूरा करने के लिए, नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति पूर्वोदय राज्यों के लिए एक योजना/व्यापक दृष्टि विकसित करेगी।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

यह प्रभाग अवसंरचना की परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए पसंदीदा मोड के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की पहुंच को गहरा करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसका उद्देश्य समयबद्ध विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण करना और अवसंरचना (सामाजिक अवसंरचना सहित) के विकास और संचालन में निजी क्षेत्र और संस्थागत पूंजी को आकर्षित करना है।

शिक्षा में पीपीपी

नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर आईआईटी मद्रास, आईआईएम उदयपुर और आईआईआईटी नागपुर में पीपीपी - परियोजना संरचना और बोली दस्तावेज (प्रस्ताव के लिए अनुरोध और मॉडल रियायत समझौता) विकसित करना - के माध्यम से छात्र आवास के विकास और संचालन के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रस्ताव तैयार करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम किया है। अंतर्निहित पीपीपी मॉडल का उद्देश्य 'अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता के लिए योजना' के तहत सरकार से वीजीएफ समर्थन के विकल्प के साथ डीबीएफओटी (डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण) के आधार पर छात्र आवास सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र के निवेश और दक्षता का लाभ उठाना है। वीजीएफ के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद, उक्त परियोजनाएं अब बोली के अधीन हैं।

एमएसएमई में पीपीपी

नीति आयोग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के साथ मिलकर 'एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों के विकास और संचालन' की दिशा में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए काम किया। परियोजनाओं में अत्याधुनिक सुविधाओं (उन्नत प्रशिक्षण और उत्पादन मशीनरी सहित) से सुसज्जित प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) की स्थापना और संचालन शामिल है, जो उद्योगों को विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को तकनीकी (उत्पादन, डिजाइन और परामर्श सेवाएं) और कौशल विकास सहायता (प्रशिक्षण) प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। एक प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए अनुमानित औसत निवेश लगभग 200 करोड़ रुपये है। 13 अवस्थितियों पर परियोजनाओं की बोली लगाई जा रही है।

औद्योगिक कामगारों के लिए किफायती आवास में पीपीपी

केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की गई है कि "औद्योगिक कामगारों के लिए छात्रावास-प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) समर्थन और एंकर उद्योगों से प्रतिबद्धता के साथ सुगम बनाया जाएगा।" तदनुसार, नीति आयोग की 'विनिर्माण विकास के लिए एस.ए.एफ.ई. आवास कामगार आवासन' रिपोर्ट के हिस्से के रूप में, पीपीपी प्रभाग ने रियायत ढांचे का विवरण दिया। अनुशंसित ढांचे में, निजी भागीदार को अभिचिह्नित स्थान पर औद्योगिक/ एमएसएमई कामगारों के लिए परियोजना को डिजाइन, वित्त, निर्माण करना है, परियोजना का संचालन और रखरखाव भी करना है और रियायत समाप्त होने पर इसे वापस प्राधिकरण को हस्तांतरित करना है।

स्वास्थ्य में पीपीपी (बंदरगाह)

विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण, वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जैसे प्रमुख बंदरगाहों ने निजी क्षेत्र के निवेश और प्रचालन दक्षताओं का लाभ उठाकर अपने मौजूदा बंदरगाह अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी हेल्थकेयर सुविधाओं में स्तरोन्नत करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की संरचना की। नीति आयोग ने अस्पतालों के लिए नीति आयोग के 'रियायती समझौते - मार्गदर्शक सिद्धांतों' और संबंधित परियोजना संरचना के आधार पर बोली दस्तावेजों के निर्माण पर संबंधित प्राधिकरणों के साथ काम किया।

सड़कों में पीपीपी

नीति आयोग सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर 'बीओटी (टोल) परियोजना के लिए मॉडल रियायत समझौते (एमसीए)' के संशोधन और अद्यतनीकरण के लिए काम कर रहा है, ताकि निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मोड पर राजमार्ग परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए रियायत ढांचे को मजबूत किया जा सके। संशोधित एमसीए व्यापक विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसका उद्देश्य उक्त परियोजनाओं की बोली लगाने की क्षमता, व्यवहार्यता और बैंकिंग क्षमता को बढ़ाना है।

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) योजना

पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना प्राधिकरणों को परियोजनाओं के पुरस्कार और कार्यान्वियन के लिए आवश्यक परियोजना दस्तावेज तैयार करने और लेनदेन को कुशल, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा करने के लिए विशेषज्ञ वित्तीय, कानूनी और तकनीकी सलाह की आवश्यकता होती है। 2022-23 से 2024-25 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ आईआईपीडीएफ योजना, पीपीपी परियोजनाओं के लिए राज्यों और केंद्रीय प्राधिकरणों के लिए उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य

परियोजना विकास लागतों को पूरा करना है - जिसमें व्यवहार्यता अध्ययन, पर्यावरण प्रभाव अध्ययन, वित्तीय संरचना, कानूनी समीक्षा और परियोजना / बोली प्रलेखन के विकास से संबंधित व्यय शामिल हैं।

आईआईपीडीएफ स्कीम के तहत मिलने वाले वित्तपोषण का लाभ मुख्य रूप से सलाहकारों और लेनदेन सलाहकारों की लागत को पूरा करने के लिए उठाया जा सकता है। पीपीपी शाखा ने इस योजना के तहत वित्तपोषण के लिए देश भर के विभिन्न राज्यों के प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदन में आर्थिक कार्य विभाग के साथ मिलकर काम किया है। वर्ष 2024 में, ऐसे 8 प्रस्तावों के तहत मांगे गए वित्तपोषण को मंजूरी दी गई है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन

केंद्रीय बजट 2021-22 में मूल परिसंपत्ति मुद्रीकरण को देश के संवर्धित और सतत अवसंरचना के वित्तपोषण के तीन स्तंभों में से एक के रूप में अभिचिह्नित किया गया था। बजट में नीति आयोग को ब्राउनफील्ड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों के लिए "राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन" (एनएमपी) बनाने का काम सौंपा गया। एनएमपी, मुद्रीकरण नीति के लिए रूपरेखा तैयार करता है और 4 वर्ष की अवधि (वित्त वर्ष 22-25) में 6.0 लाख करोड़ रुपये के सांकेतिक मूल्य के साथ केंद्रीय मंत्रालयों/ सीपीएसई की संभावित कोर परिसंपत्तियों की पाइपलाइन को सूचीबद्ध करता है, जिसे अगस्त 2021 में जारी किया गया था। यह सड़क, रेलवे, विमानन, बिजली, तेल और गैस, और वेयरहाउसिंग सहित विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में संभावित मुद्रीकरण-तत्पर परियोजनाओं की पहचान करने के लिए एक मध्यम अवधि के रोडमैप के रूप में कार्य करता है।

अपनी शुरुआत के बाद से ही नीति आयोग ने निवेश और लेन-देन संरचना पर मंत्रालयों के साथ मिलकर काम किया है, प्रगति की समीक्षा की है और अंतर-मंत्रालयी और संरचनात्मक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है। 2021-22 से 2022-23 की अवधि के दौरान, प्रोद्भव या निजी निवेश के संदर्भ में लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपये के कुल मुद्रीकरण मूल्य वाले लेन-देन पूरे किए गए।

केंद्र सरकार की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं का मूल्यांकन

वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल से 31 दिसंबर) के दौरान, 1.41 लाख करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली 73 पीपीपी परियोजनाओं (जिनमें 4,536 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली 10 वीजीएफ परियोजनाएं शामिल हैं) का मूल्यांकन किया गया। इन मूल्यांकित पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार वितरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक मूल्यांकित पीपीपी परियोजनाएं

क्रम सं.	क्षेत्र	मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)
1.	सड़क	34	1,25,329.23
2.	समुद्री बंदरगाह	6	2,589.13
3.	ईको पर्यटन	5	1,133.74
4.	अस्पताल	7	968.13
5.	रोपवे	2	6,971.12
6.	रेलवे स्टेशन	1	637.83
7.	ठोस अपशिष्ट	1	460.95
8.	प्रौद्योगिकी केंद्र	14	2,256.85
9.	छात्रावास	3	586.82
	कुल	**73**	**1,40,933.80**

अनुसंधान

नीति आयोग की अनुसंधान योजना (आरएसएनए) दिशानिर्देश 2024

नीति आयोग को ज्ञान और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के अधिदेश के अनुरूप नीति आयोग के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, 17 सितंबर, 2024 को एक नई शाखा, अनुसंधान और नेटवर्किंग (आरएंडएन) अधिसूचित की गई

है। 'नीति आयोग की अनुसंधान योजना (आरएसएनए)' को भी संशोधित और अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2024-25 (31 दिसंबर, 2024 तक) के दौरान, कुल ₹163.78 लाख का अनुदान जारी किया गया है। वर्ष के दौरान 10 नए शोध अध्ययनों (तालिका 1.1) को वित्तपोषित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और 10 चल रहे अध्ययनों (तालिका 1.2) को पूरा किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए 20 संस्थानों (तालिका 1.3) को लोगो समर्थन प्रदान किया गया। इसके अलावा, दो सेमिनारों को भी (तालिका 1.4) लोगो समर्थन प्रदान किया गया। अध्ययन रिपोर्ट और सेमिनार की कार्यवाही हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रतियों में प्राप्त की जाती है। इन रिपोर्टों और कार्यवाही की प्रतियां नीति आयोग के संबंधित प्रभागों को भेजी जाती हैं, जो इन रिपोर्टों की जांच करते हैं और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजते हैं। स्वीकृत शोध अध्ययनों, पूर्ण किए गए अध्ययनों और प्रदान किए गए लोगो समर्थन की सूची अनुलग्नक-II में दी गई है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाएं

नीति आयोग का ग्रामीण विकास प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के ग्रामीण विकास विभाग को समग्र नीति मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह प्रभाग ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और सुधारों को तैयार करता है। यह ग्रामीण विकास के लिए नीतिगत दृष्टिकोणों पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने की दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, विकास भागीदारों और प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ भी सहयोग करता है।

प्रभाग ने 10 सितंबर, 2024 को स्थायी ग्रामीण आजीविका पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का उद्देश्य ग्रामीण भारत में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत दृष्टिकोणों पर चर्चा करने के लिए एक सहयोगी मंच का निर्माण करना था। इसने ग्रामीण अवसंरचना, समावेशी आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन जैसे क्षेत्रों में चुनौतियों और अवसरों की जांच करने का अवसर प्रदान किया। प्रतिभागियों की विशेषज्ञता और विविध दृष्टिकोणों के साथ, चर्चाएँ अभिनव, कार्रवाई योग्य समाधान तैयार करने पर केंद्रित थीं जो ग्रामीण समुदायों की लचीलापन और समृद्धि को बढ़ाएँगी।

नीति आयोग और दीनदयाल शोध संस्थान (डीआरआई), चित्रकूट ने विकास नीति और कार्यक्रमों तथा इसके कार्यान्वयन, नागरिक समाज और अन्य संबंधित हितधारकों की कार्रवाई के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर, 2024 में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत

नीति आयोग वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। 2024 में 133 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत के 39वें स्थान पर पहुंचने के साथ ही, कई नवाचार मापदंडों में देश की निरंतर उन्नति की पुष्टि हो गई है, जो 2015 में 81वें स्थान से इस उल्लेखनीय उपलब्धि तक की उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाता है।

नीति आयोग ने वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में भारत की लगातार बढ़त में अहम भूमिका निभाई है। डाटा-संचालित नवाचार और राष्ट्रीय पहलों में देश की उल्लेखनीय प्रगति, विशेष रूप से मध्यम आय वाले देशों में, पिछले पांच वर्षों में स्पष्ट हुई है, जो प्रभावी नीतियों और समन्वय से प्रेरित है। नीति आयोग ने जुलाई 2024 में जिनेवा, स्विटजरलैंड में आयोजित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) महासभा के कार्यक्रम में भी प्रतिनिधित्व किया और भारत नवाचार सूचकांक और सूचकांक के निर्माण में अपनाई गई कार्यप्रणाली प्रस्तुत की। विभिन्न संकेतकों में लगातार अपेक्षाओं को पार करके, भारत आर्थिक विकास को गति देने, लचीलेपन को मजबूत करने और नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास डैशबोर्ड

नीति आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग ने एक व्यापक डैशबोर्ड - राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास डैशबोर्ड के विकास और क्रियान्वयन पर काम किया है। यह डैशबोर्ड सभी चल रही अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, मुख्य रूप से भारत सरकार के वैज्ञानिक मंत्रालयों और विभागों की निगरानी के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करेगा।

यह अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति और स्थिति की वास्तविक समय निगरानी, आकलन और मूल्यांकन के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है। सभी मंत्रालयों और विभागों को शामिल करके, यह सुनिश्चित करता है कि अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के व्यापक स्पेक्ट्रम का व्यवस्थित रूप से लेखा-जोखा और प्रबंधन किया जाए।

इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग भारत भर में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अपनी निगरानी क्षमताओं का विस्तार करने हेतु इस डैशबोर्ड का उपयोग करने की योजना बना रहा है। यह विस्तार इन परियोजनाओं के प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) और व्यावसायीकरण तत्परता स्तर (सीआरएल) दोनों को बढ़ावा देने और बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्वदेशी कृत्रिम मानव हृदय

नीति आयोग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. राजीव नारंग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिन्होंने परामर्श समूह के सदस्य के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर परामर्श समूह के दौरान चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दिया है।

हितधारकों द्वारा विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के बाद नीति आयोग द्वारा एक मिशन दस्तावेज तैयार किया गया है, जिसे भारत सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को उचित वित्त पोषण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत किया गया है, जिसके पास भारत में कृत्रिम मानव हृदय के विकास और व्यावसायीकरण के इस कार्य को करने के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र है।

अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार 2024

नीति आयोग ने 17-18 अक्टूबर, 2024 को मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और मेथनॉल एक्सपो का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा किया गया। श्री नितिन गडकरी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने वैश्विक जलवायु लक्ष्यों और निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

इस सेमिनार के मुख्य विषयों में मेथनॉल उत्पादन प्रौद्योगिकियों में नवाचार, अवसंरचना विकास, नीतिगत कार्यनीतियां और भारत के ऊर्जा परिदृश्य में मेथनॉल-आधारित समाधानों को एकीकृत करने के लिए आवश्यक अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल थे। मुख्य भाषणों, पैनल चर्चाओं और संवादमूलक प्रश्नोत्तर सत्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से, प्रतिभागियों ने मेथनॉल उत्पादन प्रौद्योगिकियों, नियामक परिदृश्य और आवश्यक सीमा पार सहयोग में नवीनतम प्रगति का पता लगाया। संगोष्ठी में विशेष रूप से भारत के ऊर्जा मिश्रण में मेथनॉल को शामिल करने के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें परिवहन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और बिजली उत्पादन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला गया। अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ, सेमिनार में न केवल चुनौतियों को प्रस्तुत किया गया, बल्कि देश भर में मेथनॉल के उपयोग को बढ़ाने के लिए संभावित तरीकों को भी प्रस्तुत किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भारत की ऊर्जा कार्यनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

अक्टूबर 2024 में नीति आयोग द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार

"राज्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) की संस्कृति में सुधार" पर रिपोर्ट

नीति आयोग ने राज्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अनुसंधान और विकास की संस्कृति को मजबूत करने की आवश्यकता को पहचाना है ताकि उनकी पूरी क्षमता का दोहन किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए, नीति आयोग ने एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया, भारत के कोने-कोने में विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ बैठकों का एक क्रम आयोजित किया। रिपोर्ट के दायरे में राज्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास की वर्तमान स्थिति की गहन जांच को शामिल किया गया है और इसके विकास में बाधा डालने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। मौजूदा परिदृश्य को चित्रित करके, यह रिपोर्ट इन संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सामरिक हस्तक्षेप और नीतिगत उपाय तैयार करने के लिए मंच तैयार करती है। इन अंतर्दृष्टि के आधार पर, यह रिपोर्ट परिवर्तनकारी बदलाव के लिए एक रोडमैप तैयार करती है। यह अनुसंधान एवं विकास समितियों की स्थापना और अवसंरचना विकास से लेकर संकाय प्रोत्साहन, उद्योग साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग तक कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

कौशल विकास एवं उद्यमिता, श्रम एवं रोजगार

यह प्रभाग कौशल विकास, आजीविका और श्रम कल्याण के क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के साथ सहभागिता के माध्यम से नीतिगत पहलों को गति देने के लिए ज्ञान के निर्माण और साझाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षुता के लिए ज्ञान उत्पादों और कार्यनीतियों का निर्माण, भविष्य के काम और उभरती हुई कौशल आवश्यकताओं के लिए कार्यबल तैयार करना, महिलाओं के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना, कुशल श्रमिकों के विदेश प्रवास के लिए मार्ग विकसित करना और डिजिटल, देखभाल और हरित अर्थव्यवस्थाओं जैसे उभरते क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को लेने के लिए कार्यबल को तैयार करना शामिल है। प्रभाग द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों और गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

फ्यूचर स्किल्स प्राइम (एफएसपी)

कौशल विकास एवं रोजगार प्रभाग, नीति आयोग ने त्रिपुरा राज्य में फ्यूचर स्किल्स प्राइम (एफएसपी) कार्यक्रम को अपनाने में सहायता की। फ्यूचर स्किल्स प्राइम एक अभिनव और विकासपरक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे शिक्षार्थियों को आज के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में आवश्यक अत्याधुनिक कौशल से सुसज्जित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पाठ्यक्रम, मार्ग और उद्योग समर्थित नैसकॉम प्रमाणन कार्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखित हैं, जिससे शिक्षार्थी मांग में रहने वाले कौशल हासिल कर सकते हैं जिन्हें नियोक्ताओं द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इस संबंध में, जुलाई, 2024 में त्रिपुरा सरकार और नैसकॉम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

राज्य सहायता मिशन के तहत फ्यूचर स्किल्स प्राइम (एफएसपी) को अपनाने के लिए त्रिपुरा सरकार और नैसकॉम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

एडीपी/एबीपी के अंतर्गत जिलों में ग्रामीण कौशल निर्माण एवं नवाचार केन्द्रों पर विशेष पहल

एबीपी के तहत ग्रामीण कौशल निर्माण एवं नवाचार केंद्र स्थापित करने की विशेष पहल के तहत एसडीई प्रभाग को छह जिले सौंपे गए। इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आकांक्षी जिलों के लिए संदर्भ मार्गदर्शिका के रूप में प्रभाग द्वारा एक मसौदा

रूपरेखा/टेम्पलेट विकसित किया गया है। सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए 21 नवंबर, 2024 को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों ने ग्रामीण कौशल निर्माण एवं नवाचार केंद्र के लिए टेम्पलेट प्रस्तुत किया तथा एआईएम ने अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों पर एक प्रस्तुति दी। जिलों की सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण लाभ प्रदान करने की रूपरेखा पर चर्चा के लिए बैठक

नीति आयोग ने 28 मई, 2024 को श्रम एवं रोजगार सचिव के समक्ष एक प्रस्तुति दी तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहलों के लिए सुझाव दिए। इसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण लाभ प्रदान करने के लिए रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें कौशल विकास एवं रोजगार, नीति आयोग के प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य हैं तथा उन्होंने गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण लाभ हेतु योजनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए सुझाव एवं इनपुट दिए हैं।

रोजगार सृजन पर नियमित डाटा संग्रह के लिए तंत्र विकसित करने की पहल

माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने देश में रोजगार डेटा संग्रह तंत्र के निर्माण पर एक अंतर-मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में 7 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में एक और बैठक आयोजित की गई। कौशल विकास एवं रोजगार प्रभाग ने 'रोजगार डेटा: मापनीयता और स्थिरता के लिए एक प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण' पर एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति में रोजगार के मुद्दों से संबंधित सरकारी पोर्टलों का अवलोकन, पहचाने गए अंतराल और चुनौतियों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं और राज्यों और उद्योग स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न रोजगार की ट्रैकिंग को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तावित कार्यनीतियों का विवरण दिया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रभाग, नीति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग), जनजातीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए नोडल प्रभाग के रूप में कार्य कर रहा है। प्रभाग की प्रमुख जिम्मेदारी समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर समूह जैसे दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक आदि के हितों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में इनपुट प्रदान करना है। वर्ष 2024-25 के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रभाग द्वारा निम्नानुसार कई पहल की गई हैं:

वरिष्ठ नागरिक देखभाल पर चर्चा

प्रभाग ने 31 जनवरी 2024 को नीति आयोग, नई दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक देखभाल पर एक चर्चा का आयोजन किया, जिसमें वृद्ध व्यक्तियों के लिए मौजूदा परिचारक सहायता, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और वरिष्ठ परिचर्या को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई।

भारत और उसके बाहर परिचर्या सेवाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला

नीति आयोग की राज्य सहायता मिशन पहल के तहत प्रभाग द्वारा 30 अगस्त 2024 को आईआईएम शिलांग में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी: क) वरिष्ठ नागरिक परिचर्या और परिचर्या सेवाओं के लिए राज्य की पहल, ख) परिचारकों की क्षमता निर्माण और रोजगार, और ग) वरिष्ठ नागरिक परिचर्या में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास और विदेशी अवसर।

जनमन के तहत आदर्श गांव का विकास

नीति आयोग द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के सहयोग से एक विशेष पहल की जा रही है, जिसके तहत चयनित आकांक्षी ब्लॉकों जैसे डुमरी, किशनगंज, भामिनी, बजाग, कोठागिरी और मुनिगुडा में छह पीएम-जनमन आदर्श गांव विकसित किए जाएंगे। यह प्रयास विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए वित्तीय समावेशन, सहायक उपकरणों की संतृप्ति

और आजीविका के अवसरों सहित 13 हस्तक्षेपों को लागू करने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य इन समुदायों के समग्र कल्याण और सतत विकास में सुधार करना है।

उच्च क्षमता वाले जनजातीय छात्रावासों की स्थापना

नीति आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से छत्तीसगढ़ के कांकेर और ओडिशा के मयूरभंज के चयनित आकांक्षी जिलों में दो आदर्श उच्च क्षमता वाले जनजातीय छात्रावासों की स्थापना के लिए पहल की है, ताकि ऐसे आदर्श छात्रावास बनाए जा सकें, जिनमें बड़ी संख्या अर्थात् 500-1000 छात्र प्रति छात्रावास में अनुसूचित जनजाति के छात्र रह सकें।

उच्च शिक्षा में कमजोर वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम

नीति आयोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे कि स्कूल छोड़ने, अकादमिक तैयारी, भाषा संबंधी बाधाएं, सामाजिक-आर्थिक असमानताएं और सांस्कृतिक अंतर से लेकर मनोवैज्ञानिक कारकों के समाधान के लिए, मेंटरशिप कार्यक्रम के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहा है जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में कमजोर वर्गों से संबंधित छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले पहलुओं को समझना और इन छात्रों का समर्थन करने के लिए एक पोषण परिवेश/पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए तंत्र की सिफारिश करना है।

भारत में सेवानिवृत्ति उपरांत सामाजिक सुरक्षा

भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के 138 मिलियन से अधिक लोग हैं। अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 192 मिलियन हो जाएगी, जो कुल आबादी का लगभग 12.5% है। इतनी तेजी से बढ़ती आबादी और आगे की आर्थिक चुनौतियों के निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग भारत में वृद्धजनों की सेवानिवृत्ति उपरांत सुरक्षा से संबंधित संभावित सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का मूल्यांकन करने और उसके बाद एक रूपरेखा प्रस्तावित करने के लिए एक अध्ययन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रभाग, कमजोर समूहों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए मंत्रालयों द्वारा गठित कई समितियों के सदस्य के रूप में, कमजोर समूहों के कल्याण के लिए दिशानिर्देश/नीतियां तैयार करने में मंत्रालयों की सहायता के लिए इनपुट प्रदान करता है।

सतत विकास लक्ष्य

प्रस्तावना

सतत विकास लक्ष्य, 2030 तक वैश्विक विकास के लिए एक अद्वितीय महत्वाकांक्षी और व्यापक एजेंडा प्रस्तुत करते हैं। भारत में, नीति आयोग सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के लिए नोडल एजेंसी है, जो सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए यह राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी प्रयासों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।

इस उद्देश्य के लिए, नीति आयोग ने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और राज्यों/जिलों को रैंक करने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड, एनईआर जिला एसडीजी इंडेक्स और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) जैसे निगरानी उपकरण विकसित किए हैं, इस प्रकार प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दे रहा है। जबकि एसडीजी इंडिया इंडेक्स को विभिन्न एसडीजी पर सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, एनईआर जिला एसडीजी इंडेक्स पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिला स्तरों पर लक्ष्यवार प्रदर्शन की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। राष्ट्रीय एमपीआई 12 संकेतकों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन आयामों में ओवरलैपिंग अभावों को कैप्चर करता है। ये सूचकांक नेतृत्वकर्ताओं और परिवर्तन करने वालों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं।

एसडीजी का स्थानीयकरण सबसे पीछे रह गए लोगों तक सबसे पहले पहुंचने की कुंजी है, और इसलिए यह इस प्रभाग का एक महत्वपूर्ण अधिदेश है। इन प्रयासों ने सांख्यिकीय प्रणालियों को मजबूत किया है और देश भर में सभी 17 लक्ष्यों और 100 से अधिक संकेतकों को कवर करने वाला एक निगरानी ढांचा विकसित किया है। इस परिष्कृत और व्यापक संस्करण के साथ, नीति आयोग का लक्ष्य एसडीजी उपलब्धि में अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिलीज: विकसित भारत, सतत प्रगति, समावेशी विकास की ओर

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश के प्रमुख टूल का चौथा संस्करण, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग द्वारा जुलाई, 2024 में जारी किया गया। सूचकांक को नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी, ने नीति आयोग के सीईओ श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम; भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री शोम्बी शार्प; नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश सूरी और यूएनडीपी की डिप्टी रेजिडेंट प्रतिनिधि सुश्री इसाबेल त्सचन हरादा की उपस्थिति में लॉन्च किया।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 का विमोचन

सभी सतत विकास लक्ष्यों के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्तिगत सतत विकास लक्ष्य पर समग्र रूप से राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रैंकिंग के साथ सतत विकास लक्ष्य प्रदर्शन और स्थानीयकरण का पहला व्यापक मापन

एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) से जुड़े 113 संकेतकों पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता है और ट्रैक करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्य-वार स्कोर की गणना करता है। 16 एसडीजी में इसके

प्रदर्शन के आधार पर उप-राष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए लक्ष्य-वार स्कोर से समग्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्कोर या समग्र स्कोर तैयार किए जाते हैं। ये स्कोर 0-100 के बीच होते हैं और यदि कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 100 का स्कोर प्राप्त करता है, तो यह दर्शाता है कि उसने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का स्कोर जितना अधिक होगा, लक्ष्य तक उतनी ही अधिक दूरी तय की गई होगी।

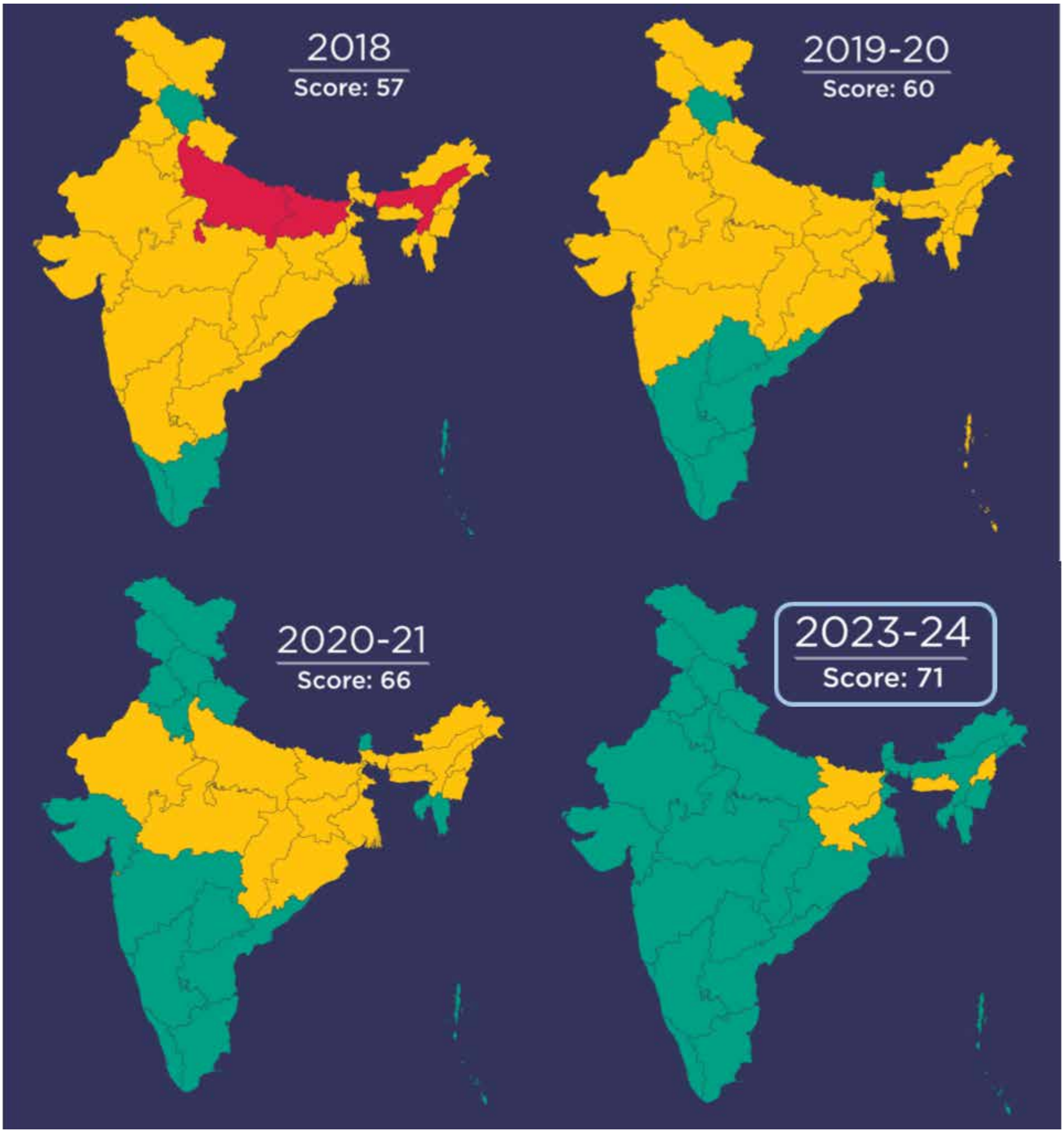

सूचकांक के पिछले चार संस्करणों में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति

सतत विकास पर 2030 एजेंडा को अपनाने के बाद से सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता नीति आयोग की अगुवाई में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर किए जा रहे ठोस प्रयासों में परिलक्षित होती है, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करता है। नीति आयोग के पास देश में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने और उनकी निगरानी करने तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का दोहरा दायित्व है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ

मिलकर नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के संस्थागतकरण - न केवल सतत विकास को एक अकेले या समानांतर ढांचे के रूप में देखना, बल्कि संस्थागत स्वामित्व, सहयोगी प्रतिस्पर्धा, क्षमता विकास और समग्र समाज दृष्टिकोण के माध्यम से उन्हें विकास के बारे में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सोच का एक अभिन्न अंग बनाने - पर ध्यान केंद्रित किया है।

इस परिवर्तनकारी यात्रा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रमुख हितधारकों के रूप में पुष्टि करते हुए 2018 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स के शुभारंभ ने स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। लक्ष्यों पर प्रगति का एक व्यापक और तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स में पिछले कुछ वर्षों में लगातार सुधार किया गया है। सहयोगी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, सूचकांक न केवल उपलब्धियों को उजागर करता है, बल्कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिणाम-आधारित अंतर को कम करने के लिए एक-दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्व स्तर पर स्वीकृत एसडीएसएन पद्धति पर आधारित, सूचकांक के विकास में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (प्राथमिक हितधारकों); सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; केंद्रीय मंत्रालयों; और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। सूचकांक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होने के साथ-साथ 2030 एजेंडा के तहत वैश्विक लक्ष्यों की व्यापक प्रकृति की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स के चौथे संस्करण की मुख्य विशेषताएं और परिणाम:

- भारत का समग्र स्कोर 2018 में 57 से बढ़कर 2020-21 में 66 तथा 2023-24 में 71 हो गया।

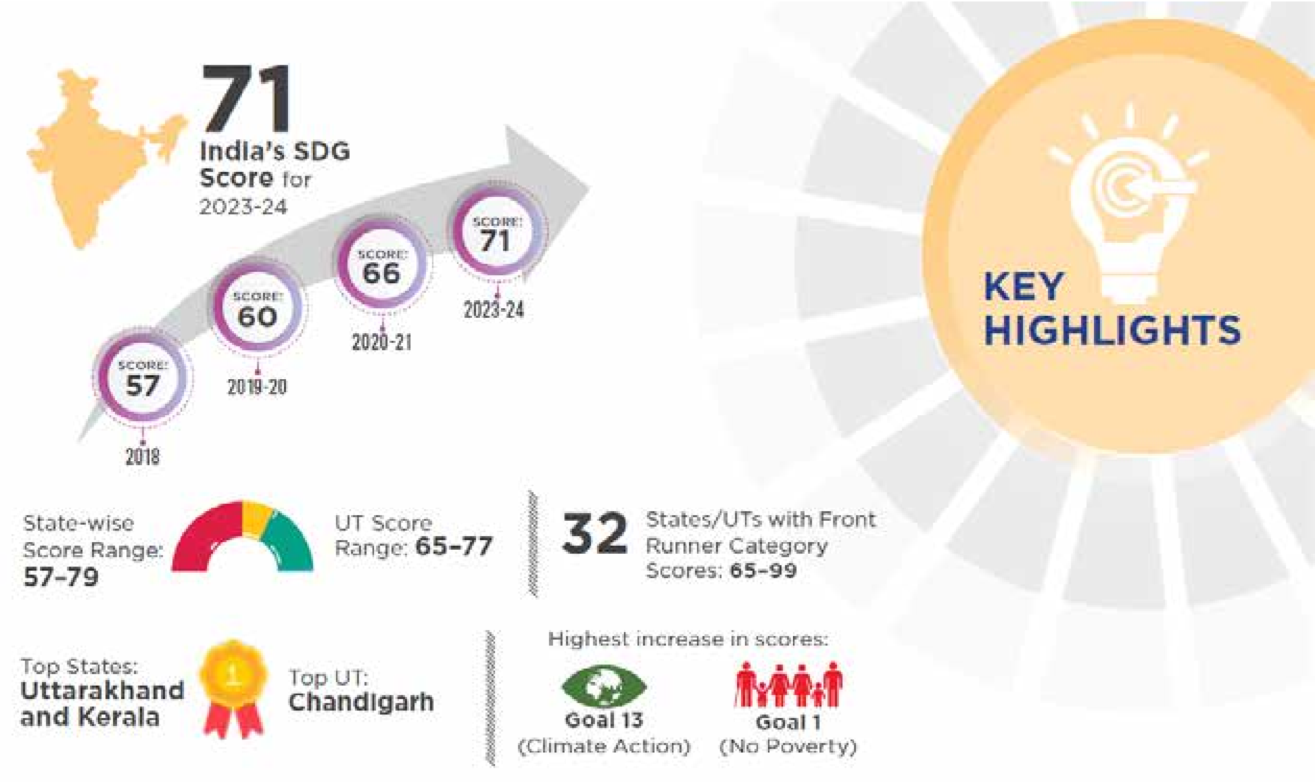

- भारत ने सूचकांक के 2020-21 और 2023-24 संस्करणों के बीच सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति को गति देने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन), 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास), 13 (जलवायु कार्रवाई) में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। ये अब 'फ्रंट रनर' श्रेणी (65-99 के बीच का स्कोर) में हैं।
- इनमें से, लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) में सबसे अधिक सुधार देखा गया है, जिसका स्कोर 54 से बढ़कर 67 हो गया है। लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन) का स्थान इसके ठीक पीछे है, जिसका स्कोर 60 से बढ़कर 72 हो गया है। यह प्रगति नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में केंद्र और राज्य सरकारों के केंद्रित कार्यक्रमगत हस्तक्षेपों और योजनाओं के प्रभावों को रेखांकित करती है।

SDG GOAL-WISE PERFORMANCE (INDIA)

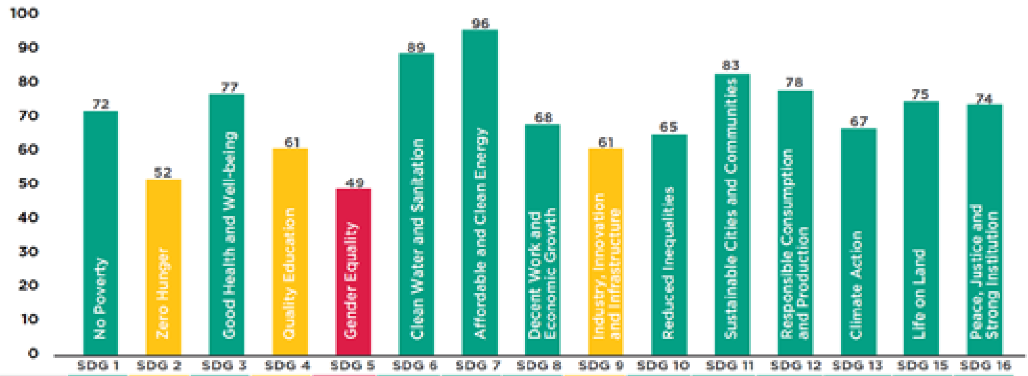

	SDG 1	SDG 2	SDG 3	SDG 4	SDG 5	SDG 6	SDG 7	SDG 8	SDG 9	SDG 10	SDG 11	SDG 12	SDG 13	SDG 15	SDG 16
2023-24	72	52	77	61	49	89	96	68	61	65	83	78	67	75	74
2020-21	60	47	74	57	48	83	92	61	55	67	79	74	54	66	74
2019-20	50	35	61	58	42	88	70	64	65	64	53	55	60	66	72
2018	54	48	52	58	36	63	51	65	44	71	39			90	71

Aspirant (0-49) Performer (50-64) Front Runner (65-99) Achiever (100)

भारत का सूचकांक स्कोर: एसडीजी-वार

- 2018 से भारत में कई प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन), 3 (बेहतर स्वास्थ्य और आरोग्य), 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), 7 (किफायती और स्वच्छ ऊर्जा), 9 (उद्योग, नवाचार और अवसंरचना) और 11 (सतत शहर और समुदाय) में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण, सभी के लिए आवास, स्वच्छता, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा सुनिश्चित करने पर सरकार के फोकस ने सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक प्रमुख हस्तक्षेपों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ) के तहत 4 करोड़ से अधिक मकान,
- ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ शौचालय एवं 2.23 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन,
- जल जीवन मिशन के तहत 14.9 करोड़ से अधिक घरों में नल जल के कनेक्शन
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ से अधिक लाभार्थी
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत 80 करोड़ से अधिक लोगों को शामिल करना
- 150,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक पहुंच जो प्राथमिक चिकित्सा देखभाल और सस्ती जेनेरिक दवाएं प्रदान करते हैं।
- प्रधानमंत्री जनधन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) किया गया।
- कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और उनका कौशल उन्नयन किया गया है तथा 54 लाख युवाओं को पुनः कौशल प्रदान किया गया है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत युवाओं की उद्यमशीलता संबंधी आकांक्षाओं के लिए कुल 22.5 लाख करोड़ रुपये के 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए।
- नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने के परिणामस्वरूप पिछले दशक में सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावाट से बढ़कर 73.32 गीगावाट हो गयी।
- 2017 से 2023 के बीच, भारत ने लगभग 100 गीगावाट संस्थापित विद्युत क्षमता जोड़ी है, जिसमें से लगभग 80 प्रतिशत क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से प्राप्त हुई है।
- डिजिटल अवसंरचना में सुधार के कारण इंटरनेट डेटा की लागत में 97 प्रतिशत की कमी आई है, जिससे वित्तीय समावेशन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उसे बढ़ावा मिला है

राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के परिणाम

- एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के एसडीजी सफर में उनके प्रदर्शन में सकारात्मक रुझान की सूचना दी है। राज्यों के लिए स्कोर अब 57 से 79 के बीच हैं, जबकि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्कोर 65 से 77 के बीच हैं। यह 2020-21 के स्कोर की तुलना में सुधार दर्शाता है, जहां राज्यों के लिए यह 52 से 75 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 62 से 79 के बीच था।

- सूचकांक में अग्रणी दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष, 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का स्कोर 65 से 99 के बीच है, जो 2020-21 की तुलना में 22 अंक अधिक है। उल्लेखनीय है कि अग्रणी दर्जा प्राप्त करने वालों की श्रेणी में 10 नए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हुए हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव शामिल हैं।

समग्र स्कोर के संदर्भ में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

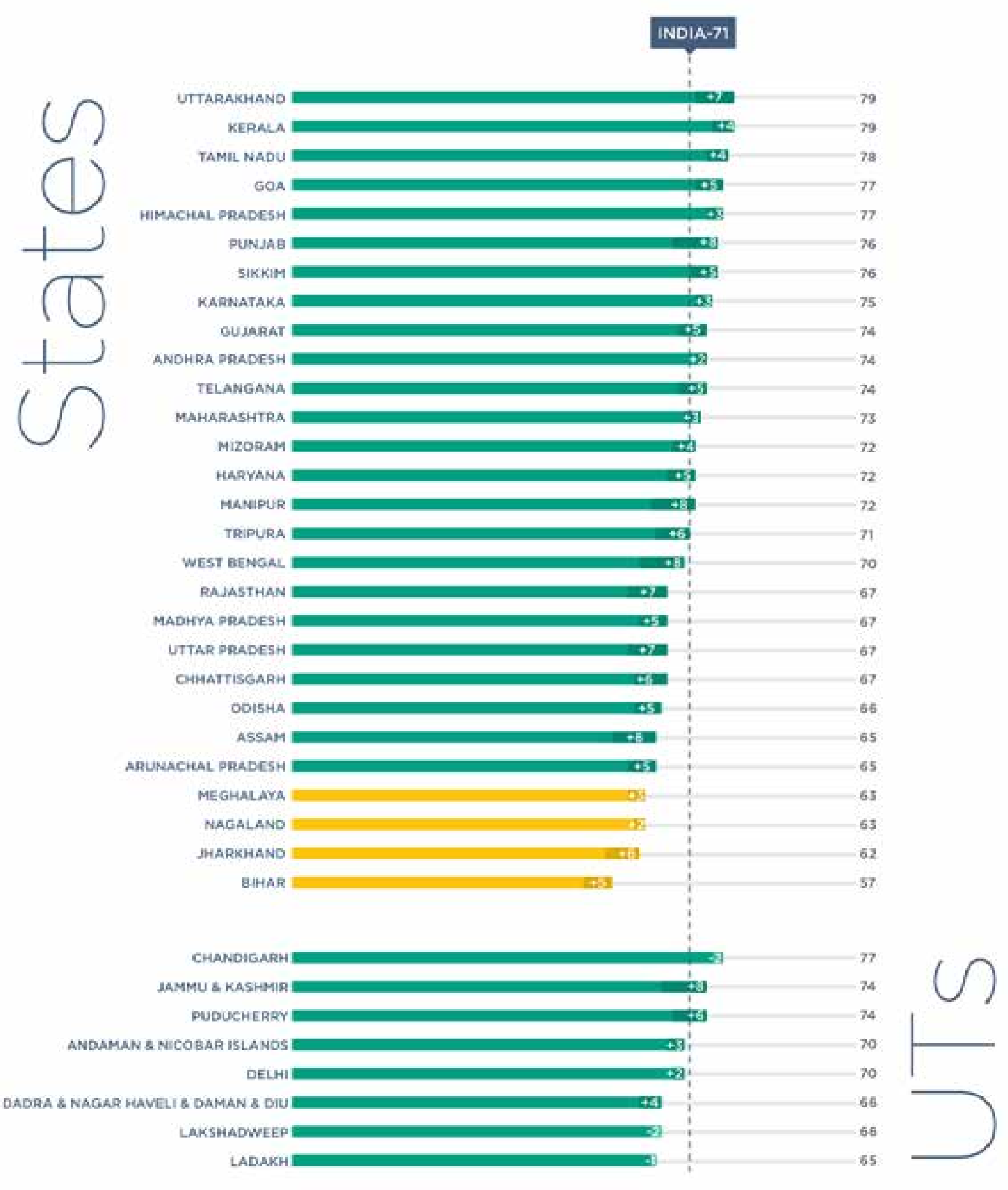

- एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 सभी राज्यों के समग्र स्कोर में वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें 1 से 8 अंक तक का सुधार हुआ है। स्कोर में सुधार के मामले में असम, मणिपुर, पंजाब, पश्चिम बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर अग्रणी हैं, जिनमें से प्रत्येक ने 2020-21 के संस्करण के बाद से 8 अंक का सकारात्मक परिवर्तन हासिल किया है।
- एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 ऑनलाइन डैशबोर्ड पर लाइव भी है। यह डैशबोर्ड राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विकास परिणाम आधारित अंतरालों की पहचान करने के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करता है।
- नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), जो 2047 तक विकसित भारत की दिशा में प्रगति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण पैमाना है, के स्थानीयकरण और त्वरण में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स हमारी प्रगति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है और यह आगे की यात्रा में चर्चा, विचार-विमर्श और निर्णय लेने में मदद करेगा।

उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) 2024

आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) ने सतत विकास, 2024 पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) का आयोजन किया। भारत को 15 से 17 जुलाई 2024 तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में एचएलपीएफ के मंत्री स्तरीय खंड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वर्ष 2024 के एचएलपीएफ का विषय था "2030 एजेंडा को सुदृढ़ बनाना और विभिन्न संकटों के समय में गरीबी उन्मूलन: टिकाऊ, लचीले और नवीन समाधानों का प्रभावी वितरण"।

एचएलपीएफ ने सरकारों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य भागीदारों को अनुभवों का आदान-प्रदान करने और सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से नवीन समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। ईसीओएसओसी के तत्वावधान में आयोजित इस वर्ष के फोरम में गरीबी उन्मूलन (एसडीजी 1); भूखमरी उन्मूलन (एसडीजी 2); जलवायु कार्रवाई (एसडीजी 13); शांति, न्याय और मजबूत संस्थान (एसडीजी 16); और साझेदारी (एसडीजी 17) से संबंधित विशिष्ट लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही 2030 की समय सीमा को पूरा करने के लिए शेष छह वर्षों के दौरान प्रयासों को बढ़ाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया गया।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 15 और 16 जुलाई 2024 को मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया और इसका नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने किया। प्रतिनिधिमंडल ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की रणनीतियों को प्रदर्शित किया। प्रतिनिधिमंडल ने 16 जुलाई 2024 को 'कोई भी पीछे न छूटे: सतत विकास लक्ष्यों को गति देने में भारत का अनुभव' विषय पर एक अतिरिक्त कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जहां वैश्विक स्तर पर एसडीजी भारत सूचकांक जारी किया गया।

एचएलपीएफ 2024 में एसडीजी भारत सूचकांक रिपोर्ट जारी करते हुए भारतीय प्रतिनिधिमंडल

सतत विकास पर आठवां दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया उप-क्षेत्रीय मंच

सतत विकास पर आठवां दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया उप-क्षेत्रीय मंच 12 से 14 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग और यूएन ईएससीएपी द्वारा संयुक्त रूप से विकासशील देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर और अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) के सहयोग से किया गया। इस मंच में दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया उपक्षेत्र के नौ सदस्य देशों ने भाग लिया, जिनमें अन्य हितधारकों के अलावा सरकारें, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत और थिंक टैंक, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल थे।

इस मंच ने सतत विकास पर एशिया प्रशांत मंच (एपीएफएसडी) 2025 के लिए एक उप-क्षेत्रीय तैयारी बैठक के रूप में कार्य किया, जो बदले में न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले वार्षिक उच्च स्तरीय नीति मंच (एचएलपीएफ) 2025 को सूचित करेगा। उप-क्षेत्रीय मंच बहु-हितधारकों के लिए एक सहयोगात्मक मंच है, जिसका उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के परिणाम प्रदान करने में हुई प्रगति और चुनौतियों का आकलन करना, राष्ट्रीय और उप-क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और मुद्दों को उजागर करना, अच्छी प्रथाओं को साझा करना और सहयोगात्मक रूप से समाधानों की तलाश करना है। विषयगत सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण में, जो 2025 एपीएफएसडी और एचएलपीएफ का फोकस होगा, मंच ने निम्नलिखित लक्ष्यों पर प्रगति की समीक्षा की: 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण), 5 (लैंगिक समानता 8 (अच्छा काम और आर्थिक विकास), 14 (पानी के नीचे जीवन), और 17 (लक्ष्यों के लिए साझेदारी)।

कार्यशाला में विभिन्न देशों और भारतीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो चुनौतियों को समझने तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उप-क्षेत्रीय मंच की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने की, जिन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को राष्ट्रीय विकास योजनाओं में एकीकृत करके उन्हें प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी के पॉल ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सार्वजनिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत के दृढ़ प्रयास पर प्रकाश डाला। अन्य अतिरिक्त कार्यक्रमों में शामिल थे एसएएनएस की नीति वार्ता "जलवायु परिवर्तन और कार्बन विनियमन - दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया के लिए आगे की राह" तथा दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया में महिलाओं के लिए डिजिटल विभाजन को दूर करना।

सतत विकास पर आठवां दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया उप-क्षेत्रीय मंच

इस मंच के परिणाम ईएससीएपी की आगामी पहलों को आकार देंगे, जिनका उद्देश्य अपने सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। मंच के परिणामों और सिफारिशों को अगले वर्ष उपर्युक्त एपीएफएसडी (फरवरी 2025 में थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा) और एचएलपीएफ (जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र-न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा) सहित क्षेत्रीय और वैश्विक प्रक्रियाओं में शामिल किया जाएगा।

भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन

भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन ब्राजील के जी-20 प्रेसीडेंसी द्वारा समर्थित पहल है, जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए भूख और गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रगति को गति प्रदान करना है। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन को आधिकारिक तौर पर 18 नवंबर, 2024 को रियो डी जेनेरियो में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया। समावेशी वार्ता और सहयोग की एक वर्ष लंबी प्रक्रिया से उभरने वाले इस गठबंधन में 164 सदस्य हैं, जिनमें 89 देश, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, 25 अंतर-सरकारी संगठन, 9 वित्तीय संस्थान और 41 परोपकारी, शैक्षणिक और गैर-सरकारी साझेदार शामिल हैं। यह गठबंधन तीन मुख्य स्तंभों - राष्ट्रीय, वित्तीय और ज्ञान - के माध्यम से कार्य करता है, जिसे प्रत्येक सदस्य देश की वास्तविकताओं के अनुरूप साक्ष्य आधारित नीतियों के लिए संसाधनों को जुटाने और समन्वित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नीति आयोग को जी-20 के इस टास्क फोर्स के लिए नोडल संगठन नियुक्त किया गया था, क्योंकि यह सतत विकास लक्ष्यों के व्यापक दायरे को कवर करता है।

भारत 6 नवंबर, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रतिबद्धता वक्तव्य पर हस्ताक्षर करके वैश्विक गठबंधन के राष्ट्रीय और ज्ञान स्तंभ में शामिल हो गया। राष्ट्रीय और ज्ञान स्तम्भ के तहत गठबंधन के साथ भारत की सहभागिता के लिए नीति आयोग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है तथा नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को गठबंधन के चैम्पियंस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।

जी-20 टास्क फोर्स में भारत की सक्रिय भागीदारी और गठबंधन में शामिल होना अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे नई दिल्ली लीडर्स घोषणापत्र (एनडीएलडी) में रेखांकित उद्देश्यों को बल मिलता है।

भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का शुभारंभ

सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण पर शिमला, हिमाचल प्रदेश में भारत-जर्मनी सहयोग

सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण पर भारत-जर्मनी सहयोग की शुरुआत के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम 19 नवंबर, 2024 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जर्मन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जीआईजेड) के सहयोग से हिमाचल प्रदेश सरकार के योजना विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम 'हरित एवं सतत विकास साझेदारी के लिए समर्थन' नामक भारत-जर्मनी सहयोग परियोजना का हिस्सा था।

चर्चा अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति के इर्द-गिर्द केंद्रित थी। कार्यशाला में राज्य के कई विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की चुनौतियों को समझने तथा नवीन समाधानों की तलाश करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यह आयोजन हिमाचल प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाने में एक महत्वपूर्ण क्षण था।

सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण पर भारत-जर्मनी सहयोग के लिए शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित प्रारंभिक कार्यक्रम

सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण पर शिलांग, मेघालय में भारत-जर्मनी सहयोग के लिए प्रारंभिक कार्यक्रम

सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण पर भारत-जर्मनी सहयोग की शुरुआत के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम 27 नवंबर, 2024 को शिलांग, मेघालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री ने की। सम्मेलन में मेघालय सरकार, भारत सरकार और जर्मन साझेदारों के सहयोगात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। इसने मेघालय में सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक स्तंभ के रूप में नवाचार, डेटा संचालित निर्णय लेने और समावेशी विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। इस आयोजन के दौरान शुरू की गई प्रमुख पहलों में शामिल हैं: मेघालय जिला चुनौती निधि दिशानिर्देश, हरित और सतत विकास साझेदारी (जीएसडीपी) परियोजना, और मेघालय एसडीजी ब्लॉक इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट जारी करना।

सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण पर भारत-जर्मनी सहयोग के लिए शिलांग, मेघालय में आयोजित प्रारंभिक कार्यक्रम

मेघालय एसडीजी ब्लॉक इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट और जिला एसडीजी रूपरेखा का विमोचन

सुरक्षा

नीति आयोग का सुरक्षा प्रभाग रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) की भी मदद करता है।

यह प्रभाग राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा परिषद का सदस्य है, जो देश में समुद्र से संबंधित सभी मुद्दों के लिए नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय रक्षा गलियारा संचालन समिति के सदस्य के रूप में, प्रभाग रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता में योगदान देता है। यह राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के अंतर्गत शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) के लिए निगरानी ढांचा विकसित करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति का भी सदस्य है। इस समिति का फोकस बाढ़ जोखिम और आपदा समाधान योजना पर है।

यह प्रभाग नीति आयोग की वृतीय अर्थव्यवस्था रूपरेखा का हिस्सा है, जो कार्यकाल समाप्ति वाले वाहनों (ईएलवी), टायरों, लिथियम-आयन बैटरियों, स्क्रैप मेटल रिसाइक्लिंग और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के लिए कार्यान्वयन योग्य नीति पर काम कर रहा है।

अगले कदम के रूप में, प्रभाग जीवंत, स्थिर और सुरक्षित सीमाओं के लिए रक्षा बलों और अन्य मंत्रालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है।

सेवाएं

सेवाएँ विभाजन का उद्देश्य "2047 तक विकसित भारत" के विज़न के हिस्से के रूप में भारत के तृतीयक क्षेत्र के लिए एक व्यापक विकास कार्यनीति विकसित करना है, ताकि भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाया जा सके। यह मूल्य वर्धन/उत्पादन, रोजगार, निर्यात, उत्पादकता, एफडीआई आदि के परिप्रेक्ष्य से अर्थव्यवस्था व्यापी और क्षेत्र विशिष्ट स्तर पर बहुआयामी विश्लेषण के माध्यम से एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

- **सेवा क्षेत्र में घरेलू विनियामक ढांचे को सुसंगत बनाना:** भारत में सेवा क्षेत्र के लिए नियामक ढांचे को कारगर बनाने के लिए नियामक अंतरालों की पहचान करना और सुधारों की सिफारिश करना।
- **सेवा क्षेत्र में डेटा संग्रहण में सुधार करना:** सूचित निर्णय लेने और कार्यनीतिक योजना बनाने के लिए सटीक, रीयल टाइम डेटा एकत्र करने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अधिक विस्तृत डेटा एकत्र करने तथा मानकीकृत रिपोर्टिंग ढांचे को लागू करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
- **टियर 2 और 3 शहरों तक वैश्विक क्षमता केन्द्रों (जीसीसी) का विस्तार करना:** टियर 2 और 3 शहरों में जीसीसी के विकास को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों और बड़े उद्योगों के बीच गठजोड़ और सहयोग को बढ़ावा देना।
- **सेवाओं में मानक विकसित करना:** सेवाओं को मानकीकृत करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों के सहयोग से टूलकिट विकसित करना। ज्ञान और सूचना का प्रसार करने के लिए अनुसंधान अध्ययन करना तथा सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करना।

- **सेवाओं के निर्यात एवं ब्रांडिंग हेतु कार्यनीति:** भारत के सेवा निर्यात तथा ब्रांडिंग संबंधी पहलों में विविधता लाने और विस्तार करने के लिए रणनीति तैयार करना, जो आईटी, व्यावसायिक और प्रबंधन परामर्श, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्त आदि जैसे मौजूदा और उभरते क्षेत्रों में देश की विशेषज्ञता को उजागर करे।

राज्य वित्त

राज्य वित्त प्रभाग को व्यापक आर्थिक, वित्तीय, राजकोषीय और सामाजिक संकेतकों पर राज्यवार डेटाबेस अनुरक्षित करने; केंद्र से राज्यों को अंतरण का आकलन सहित राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने; संरचित समर्थन और पहलों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और राज्यों के वित्त और बहु-राज्यीय मुद्दों से संबंधित सभी मामलों के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रभाग द्वारा वित्त आयोग, विशेष परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए अनुरोध और अंतर्सरकारी अंतरण से संबंधित मुद्दे भी हैंडल किए जाते हैं। 2024-25 के दौरान प्रभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख गतिविधियाँ और अध्ययन इस प्रकार हैं :

डेटाबेस की रिपॉजिटरी

यह प्रभाग प्रमुख स्थूल, सामाजिक और वित्तीय संकेतकों पर राज्यवार डेटाबेस का अनुरक्षण करता है। प्रभाग केंद्रीय अंतरण की जानकारी भी रखता है जिसे मासिक आधार पर अद्यतन किया जाता है। नीति आयोग द्वारा विभिन्न नीतिगत मामलों पर राज्यों को महत्वपूर्ण नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है।

राज्यों के वित्तीय स्थिति का विश्लेषण सहित राज्य वित्त सार

प्रभाग ने राज्य बजट 2024-25 में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करते हुए जीएसडीपी वृद्धि, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, स्वयं के करों से उत्पन्न संसाधनों सहित प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय, राजकोषीय और राजस्व घाटा और इसकी ऋण स्थिति सहित व्यय जैसे विभिन्न प्रमुख संकेतकों में उनके प्रदर्शन का आकलन करके राज्यों के वित्तीय और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया।

राज्यों के प्रमुख स्थूल-आर्थिक संकेतकों का अंतर्राज्यीय विश्लेषण भी किया गया, जिसका उपयोग भावी विकास के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ नियमित बातचीत/बैठकों में किया जा रहा है। यह प्रभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च स्तरीय दौरों के लिए इनपुट भी प्रदान करता है।

ज्ञान साझाकरण

यह प्रभाग अग्रणी संस्थाओं और थिंक टैंकों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में है तथा राज्यों को उनके राजकोषीय और वित्तीय मामलों पर ज्ञान संबंधी सहायता उपलब्ध करा रहा है।

प्रभाग ने राज्य के राजकोषीय और आर्थिक संकेतकों पर एक समर्पित डैशबोर्ड के विकास के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के साथ भी सहयोग किया है।

पर्यटन एवं संस्कृति

यह प्रभाग पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए संघ सरकार और राज्य सरकारों को कार्यनीतिक और दिशात्मक मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रभाग विशिष्ट पर्यटन, इको पर्यटन और आरोग्यता पर्यटन, अवसंरचना विकास, क्षमता विकास और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन नीतियों के विकास के माध्यम से भारत को पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करना चाहता है। संस्कृति प्रभाग का उद्देश्य इस क्षेत्र की नीति और नियोजन में बेहतर सामंजस्य के माध्यम से भारत की कला, संस्कृति और विरासत को विकसित, संरक्षित और बढ़ावा देना है।

मजबूत होमस्टे नीति भारत की पर्यटन क्षमता को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण कमी के रूप में सामने आई। इस संबंध में, प्रभाग ने एक ज्ञान साझेदार के सहयोग से "भारत में होमस्टे की आर्थिक क्षमता को प्रकट करना" विषय पर एक अध्ययन शुरू किया है। अक्टूबर 2024 में नीति आयोग में सभी हितधारकों के साथ एक कार्यशाला के माध्यम से अध्ययन की मध्यावधि समीक्षा की गई।

शहरीकरण

शहरीकरण प्रभाग प्रबंधनीय, आर्थिक रूप से उत्पादक, पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त और न्यायसंगत शहरीकरण पर डेटा आधारित नीति विश्लेषण प्रदान करता है। यह शहरी नियोजन, विकास और प्रबंधन में शामिल प्रमुख हितधारकों को सलाह एवं नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह प्रभाग नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और सुधारों को तैयार करने में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय सरकारों के साथ जुड़ता है। यह शहरीकरण के प्रबंधन के लिए नीतिगत दृष्टिकोणों पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने की दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान संगठनों, विकास भागीदारों और प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ भी सहयोग करता है।

शहरी क्षेत्रों को विकास केन्द्र के रूप में विकसित करना: प्रायोगिक अध्ययन

वैश्विक स्तर पर, भारत दूसरी सबसे बड़ी शहरी प्रणाली है जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (2011) में लगभग 63 प्रतिशत का योगदान देती है और अनुमान है कि 2040 तक यह बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाएगा। हालाँकि, भारत में भौतिक/स्थानिक फोकस वाला शहरी नियोजन का पारंपरिक दृष्टिकोण एकीकृत आर्थिक दूरदर्शिता को कमजोर करता है और शहर की सीमाओं तक सीमित होने के कारण क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता को नजरअंदाज करता है। इस प्रकार, शहरी विकास की पूरी क्षमता का लाभ उठाने में विफल रहने के कारण शहरी क्षेत्रों के एकत्रीकरण प्रभाव के महत्व को नहीं समझा गया है, जो उत्पादकता, नवाचार और रोजगार सृजन में वृद्धि करता है तथा व्यापक क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देता है।

इस पृष्ठभूमि में, नीति आयोग ने 2023 में शहरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करने हेतु विकास केंद्र पहल की कल्पना की। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक शहरी सीमाओं से परे शहरी क्षेत्रों को चित्रित करके और तीन प्रमुख स्तंभों पर केन्द्रित एक व्यापक योजना विकसित करके शहरी विकास की पारंपरिक प्रथाओं में आमूलचूल परिवर्तन लाना है: (i) आर्थिक एवं निवेश योजना, (ii) जीवन की गुणवत्ता, और (iii) समावेशिता एवं स्थिरता योजना। सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित इस पहल में राज्य सरकारें नीति आयोग के साथ मिलकर 5 चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक योजनाएं तैयार करती हैं: (i) नैदानिक विश्लेषण, (ii) एसडब्लूओटी और क्षमता मूल्यांकन, (iii) आर्थिक दूरदर्शिता, (iv) विकास चालकों की पहचान, और (v) कार्यान्वयन रूपरेखा। प्रक्रिया टेम्पलेट विकसित करने के लिए चार पायलट शहरी क्षेत्रों अर्थात मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), वाराणसी, सूरत और विशाखापत्तनम की पहचान की गई।

आरम्भ में, एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति गठित की गई। संबंधित राज्य सरकारों ने समग्र मार्गदर्शन और निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समितियों का गठन किया तथा परिचालन संबंधी मामलों के लिए प्रकोष्ठों को नामित किया। मुंबई और सूरत के लिए आर्थिक योजनाएं सितंबर 2024 में शुरू की गईं, जबकि वाराणसी और विशाखापत्तनम के लिए योजनाओं पर काम चल रहा है।

सूरत आर्थिक क्षेत्र (एसईआर) के लिए आर्थिक योजना

सूरत आर्थिक क्षेत्र (एसईआर) के लिए आर्थिक योजना, जिसमें 6 जिले - सूरत, भरूच, तापी, नवसारी, वलसाड और डांग शामिल हैं - को 2047 तक विकसित गुजरात के व्यापक लक्ष्यों के साथ पूरक बनाने और संरेखित करने के लिए कार्यनीति रूप से डिज़ाइन किया गया है। यह योजना क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है, जो आर्थिक विकास के प्रमुख चालकों, परियोजनाओं सहित विस्तृत योजनाओं के साथ-साथ नीतिगत हस्तक्षेप और कार्यान्वयन ढांचे पर आधारित है तथा इसमें समावेशिता, स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। योजना में 50 से अधिक परियोजनाओं और 20 नीतिगत हस्तक्षेपों का प्रस्ताव है, जिनका उद्देश्य सूरत आर्थिक क्षेत्र को 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर (लगभग) की समृद्ध अर्थव्यवस्था में बदलना है। यह योजना 2047 तक गुजरात को 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

19 सितंबर 2024 को सूरत में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री ने सूरत आर्थिक क्षेत्र (एसईआर) के लिए आर्थिक योजना का शुभारंभ किया। राज्य सरकार फिलहाल योजना के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

सूरत आर्थिक क्षेत्र की आर्थिक योजना का शुभारंभ

मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए आर्थिक योजना

मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के लिए आर्थिक योजना "2047 तक विकसित भारत" के विज़न के अनुरूप तैयार की गई है। इसमें 25 लाख करोड़ रुपये के सकल घरेलू उत्पाद, 30 लाख नई नौकरियों (महिलाओं के लिए 10 लाख नौकरियों सहित) के साथ 2030 तक एमएमआर को एक प्रमुख शहरी क्षेत्र में बदलने के लिए रोडमैप की रूपरेखा दी गई है। इस योजना का उद्देश्य झुग्गी-मुक्त जीवन सुनिश्चित करने के लिए 3 मिलियन किफायती घरों का निर्माण करना है। महाराष्ट्र के जीएसडीपी में 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान देने वाला एमएमआर वैश्विक वित्तीय केंद्र, विनिर्माण अड्डा और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए तैयार है। यह योजना 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के माध्यम से अवसंरचना, निजी क्षेत्र से सहयोग और समावेशिता पर जोर देती है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 12 सितंबर 2024 को शुरू की गई यह पहल 2047 तक महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुंबई महानगर क्षेत्र की आर्थिक योजना का शुभारंभ

नई पहलें जिन पर कार्य चल रहा है:

- शहरी क्षेत्रों को विकास केन्द्र के रूप में विकसित करना: प्रक्रिया टेम्पलेट तैयार करके शहरी क्षेत्रों के लिए आर्थिक योजनाएं तैयार करने हेतु एक रूपरेखा विकसित की जा रही है, जिसे राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है। विस्तृत प्रक्रियाओं वाली रूपरेखा को मॉड्यूलर और लचीला बनाने की परिकल्पना की गई है, ताकि राज्यों के लिए मापनीयता और दोहराव सुनिश्चित करते हुए विविध सामाजिक-आर्थिक संदर्भों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके। यह प्रभाग विकास केन्द्रों की पहचान करने और योजना बनाने में मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान सहित कई राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा है।

- सूरत और मुंबई के लिए तैयार आर्थिक योजनाओं का कार्यान्वयन: यह प्रभाग प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन और संबंधित आर्थिक योजना के नीतिगत सुझावों के लिए वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के साथ काम कर रहा है।
- पहाड़ी क्षेत्रों में शहरीकरण के प्रबंधन के लिए कार्यनीति रूपरेखा: प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने, पर्यटन को बढ़ावा देने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सामर्थ्य बढ़ाने के लिए पहाड़ी शहरों का विकास करना महत्वपूर्ण है। यह प्रभाग पहाड़ी शहरों में प्रमुख चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए आवश्यकताओं का व्यापक पैमाने पर मूल्यांकन कर रहा है। शहरों के चयन और प्राथमिकता निर्धारण के लिए एक संरचित दृष्टिकोण विकसित किया जा रहा है तथा प्रभाव, विकास कारक, परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए संभावित सहयोगियों की पहचान की जा रही है।
- लघु शहर नियोजन पहल: भारत में संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए छोटे शहरों का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे महानगरों में भीड़भाड़ कम होगी तथा जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा। छोटे शहरों में चुनौतियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए प्रभाग द्वारा आवश्यकताओं का व्यापक पैमाने पर मूल्यांकन किया जा रहा है।

स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ

नीति आयोग में स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ (वीएसी) 'एनजीओ दर्पण पोर्टल' का रखरखाव करता है, जिसमें विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। यह नंबर उन सभी एनपीओ के लिए अनिवार्य है जो भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से अनुदान लेना चाहते हैं। धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियम, 2023 के अनुसार, सभी वित्तीय संस्थानों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे किसी भी बैंक में खाता खोलने और संचालन के लिए एनजीओ दर्पण की विशिष्ट आईडी सुनिश्चित करें। इसी तरह, आयकर की धारा 80-जी के तहत छूट प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए भी एनजीओ दर्पण की विशिष्ट आईडी की आवश्यकता होती है।

एनजीओ दर्पण पोर्टल

एनजीओ दर्पण पोर्टल सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ साइन अप करने पर सिस्टम जनित एनजीओ दर्पण विशिष्ट आईडी प्राप्त करने में संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है। 2024 के अंत तक एनजीओ दर्पण पोर्टल पर लगभग 2.78 लाख एनजीओ पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 22 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं/केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान जारी किया है।

जल एवं भूमि संसाधन

यह प्रभाग देश के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल और भूमि संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। इस प्रभाग का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए जल और भूमि दोनों संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए। यह जल एवं भूमि संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नीतिगत निर्देश तैयार करता है तथा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देता है। इस प्रभाग का उद्देश्य इन दो महत्वपूर्ण संसाधनों तक रुकावट मुक्त पहुंच को संभव बनाकर सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सतत विकास में रुकावट पैदा किए बगैर सेवा प्रदायगी में उच्च स्तर प्राप्त करने में सभी हितधारक संगठनों को निपुण बनाना है। यह राज्यों के साथ विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है, सरकार को कार्यनीतिक नीति परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है तथा राज्यों एवं अन्य हितधारकों के साथ सतत बातचीत और चर्चा के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करता है। प्रभाग में जल क्षेत्र और भूमि संसाधन की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/नीतियों का मूल्यांकन भी किया जाता है।

'विज़न 2047 के लिए भारत की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की चुनौतियाँ और अवसर' पर विशेषज्ञ चर्चा

हितधारकों और मंत्रालयों के लाभ के लिए भारत में जल प्रबंधन की नवीन कार्यनीतियों पर चर्चा करने के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध जल विशेषज्ञ प्रोफेसर असित कुमार बिस्वास द्वारा एक विशेषज्ञ वार्ता का आयोजन किया गया। सत्र में भारत के मानसून

आधारित भूभाग का लाभ उठाकर जीवन और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया। प्रोफेसर बिस्वास ने जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय दबावों के बीच भारत की जल संबंधी दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने अपने समापन भाषण में चल रही जल प्रबंधन परियोजनाओं और सफलता की कहानियों पर प्रकाश डाला तथा जल सुरक्षा के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

"विज़न 2047 के लिए भारत में जल की आवश्यकताओं को पूरा करने की चुनौतियां और अवसर" विषय पर प्रो. असित के. विश्वास द्वारा विशेषज्ञ वार्ता

जल उत्सव 2024: जल संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान

6 से 24 नवंबर, 2024 तक नीति आयोग द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग के साथ मिलकर चलाए जा रहे 15 दिवसीय प्रमुख अभियान के रूप में जल उत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण, प्रबंधन और स्थिरता को बढ़ावा देना था। इस अभियान में जल बंधन समारोह, स्कूलों में शैक्षिक कार्यक्रम, वृक्षारोपण अभियान, जल परिसंपत्तियों की सफाई और जिला विशिष्ट "जल संपदा" तथ्य पत्रक का शुभारंभ जैसी गतिविधियों के माध्यम से 20 आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के समुदायों को शामिल किया गया। इसमें जल संचय दिवस, 'नल जल मित्र' कार्यक्रम के तहत कौशल विकास और जल उत्सव दौड़ जैसी गतिविधियाँ भी शामिल थीं। इस कार्यक्रम ने समुदाय संचालित जल संरक्षण को बढ़ावा दिया तथा स्थायी जल प्रथाओं के प्रति व्यवहार में दीर्घकालिक परिवर्तन उत्पन्न किया।

जल उत्सव 2024 की झलकियां

जल संपदाओं के पुनरुद्धार पहल का विस्तार

जल संपदाओं के पुनरुद्धार की पूर्व पहल को आगे बढ़ाते हुए, एटीई चंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से इसे 500 आकांक्षी ब्लॉकों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। पहल के प्रथम चरण में कार्यान्वयन के लिए 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 113 आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों को चुना गया है। इस परियोजना का ध्यान जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने, भूजल पुनर्भरण में सुधार लाने, किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस विशाल प्रयास का उद्देश्य जमीनी स्तर पर जल सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन पर स्थायी प्रभाव पैदा करना है।

एटीई चंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से "जलाशयों का कायाकल्प" पर आशय विवरण पर हस्ताक्षर किए गए

जीआईजेड, जर्मनी के सहयोग से जल बजट निर्धारण प्रक्रिया

पेयजल की सतत आपूर्ति के लिए जल संसाधन प्रबंधन और आबंटन को अनुकूलतम बनाने के लिए 23 आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजट निर्धारण प्रक्रिया शुरू की गई है। पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाने, संसाधन की कमी को दूर करने तथा पानी की उपलब्धता और स्थिरता के बारे में डेटा आधारित अंतर्दृष्टि के साथ समुदायों को सशक्त बनाने के लिए जर्मन विकास एजेंसी जीआईजेड के सहयोग से संचालित इस सतत पहल में स्थानीयकृत जल संतुलन मॉडल का उपयोग किया जाता है, जिससे जल सुरक्षा प्राप्त होती है। राज्य/जिला नोडल अधिकारी इस उद्देश्य के लिए विकसित एक समर्पित ऐप के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पानी के उपयोग से संबंधित आंकड़े दर्ज कर रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास

एनीमिया से निपटने के लिए कार्य योजना का विकास

एनएफएचएस सर्वेक्षण के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों, किशोरों और महिलाओं के एनीमिया से पीड़ित होने के कारण एनीमिया देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। भारत सरकार ने एनीमिया से निपटने के लिए सार्वभौमिक कार्यनीति के रूप में 2018 में एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम शुरू किया। हालाँकि, पिछले 50 वर्षों में इन प्रयासों के बावजूद, भारत में एनीमिया के प्रसार में कमी प्रति वर्ष 1 प्रतिशत से कम रही है। नीति आयोग ने अनुसंधान में संभावित अंतराल और एएमबी कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों को समझने के लिए एक पहल शुरू की है।

कार्यक्रम संबंधी कमियों पर विचार-विमर्श करने के लिए 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ राष्ट्रीय परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित की गई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा स्कूल शिक्षा विभागों के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति, एनीमिया से संबंधित हस्तक्षेपों, जैसे हीमोग्लोबिन की जांच, आयरन और फोलिक एसिड की निवारक और उपचारात्मक खुराकों का वितरण और खपत संबंधी चुनौतियों तथा इन हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी दी।

15 राज्यों में एएमबी के 6X6X6 हस्तक्षेपों के कार्यान्वियन का राष्ट्रीय स्तर पर त्वरित मूल्यांकन किया गया और नीति आयोग ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ एएमबी के छह हस्तक्षेपों में से प्रत्येक के प्रभाव पर विचार-विमर्श करने के लिए कई दौर की वैज्ञानिक समीक्षा बैठकें कीं और अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। विशेषज्ञ समूह की बैठकें आयोजित की गईं और इन परामर्शों के निष्कर्षों के आधार पर एनीमिया से निपटने के लिए संशोधित कार्यनीति का मसौदा तैयार किया गया तथा उसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा किया गया।

प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल और शिक्षा (ईसीडीसीई)

बच्चों के उच्चतम संभव प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास, देखभाल और शिक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के विचार के साथ, नीति आयोग ने वैश्विक प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास मॉडल सहित साहित्य की गहन इन-डेस्क समीक्षा की और विशेष रूप से 0-3 वर्ष के बच्चों के लिए ईसीडी पहल को समझने के लिए कई परामर्शों में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज के संगठनों, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, शिक्षाविदों अन्य विशेषज्ञ से परामर्श किया।

इन परामर्शों से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर नीति आयोग में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल और शिक्षा (ईसीडीसीई) पर एक मिशन की संकल्पना की गई है तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ इस पर चर्चा की गई है। आंगनवाड़ी प्रणाली 13.9 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से देश भर में लगभग 9 करोड़ बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करती है। इस संबंध में, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्कूल और जीवन-तैयारी में सुधार लाने के लिए आंगनवाड़ी प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर 10 आकांक्षी जिलों में एक पायलट हस्तक्षेप किया जा रहा है। रॉकेट लर्निंग इस पहल में तकनीकी साझेदार है।

हिमाचल प्रदेश में कुपोषण से निपटने के लिए विंग्स का संचालन और कार्यान्वयन अनुसंधान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने विकास अध्ययन के लिए महिला और शिशु एकीकृत हस्तक्षेप (विंग्स) मॉडल के हस्तक्षेप को पायलट मोड में दोहराने में रुचि व्यक्त की। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में विंग्स के संचालन और कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), जैव प्रौद्योगिकी विभाग - जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (डीबीटी बीआईआरएसी), स्वास्थ्य अनुसंधान और विकास केंद्र, सोसायटी फॉर एप्लाइड स्टडीज (सीएचआरडी-एसएएस) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के साथ चर्चा और बैठकें शुरू की गई हैं।

पोषण कार्यनीति

लेट्स फ़िक्स आवर फ़ूड (एलएफओएफ) पीएचएफआई और यूनिसेफ द्वारा संचालित एक पहल है। इस पहल के अंतर्गत, उन्होंने भारत में बच्चों, किशोरों और महिलाओं में अधिक वजन और मोटापे की समस्या से निपटने के लिए नीतिगत विवरण तैयार किया है। नीति आयोग द्वारा एलएफओएफ कंसोर्टियम को आयु आधारित जीवन-चक्र पोषण रणनीति, अर्थात 'भारत में पोषण में सुधार के लिए रणनीति' विकसित करने के कार्य से संबद्ध किया गया है। रणनीति दस्तावेज़ पर काम करने के लिए एक सलाहकार समूह और कार्य समूह का गठन किया गया है।

महिलाओं के अनुकूल कार्यस्थल

भारत में महिलाएं देश की आर्थिक विकास में प्रभावी रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और पांच ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। हालाँकि, महिलाएँ ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के बिना पूरी तरह और प्रभावी ढंग से भाग लेने में समर्थ नहीं होंगी जो उनकी सुरक्षा, संरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल नहीं होगा। इस संदर्भ में, नीति आयोग निजी क्षेत्र में मानव संसाधन की सर्वोत्तम प्रथाओं का एक संग्रह तैयार कर रहा है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक होगा।

एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) की पुनर्कल्पना

आईसीडीएस का संचालन 48 वर्षों से चल रहा है तथा यह लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य तक पहुंच गया है। यह विशेष रूप से जनसंख्या के कमजोर वर्गों तक पहुंचने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों में से एक रहा है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य में बदलती जरूरतों और समय के अनुरूप आईसीडीएस और प्रणाली को फिर से परिकल्पित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, "एकीकृत बाल विकास सेवाओं की पुनर्कल्पना" पर एक अध्ययन का प्रस्ताव किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य उभरती चुनौतियों और अवसरों, उभरते जनसांख्यिकीय रुझानों, समाज की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं की पहचान करना है। अध्ययन में आईसीडीएस कार्यक्रम की खामियों की भी पहचान की जाएगी तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आगे का मार्ग सुझाया जाएगा कि आईसीडीएस कुशल अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं द्वारा उच्च गुणवत्ता, आयु और संस्कृति के अनुरूप सेवाएं प्रदान करे।

सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यवहार में सुधार

व्यवहार संबंधी मुद्दे विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संबंध में, नीति आयोग, व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि टीम और बीएमजीएफ ने आकांक्षी जिलों, आकांक्षी ब्लॉकों और अन्य कार्यक्रमों में सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु हस्तक्षेपों की पहचान करने के लिए एक एसओआई पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों (एडी) और आकांक्षी ब्लॉकों (एबी) में चयनित प्रमुख संकेतकों: (क) गर्भवती महिलाएं और शिशु स्वास्थ्य; (ख) प्राथमिक शिक्षा; (ग) सार्वजनिक स्वास्थ्य (तपेदिक उन्मूलन और उच्च रक्तचाप की जांच बढ़ाने पर केंद्रित); और आपसी सहमति से निर्णीत अन्य क्षेत्रों पर सार्थक प्रभाव डालना है।

महिलाओं संबंधी सतत विकास लक्ष्य 5 से संबंधित कार्य

सतत विकास लक्ष्य 5 (एसडीजी 5) का उद्देश्य लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है। यद्यपि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार, एसडीजी 5 पर भारत का स्कोर 2018 में 36 से बढ़कर 2023-24 में 49 हो गया है; फिर भी एसडीजी 5 पर इसका प्रदर्शन निगरानी किए गए 15 एसडीजी में से कम रहा है। 2047 तक विकसित भारत के हमारे दृष्टिकोण को साकार करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाना तथा सतत विकास लक्ष्य 5 में हमारे प्रदर्शन में सुधार लाना बहुत महत्वपूर्ण है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक तरीका यह है कि एसडीजी 5 के संकेतकों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन को प्रदर्शित किया जाए तथा उन्हें अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन/सहयोग प्रदान किया जाए। इस संदर्भ में, नीति आयोग भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (आईआईएम-ए) के जेंडर सेंटर के साथ सहयोग कर रहा है, ताकि नीति आयोग को एसडीजी 5 के संकेतकों का व्यापक जिला स्तरीय विश्लेषण प्रदान करने में मदद मिल सके। साझेदारी में आईआईएम-ए को ज्ञान साझेदार के रूप में शामिल किया जाएगा, जो महिला सशक्तीकरण के लिए प्रमुख कारकों और बाधाओं की पहचान करने तथा जिला विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तीकरण के लिए स्थानीय समाधान विकसित करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करेगा, ताकि एसडीजी 5 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में त्वरित प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

भारत में शिशु सदन के इकोसिस्टम का विस्तार

शिशु सदन आमतौर पर 6 साल तक के बच्चों को समूह देखभाल प्रदान करते हैं, ताकि देखभाल करने वाले लोग अपने काम, अध्ययन या ऐसे अन्य उपक्रमों पर जाने में सक्षम हो सकें। भारत में 30 लाख से अधिक शिशु सदनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिशु सदन के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए मॉडल के विकास पर ध्यान देने के साथ राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और इस क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के साथ चर्चा की।

NATIONAL CONFERENCE ON
MONITORING, EVALUATION & LEARNING 2024
SESSION 1
Outcome-based Monitoring to Enhance
Evidence-Based Implementation:
Improving Efficacy of Government Schemes from
Input-Based Budgeting to Outcome-Based Monitoring
2 May 2024 ; 12:00 PM - 01:30 PM
Vigyan Bhawan, New Delhi

खंड 5

अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)

डीएमईओ का अधिदेश नवाचारी सुधारों में सहायता के लिए कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की सक्रिय निगरानी और मूल्यांकन करना है, जिसमें आवश्यक मध्यावधि सुधार और आवश्यक संसाधनों की पहचान शामिल है, ताकि सफलता की संभावना और वितरण के दायरे को मजबूत किया जा सके। इसके अधिदेश में नीति आयोग के सहयोगी संघवाद के अधिदेश के तहत राज्यों को तकनीकी सलाह प्रदान करना भी शामिल है। महानिदेशक (डीजी) डीएमईओ के अध्यक्ष हैं। पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए डीएमईओ को अनन्य रूप से एक अलग बजटीय आबंटन प्रदान किया गया है। डीएमईओ के कार्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: (i) निगरानी, (ii) मूल्यांकन, और (iii) निगरानी एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में साझेदारी और क्षमता निर्माण को शामिल करने वाली कार्यनीति पहल।

2024-25 में डीएमईओ द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं थीं:

- उत्पाद - परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ)
- डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआइ)
- वैश्विक सुधार और विकास सूचकांक (जीआईआरजी) की निगरानी
- सेक्टर समीक्षा
- मूल्यांकन
- क्षमता निर्माण
- राज्यों के साथ परियोजना

निष्पादन - परिणाम निगरानी रूपरेखा

डीएमईओ को वर्ष 2017 के मध्य में निष्पादन - परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ) का कार्य सौंपा गया था और तब से यह एक वार्षिक कार्य बन गया है। इसका उद्देश्य परिणामों की निगरानी को संस्थागत बनाना है, ताकि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों का ध्यान भौतिक और वित्तीय प्रगति पर नज़र रखने से हटकर किए गए कार्य के परिणामों पर केंद्रित हो सके। ओओएमएफ की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- यह रूपरेखा हर साल केंद्रीय बजट के साथ संसद के पटल पर रखी जा रही है
- सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 54 ने ओओएमएफ को मंत्रालयों / विभागों के लिए एक अभिन्न प्रक्रिया बनाया है
- इसमें 70 मंत्रालय / विभाग शामिल हैं
- 12+ लाख करोड़ रुपये के संचयी वार्षिक बजटीय परिव्यय के साथ 300+ केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस)
- प्रगति और अनुपालन रिपोर्टों के माध्यम से डैशबोर्ड पर उत्पाद और परिणाम के 3000+ संकेतकों को ट्रैक किया गया

डीएमईओ ओओएमएफ डेटा का लाभ उठाकर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए सभी मंत्रालयों / विभागों और व्यय विभाग के साथ मिलकर काम करता है। यह उचित है कि यह कार्य मंत्रालयों / विभागों द्वारा साल भर किया जाए ताकि वे अपनी-अपनी योजनाओं के निष्पादन को समझ सकें। वर्ष 2020 से मुख्य रूप से (i) सीएस / सीएसएस की प्रगति की समीक्षा करने; (ii) विशेष रूप से राष्ट्रीय विकास एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके परिणामों की निगरानी करने, (iii) पिछले वर्ष की ओओएमएफ समीक्षा बैठक से संबंधित कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर प्रगति की समीक्षा करने, और (iv) अन्य मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों / विभागों के सचिवों के साथ विभिन्न मंत्रालयों / विभागों की ओओएमएफ से संबंधित वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। 2024-25 के दौरान 17 जनवरी, 2025 तक 23 ओओएमएफ समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें मंत्रालयों / विभागों ने ओओएमएफ के तहत अपने प्रदर्शन की समीक्षा की।

इसके अतिरिक्त, सरकार के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों की क्षमता में सुधार लाने के लिए डीएमईओ निरंतर प्रयास करता रहा है। इस संबंध में, राज्य (जैसे उत्तराखंड) और संस्थानों (जैसे एनआईईएलईआरडी आदि) के साथ ज्ञान साझाकरण

और क्षमता निर्माण सत्रों की श्रृंखला भी आयोजित की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल 9 क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

भारत में डेटा गवर्नेंस में परिवर्तन: डीजीक्यूआई पहल

तेजी से डिजिटलीकरण और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास ने दुनिया भर में शासन की प्रकृति को बदल दिया है। पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी की बढ़ती मांग ने सार्वजनिक नीति के जीवन चक्र में डेटा की भूमिका को संशोधित कर दिया है। डेटा तत्परता सरकारों को अच्छी तरह से डिजाइन की गई और अच्छी तरह से लक्षित नीतियां और कार्यक्रम बनाने, मध्यावधि सुधार करने और भावी निर्णयों को सूचित करने के लिए इसके जीवन चक्र के अंत में प्रभाव का मूल्यांकन करने की अनुमति देती है।

भारत सरकार के अधिकांश मंत्रालयों / विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों ने अपनी पहलों के बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी के लिए पिछले दो दशकों में डिजिटल एमआईएस और डैशबोर्ड विकसित किए हैं। हालाँकि, उनके डेटा की व्यापकता, आवृत्ति और गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं। डेटा प्रायः गैर अंतःप्रचालनीय प्रारूपों में अलग-अलग स्थानों पर मौजूद होता है, जिससे यह क्रॉस-फंक्शनल विश्लेषण के लिए कम उपयोगी हो जाता है। परिणामस्वरूप, हालांकि लोक प्रशासन की प्रक्रियाओं में बहुत सारा डेटा उत्पन्न होता है, लेकिन दैनिक निर्णय लेने तथा निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए इसके उपयोग के संदर्भ में इसकी क्षमता का इष्टतम उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में, एनआईसी/एनआईसीएसआई और संबंधित मंत्रालयों / विभागों के सहयोग से डीएमईओ द्वारा 2020 में डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआइ) का कार्य शुरू किया गया। लगभग 250 सीएस/सीएसएस को कवर करते हुए 65 मंत्रालयों / विभागों के साथ डीजीक्यूआई का पहला चरण 2020 में स्व-मूल्यांकन मोड में आयोजित किया गया था। मंत्रालयों / विभागों ने एक ऑनलाइन सर्वेक्षण भरा, जिसके उत्तरों का उपयोग डीजीक्यूआई का स्कोरकार्ड तैयार करने के लिए किया गया। इस अभ्यास से मंत्रालयों / विभागों के बीच स्पष्ट असमानताएं सामने आईं तथा इसने सभी क्षेत्रों में सुधार की व्यापक गुंजाइश पर प्रकाश डाला। इसके बाद, 2021 में उन्नत क्षैतिज (डेटा तत्परता के तीनों चरणों यानी डेटा कार्यनीति, सिस्टम और डेटा संचालित परिणाम को कवर करते हुए) और ऊर्ध्वाधर (मंत्रालयों / विभागों और योजनाओं की संख्या के साथ-साथ गैर-योजनाबद्ध हस्तक्षेपों के संदर्भ में) दायरे के साथ डीजीक्यूआई 2.0 लॉन्च किया गया था, जो इस दिशा में सुधारों की निगरानी और निर्देशन के लिए एक नियमित कार्य के रूप में था।

डीजीक्यूआई अभ्यास तीन स्तंभों पर केंद्रित है, जिन्हें छह विषयों अर्थात डेटा सृजन, डेटा गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी एकीकरण, विश्लेषण, प्रसार, सुरक्षा में विभाजित किया गया है जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने को प्रोत्साहित करता है। अब तक इस अभ्यास के 7 दौर संपन्न हो चुके हैं, और डीजीक्यूआई 2.0 के 7वें दौर की अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है।

सर्वोत्तम प्रथाओं, नवीन दृष्टिकोणों और आम चुनौतियों के समाधान को साझा करने के लिए डीजीक्यूआई सहयोग और सीखने की संस्कृति का निर्माण करता है।

सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक (जीआईआरजी)

भारत सरकार की जीआईआरजी पहल का उद्देश्य देश में विकास और सुधारों को गति देने के लिए 27 वैश्विक सूचकांकों (जीआइ) की निगरानी का लाभ उठाना है। जीआईआरजी के तहत निगरानी के लिए चयनित 27 वैश्विक सूचकांकों को 18 वैश्विक एजेंसियों (प्रकाशन एजेंसियों) द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिनमें बहुपक्षीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, निजी संगठन और विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो चार व्यापक विषयों अर्थात अर्थव्यवस्था, विकास, शासन और उद्योग में फैले हुए हैं। ये 27 सूचकांक 18 नोडल मंत्रालयों/विभागों को आवंटित किए गए हैं।

जीआईआरजी पहल का प्राथमिक उद्देश्य उपयुक्त सुधारों को अपनाकर और प्रगति की निगरानी करके भारत की वैश्विक धारणा और इसकी वैश्विक रैंकिंग में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और विकास मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन को आगे बढ़ाना है।

नीति आयोग के डीएमईओ को इस अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ने हेतु ज्ञान साझेदार और समन्वयक के रूप में नामित किया गया है। 27 वैश्विक सूचकांकों के लिए नोडल मंत्रालयों / विभागों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव के स्तर पर जीआईआरजी पहल की लगातार समीक्षा की जाती है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, जीआईआरजी के तहत निगरानी किए जा रहे 27 सूचकांकों के लिए सभी नोडल मंत्रालयों/विभागों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा विश्व बैंक, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूआईपीओ, डब्ल्यूईएफ, यूएनडीपी, एफएओ आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ कई बार बातचीत की गई। बैठकों में वैश्विक स्तर पर इन सूचकांकों में भारत के समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने की कार्यनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

सेक्टर समीक्षा

सेक्टरों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष सेक्टर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। डीएमईओ वर्ष 2017 से संबंधित मंत्रालयों / विभागों और नीति आयोग के समन्वय से प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए सेक्टर समीक्षा को सुगम बना रहा है। समीक्षा के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में 10 अवसंरचना क्षेत्र अर्थात परिवहन (सड़क, नागर विमानन, रेलवे और बंदरगाह), ऊर्जा (बिजली, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा) और अन्य (दूरसंचार, खनन) शामिल हैं।

ये समीक्षाएं विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन के बारे में मंत्रालय स्तरीय विचार प्रस्तुत करने तथा वैश्विक समकक्षों की तुलना में भारत की सेक्टोरल अच्छाइयों और कमजोरियों का गहन विश्लेषण करने का अनूठा अवसर प्रदान करती हैं। समग्र विकास के परिणामों में सुधार के लिए बाधाओं की पहचान करके तथा हस्तक्षेप का सुझाव देकर, सरकार के उच्चतम स्तर से अक्सर तत्काल कार्रवाई शुरू की जाती है। सेक्टर समीक्षा बैठकों का नवीनतम दौर अक्टूबर-दिसंबर, 2024 के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।

मूल्यांकन

डीएमईओ भारत सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन करता है, जिससे साक्ष्य आधारित सार्वजनिक नीति निर्माण संभव होता है। मूल्यांकन स्वप्रेरणा से या मंत्रालयों के अनुरोध पर किया जाता है। ये मूल्यांकन साहित्य की व्यापक समीक्षा और सर्वेक्षण डेटा के विश्लेषण पर आधारित होते हैं तथा योजनाओं/कार्यक्रमों के कामकाज को बेहतर बनाने और इनके इच्छित उद्देश्यों और परिणामों को प्राप्त करने में सुगमता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मूल्यांकन इस उद्देश्य से किया जाता है कि यह समझा जा सके कि क्या, क्यों, किसके लिए और किन परिस्थितियों में काम करता है, जिसके आधार पर कार्यक्रमों/योजनाओं को परिष्कृत, अनुकूलित किया जाता है और योजनाओं/कार्यक्रमों के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मध्यावधि सुधार किए जाते हैं।

सितंबर 2015 में अपनी स्थापना के बाद से, डीएमईओ ने 155 मूल्यांकन अध्ययन पूरे कर लिए हैं। 2024-25 में, डीएमईओ ने 8 केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) योजनाओं को कवर करते हुए चार मूल्यांकन अध्ययनों को अंतिम रूप दिया। अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को प्रस्तुत की गई। इसके अलावा, अगले वित्त आयोग चक्र में उनके मूल्यांकन से पहले हर पांच साल में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का मूल्यांकन करने के अपने अधिदेश के हिस्से के रूप में, डीएमईओ वर्तमान में नौ मूल्यांकन पैकेजों के माध्यम से 72 सीएसएस योजनाओं का मूल्यांकन कर रहा है।

क्षमता निर्माण

डीएमईओ के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य सरकारी नीति और कार्यक्रमों के सभी स्तरों पर निगरानी और मूल्यांकन के अनुप्रयोग को संस्थागत बनाना है ताकि दक्षता, प्रभावशीलता, समानता, स्थिरता और परिणामों की उपलब्धि में सुधार हो सके। पिछले वर्ष के दौरान, डीएमईओ केंद्रीय और राज्य स्तरों पर व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमताओं के निर्माण के लिए कई पहल कर रहा है। इन पहलों को सरकारी हितधारकों, वैश्विक विशेषज्ञों, थिंक टैंकों और शैक्षणिक संगठनों के साथ सहक्रियात्मक साझेदारी के माध्यम से समर्थन दिया जाता है।

राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों की क्षमता का निर्माण

सहकारी संघवाद के लक्ष्य के अनुसरण में, डीएमईओ ज्ञान साझाकरण के साथ-साथ निगरानी और मूल्यांकन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ रहा है। विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के इस नेटवर्क के साथ आरंभिक साझेदारी का उद्देश्य महत्वपूर्ण लाभार्थी उन्मुख योजनाओं का त्वरित क्षेत्र स्तरीय आकलन करना है। विश्वविद्यालयों के क्षमता निर्माण का पहला दौर 10 राज्यों में 10 केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों के साथ किया गया। वर्तमान में इसी पहल का दूसरा दौर चल रहा है, जो स्कूल स्तर पर छात्रों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर केन्द्रित भारत सरकार की चार योजनाओं पर जानकारी प्राप्त करने पर

केन्द्रित है और यह 8 विशिष्ट राज्यों के साथ 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 12 विश्वविद्यालयों के सहयोग से किया जा रहा है। इस पहल का तीसरा दौर दूसरे दौर का विस्तार है जिसका उद्देश्य शेष 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करना है और वर्तमान में इसमें विश्वविद्यालयों को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्षमता निर्माण

डीएमईओ क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ काम कर रहा है और साथ ही उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग राज्यों के साथ निगरानी और मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश और टूलकिट साझा कर रहा है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने संबंधी नीति आयोग के अधिदेश के अनुरूप, डीएमईओ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना विभागों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण सत्र: देश भर में निगरानी और मूल्यांकन की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, डीएमईओ ने पिछले वर्ष कई प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए:

- डीएमईओ, नीति आयोग ने परिणाम आधारित प्रबंधन (आरबीएम) और उत्पाद - परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ) पर उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय (7-9 अगस्त 2024) कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में 22 विभागों और लोक नीति एवं शासन केन्द्र (सीपीपीजीजी) के निगरानी एवं मूल्यांकन से जुड़े 50 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।
- नीति आयोग के राज्य सहायता मिशन के हिस्से के रूप में डीएमईओ, नीति आयोग द्वारा सिक्किम (10-12 नवंबर, 2024) और छत्तीसगढ़ (23 सितंबर, 2024) राज्यों के लिए निगरानी एवं मूल्यांकन पर अभिविन्यास सत्र भी आयोजित किए गए।

अनुवीक्षण, मूल्यांकन और अधिगम पर राष्ट्रीय सम्मेलन

दिनांक 02 और 03 मई, 2024 को विज्ञान भवन में अनुवीक्षण, मूल्यांकन और अधिगम पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अंतर्विषयक सभा ने केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारियों, भागीदार संगठनों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं सहित 400 से अधिक प्रतिभागियों को एकजुट किया।

इस सत्र में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने तत्कालीन वित्त सचिव डॉ.टी.वी. सोमनाथन के साथ भाग लिया, जिन्होंने अपने विशेष संबोधन में सुविज्ञ लोक नीति के निर्माण में एमएंडई की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इसके बाद परिणाम आधारित अनुवीक्षण, मूल्यांकन तंत्र, परिणाम आधारित वित्तपोषण, संस्थागत अखंडता, राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं और सरकारी आंकड़ों के उपयोग पर अंतर्दृष्टि सत्र आयोजित किए गए।

02 एवं 03 मई, 2024 को अनुवीक्षण मूल्यांकन और अधिगम पर राष्ट्रीय सम्मेलन की झलकियां

खंड 6
अटल नवाचार मिशन

अटल नवाचार मिशन (एआईएम) हमारे देश के कोने-कोने में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति पैदा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य भारत की 22 आधिकारिक भाषाएं बोलने वाले नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए स्कूलों, उच्च शिक्षा, कॉर्पोरेट्स, उद्योगों, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

अटल नवाचार मिशन 2.0

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर, 2024 को नीति आयोग के तत्वावधान में अटल नवाचार मिशन (एआईएम) नामक अपनी प्रमुख पहल को जारी रखने की मंजूरी दी तथा इसके कार्य का दायरा भी बढ़ाया गया और 31 मार्च, 2028 तक की अवधि के लिए 2,750 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। एआईएम 2.0 विकसित भारत की ओर एक कदम है जिसका उद्देश्य भारत के जीवंत नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार, सुदृढ़ीकरण करना और उसे गहनता प्रदान करना है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है और यहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम है, ऐसे में अटल नवाचार मिशन के अगले चरण (एआईएम 2.0) से भारत की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में और वृद्धि होने की उम्मीद है। एआईएम को जारी रखने का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में बेहतर रोजगार, नवीन उत्पाद और उच्च प्रभाव वाली सेवाओं के सृजन में प्रत्यक्ष योगदान देना है।

एआईएम 1.0 की उपलब्धियों, जैसे अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) और अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) पर आधारित एआईएम 2.0 मिशन के दृष्टिकोण में गुणात्मक बदलाव को चिह्नित करता है। एआईएम 1.0 में भारत के तत्कालीन नवजात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए नवाचार के नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने वाले कार्यक्रमों को लागू करना शामिल था, जबकि एआईएम 2.0 में पारिस्थितिकी तंत्र में अंतराल को पाटने और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, उद्योग, शिक्षा और समुदाय के माध्यम से सफलताओं को बढ़ाने के लिए तैयार की गई नई पहलों का संचालन करना शामिल है।

एआईएम 2.0 को तीन तरीकों: (क) इनपुट बढ़ाना (अर्थात अधिक नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को आगे लाना), (ख) सफलता दर या 'थ्रूपुट' में सुधार करना (यानी अधिक स्टार्टअप को सफल होने में मदद करना) और (ग) 'उत्पाद' की गुणवत्ता में सुधार करना (अर्थात बेहतर नौकरियाँ, उत्पाद और सेवाएँ पैदा करना) से भारत के नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

दो कार्यक्रमों का लक्ष्य पारिस्थितिकी तंत्र में इनपुट बढ़ाना है:

- भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए नवाचार का भाषा समावेशी कार्यक्रम (एलआईपीआइ), ताकि अंग्रेजी न बोलने वाले नवप्रवर्तकों, उद्यमियों और निवेशकों के सामने आने वाली प्रवेश बाधाओं को कम किया जा सके। मौजूदा इन्क्यूबेटरों में 30 मातृभाषा नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- फ्रंटियर कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके), लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों (एनई), आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनुकूलित टेम्पलेट का निर्माण करना है, जहां भारत के 15 प्रतिशत नागरिक रहते हैं। टेम्पलेट के विकास के लिए 2500 नए एटीएल बनाए जाएंगे।

चार कार्यक्रमों का लक्ष्य पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता में सुधार लाना है:

- मानव पूंजी विकास कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए पेशेवरों (प्रबंधकों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों) को तैयार करने हेतु प्रणाली का निर्माण करना है। इस पायलट परियोजना से ऐसे 5500 पेशेवर तैयार होंगे।
- डीपटेक रिएक्टर एक शोध सैंडबॉक्स तैयार करेगा, जिससे शोध आधारित डीपटेक स्टार्टअप के व्यावसायीकरण के तरीकों के परीक्षण किए जा सकेंगे, जिन्हें बाजार में लाने के लिए काफी अधिक समय और गहन निवेश की आवश्यकता होती है। कम से कम एक डीपटेक रिएक्टर का संचालन किया जाएगा।
- राज्य नवाचार मिशन (एसआईएम) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मजबूत नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने में सहायता प्रदान करेगा जो उनकी ताकत के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। एसआईएम नीति आयोग के राज्य सहायता मिशन का घटक होगा।

- अंतरराष्ट्रीय नवाचार सहयोग कार्यक्रम भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा। हस्तक्षेप के चार क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं: (क) वार्षिक ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड (ख) उन्नत देशों के साथ 10 द्विपक्षीय, बहुपक्षीय जुड़ावों का निर्माण (ग) ज्ञान भागीदार के रूप में, एआईएम और उसके कार्यक्रमों (एटीएल, एआईसी) के मॉडल को वैश्विक दक्षिण के देशों तक फैलाने में संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) की मदद करना और (घ) भारत के लिए जी20 के स्टार्टअप20 एंगेजमेंट ग्रुप का संचालन करना।

दो कार्यक्रमों का लक्ष्य आउटपुट (नौकरियां, उत्पाद और सेवाएं) की गुणवत्ता में सुधार करना है:

- उन्नत स्टार्टअप को बढ़ावा देने में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए औद्योगिक त्वरक कार्यक्रम। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में न्यूनतम 10 उद्योग त्वरक बनाए जाएंगे।
- अटल सेक्टोरल नवाचार लांचपैड (एएसआईएल) कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में स्टार्टअप से एकीकरण और खरीद के लिए केंद्रीय मंत्रालयों में आईडीईएक्स जैसे प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। प्रमुख मंत्रालयों में कम से कम 10 लॉन्चपैड बनाए जाएंगे।

अटल नवाचार मिशन 1.0

एआईएम की वर्तमान पहलों में स्कूलों में समस्या समाधान और नवीन मानसिकता पैदा करने के लिए अत्याधुनिक अटल टिंकरिंग लैब, विश्वविद्यालयों, संस्थानों और उद्योग में विश्व स्तरीय अटल इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, विश्व स्तरीय स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना, स्टार्ट-अप, एमएसएमई उद्योग के माध्यम से राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के साथ नवीन उत्पादों और सेवाओं के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए अटल न्यू इंडिया चैलेंज का शुभारंभ, देश के असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों में अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र स्थापित करना और राष्ट्रीय स्वैच्छिक 'मेंटर्स ऑफ चेंज' नेटवर्क की स्थापना करना शामिल है। उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एआईएम विभिन्न मंत्रालयों, उद्योग भागीदारों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य देशों के साथ भी सहयोग करता है। एआईएम भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार एवं उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए नई पहलों और कार्यक्रमों पर काम करना जारी रखेगा।

अटल टिंकरिंग लैब

अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) स्कूल में स्थापित एक अत्याधुनिक स्थान है, जिसका लक्ष्य 21वीं सदी के उपकरणों और प्रौद्योगिकियों जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3डी प्रिंटिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग उपकरण, रोबोटिक्स, लघु इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वयं करें किट और बहुत कुछ के माध्यम से देश भर में 6वीं से 12वीं कक्षा के युवाओं के मन में जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य एटीएल और आसपास के समुदायों के बच्चों में समस्या समाधान की नवाचारी मानसिकता को प्रोत्साहित करना है। अब तक, एआईएम ने भारत के सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के 700 से अधिक जिलों के स्कूलों में 10,000 एटीएल स्थापित किए हैं।

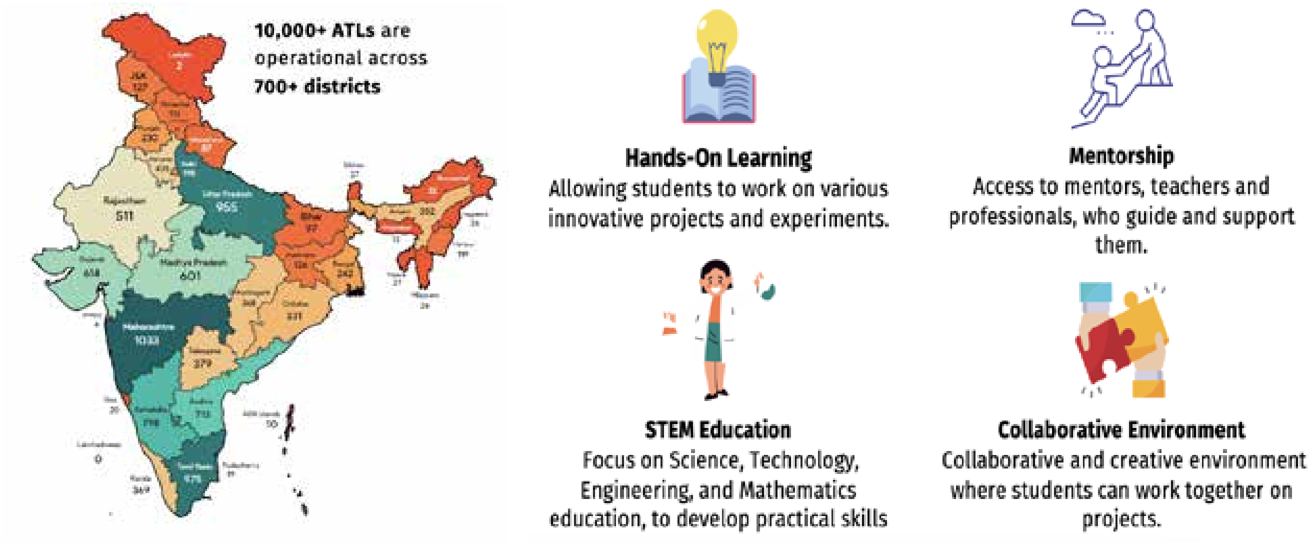

एटीएल कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

एटीएल के लिए राज्य नोडल अधिकारियों की नियुक्ति एवं अभिमुखीकरण कार्यशाला

30 और 31 अगस्त, 2024 को राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली में राज्य नोडल अधिकारियों के लिए दो दिवसीय अभिविन्यास और क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ (एमआईसी) द्वारा आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों का उन्मुखीकरण और क्षमता निर्माण करना था। इसका लक्ष्य स्कूल स्तर पर सभी नवाचार कार्यक्रमों, जैसे स्कूल इनोवेशन मैराथन, अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) और स्कूल नवाचार परिषद (एसआईसी) के कार्यान्वियन और निगरानी को बढ़ाना था।

दो दिवसीय कार्यशाला में 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 40 से अधिक नोडल अधिकारियों और सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एआईसीटीई और शिक्षा मंत्रालय जैसे शैक्षिक निकायों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम ने सीखने, अनुभव साझा करने तथा अपने-अपने क्षेत्रों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाने के लिए मंच प्रदान किया।

एटीएल के लिए राज्य नोडल अधिकारियों की नियुक्ति एवं अभिमुखीकरण कार्यशाला

लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस 2024 समारोह

केंद्र सरकार द्वारा देश भर से कुल 6,000 लोगों को 'विकसित भारत' थीम के अंतर्गत नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इनमें एआईएम के 202 नवप्रवर्तक, एटीएल के छात्र और एआईसी और एसीआईसी के स्टार्टअप विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए और तिरंगे की रोशनी से सजे, देश की एकता और ऐतिहासिक महत्व के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित लाल किले में स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ का गवाह बने।

लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस 2024 समारोह

देश के विभिन्न राज्यों में एटीएल सारथी क्लस्टर शुरू किए गए

एटीएल सारथी क्लस्टर आधारित मूल्यांकन उपकरण और ढांचा है जिसका उद्देश्य एटीएल के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक आत्मनिर्भर मॉडल प्रदान करना है। एटीएल सारथी के अंतर्गत, एटीएल और स्थानीय प्राधिकरण/संस्थाएं एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, ताकि किसी विशेष क्षेत्र में 20-30 एटीएल के समूह बनाए जा सकें। ये एटीएल प्रशिक्षण, सहयोग, आयोजनों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर एक-दूसरे से सीख सकते हैं। यह एक टिकाऊ मॉडल प्रदान करता है जो विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से स्वामित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्दिष्ट करता है तथा सहकारी संघवाद की अवधारणा का लाभ उठाता है। देश के विभिन्न राज्यों (ओडिशा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक और पुदुच्चेरी) में विभिन्न हितधारकों और साझेदारों के साथ साझेदारी में सारथी क्लस्टर शुरू किए गए, जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं।

देश के विभिन्न राज्यों में शुरू किए गए एटीएल सारथी क्लस्टर

स्कूल इनोवेशन मैराथन 2024 में 1 लाख से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई

शिक्षा मंत्रालय, अटल नवाचार मिशन (एआईएम), नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ (एमआईसी), एआईसीटीई और यूनिसेफ युवाह द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित स्कूल नवाचार मैराथन 2024 नामक नवाचार चुनौती शानदार सफलता के साथ संपन्न हुई। स्कूल इनोवेशन मैराथन में, एटीएल वाले या बिना एटीएल वाले स्कूलों के छात्रों ने अपनी पसंद की सामुदायिक समस्याओं की पहचान की और कार्यशील प्रोटोटाइप के रूप में नवाचारी समाधान विकसित किए। स्कूल इनोवेशन मैराथन का विषय था विकसित भारत 2047 और इसमें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों से 1 लाख से अधिक नवाचार परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। नवाचारी समाधान स्वास्थ्य सेवा, कृषि, सतत विकास, डिजिटल परिवर्तन और गतिशीलता आदि जैसे क्षेत्रों से जुड़े थे, जो युवाओं की समस्या समाधान की अपार क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं। अगस्त से दिसंबर 2024 तक आयोजित नवाचार चुनौती में 54,000 स्कूलों के लगभग 6.7 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया और भाग लिया।

तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पुदुच्चेरी में राज्य स्तरीय हैकथॉन

एआईएम हैकथॉन के आयोजन में अग्रणी रहा है जिससे ऐसे वातावरण का निर्माण हो रहा है जहां छात्र अपने विचारों को प्रभावशाली समाधानों में बदल सकें। राज्य स्तर पर अधिक जीवंत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए, एआईएम राज्य शिक्षा विभाग और राज्य के अन्य संस्थानों (एटीएल स्कूलों सहित) के साथ मिलकर राज्य स्तरीय हैकथॉन आयोजित करता है। ये हैकथॉन नवाचार को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के महत्व को रेखांकित करते हैं, जिससे छात्रों को ऐसे समाधान तैयार करने का अवसर मिलता है जो सीधे उनके समुदायों को लाभान्वित करते हैं।

बिलासपुर जिला सरकार, स्मार्ट सिटी और समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ के सहयोग से आयोजित टिंकराथॉन 2024 रचनात्मकता और सहयोग का उत्सव था। इस कार्यक्रम में 32 जिलों के 158 स्कूलों से छात्रों की 216 से अधिक टीमें एकत्रित हुई, जिसने युवा संचालित नवाचार की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। छात्रों ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, शहरी और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, कृषि से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था तक के विषयों पर वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से परियोजनाएं विकसित कीं, जो स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाती हैं।

इरोड में इनोवाटीएन के नाम से आयोजित तमिलनाडु राज्य हैकथॉन में तमिलनाडु और पुडुचेरी के 35 से अधिक जिलों की 517 टीमों ने भाग लिया। ग्रैंड फिनाले में 124 टीमों ने सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित विषयों पर अपने समाधान प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसरों और अटल इनक्यूबेशन सेंटरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया। यद्यपि शीर्ष तीन टीमों को 50,000-50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया, परंतु सभी प्रतिभागियों के लिए वास्तविक पुरस्कार यह था कि उन्हें सीखने और आगे बढ़ने की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने का अवसर मिला। इनोवाटीएन 2024 की शीर्ष 20 टीमों को छात्र नवप्रवर्तक कार्यक्रम (एसआईपी) में भाग लेने के लिए चुना गया है।

नीति आयोग में मेंटर राउंड टेबल 2024

17 मई 2024 को मेंटर राउंड टेबल 2024 आयोजित किया गया, जो एक वार्षिक सम्मेलन है तथा देश भर के हमारे सम्मानित मेंटर्स के लिए प्रेरणा और सहयोग का प्रतीक है। इस गोलमेज सम्मेलन में 50 से अधिक व्यक्तियों के विविधतापूर्ण और प्रतिभाशाली समूह ने भाग लिया, जिन्होंने छात्रों का मार्गदर्शन करने के महान कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया है।

नीति आयोग में मेंटर राउंड टेबल 2024

शीस्टेम 2024: सतत ऊर्जा नवाचार में अग्रणी

एआईएम, नीति आयोग और स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे के अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के आपसी सहयोग से आयोजित शीस्टेम 2024 का समापन स्वीडिश दूतावास में एक विशाल कार्यक्रम के साथ हुआ। इस पहल ने पूरे भारत में युवाओं को बैटरी प्रौद्योगिकी और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में नवीन विचारों की खोज करने के लिए सशक्त बनाया। 1,100 से अधिक रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से कार्यक्रम ने टिकाऊ ऊर्जा में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए छात्र नवप्रवर्तकों की क्षमता को प्रदर्शित किया, जिससे उज्ज्वल, हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।

4 देशों के सहयोग से आयोजित शीस्टेम 2024

अटल इन्क्यूबेशन केंद्र

अटल इन्क्यूबेशन केंद्र (एआईसी) देश के युवा नवप्रवर्तकों के बीच नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, संस्थानों और कॉर्पोरेट्स में एआईएम द्वारा स्थापित बिजनेस इन्क्यूबेटर हैं। इन एआईसी का उद्देश्य विश्व स्तरीय नवाचार को बढ़ावा देना और गतिशील उद्यमियों को समर्थन देना है, जो मापनीय और टिकाऊ उद्यमों का निर्माण करना चाहते हैं। 5 वर्ष की अवधि में ग्रीन फील्ड इन्क्यूबेटरों को एआईसी के रूप में और ब्राउन फील्ड इन्क्यूबेटरों को 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। एआईएम ने पूरे भारत में 72 से अधिक एआईसी का सफलतापूर्वक संचालन किया है। ये एआईसी तकनीकी सुविधाएं, संसाधन आधारित सहायता, मार्गदर्शन, वित्तपोषण सहायता, साझेदारी और नेटवर्किंग, सह-कार्यस्थल और प्रयोगशाला सुविधाएं आदि प्रदान करके स्टार्टअप्स को सक्षम बनाते हैं। इन एआईसी में 3500 से अधिक स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट किया गया है और इस पारिस्थितिकी तंत्र में 40,000 से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। लगभग 30 प्रतिशत स्टार्टअप का अध्यक्ष और संस्थापक महिलायें हैं। एआईसी विविध क्षेत्रों जैसे कि हेल्थटीच, फिनटेक, एडटेक, स्पेस और ड्रोन टेक, एआर/वीआर, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन आदि से जुड़े स्टार्ट-अप को समर्थन प्रदान करते हैं।

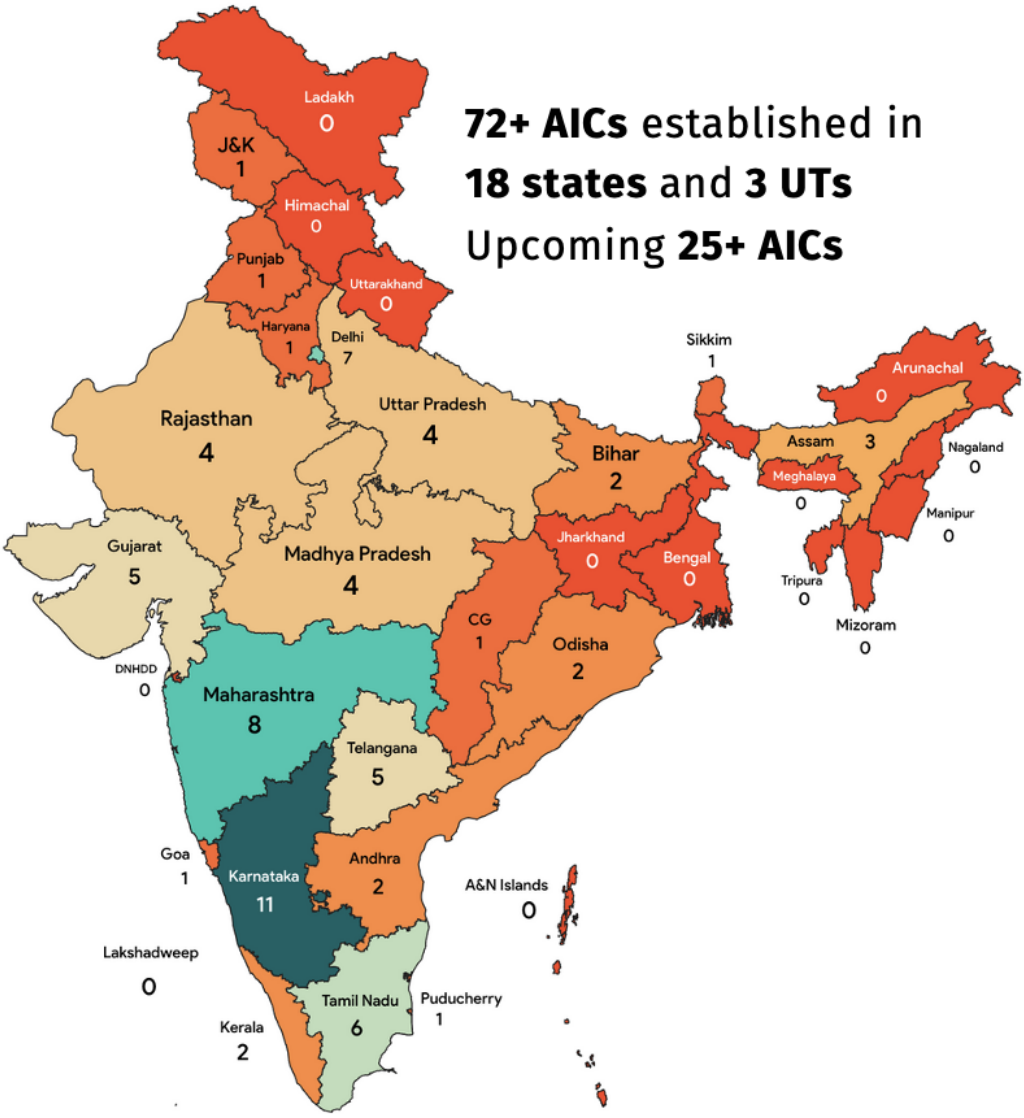

विशेषताएं

Infrastructure Support
Well-equipped co-working spaces, offices, and labs for startups to work on their projects

Mentorship
Access to experienced mentors for guidance in business development, strategy, and market entry.

Access to Funding
Assist startups in securing funding through venture capital, angel investors, and government grants and schemes.

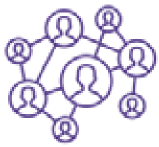

Networking Opportunities
Networking events, workshops, and seminars to connect startups with industry experts, potential partners, and investors.

एआईसी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं: प्लान ई का शुभारंभ

अटल इन्क्यूबेशन सेंटर - आईआईएसईआर पुणे सीड फाउंडेशन ने शोधकर्ताओं / पीएचडी छात्रों के लिए 15 नवंबर 2024 को "प्लान ई" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया ताकि वे अपने शोध कार्य को व्यवहार्य उद्यम और स्टार्ट-अप में बदल सकें। इस अनोखे प्रयास का उद्देश्य देश भर के संस्थानों के पीएचडी छात्रों को एक साथ लाना है, जिससे शोध अनुवाद का मार्ग प्रशस्त होगा। इन छात्रों को एक क्यूरेटेड इन्क्यूबेशन कार्यक्रम से गुजरना होगा, जिससे उन्हें अपने अभूतपूर्व शोध को वास्तविक दुनिया के स्टार्ट-अप में बदलने में मदद मिलेगी। यह नवाचारी पहल पीएचडी शोध को सफल स्टार्ट-अप में बदलने तथा नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 27 शोधकर्ताओं के एक समूह का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में अनुसंधान अनुवाद में योगदान देना है।

फोर्ब्स इंडिया ने एआईएम इकोसिस्टम के लिए 2 स्टार्ट-अप सूचीबद्ध किए

फोर्ब्स इंडिया ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 100 होनहार स्टार्ट-अप की सूची बनाई है। भारत के 17 में से 2 स्टार्ट-अप एआईएम इकोसिस्टम से हैं। 'फोर्ब्स इंडिया 100 टू वॉच' के 15 नवंबर 2024 के अंक में एआईसी-संगम गुरुग्राम समर्थित स्टार्टअप ईएफ पॉलिमर और एफएसआईडी, आईआईएससी बैंगलोर समर्थित स्टार्टअप दिगंतारा का उल्लेख किया गया। ऐसे प्रकाशनों में एआईएम इकोसिस्टम से जुड़े स्टार्ट-अप का उल्लेख होने से उनकी दृश्यता और ब्रांड मूल्य में वृद्धि होती है। यह एआईएम के अंतर्गत स्टार्ट-अप को प्रदान की गई सहायता की शक्ति को भी दर्शाता है।

6 सितंबर 2024 को 20वीं मेडटेक मित्र तकनीकी सलाहकार बैठक

नीति आयोग के मार्गदर्शन में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा 6 सितंबर 2024 को 20वीं मेडटेक मित्र तकनीकी सलाहकार बैठक संयुक्त रूप से आयोजित की गई। मेडटेक मित्र पहल का उद्देश्य मेडटेक के नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाना तथा नैदानिक मूल्यांकन, विनियामक सुगमता और नए उत्पादों को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करके स्वास्थ्य देखभाल के समाधानों को आगे बढ़ाना है। बैठक में आईसीएमआर-एमडीएमएस द्वारा मेडटेक मित्र की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें अन्य प्रासंगिक हितधारकों सहित स्वास्थ्य देखभाल के सभी नवप्रवर्तकों को शामिल करके पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला गया।

20वीं मेडटेक मित्र तकनीकी सलाहकार बैठक

आपके लिए नवाचार - एसडीजी के 5वें संस्करण का अनावरण

एआईएम ने जून 2024 में भारत के एसडीजी उद्यमियों के प्रयासों पर प्रकाश डालने वाली कॉफी टेबल बुक श्रृंखला 'आपके लिए नवाचार' के पांचवें संस्करण का अनावरण किया। इस संस्करण में भारत के विभिन्न कोनों से 60 उद्यमी भाग ले रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक स्थायी नवाचारों के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे रहा है। इस शुभारंभ समारोह में सोरेन नोरेलुंड कन्निक-मार्क्वार्डसन भी उपस्थित थे, जो रॉयल डेनिश दूतावास के नई दिल्ली में व्यापार परिषद के मंत्री परामर्शदाता, प्रमुख और दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय समन्वयक हैं।

ये स्टार्ट-अप पुनर्चक्रणीय और नवीकरणीय सामग्रियों, हरित ऊर्जा, समावेशी शिक्षा और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों और स्थानीय कारीगरों के लिए समर्थन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

आपके लिए नवाचार के 5वें संस्करण का अनावरण

जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी पर एआईएम की कॉफी टेबल बुक 'आपके लिए नवाचार' के छठे संस्करण का विमोचन

6 सितंबर, 2024 को जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी पर कॉफी टेबल बुक 'आपके लिए नवाचार' के छठे संस्करण का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में देश भर में फैले विभिन्न अटल इन्क्यूबेशन सेंटर के अंतर्गत विकसित 50 अग्रणी उद्यमियों पर प्रकाश डाला गया है, जो जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने योगदान के माध्यम से बदलाव ला रहे हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत, प्रकाशन नवाचारों को निदान, चिकित्सा, जैव इंजीनियरिंग और औषधि खोज जैसी उप-श्रेणियों में विभाजित करता है।

इस प्रकाशन का उद्देश्य इन नवाचारों की कहानियों को उजागर करना तथा व्यापक समाज पर उनके व्यापक अनुप्रयोगों और प्रभाव को रेखांकित करना है। यह पुस्तक आगामी स्टार्ट-अप को मार्गदर्शन और प्रेरणा देने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने में एआईएम समर्थित इनक्यूबेटरों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करती है।

जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी पर एआईएम की कॉफी टेबल बुक 'आपके लिए नवाचार' के छठे संस्करण का विमोचन

भारत-जर्मनी-मलावी के त्रिकोणीय सहयोग के तहत मलावी प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा

दिल्ली और सोनीपत में एआईएम के एआईसी इनक्यूबेटरों का दौरा करने और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), सोनीपत, हरियाणा, भारत में आयोजित "खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण" में भाग लेने के लिए पांच महिला उद्यमियों का मलावी प्रतिनिधिमंडल भारत आया। उन्होंने महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को जमीनी स्तर से खड़ा करने और विपणन, प्रौद्योगिकी विकास और प्रबंधन में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं में भी भाग लिया और भारत और मलावा के उद्यमियों के बीच आदान-प्रदान पर चर्चा की।

इस सहयोगात्मक पहल ने मलावी के उद्यमियों और भारत में एआईएम पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सक्षमकारी मानसिकता और सहयोग स्थापित किया। इसका उद्देश्य अगले चरण के लिए त्रिकोणीय सहयोग की प्रायोगिक परियोजना का विस्तार करना है।

भारत-जर्मनी-मलावी के त्रिकोणीय सहयोग के तहत मलावी प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा

अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र

अटल सामुदायिक नवाचार केन्द्रों (एसीआईसी) की परिकल्पना स्टार्ट-अप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में देश के असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने के लिए की गई है। एसीआईसी ने विशेष रूप से प्रयोगशाला से भूमि की दूरी को कम करके और विचारों/समाधानों के पूर्व-उद्‌भव के लिए स्थान का सृजन करके पिरामिड के निचले स्तर पर मौजूद नवप्रवर्तकों तक पहुंचना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण समझा। भारतीय समुदायों में प्रचलित 'मितव्ययिता' की भावना को ध्यान में रखते हुए, एसीआईसी का लक्ष्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल द्वारा समर्थित समाधान आधारित डिजाइन का उपयोग करते हुए इन नवाचारों की पहचान करने और उन्हें बढ़ाने के लिए औपचारिक दृष्टिकोण का निर्माण करना है।

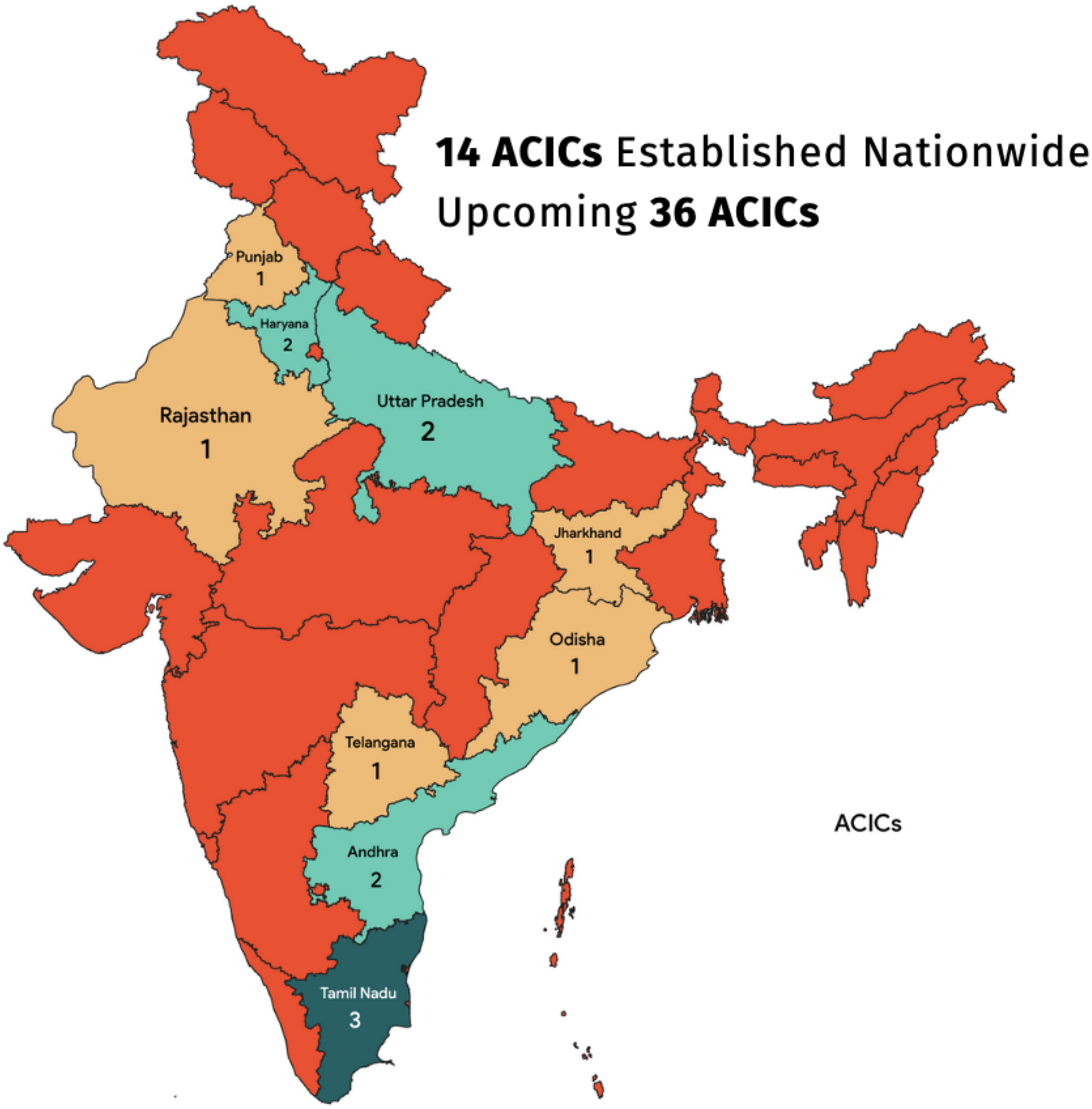

विशेषताएं

Knowledge
Curated content on SDGs and entrepreneurship through toolkits, workshops and a digital learning platform

Community Immersion
Local Mitra for on ground, community outreach support and solution validation

Mentorship
Mentorship to build business acumen and sector expertise

Inclusion
Sensitization workshops for encouraging equitable access innovation ecosystem

Funding
Milestone based funding (upto Rs. 2 lakh per fellow) and pitching opportunities

Infrastructure
Access to all infrastructure of host ACIC

एसीआईसी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

5 जुलाई, 2024 को सामुदायिक नवप्रवर्तक फेलो स्नातक समारोह

सामुदायिक नवप्रवर्तन फेलोशिप कार्यक्रम अटल नवाचार मिशन की एक पहल है, जिसका उद्देश्य ज्ञान निर्माण को सुगम बनाना तथा महत्वाकांक्षी सामुदायिक नवप्रवर्तकों को उनकी उद्यमशीलता यात्रा के लिए आवश्यक अवसंरचना सहायता प्रदान करना है। यह एक वर्षीय गहन फेलोशिप कार्यक्रम है, जिसमें कोई भी महत्वाकांक्षी सामुदायिक नवप्रवर्तक अपनी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना आवेदन कर सकता है। इस फेलोशिप के दौरान, प्रत्येक फेलो को अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र में रखा जाएगा और वह अपने विचार पर काम करते हुए सतत विकास लक्ष्य के बारे में जानकारी, उद्यमशीलता कौशल और जीवन कौशल हासिल करेगा। अब तक 14 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों (एसीआईसी) में 3 बैचों में 50 सीआईएफ का विकास किया जा चुका है। यह सीआईएफ का दूसरा बैच है, जिसमें 15 सदस्य हैं, जिन्होंने एक वर्षीय यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये फेलो 10 राज्यों के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं।

सामुदायिक नवप्रवर्तक फेलो स्नातक समारोह

सीआईएफ कैपजेमिनी अनुदान अभिनन्दन

अटल नवाचार मिशन द्वारा सामुदायिक नवप्रवर्तन फेलोशिप कार्यक्रम एक वर्षीय पहल है, जो विविध पृष्ठभूमियों वाले महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तकों को सामुदायिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सशक्त बनाती है। अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों में रखे जाने वाले फेलो सतत विकास लक्ष्य के बारे में जानकारी, उद्यमिता कौशल और जीवन कौशल प्राप्त करते हैं, ताकि वे अपने विचारों को प्रभावशाली समाधानों में बदल सकें। अब तक एआईएम ने देश भर में 58 फेलो को वित्त पोषित किया है। 19 नवंबर, 2024 को सीआईएफ समूह का सम्मान समारोह पहली बार आयोजित किया गया, जिसमें एक निजी संगठन ने सीआईएफ समूह का समर्थन किया। 15 फेलो के इस समूह के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए उनको कैपजेमिनी इंडिया द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जिसमें एसआरएफ फाउंडेशन कार्यान्वयन भागीदार है। यह कार्यक्रम सामाजिक उद्यमियों को सार्थक परिवर्तन लाने में सक्षम बनाकर भारत के जमीनी स्तर को मजबूत करता है। सीआईएफ ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया, जिसमें 21वीं सदी के विभिन्न कौशलों जैसे कि डिजिटल साक्षरता, विचार प्रस्तुत करना, निवेश की मूल बातें, आदि पर चर्चा की गई। इसके बाद 1 लाख रुपये प्रति सीआईएफ का अनुदान वितरित किया गया ताकि वे अपने विचारों का विस्तार कर सकें।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज

अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) एआईएम का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी पर आधारित नवाचारों की तलाश, चयन, समर्थन और पोषण करना है जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करते हैं। एएनआईसी का विज़न दो तरफा है :

- राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी पर आधारित नवाचार विकसित करने में मदद करना

- नवाचारों का समर्थन करने और नवाचार को अपनाने के लिए सरकार में एक संस्थागत संरचना विकसित करना

एएनआईसी कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य भारत के विकास और वृद्धि के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, ऊर्जा, गतिशीलता, अंतरिक्ष अनुप्रयोग आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। एएनआईसी का उद्देश्य परीक्षण, संचालन और बाजार निर्माण के लिए संसाधनों तक पहुंच से जुड़े जोखिमों से पार पाने के लिए नवप्रवर्तकों को समर्थन प्रदान करना है।

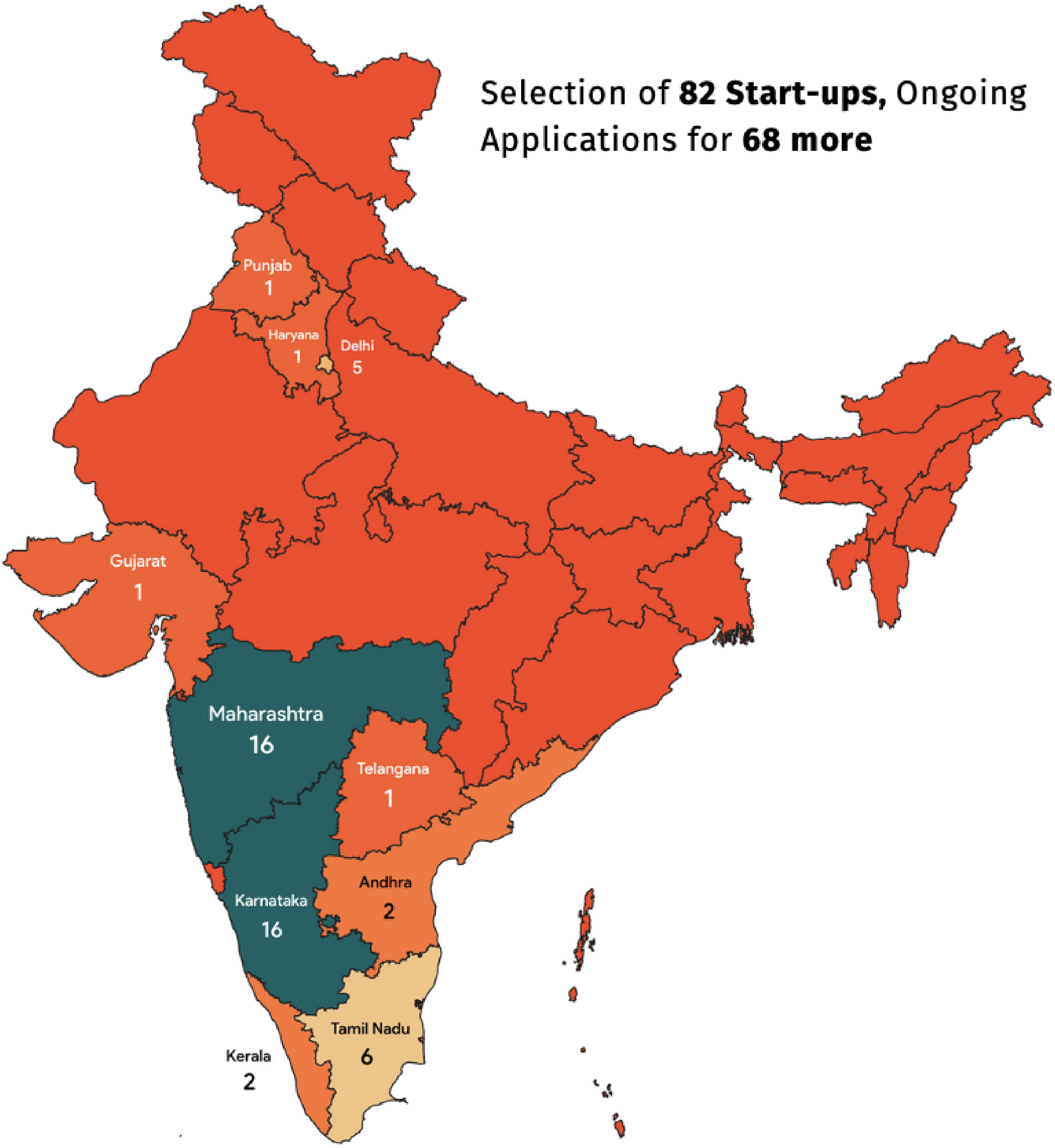

विशेषताएं

Government Support
Support from government agencies and institutions including funding, mentorship, and resource

Sector-Specific Challenges
Challenges aligning with the Indian government's priorities and development goals

Innovation Focus
Innovative solutions to address the identified challenges emphasizing the development of creative and scalable solutions.

Job Creation
Economic development by supporting innovative projects and startups that have the potential to generate employment opportunities.

एआईएम ने एएनआईसी के अंतर्गत भारत-ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम शुरु किया है। भारत-ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी का एक घटक है और यह दोनों के प्रधानमंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य का हिस्सा है।

आरआईएसई (त्वरित नवाचार एंड स्टार्ट-अप विस्तार) एक्सेलेरेटर के रूप में विकसित यह कार्यक्रम एआईएम, नीति आयोग, भारत और सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया द्वारा सह-संकल्पित, सह-विकसित और सह-संचालित कार्यक्रम है।

आरआईएसई एक्सेलरेटर का लक्ष्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लाना है, ताकि भारत और ऑस्ट्रेलिया की पर्यावरण और जलवायु संबंधी सबसे गंभीर चुनौतियों का समाधान करने में स्टार्ट-अप और एसएमई के समूहों को समर्थन दिया जा सके; और संरचित समर्थन, सीमा-पार प्रायोगिक परियोजना एवं समाधान सत्यापन के माध्यम से उनके अंतरराष्ट्रीय विस्तार में तेजी लाई जा सके।

आरआईएसई एक्सेलेरेटर के पहले दौर में वृत्तीय अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा भारत और ऑस्ट्रेलिया से 7-7 स्टार्ट-अप को 9 महीने की यात्रा के माध्यम से समर्थन दिया गया, जिसमें पाठ्यक्रम सत्र, बाजार खोज, निमज्जन कार्यशालाएं, क्षेत्र के दौरे और दोनों देशों के नवाचार उत्प्रेरकों के समर्थन से सीमा-पार प्रायोगिक परियोजना शामिल थी।

14 participating startups and SMEs

2 Immersion Weeks

700+ one-to-one mentoring hours

47 curriculum hours (in-person and online sessions)

32 cross-border trips between Australia and India

11 partnership agreements and MoUs signed

11 pilots and projects launched

आरआईएसई समूह 1: वृत्तीय अर्थव्यवस्था

ऑस्ट्रेलियाई फार्म में भारतीय स्टार्ट-अप का क्षेत्रीय दौरा

आरआईएसई एक्सेलेरेटर का दूसरा दौर जलवायु स्मार्ट एग्रीटेक पर केंद्रित है और यह 9 महीने की यात्रा के माध्यम से भारत और ऑस्ट्रेलिया से 5-5 स्टार्ट-अप को समर्थन दे रहा है।

एआईएम इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम

एआईएम इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम (एईडीपी) संरचित कार्यक्रमों के ढांचे से परे एआईएम के लाभार्थियों को अतिरिक्त मूल्य प्रदान करने के लिए प्रासंगिक हितधारकों के नेटवर्क का निर्माण करके एआईएम के नवाचार और उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने वाले सभी कार्यनीतिक कार्यक्रमों के बीच से होकर जाने वाला कार्यक्रम है। एईडीपी ने विभिन्न निगमों और प्रतिष्ठानों में 60 से अधिक घरेलू और 16 से अधिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का निर्माण किया है, जो उद्योग के नेतृत्वकर्ताओं और संकाय के साथ कार्यरत हैं और अवसंरचना और प्रौद्योगिकी, बाजार और निवेशक पहुंच, मॉड्यूल के निर्माण और एटीएल को अपनाने के माध्यम से एआईएम के लाभार्थियों का समर्थन करते हैं।

एआईएम – आईसीडीके जल चुनौती

इनोवेशन सेंटर डेनमार्क बैंगलोर, भारत में रॉयल डेनिश दूतावास और डेनमार्क तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के साथ मिलकर अटल नवाचार मिशन हर साल भारत-डेनमार्क हरित कार्यनीतिक साझेदारी के अंग के रूप में एआईएम - आईसीडीके जल चुनौती का शुभारंभ करता है।

कार्यक्रम की समय सीमा

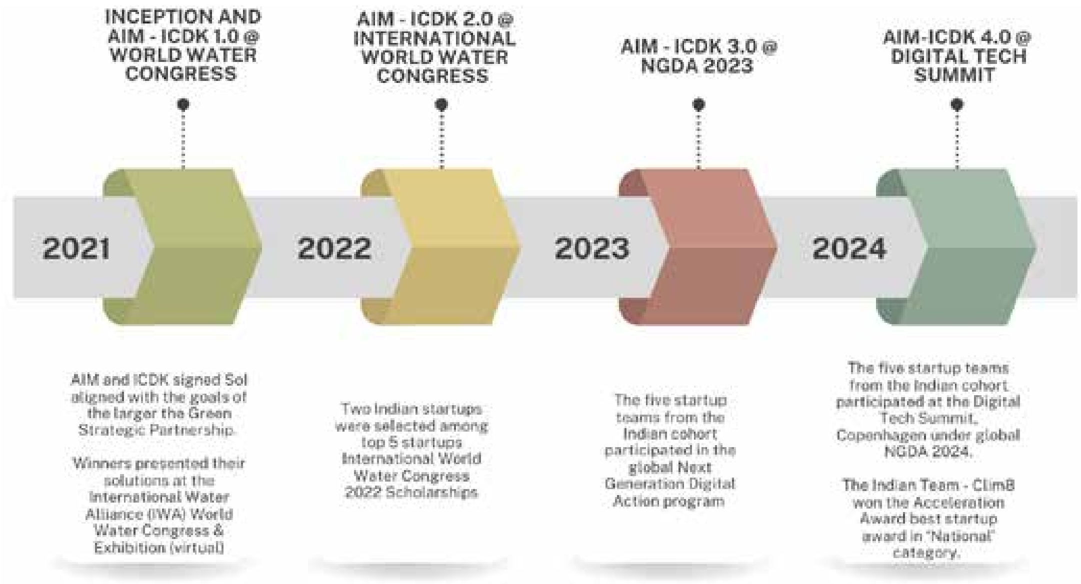

विशेषताएं

इस वर्ष, एआईएम - आईसीडीके जल चुनौती 4.0 के चौथे संस्करण के अंतर्गत भारतीय समूह की पांच स्टार्टअप टीमों ने वैश्विक नेक्स्ट जेनरेशन डिजिटल एक्शन कार्यक्रम में भाग लिया और 10 देशों (भारत, डेनमार्क, घाना, केन्या, कोरिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, घाना, कोलंबिया और मैक्सिको) के अग्रणी विश्वविद्यालयों और नवाचार केंद्रों की युवा प्रतिभाओं के साथ काम किया। विश्वविद्यालयों की तीन छात्र टीमों और प्रारंभिक चरण के दो स्टार्ट-अप ने साझेदार देशों द्वारा दी गई विभिन्न चुनौतियों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और आशाजनक टिकाऊ समाधान विकसित किए हैं जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से कुछ का समाधान करेंगे। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए चुनौती वक्तव्य 'अवसंरचना मूल्य निर्धारण के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाना' के लिए एक्सेलेरेशन पुरस्कार जीता। उन्होंने 'राष्ट्रीय' श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्टार्ट-अप पुरस्कार भी जीता।

एआईएम और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बीच साझेदारी

अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और डब्ल्यूआईपीओ के बीच संयुक्त आशय पत्र (जेएलओआइ) पर हस्ताक्षर करने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नीति आयोग का दौरा किया। जेएलओआई का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा (आईपी) के लिए कार्यक्रम तैयार करना है। भारत सरकार में माननीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति से इसकी शोभा बढ़ाई। इनक्यूबेटरों और शिक्षकों के बीच बौद्धिक संपदा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 70 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया।

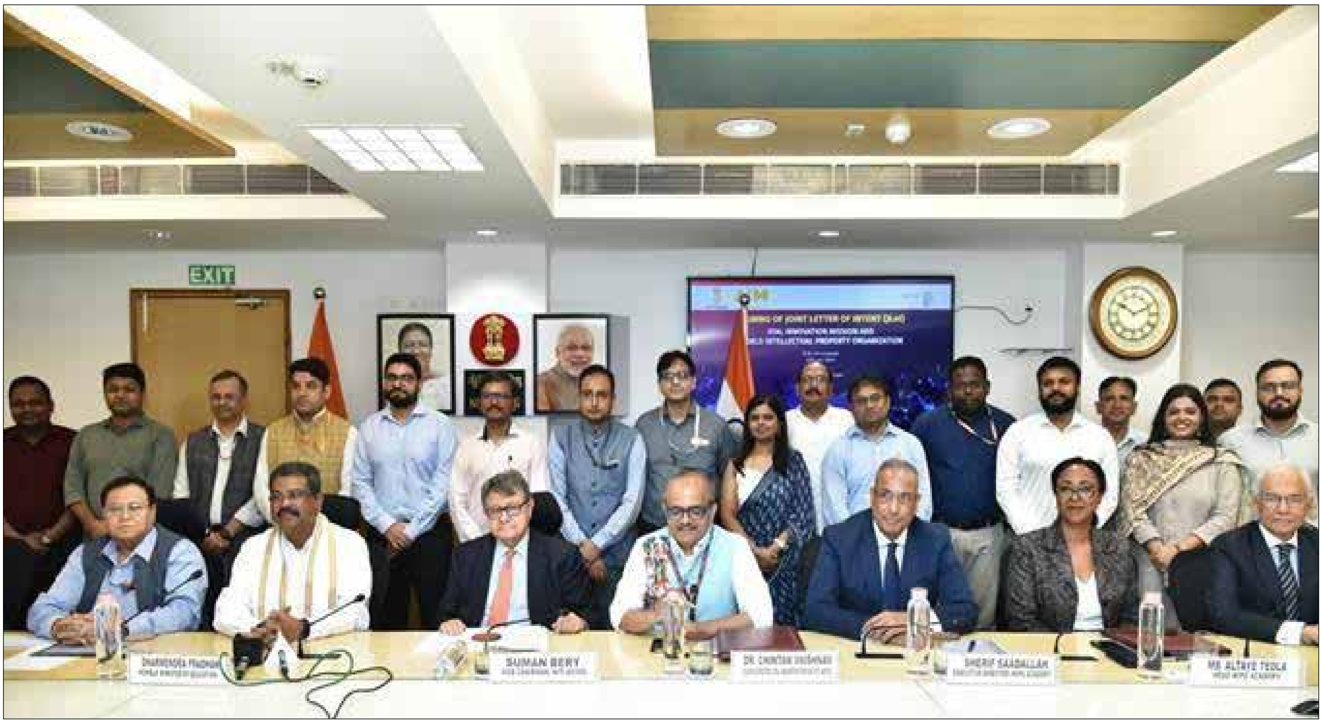

जेएलओआई पर एआईएम और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बीच हस्ताक्षर

राज्य नवाचार मिशन की कार्यशालाएं

राज्य नवाचार मिशन (एसआईएम) स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और राज्य विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करते हैं। भारत में, जहां नवाचार और उद्यमशीलता का घनत्व विभिन्न राज्यों में काफी अलग-अलग है तथा भारत के नवाचार मापदंड वैश्विक मानकों से पीछे हैं, एसआईएम का उद्देश्य उद्यमशील प्रतिभा को पोषित करने, आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ढांचा प्रदान करना है।

राज्य नवाचार मिशन की दूसरी कार्यशाला 29 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक अगरतला, त्रिपुरा में आयोजित की गई, ताकि पूर्वोत्तर राज्यों को एक-दूसरे से यह सीखने में मदद मिल सके कि वे कहां खड़े हैं और वे अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में अगले कदम कैसे उठा सकते हैं। कार्यशाला में सहकर्मी शिक्षण सत्र और विचार-मंथन आयोजित किए गए, जहां पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों और नवाचार हितधारकों ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां और कार्यनीतियां विकसित करने के लिए सहयोग करने पर चर्चा की।

राज्य नवाचार मिशन की कार्यशालाएं

राज्य नवाचार मिशन की तीसरी कार्यशाला 12 से 13 नवंबर 2024 तक गंगटोक, सिक्किम में आयोजित की गई, जहां सभी पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि आए और इस बात पर चर्चा की कि पूर्वोत्तर और उनके राज्यों में मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बनाया जाए। सरकारी अधिकारी, इन्क्यूबेटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधक तथा स्टार्ट-अप के प्रतिनिधि एकत्र हुए और पूर्वोत्तर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में अगले कदमों पर विचार-विमर्श किया।

नीति आयोग
राष्ट्रीय एकता दिवस

खंड 7
प्रशासन और सहायक एकक

प्रस्तावना

नीति आयोग का प्रशासन एकक डीओपीटी द्वारा जारी किए गए सेवा नियमों और भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है। प्रशासन अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े सभी पहलुओं, भर्ती, पदोन्नति, तैनाती, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, सेवा मामलों से संबंधित अदालती मामलों से सरोकार रखता है और इन मामलों पर आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना भी प्रदान करता है। इसे सार्वजनिक डोमेन में नीति आयोग की नीतियों के कार्यनीतिक संचार का काम भी सौंपा गया है। राजभाषा (हिन्दी) अनुभाग ने वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे।

प्रशासन/मानव संसाधन

नीति आयोग का प्रशासन एकक नीति आयोग में कार्यरत कर्मचारियों के कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर डीओपीटी द्वारा जारी किए गए भर्ती नियमों / प्रक्रियाओं / सेवा नियमों और भारत सरकार के अन्य मौजूदा अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है। प्रशासन एकक अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े सभी पहलुओं अर्थात भर्ती, पदोन्नति, तैनाती, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, सेवा मामलों से संबंधित अदालती मामलों से सरोकार रखता है और इन मामलों के संबंध में आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने का कार्य करता है। इसे अवरस्नातक / स्नातकोत्तर छात्रों अथवा भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान में नामांकित शोध छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना से संबंधित जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

वर्ष के दौरान, नीति आयोग के प्रशासन एकक ने अटल नवाचार मिशन में मिशन निदेशक (एमडी, एआईएम) और राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान में महानिदेशक (डीजी, एनआईएलईआरडी) के पदों के लिए विज्ञापन दिया है। नॉलेज इनोवेशन हब (केआईएच) के तहत कृषि नीति के क्षेत्र में वरिष्ठ सलाहकार / सलाहकार के एक (01) पद और फ्लेक्सी पूल के तहत जलवायु परिवर्तन, पीएएमडी, ग्रामीण विकास, आर्थिक नीति, सार्वजनिक निजी भागीदारी, कृषि, इंफ्रा कनेक्टिविटी, शहरी अर्थशास्त्र, अर्थमिति मॉडलिंग / कार्यनीतिक आयोजना, उद्योग / विनिर्माण के क्षेत्रों में वरिष्ठ विशेषज्ञ / विशेषज्ञ के दस (10) पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अटल नवाचार मिशन (एआईएम) में प्रमुख (प्रशासन) के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है और पद भर दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वरिष्ठ सलाहकार के एक पद के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है।

योजना मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नीति आयोग के उपाध्यक्ष और चार सदस्यों के नामांकन के परिणामस्वरूप, नीति आयोग ने उनके निजी स्टाफ में सहवर्ती पद (कुल: 69 पद) सृजित किए हैं और सभी नियुक्ति-पूर्व औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निजी स्टाफ की नियुक्ति की है। पांच कैंटीन परिचर और दो पुस्तकालय एवं सूचना सहायक भी नियुक्त किए गए। लिपिकीय स्तर पर आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के लिए नया अनुबंध प्रदान किया गया। एनजीओ दर्पण पोर्टल के उन्नयन के लिए भी नया अनुबंध प्रदान किया गया। प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रोटोकॉल अधिकारी की नियुक्ति के लिए रोजगार समाचार में रिक्ति परिचालित की गई।

नीति आयोग को इस नए और उभरते विचारों पर लगातार काम करने और कार्यनीतिक समाधान प्रदान करने की आवश्यकता है। नीति आयोग शासन की लगातार बदलती जरूरतों के अनुसार विविध कौशलों का पूल तैयार करने के लिए वरिष्ठ परामर्शदाता / परामर्शदाता ग्रेड -2 / परामर्शदाता ग्रेड -1 / युवा पेशेवरों (वाईपी) को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करता है। उनसे ऐसे क्षेत्रों में काम करने की उम्मीद की जाती है जहां नीति आयोग के ढांचे के भीतर इन-हाउस विशेषज्ञता आसानी से उपलब्ध नहीं है।

वे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोफेशनल हैं, जो नीति आयोग की आवश्यकताओं के अनुसार अर्थशास्त्र, वित्त, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, शहरी नियोजन, अवसंरचना आदि जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करने में सक्षम हैं।

नीति परामर्श दिशानिर्देशों को जुलाई 2023 में संशोधित किया गया है, जिससे इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को पोर्टल पर अपना प्रोफाइल पंजीकृत करने में सक्षम बनाने के लिए पूरे वर्ष खुले रहने वाले एक रिसोर्स पूल पोर्टल को लॉन्च करके और संसाधनों का एक पूल तैयार करके परामर्शदाताओं / वाईपी की नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं, जहां से आवश्यकता पड़ने

पर परामर्शदाताओं / वाईपी की आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। नीति आयोग के लिए परामर्शदाताओं और वाईपी की सीमा भी बढ़ाकर 450 कर दी गई है जो पहले 95 थी। अब तक 8 वरिष्ठ परामर्शदाता, 26 परामर्शदाता ग्रेड II, 71 परामर्शदाता ग्रेड I और 116 यंग प्रोफशनलों को नियुक्त किया जा चुका है, जिससे (31 दिसंबर, 2024 तक) नीति आयोग में परामर्श सेवा में नियुक्त किए गए पेशेवरों की कुल संख्या 221 हो गई है।

नीति आयोग के स्टाफ की संरचना (नीति आयोग, डीएमईओ और एआईएम)

क्र. सं.	अधिकारियों का स्तर	सरकारी	पार्श्व प्रवेशी पेशेवर	आउटसोर्स किए गए अन्य पेशेवर	कुल
1.	प्रधान आर्थिक सलाहकार एवं समकक्ष	1	0	0	1
2.	अपर सचिव और समकक्ष	7	2	0	9
3.	संयुक्त सचिव और समकक्ष	10	1	8	19
4.	निदेशक और समकक्ष	16	5	34	55
5.	उप सचिव और समकक्ष	34	2	0	36
6.	अवर सचिव और समकक्ष	57	5	85	147
7.	स्तर 10 और समकक्ष में अनुसंधान अधिकारी / एसोसिएट	14	2	0	16
8.	अनुभाग अधिकारी और समकक्ष	43	0	152	195
9.	सहायक अनुभाग अधिकारी (स्तर 7) और समकक्ष	70	0	0	70
10.	अन्य सहायक कर्मचारी	147	0	3	150
11.	आउटसोर्स किए गए कार्मिक	0	0	158	158
	कुल	399	17	440	856

परामर्श पदों के अलावा, नीति आयोग का अपना विशिष्ट / रेजीडेंट / अनिवासी फेलोशिप कार्यक्रम है। फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को चुनकर विभिन्न क्षेत्रों में उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। यह कार्यक्रम सरकारी नीति तैयार करने में पारंपरिक नियोजन से आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में वैश्विक विशेषज्ञता को आकर्षित करना चाहता है। यह एक प्रतिस्पर्धी फेलोशिप है जो क्षमतावान वरिष्ठ और करियर मध्य पेशेवरों को नीतिगत पहलों पर व्यावहारिक व क्रियाशील ढंग से काम करने की अनुमति देगी। यह उन्हें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों और विद्वानों से लेकर भारतीय नीति सर्किट में व्यापक अनुसंधान करने और ऐक्टर की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा।

नीति आयोग के पास नीति इंटर्नशिप योजना भी है जिसका उद्देश्य अवर स्नातक / स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों में नामांकित छात्रों या शोध छात्रों को "इंटर्न" के रूप में शामिल करना है। इन इंटर्न को नीति आयोग के भीतर विभिन्न प्रभागों / एककों में काम करने का अवसर दिया जाता है और उनसे इन-हाउस और अन्य सूचनाओं के अनुभवजन्य संग्रह और मिलान के माध्यम से नीति आयोग के भीतर विश्लेषण की प्रक्रिया को संपरित करने की उम्मीद की जाती है।

कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां

- योजना राज्य मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों के निजी स्टाफ से संबंधित सभी प्रशासनिक और स्थापना मामले।
- नीति आयोग कैडर के सीएसएसएस स्टाफ से संबंधित कार्मिकों के सभी प्रशासनिक और सेवा मामले।
- नीति आयोग के जीसीएस पदों के संबंध में भर्ती, नियुक्ति, स्थायीकरण, पदोन्नति और सेवा रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले।
- नीति आयोग में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगियों के संबंध में बिल तैयार करना।
- गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों/प्रभागों आदि को बुनियादी सहायता प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग।
- इस अनुभाग में जुड़े कर्मचारियों के संबंध में बच्चों के शैक्षिक भत्ते/ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति दावे/चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे/छुट्टी यात्रा रियायत दावे का सत्यापन।
- सीजीएचएस आवेदन पत्र/सरकारी आवास फॉर्म का सत्यापन।
- प्रशासन IV अनुभाग से जुड़े सभी कर्मचारियों के संबंध में एपीएआर भरने के लिए फॉर्म जारी करना।
- गृह निर्माण अग्रिम मंजूर करना।
- विभागीय पदोन्नति समिति का गठन/एफआर 56 (जे) के तहत मामले।
- सेवा पंजी/छुट्टी खाता का रखरखाव/वेतन वृद्धि जारी करना, आंतरिक लेखा परीक्षा आदि।
- लोकसभा चुनाव, 2024 और विधानसभा चुनाव, 2024 में चुनाव ड्यूटी के लिए अधिकारियों से डेटा एकत्र करना।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उपलब्धि:

- नीति आयोग में पात्र कर्मचारियों को एमएसीपीएस, 2009 के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना।
- सीएसएसएस के स्टेनो ग्रेड 'डी' को लेवल-6 और निजी सचिव के लेवल-10 में एनएफएसजी मंजूर करने का शीघ्र निपटान।
- सीएसएसएस के ग्रेड में, पीए, पीएस, पीपीएस, सीनियर पीएसओ और पीएसओ के ग्रेड में पदोन्नति और उसके बाद वेतन निर्धारण मामलों का शीघ्र निपटान।
- नीति आयोग के पुस्तकालय में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद का सृजन तथा पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम तैयार करना।
- लिपिकीय ग्रेड और एमटीएस ग्रेड में जनशक्ति की आउटसोर्सिंग के लिए अनुबंध प्रदान करना।
- एनजीओ दर्पण पोर्टल के उन्नयन के लिए अनुबंध को अंतिम रूप देना।
- केंद्र में नई सरकार के गठन के परिणामस्वरूप नीति आयोग में मंत्री, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद निजी स्टाफ में विभिन्न श्रेणियों में सहमियादी पदों का सृजन किया है।
- नीति आयोग की विभागीय कैंटीन में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कैंटीन परिचरों (कुल: 5 पद) की नियुक्ति की गई है।
- कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से पुस्तकालय एवं सूचना सहायकों (कुल: 02 पद) की नियुक्ति की गई है।
- दो पदों का संयोजन करके योजना मंत्रालय के लिए माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी स्टाफ में सहवर्ती आधार पर सहायक निजी सचिव के एक पद का सृजन।
- नीति आयोग में नियमित कर्मचारियों की कमी को देखते हुए संगठन के सुचारू संचालन के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति।
- नीति आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रोटोकॉल अधिकारी के पद को भरने के लिए रोजगार समाचार में रिक्ति का परिचालन।

- एनआईसी, नीति आयोग के लिए आईटी पेशेवरों की आउटसोर्सिंग के लिए निविदा दस्तावेज तैयार करना और जेम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित करना।

आजीविका प्रबंधन (सीएम) अनुभाग

नीति आयोग का करियर प्रबंधन (सीएम) अनुभाग नीति आयोग में सभी स्तरों के सभी अधिकारियों / कार्मिकों के प्रशिक्षण और करियर प्रबंधन से संबंधित मामलों के साथ-साथ विदेशी प्रशिक्षण और विदेशी दौरे से संबंधित मामलों को भी देखता है।

अप्रैल से दिसंबर, 2024 (1 अप्रैल, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक) की अवधि के दौरान नीति आयोग के सीएम अनुभाग द्वारा सुगम किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विदेश यात्रा प्रस्तावों और ज्ञानार्जन दौरों और संवादात्मक सत्रों सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/गतिविधियों का सार निम्नलिखित है:

- नीति आयोग/ईएसी-पीएम के इक्यावन (51) अधिकारियों/कार्मिकों, जिनमें सात प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं, को 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर, 2024 की अवधि के बीच विभिन्न विदेशी राष्ट्रों में आयोजित होने वाले सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, बैठकों आदि सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।
- नीति आयोग के सत्तर (70) अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया गया, जिसमें कैडर प्रशिक्षण और अन्य प्रशिक्षण शामिल हैं जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) या अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नीति आयोग के दो अधिकारियों को नामित किया गया।
- नीति आयोग में 15-16 अप्रैल, 2024, 23-24 अप्रैल, 2024 और 23 अक्टूबर, 2024 को नीति आयोग, एआईएम और डीएमईओ के नव नियुक्त फ्लेक्सी-पूल अधिकारियों/कर्मचारियों यानी वरिष्ठ एसोसिएट्स/एसोसिएट्स/वरिष्ठ विशेषज्ञ/विशेषज्ञ आदि और संविदा कर्मियों यानी प्रोफेशनलों/परामर्शदाताओं आदि के लिए आंतरिक प्रेरण-सह-अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए ताकि नव नियुक्त कर्मियों को नीति आयोग की व्यापक संरचना, भूमिका, कार्यों से परिचित कराया जा सके। अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को नीति आयोग की संरचना, कार्यालय प्रक्रिया नियमावली (एमओपी) का बुनियादी सिंहावलोकन, आचरण नियम की बुनियादी अवधारणाएं, आरटीआई, ई-ऑफिस के उपयोग पर विस्तृत सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी आदि प्रदान की गई।

उक्त अवधि के दौरान नीति आयोग में निम्नलिखित ज्ञानार्जन दौरे और संवादात्मक सत्र भी आयोजित किए गए:

- नीति आयोग में 4 अप्रैल, 2024 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 49वें एपीपीपीए के प्रतिभागियों के साथ एक ज्ञानार्जन दौरे का आयोजन किया गया।
- 26 जून, 2024 को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के सार्वजनिक नीति कार्यक्रम के प्रतिभागियों का दौरा
- 5 सितंबर, 2024 को एचसीसी-53 के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के लिए एक (01) दिवसीय संवादात्मक अनुदेशात्मक ज्ञानार्जन दौरा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिन्होंने आर्मी वॉर कॉलेज, महू से नीति आयोग का दौरा किया था।
- 27 सितंबर, 2024 को नेपाल के विभिन्न राजनीतिक दलों के 12 युवा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा आयोजित किया गया।
- सीएम अनुभाग ने 1 अक्टूबर, 2024 को भारतीय लोक नीति विद्यालय के चालीस छात्रों के लिए एक ज्ञानार्जन दौरे का भी आयोजन किया।
- भारत को जानो कार्यक्रम (केआईपी) के अंतर्गत भारतीय मूल के युवाओं (पीआईओ) के 75वें, 77वें और 78वें प्रतिनिधिमंडल के लिए क्रमशः 25 जुलाई, 2024, 19 नवंबर, 2024 और 12 दिसंबर, 2024 को संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए।

नीति आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए समसामयिक कार्य के विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए:

- जेम पोर्टल में उपलब्ध नवीनतम घटनाक्रमों और प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए 11 सितंबर, 2024 को एक सत्र आयोजित किया गया।
- 14 अक्टूबर, 2024 को साइबर सुरक्षा जागरूकता के संबंध में दिल्ली पुलिस के सहयोग से एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।
- 30 अगस्त, 2024 को आईएसटीएम के संकाय की अध्यक्षता में वाईपी/परामर्शदाताओं के लिए ईएफसी/एसएफसी और बजट पर एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया।
- मिशन कर्मयोगी के शुभारंभ और आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर कार्यात्मक और व्यवहारिक पाठ्यक्रमों के उपभोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिए विभिन्न सत्र आयोजित किए गए।

नीति आयोग का करियर प्रबंधन (सीएम) अनुभाग नीति आयोग में सभी स्तरों के सभी अधिकारियों / कार्मिकों के प्रशिक्षण और करियर प्रबंधन से संबंधित मामलों के साथ-साथ विदेशी प्रशिक्षण और विदेशी दौरे से संबंधित मामलों को भी देखता है।

राजभाषा (हिन्दी) अनुभाग

राजभाषा अनुभाग ने हमेशा की तरह राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके तहत बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वियन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम और संघ की राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अधिकतम करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा।

राजभाषा विभाग को तिमाही प्रगति रिपोर्टें भेजी गईं तथा संबद्ध कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा की गई। हिंदी अनुभाग ने वार्षिक रिपोर्ट, अनुदान के लिए मांग, संसदीय स्थायी समिति से संबंधित सामग्री, मंत्रिमंडल नोट, संसद प्रश्न, अधिसूचना, आदेश, ओएम, एमओयू, आरटीआई मामले, प्रपत्र एवं प्रारूप, पत्र, आदि जैसे विभिन्न दस्तावेजों का अनुवाद किया।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वियन

राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत आने वाले सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम तथा अन्य आदेशों / अनुदेशों को सूचनार्थ तथा निर्देश के लिए नीति आयोग के सभी अनुभागों एवं इसके संबद्ध कार्यालयों को अग्रेषित किया गया।

चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत मंडपम, दिल्ली में 14 और 15 सितंबर, 2024 को चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें नीति आयोग के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

संवर्धन: हिंदी में मौलिक टिप्पण एवं आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में टिप्पण एवं आलेखन के लिए शुरू की गई प्रोत्साहन योजना 2024-25 में जारी रही। इस योजना के तहत 5000 रुपये के दो प्रथम पुरस्कार, 3000 रुपये के तीन द्वितीय पुरस्कार और 2000 रुपये के पांच तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत पांच पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

हिंदी में डिक्टेशन के लिए नकद पुरस्कार योजना

हिंदी में डिक्टेशन के लिए अधिकारियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना चल रही है। इस योजना के तहत 5000 रुपये के दो नकद पुरस्कारों (एक हिंदी भाषी स्टाफ के लिए और दूसरा गैर हिंदी भाषी स्टाफ के लिए) का प्रावधान है।

हिंदी दिवस और पखवाड़ा

नीति आयोग में हिन्दी दिवस और पखवाड़ा बड़े उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान कुल 13 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा कुल 49 अधिकारियों / कर्मचारियों को पुरस्कार, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिए गए।

एक नई पहल, 'चर्चा परिचर्चा' यह कार्यक्रम अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य भाषा के प्रति गहरी रुचि पैदा करना तथा दैनिक कार्यों में इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। 10 सफल सत्रों के साथ इस कार्यक्रम ने पहले ही गति पकड़ ली है। यह व्याख्यान श्रृंखला ज्ञान का खजाना है, जिसमें व्यापक विषयों को शामिल किया गया है जो हमारे दैनिक जीवन से सीधे संबंधित हैं।

निरीक्षण: राजभाषा कार्यान्वयन समिति

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) 'संयुक्त सचिव (प्रशासन / राजभाषा)' की अध्यक्षता में काम करती है। यह समिति हिंदी के प्रयोग के सिलसिले में हुई प्रगति की समय समय पर समीक्षा करती है और राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सुझाव देती है तथा उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करती है। इस समिति की बैठकें हर तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं तथा नीति आयोग के नियंत्रण के अधीन कार्यालयों को भी नियमित रूप से ओएलआईसी की बैठकों का आयोजन करने की हिदायत दी गई है।

हिंदी कार्यशालाएं

वर्ष के दौरान, हिंदी के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं पर चार हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं और उनमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए। व्यापक अनुभव और ज्ञान वाले विशेषज्ञों ने कार्यशाला ली और प्रासंगिक और उपयोगी जानकारी साझा की।

कर्मयोगी

नीति आयोग मिशन कर्मयोगी पहल को सक्रिय रूप से क्रियान्वित कर रहा है। यह पहल क्षमता निर्माण आयोग द्वारा तैयार की गई नीति आयोग की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के अनुरूप है।

नीति आयोग ने 100 प्रतिशत अधिकारियों को सफलतापूर्वक शामिल कर लिया है और अब तक 12,000 से अधिक पाठ्यक्रम पूरे हो चुके हैं, जो प्रति व्यक्ति औसतन लगभग 25 पाठ्यक्रमों का संकेत देता है। यह इस पहल के अंतर्गत उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ महत्वपूर्ण सहभागिता को दर्शाता है। अक्टूबर-दिसंबर 2024 में नीति आयोग के 408 कर्मचारियों ने 'विकसित भारत 2047 का सिंहावलोकन' शीर्षक वाले पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसमें आर्थिक परिवर्तन, जिसमें सतत विकास के लिए कार्यनीतियों पर प्रकाश डाला गया है, तथा सामाजिक प्रतिबद्धता, जिसमें समावेशी विकास और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों ने इस पाठ्यक्रम में नामांकन कराया है और 3,78,798 कर्मचारियों ने इसे पूरा कर लिया है।

नीति आयोग आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर नए लोगों के लिए "अपने मंत्रालय को जानें" मॉड्यूल विकसित कर रहा है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य नए अधिकारियों को उनके संबंधित मंत्रालयों से परिचित कराना तथा शामिल होने के उनके अनुभव को बढ़ाना है।

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र

नीति आयोग का पुस्तकालय भारत सरकार के मंत्रालयों में सबसे पुराने और सबसे व्यापक पुस्तकालयों में से एक है। यह एक विशेष प्रकार का पुस्तकालय है जिसमें आर्थिक एवं विकास नीति, क्षेत्र अध्ययन, कृषि/ग्रामीण विकास, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं पोषण, उद्योग, अवसंरचना और अन्य क्षेत्रों से संबंधित विषयों का संग्रह है।

नीति आयोग का पुस्तकालय संसाधन एवं सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करता है तथा नीति आयोग के सभी अधिकारियों को पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं रिपोर्टों तक पूर्ण पहुंच प्रदान करता है। अन्य मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों तथा विभिन्न संस्थानों /

विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोध छात्रों को भी इनहाउस परामर्श की सुविधा प्रदान की गई। पुस्तकालय में 30 उपयोगकर्ताओं की क्षमता वाला एक वाचनालय है और यह उपयोगकर्ताओं/शोध छात्रों के लिए इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

पुस्तकालय में 1.85 लाख से अधिक पुस्तकों, रिपोर्टों, जर्नल के जिल्दबद्ध खंडों और 1326 ऑडियो-विजुअल सामग्री (एल्बम और सीडी) का संग्रह है। नीति आयोग के पुस्तकालय में योजना आयोग/नीति आयोग के दस्तावेजों का संग्रह है। यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 127 पत्रिकाएं, जर्नल एवं समाचार पत्र मंगाता है। यह नीति नियोजन और अनुसंधान में सहायता के लिए ई-संसाधनों सहित आधुनिक सुविधाओं से भी सुसज्जित है।

पुस्तकालय में आईटी अनुप्रयोग

- पुस्तकालय स्वचालन: यह पुस्तकालय कोहा साफ्टवेयर की मदद से पूर्णतः स्वचालित है। लाइब्रेरी पोर्टल का यूआरएल https://library.niti.gov.in है।
- दूरस्थ पहुंच: नीति आयोग पुस्तकालय के सदस्यों को ई-संसाधनों तक दूरस्थ पहुंच भी प्रदान की जाती है। एक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी इस पुस्तकालय तक पहुंचा जा सकता है, जो एंड्रॉइड पर प्ले स्टोर और आईफोन पर एपीपी स्टोर पर उपलब्ध है। ऐप का नाम mLibrary है।
- संस्थागत भंडार: डिजिटल लाइब्रेरी, जिसे ज्ञान भण्डार के रूप में जाना जाता है, को डीस्पेस सॉफ्टवेयर (अर्थात ओपन सॉफ्टवेयर) की सहायता से बनाया गया है। नीति आयोग के लैन पर लगभग 5000 डिजिटल दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता ज्ञान भण्डार से आवश्यक दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं।

सरकारी रिपोर्टों का डिजिटलीकरण

पुस्तकालय में पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा प्रकाशित विभिन्न रिपोर्टें तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की रिपोर्टें हैं। पुस्तकालय समिति ने उन सभी दस्तावेजों/रिपोर्टों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया जो कॉपीराइट-मुक्त थे। डिजिटलीकरण का कार्य चल रहा है। लगभग 4000 दस्तावेजों/रिपोर्टों को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर ज्ञान भण्डार पर अपलोड कर दिया गया है।

संगठन पद्धति एवं समन्वय (ओएमएंडसी) अनुभाग

- ओएमएंडसी अनुभाग जनवरी 2018 से सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से ऑनलाइन सार्वजनिक शिकायतों को संभाल रहा है और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक शिकायत से जुड़ी अपीलों का भी निवारण कर रहा है।
- ओएमएंडसी अनुभाग, नीति आयोग के नियमित/संविदा/आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण और एमएचए के अस्थायी पास और स्थायी पहचान पत्रों के वितरण के उद्देश्य से गृह मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहा है।
- इस प्रभाग ने 21 जून, 2024 को "स्वयं और समाज के लिए योग" विषय पर 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2024 का आयोजन किया। आयुष मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित कार्य किए गए:
  - » अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2024 के आयोजन की पृष्ठभूमि बताते हुए आंतरिक दिशानिर्देश जारी किए गए और जानकारी के लिए नीति आयोग के पोर्टल पर आयुष मंत्रालय द्वारा सामान्य योग प्रोटोकॉल भी जारी किया गया।
  - » आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया योगा ब्रेक (वाई-ब्रेक प्रैक्टिस) मोबाइल एप्लिकेशन, जो कामकाजी पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया पांच मिनट का योग प्रोटोकॉल है, नीति आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों को परिचित कराने के लिए नीति आयोग के पोर्टल पर परिचारित किया गया।
  - » नीति आयोग में 19 से 28 जून, 2024 तक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), आयुष मंत्रालय के सहयोग से विशेषज्ञों द्वारा योग कार्यशाला, योग डेमो और योग व्याख्यान जैसी गतिविधियों सहित एक योग प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसका आयोजन नीति आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों के हित में योग के प्रति रुचि पैदा करने, सभी को योगाभ्यास के लिए प्रोत्साहित करने और योग को अपनाने के लिए किया गया है।
  - » 21 जून 2024 को योग दिवस 2024 समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने किया था। इस आयोजन में नीति आयोग के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया।
- नीति आयोग / डीएमईओ / एआईएम के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए 30 अक्टूबर, 2024 को नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में "राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ" (राष्ट्रीय एकता) का आयोजन किया गया।
- जानकारी के लिए नीति आयोग के पोर्टल पर नीति आयोग की प्रेरण सामग्री परिचालित की गई।
- डीओपीटी यूआरएल पर 01 जनवरी, 2024 तक की स्थिति के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधित्व पर समेकित डेटा अपलोड किया गया।
- सार्वजनिक शिकायतों, सांसदों और राज्य सरकारों के संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी परामर्शों, संसदीय आश्वासनों आदि के निपटान के लिए 2 से 31 अक्टूबर, 2024 तक डीएआरपीजी का विशेष अभियान 4.0 चलाया गया।
- नीति आयोग के अधिकारियों के लिए डीएआरपीजी से प्राप्त 16वें सिविल सेवा दिवस, 2024 (21 अप्रैल, 2024) के निमंत्रण कार्ड का वितरण।
- भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 के लिए निमंत्रण कार्ड जारी करने के लिए नीति आयोग और उसके अधीनस्थ / संबद्ध संगठनों के अपर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों का विवरण भारत व्यापार संवर्धन संगठन को अग्रेषित किया गया।
- स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, 2024 के निमंत्रण कार्ड जारी करने के लिए रक्षा मंत्रालय को नीति आयोग और उसके अधीनस्थ / संबद्ध संगठनों के अधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों का विवरण अग्रेषित किया गया।
- नीति आयोग के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों, जिनके निवास क्षेत्र में सीजीएचएस की सुविधा नहीं है, के लाभ के लिए पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनरों को अधिकृत मेडिकल अटैंडेंट (एएमए) के रूप में नियुक्त करने से संबंधित कार्य।
- नीति आयोग में 17 सितंबर से 02 अक्तूबर, 20224 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का आयोजन किया गया।
- नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष ने 02 अक्तूबर, 2024 को नीति आयोग में स्वच्छ भारत शपथ दिलाई, जिसके बाद नीति आयोग के परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया।

आरटीआई प्रकोष्ठ

आरटीआई सेल https://rtionline.gov.in पर ऑनलाइन और डाक के माध्यम से भौतिक रूप से प्राप्त सभी आईटीआई प्रश्नों का जवाब देता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रकोष्ठ में आरटीआई के 751 आवेदनों और 40 अपीलों से संबंधित कार्य किए गए। सीआईसी की 1 सुनवाई में भी शामिल हुए।

संचार प्रकोष्ठ

नीति आयोग का संचार प्रकोष्ठ पारंपरिक मीडिया (प्रिंट और दृश्य-श्रव्य), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नीति आयोग की वेबसाइट सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से नीति आयोग के सभी प्रभागों में उत्पन्न ज्ञान और अंतर्दृष्टि को समेकित करने और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राजकोषीय वर्ष 2024-25 में, संचार प्रकोष्ठ ने नीति आयोग के सोशल मीडिया स्पेस का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया तथा इसने सामग्री निर्माण से लेकर कोलेटरल की डिजाइन, हैशटैग चयन और समग्र संचार कार्यनीति जैसे कार्यों को संभाला। इस व्यापक दृष्टिकोण ने विभिन्न अभियानों और महत्वपूर्ण आयोजनों जैसे कि सम्पूर्णता अभियान, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, वोकल फॉर लोकल, स्वतंत्रता दिवस समारोह, जल उत्सव और नीति राज्य कार्यशाला श्रृंखला आदि में सोशल मीडिया सामग्री का निर्बाध समन्वय सुनिश्चित किया। इसके अतिरिक्त, प्रकोष्ठ ने कोलेटरल और प्रेस विज्ञप्तियों का प्रबंधन किया, जिससे सुसंगत और प्रभावशाली ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हुई।

2024-25 के दौरान की गई विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

अभियान

सम्पूर्णता अभियान

प्रगति में तेजी लाने का एक तरीका यह है कि एक समय में आकांक्षी जिला कार्यक्रमों और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों के कुछ चुनिंदा संकेतकों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और त्वरित प्रभाव के लिए उन्हें संतृप्त किया जाए। नीति आयोग ने जुलाई से सितंबर 2024 तक "संपूर्णता अभियान" नामक 3 महीने का अभियान शुरु किया। चयनित संकेतकों को समर्थन देने और उजागर करने के लिए स्टैंडीज़, बैनर, पुस्तिकाएं और सेल्फी पॉइंट सहित विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री तैयार की गई। एबीपी/एडीपी के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक और जिले के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर इन्फोग्राफिक्स, वीडियो और ग्राउंड फोटो सहित कुल 140 पोस्ट किए गए, जिन्हें कुल 3,751,368 बार देखा गया।

जल उत्सव

6 से 10 नवंबर 2024 तक आयोजित जल उत्सव अभियान का उद्देश्य जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना था। सबसे दूरदराज के क्षेत्रों सहित व्यापक पैमाने पर दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए, दैनिक विषयों और गतिविधियों के आधार पर प्रचार सामग्री की एक श्रृंखला तैयार की गई। कुल मिलाकर, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों से प्राप्त इन्फोग्राफिक्स और तस्वीरों से युक्त 66 आकर्षक पोस्ट साझा किए गए। इन प्रयासों से अभियान के संदेश को व्यापक बनाने तथा जल संरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर समुदायों को शामिल करने में मदद मिली।

'नीति फॉर स्टेट्स' प्लेटफ़ॉर्म

पिछले वर्ष 'नीति फॉर स्टेट्स' प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया गया, जो एक अंतर-क्षेत्रीय ज्ञान मंच के रूप में कार्य करता है, जिसे नीति और शासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मंच की पहुंच को अधिकतम करने और इसकी सुगमता सुनिश्चित करने के लिए, सूचनात्मक इन्फोग्राफिक्स की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें 10 विविध क्षेत्रों को शामिल किया गया और इसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा किया गया। व्यापक पाठक वर्ग को ध्यान में रखते हुए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सामग्री उपलब्ध कराई गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भाषा इसमें बाधा न बने।

अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार

नीति आयोग ने मेथनॉल इंस्टीट्यूट, यूएसए के सहयोग से एक अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि किस प्रकार वैश्विक शिपिंग लीडर अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) द्वारा उत्सर्जन के संबंध में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेथनॉल को एक समाधान के रूप में अपना रहे हैं। इस आयोजन के पूरक के रूप में, एक सप्ताह तक चलने वाला सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया, जिसमें लगभग 10 इन्फोग्राफिक्स शामिल थे, जिन्हें जागरूकता बढ़ाने और व्यापक पैमाने पर दर्शकों को शामिल करने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर साझा किया गया।

एसडीजी भारत सूचकांक

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रगति को मापने के लिए देश के प्राथमिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो 16 लक्ष्यों में 113 संकेतकों पर नज़र रखता है। यह विस्तृत मूल्यांकन आगे की प्रगति के लिए लक्षित हस्तक्षेपों और कार्यनीतिक पहलों की आवश्यकता पर बल देता है। भारत की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर 12 से अधिक इन्फोग्राफिक्स साझा किए गए, जिनमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश की प्रगति को दर्शाया गया।

भारत के लिए काम करना

हमने नीति आयोग में वरिष्ठ सलाहकार, परामर्शदाता और युवा पेशेवर जैसे लेटरल के लिए अनुभवी पेशेवरों की भर्ती के लिए एक लक्षित अभियान शुरू किया। ये भूमिकाएं कृषि, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और डेटा एनालिटिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जो भारत की विकास यात्रा में योगदान करने का रोमांचक अवसर प्रदान करती हैं। इस अभियान के अंग के रूप में, योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करने और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भर्ती पोस्टर, बैनर डिजाइन किए गए और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और नीति आयोग की वेबसाइट पर साझा किया गया।

रिपोर्टों का डिजाइन तैयार करना

इस राजकोषीय वर्ष के दौरान, हमने कई प्रमुख रिपोर्टें तैयार की हैं, जिनमें ट्रेड वॉच (त्रैमासिक), विशेषज्ञ समूह - भविष्य की महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु खाद्य तेल में वृद्धि को गति देने के लिए मार्ग और कार्यनीति, और इलेक्ट्रॉनिक्स: वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना, आदि शामिल हैं।

वीडियो/रील

इस राजकोषीय वर्ष में, हमने प्रमुख कार्यक्रमों और रिपोर्टों के संप्रेषण को बढ़ाने के लिए फिल्मों और रीलों की एक श्रृंखला का निर्माण किया है। इनमें राज्यों के लिए नीति मंच के लिए नीति वार्ता, विकसित भारत के वीडियो, राज्यों के लिए नीति के वॉकथ्रू वीडियो, भारत के लिए कार्य करने के लिए नीति अवसंरचना और संसाधन पूल पोर्टल के वीडियो, जल उत्सव के वीडियो और मोंटाज, सम्पूर्णता अभियान के वीडियो और मोंटाज तथा खाद्य तेल रिपोर्ट आदि शामिल हैं। इन दृश्य परिसंपत्तियों ने हमारी सहभागिता और संदेश की स्पष्टता में उल्लेखनीय सुधार किया है।

सामाजिक मीडिया आउटरीच

संचार टीम ने एक समेकित सोशल मीडिया उपस्थिति विकसित की, जिसके परिणामस्वरूप अनुयायियों की संख्या में 50 हजार की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 10 महीनों के भीतर, सभी प्लेटफार्मों पर कुल 2060 पोस्ट प्रदर्शित किए गए, जिससे 16.77 मिलियन इंप्रेशन एकत्रित हुए और अनुयायियों की कुल संख्या बढ़कर 5.37 मिलियन हो गई।

शासी परिषद सचिवालय

शासी परिषद सचिवालय और समन्वय प्रभाग नीति आयोग के सभी प्रभागों / यूनिटों की गतिविधियों का समन्वय करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विभिन्न पत्राचारों को संबंधित वर्टिकल को परिचालित भी करता है। सचिवालय ने माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 27 जुलाई, 2024 को आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक का समन्वय किया। सचिवालय ने शासी परिषद की 9वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट और शासी परिषद की 9वीं बैठक के लिए एजेंडा नोट्स तैयार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों / विभागों के साथ समन्वय किया। जीसीएस की 9वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर आगे की कार्रवाई चल रही है।

संसद अनुभाग और समन्वय

नीति आयोग में एक पूर्ण संसद अनुभाग है जो योजना मंत्रालय से संबंधित सभी संसदीय कार्यों को देखता है। संसद अनुभाग संसद सत्र के दौरान संसदीय प्रश्न (पीक्यू) के समय पर निपटान के लिए नीति आयोग के भीतर विभिन्न प्रभागों के साथ समन्वय करता है। इसमें उत्तर प्राप्त करने और माननीय योजना मंत्री से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संसद की वेबसाइट पर उत्तरों को अपलोड करने के लिए संबंधित प्रभाग को संसदीय प्रश्नों को अग्रेषित करना शामिल है। विधिवत रूप से अनुमोदित उत्तरों को सदन के पटल पर रखने के लिए लोकसभा / राज्यसभा को भी प्रस्तुत किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, सलाहकार समिति, स्थायी समितियों और विभिन्न अन्य समितियों की बैठकों के दौरान उठाए गए मुद्दों पर इनपुट प्रदान करने से संबंधित कार्य भी समय पर प्रदान किए जाते हैं। जहां तक संसदीय आश्वासनों का संबंध है, डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में, संसद अनुभाग योजना मंत्रालय के खिलाफ लंबित सरकारी कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ओएएमएस (ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली) की नियमित रूप से निगरानी करता है और लंबित संसदीय आश्वासनों के निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाता है। यह अनुभाग नीति आयोग के बजट को अंतिम रूप देने के लिए बजट सत्र के दौरान डीडीजी (अनुदान की मांग) की विभिन्न बैठकें आयोजित करने में भी सहायता करता है। इसके अलावा, यह अनुभाग माननीय अध्यक्ष के निर्देश 73 ए के तहत वक्तव्य/रिपोर्ट तैयार करने में माननीय मंत्री कार्यालय की सहायता करता है।

समन्वय के फोकल बिंदु के रूप में सचिवालय ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की साप्ताहिक बैठकों (एसओएम) और वरिष्ठ प्रबंधन परिषद (एसएमसी) का आयोजन किया। इसने नीति आयोग द्वारा आउटसोर्स किए जाने वाले अनुसंधान प्रस्तावों / परियोजनाओं / अध्ययनों पर विचार-विमर्श के अलावा, प्रमुख नीतियों और प्राथमिकताओं और उनके कार्यान्वयन के लिए क्रॉस-सेक्टोरल कार्यनीतियों के सुझावों पर चर्चा को सुगम बनाया।

इसके अलावा, इसने विशेष रूप से पिछले 9 साल में नीति आयोग से संबंधित उपलब्धियों / नीतिगत निर्णयों के संबंध में पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय से प्राप्त संदर्भों, स्वतंत्रता दिवस भाषण से निकले इनपुट और कार्रवाई बिंदुओं, केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों आदि के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत से निकले कार्रवाई बिंदुओं के लिए संबंधित प्रभागों से जानकारी का समन्वय और मिलान किया।

NILERD
NATIONAL INSTITUTE OF LABOUR ECONOMICS RESEARCH AND DEVELOPMENT
राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF LABOUR ECONOMICS
RESEARCH AND DEVELOPMENT

खंड 8

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (निलर्ड)

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (नीलड), जो नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, श्रम और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। इस संस्थान के प्राथमिक उद्देश्यों में समावेशी विकास और कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श तथा निगरानी और मूल्यांकन शामिल हैं।

2024-25 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)

एनआईएलईआरडी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की आईटीईसी योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। 2024-25 के दौरान, एनआईएलईआरडी ने 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें एशिया, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और उप-सहारा अफ्रीका के 55 से अधिक देशों के 204 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

- डिजिटलीकरण और मानव संसाधन प्रबंधन पर 30 जुलाई से 12 अगस्त, 2024 तक दो सप्ताह का आईटीपी आयोजित किया गया, जिसमें 32 देशों के 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 8 जुलाई से 19 अगस्त, 2024 तक आयोजित मानव क्षमता विकास पर आईटीपी में 17 देशों के 28 अधिकारियों ने भाग लिया।
- 20 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान सार्वजनिक नीति और शासन पर आईटीपी आयोजित किया गया। इसमें 30 देशों के 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर केवल महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया आईटीपी 9 से 24 नवंबर, 2024 के दौरान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 27 देशों के 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए आईटीपी के प्रतिभागी

2024-25 के दौरान नई पहलें

- पहली बार, 23 से 29 अक्टूबर, 2024 के दौरान विकास क्षमता निर्माण पहल के लिए डेटा पर आईटीईसी कार्यकारी अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 26 देशों के 35 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
- इसके अलावा, 20 नवंबर से 3 दिसंबर, 2024 के दौरान सतत विकास लक्ष्यों पर एक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (फ्रेंच भाषा में) आयोजित किया गया, जिसमें 13 देशों के 21 अधिकारियों ने भाग लिया।
- 2024 के दौरान वृत्तीय अर्थव्यवस्था और टिकाऊ शासन पर एक आईटीपी शुरू किया गया जिसमें 19 देशों के 29 अधिकारियों ने भाग लिया।

घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम विशेष रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों या मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए तैयार किए गए हैं, जिनका उद्देश्य क्षमता निर्माण करना और वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने कार्य क्षेत्र में अपेक्षित ज्ञान, कौशल और मनोवृत्तिगत दक्षता हासिल करने में अधिकारियों की मदद करना है। 2024-25 के दौरान आयोजित पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

- 24 से 28 जून, 2024 के दौरान बिहार सरकार के अधिकारियों के लिए सरकारी परियोजनाओं के संदर्भ में योजना, निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 12 अधिकारियों ने भाग लिया।
- 24 से 25 अप्रैल 2024 को जेम के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से कुल 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अनुसंधान / अध्ययन (जारी)

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई सीएससी अकादमी की डिजिटल लाइब्रेरी सह संसाधन केंद्र योजना का प्रभाव मूल्यांकन।
- मुख्य सचिवों के तीन राष्ट्रीय सम्मेलनों से उभरे कार्य बिंदुओं का तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन, जिसे विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया।
- दिशा निगरानी तंत्र के लिए प्रभाव आकलन और मूल्यांकन अध्ययन, जिसे ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा
- भारत में सभी पात्र बीड़ी, जूट और बागान श्रमिकों को ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा

नीलर्ड की कार्यकारिणी परिषद की बैठक

नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में नीलर्ड की कार्यकारिणी परिषद की 104वीं बैठक 12 नवंबर, 2024 को आयोजित की गई।

नीलर्ड की वार्षिक रिपोर्ट (2023-24) को संसद के पटल पर रखना

माननीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा नीलर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 तथा इसके वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे 4 दिसंबर, 2024 को लोक सभा में तथा 9 दिसंबर, 2024 को राज्य सभा में प्रस्तुत किए गए।

अनुलग्नक

अनुलग्नक I

पीएफपीए में मूल्यांकन किए गए ईएफसी/पीआईबी / प्रस्तावों की क्षेत्रवार संख्या और लागत (1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक)			
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**2024-25 (1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024)**	
		सं.	**प्रस्तावित लागत (करोड़ रुपये में)**
	कृषि		
1	कृषि एवं किसान कल्याण	3	22955.74
2	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी	3	26438.66
	ऊर्जा		
3	विद्युत	3	4455.71
4	कोयला		
5	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	3	73494.00
6	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	5	87040.68
	परिवहन		
7	रेलवे	28	82371.62
8	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	2	4683.76
9	नागर विमानन	4	8017.95
10	बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग	7	119400.14
	उद्योग		
11	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम	1	12600.00
12	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	1	840.00
13	खान	1	34300.00
14	इस्पात	1	1783.89
15	रसायन एवं उर्वरक	1	1451.84
16	कपड़ा	1	6874.87
17	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	3	13000.00
18	वाणिज्य एवं उद्योग	4	24343.92
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
19	जैव प्रौद्योगिकी		
20	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1	659.97
21	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान		
22	महासागर विकास		
23	पृथ्वी विज्ञान	1	1500.00
	सामाजिक सेवाएं		
24	शिक्षा / मानव संसाधन विकास	8	45092.33
25	संस्कृति	1	3800.00

26	युवा कार्यक्रम एवं खेल		
27	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	6368.00
28	आयुष		
29	महिला एवं बाल	1	5680.00
30	श्रम एवं रोजगार	1	107000.00
31	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	5	56598.06
32	ग्रामीण विकास	2	674311.00
33	अल्पसंख्यक कार्य	1	6472.22
34	जनजातीय कार्य	5	118952.00
35	पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता		
36	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	6	30657.50
	संचार		
37	सूचना और प्रसारण	1	1489.55
38	डाक		
39	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	1	22919.00
40	डाक और संचार		
	अन्य		
41	गृह	6	60503.03
42	पर्यटन		
43	पयविरण एवं वन	1	2054.00
44	विधि एवं न्याय	1	998.43
45	जल शक्ति	6	51833.38
46	पूर्वोत्तर क्षेत्र (डोनर)		
47	वित्त	8	20906.87
48	कारपोरेट कार्य	1	845.00
49	योजना आयोग / नीति आयोग	2	2700.00
50	विदेश मामले		
51	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	1	1873.92
52	संसदीय कार्य		
53	पंचायती राज		
54	आवास एवं शहरी मामले	8	304938.88
55	कौशल विकास और उद्यमिता	2	61000.00
56	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन		
57	सहयोग		
58	रक्षा	1	635.00
	कुल	**143**	**2113840.92**

अनुलग्नक II

अनुमोदित शोध अध्ययनों, पूर्ण किए गए अध्ययनों, अनुमोदित सेमिनारों और प्रदान किए गए लोगो समर्थन की सूची		
सारणी 1.1 : 2024-25 के दौरान अनुमोदित नए शोध अध्ययनों की सूची (31 दिसंबर 2024 तक)		
क्र. सं.	**अध्ययन का शीर्षक**	**संगठन का नाम**
1.	वैश्विक विनिर्माण केंद्र-2024 बनने वाले भारत के क्षेत्र	क्रिसिल, मुंबई
2.	ऊपरी सुबनसिरी में जीवंत ग्राम समूहों के लिए पर्यटन और आर्थिक विकास कार्यनीति	जीएचई इम्पैक्ट वेंचर्स, गुरुग्राम
3.	भारतीय उच्च शिक्षा का वित्त पोषण	पीडब्लूसी इंडिया
4.	भारतीय उच्च शिक्षा के लिए इनक्यूबेटर इकोसिस्टम	आईआईटी मद्रास
5.	भारत में सार्वजनिक निवेश कार्यक्रमों/परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय मापदंडों का पुनर्मूल्यांकन	आईएसआई, नई दिल्ली
6.	निर्यात तत्परता सूचकांक	डेलॉयट इंडिया
7.	प्रतिस्पर्धी उपयोगों के लिए जैव ऊर्जा क्षमता का आकलन और फीडस्टॉक की उपलब्धता	आर्कस पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली
8.	उच्च शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय इनक्यूबेटर पारिस्थितिकी तंत्र	ईडीआईआई, गांधीनगर
9	पीएलआई योजना के प्रभाव का आकलन	आईआईएम, अहमदाबाद
10	विनिर्माण क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुधार	सीएसईपी रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली

तालिका 1.2 : 2024-25 के दौरान पूर्ण किए गए अध्ययन (31 दिसंबर 2024 तक)		
क्र. सं.	**अध्ययन का शीर्षक**	**संस्थान / शोधकर्ता**
1.	डॉ. अश्विनी बिश्नोई, सहायक प्रोफेसर द्वारा विज़न 2047 नीति दस्तावेज़ के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक्स पूर्वानुमान रूपरेखा	एनआईटी कुरुक्षेत्र
2.	रंजन कुमार दाश द्वारा विज़न 2047 नीति दस्तावेज़ के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक्स पूर्वानुमान रूपरेखा	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पुणे
3.	क्षेत्रीय व्यापार मॉडलिंग और विश्लेषण	श्री नमन जैन
4.	"भारत के निर्यात पर वैश्विक आर्थिक स्थिति का प्रभाव"	डेलॉयट, मुंबई
5.	भारत के लिए ऊर्जा जलवायु नीति मॉडलिंग का विकास (मेसिजix)	आईआईटी कानपुर
6.	डॉ. भावेश गर्ग द्वारा विज़न 2047 नीति दस्तावेज़ के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक्स पूर्वानुमान रूपरेखा	आईआईटी रोपड़
7.	परिभाषा, मापन और नीति: भारत में गरीबी उन्मूलन 2004-5 से 2021-22	आईआईएम बंगलौर
8.	कोकिंग कोयले के आयात को कम करने के लिए घरेलू कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ाना	राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान (एनआईएएस), बेंगलुरु
9.	भारत में मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता (आशा) का टाइम मोशन अध्ययन	पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई), गुरुग्राम
10.	पोत परिवहन पर गैर-प्रमुख का प्रभाव: संभावना और आगे का मार्ग	बीआरआईईएफ, नई दिल्ली

तालिका 1.3: 2024-25 के दौरान अनुमोदित लोगो समर्थन की सूची (31 दिसंबर 2024 तक)		
क्र. सं.	**कार्यक्रम का नाम**	**आयोजक का नाम**
1.	इंडिया स्पेस कांग्रेस 2024	सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन (एसआईए), नई दिल्ली
2.	सीएसआर कॉन्क्लेव: 2047 तक मीरा भयंदर का बदलाव	मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी), महाराष्ट्र
3.	भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह (आईईएसडब्ल्यू 20244)	इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायन्स, पुणे, महाराष्ट्र
4.	उन्नत सामग्री, महत्वपूर्ण खनिज और धातु पर सीआईआई वैश्विक शिखर सम्मेलन	भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली
5.	सतत गतिशीलता का वित्त पोषण: भारत और विश्व भर में नवाचार और महत्वाकांक्षा पर जी-20 एजेंडा को आगे बढ़ाना	आईसीसीटी (अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन परिषद)
6.	भारतीय वृत्तीय अर्थव्यवस्था मंच (आईसीईएफ) 2024	अंतरराष्ट्रीय वृत्तीय अर्थव्यवस्था परिषद, नई दिल्ली
7.	प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन	अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ, अंधेरी ईस्ट, मुंबई
8.	भारत दलहन सेमिनार 2024	भारतीय दलहन एवं अनाज संघ, मुंबई
9.	दूसरा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन 2024	पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली
10.	प्रवास 4.0	भारतीय बस एवं कार ऑपरेटर परिसंघ (बीओसीआइ), नई दिल्ली
11.	विंडर्जी इंडिया 2024, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी	भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ, नई दिल्ली
12.	भारत में स्वस्थ आहार के लिए खाद्य नीति प्रवेश बिंदु	अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआइ) और एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ)
13.	जल प्रहरी सम्मान समारोह का 5वां संस्करण 2024	एएमएस क्रिएशंस एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली
14.	अंतरराष्ट्रीय सामग्री पुनर्चक्रण सम्मेलन और प्रदर्शनी (आईएमआरसी)	मटेरियल रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई
15.	फिक्की हील 2024	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), नई दिल्ली
16.	भारत वितरण यूटिलिटी सम्मेलन (डीयूएम 2024)	इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम (आईएसजीएफ), नई दिल्ली
17.	आजीविका भारत शिखर सम्मेलन	एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, नई दिल्ली
18.	ज्ञान श्रृंखला-भारत के सेवा निर्यात में साझेदारी	इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया (आईसीसी इंडिया), नई दिल्ली
19.	9वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन (आईडब्ल्यूआईएस) और दूसरा जलवायु निवेश और प्रौद्योगिकी प्रभाव शिखर सम्मेलन (सीआईटीआईएस)	गंगा नदी बेसिन प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र (सीगंगा), आईआईटी कानपुर
20.	यूआईटीपी बस सेमिनार 2024 का 7वां संस्करण-भारत में इलेक्ट्रिक बसों को आगे बढ़ाना	इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट (यूआईटीपी), भारत

तालिका 1.4: 2024-25 के दौरान अनुमोदित सेमिनार की सूची (31 दिसंबर 2024 तक)		
क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	आयोजक का नाम
1.	कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली
2.	दक्षिण एशिया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कानून नेटवर्क (एसएआईईएलएन) का चौथा द्विवार्षिक सम्मेलन (अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कानून के प्रति स्थानीय दृष्टिकोण)	व्यापार एवं निवेश कानून केन्द्र (सीटीआईईएल), नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

नीति आयोग

www.niti.gov.in